दक्षिण एशिया में राज्य-राष्ट्र अंतर्द्वंद: नेपाल राज्य का अध्ययन

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
लखनऊ से राजनीति विज्ञान विषय में
पी-एच०डी० की उपाधि
हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

शोध निर्देशक
प्रो० रिपु सूदन सिंह
राजनीति विज्ञान विभाग

शोधार्थी
विकास शुक्ला
नामांकन संख्या: 1414/16

राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
लखनऊ-226025

2022

पूज्य माता-पिता एवं
श्रद्धेय प्रो० रिपुसूदन सिंह सर
एवं समस्त गुरूजनों को समर्पित

उद्घोषणा

मैं, **विकास शुक्ला** यह घोषणा करता हूँ कि मैंने **"दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंदः नेपाल राज्य का अध्ययन"** विषय पर शोध कार्य **प्रो० रिपु सूदन सिंह,** राजनीति विज्ञान विभाग, अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के निर्देशन में पूर्ण किया है। पी–एच०डी० की उपाधि हेतु प्रस्तुत यह शोध प्रबन्ध मेरा मौलिक कार्य है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को इससे पहले इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में पी–एच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यह शोध प्रबन्ध पूर्णतया साहित्यिक चोरी (Plagiarism) मुक्त है।

दिनांक : 22.03.2022

Vikash Shukla.

विकास शुक्ला
(शोधार्थी)
नामांकन संख्याः 1414/16
राजनीति विज्ञान विभाग

CERTIFICATE

This is to certify that the thesis titled "**दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंदः नेपाल राज्य का अध्ययन**" Submitted by **Mr. Vikash Shukla** is an original research work and has not been previously submitted in part or full for the award of any other degree or diploma to this or any other university.

The thesis submitted to Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Lucknow satisfies all the requirements as stipulated in the *Doctor of Philosophy (Ph.D.) regulations-1999 as amended in 2008/2010/2013/2016* and it is fit for submission and evaluation for the award of the degree of Doctor of Philosophy of the University.

Date: 22-03-2022

Supervisor

Prof. Ripu Sudan Singh
Research Supervisor
DPS/SAS/BBAU

Head of the Department

विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग
बी०बी०ए०यू०, लखनऊ
Head
Deptt. of Political Science
B.B.A.U., Lucknow

आभार

आभार

दक्षिण एशिया विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जहां भिन्न–भिन्न जातीय और रिलीजियस (मजहबी) समुदाय के लोगों ने लंबे समय तक एक साथ कार्य किया है। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विभिन्नता ने इसे एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है। जो विश्व में अद्वितीय है। दो महाशक्तियों (भारत और चीन) के मध्य में स्थित नेपाल राज्य दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देश है, जो संविधान की स्थापना के पश्चात् से ही भागीदारी मूलक लोकतंत्रिक व्यवस्था और सफल राज्य–राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए निरंतर संघर्षरत है।नेपाल में राजनीतिक स्थिति सदैव उथल–पुथल भरी रही है तथा नेपाली राज्य एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।

*इस सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए मैनें अपने शोध प्रबन्ध "**दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंदः नेपाल राज्य का अध्ययन**" का चयन तार्किकरूप से किया है। इस शोध प्रबन्ध के शीर्षक चयन से लेकर शोध प्रबन्ध के सारगर्भित एवं सफल लेखन तक के कार्य में अपने श्रद्धेय शोध निर्देशक **प्रो० रिपु सूदन सिंह,** राजनीति विज्ञान विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का मैं आजीवन ऋणी रहूँगा, जिनके ज्ञानपूर्ण कुशल मार्गदर्शन में शोध कार्य बिना किसी व्यवधान के गतिशील रहा और गुरूवर का वात्सल्यपूर्ण प्रेम और कुशल मार्गदर्शक से शोध प्रबन्ध अपनी सम्पूर्णता को प्राप्त किया है।*

*इसी क्रम में मैं अपने विभाग के **प्रो० शशिकान्त पाण्डेय (विभागाध्यक्ष), प्रो० सार्तिक बाग, डॉ० सिद्धार्थ मुखर्जी, डॉ० प्रीति चौधरी, मंजरी राज ओराँव** एवं अन्य गुरूजनों का सदा आभारी रहूँगा, जिनके दिशा–निर्देश प्राप्त होने से शोध प्रबन्ध कार्य को पूरा करने में सहायता प्राप्त हुई। इसके साथ ही मैं राजनीति विज्ञान विभाग के सभी कर्मचारियों और **श्री स्वप्नेश मिश्रा व अन्य** का सहृदय से आभारी हूँ, जिनका समय–समय पर सहयोग प्राप्त होता रहा।*

शोध अध्ययन के क्रम में बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली, तीनमूर्ति पुस्तकालय नई दिल्ली, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी,नेपाल अध्ययन केन्द्र, बी.एच.यू., इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, के पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग के बिना शोध कार्य पूर्ण करने में कठिनाई होती।

*इसी क्रम में मैं अपनी माता **श्रीमती मीरा देवी, पिता श्री बृज किशोर शुक्ला**, मेरे प्रेरणास्त्रोत दादी **केतकी शुक्ला,** मामा जी श्री **दिनेश चन्द्र तिवारी** एवं **श्री संजय तिवारी**, मामी **आजू तिवारी** एवं अपनी बहन **प्रिया** और उनके पति **श्री कृष्णा बाजपेयी** का सदैव आभारी एवं ऋणी रहूँगा, जिनका हमेशा सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है और जो मुझे शोध प्रबन्ध के लेखन हेतु प्रेरित एवं उत्साहित करते रहें।*

*इसी क्रम में मैं अपनी धर्मपत्नी **श्रीमती शिखा शुक्ला** का हमेशा ऋणी रहूँगा, जिसके त्याग, प्रेम, प्रेरणा, सहयोग एवं उत्साहवर्द्धन ने शोध प्रबन्ध को सम्पूर्णता प्रदान करने में सहायता प्रदान की।*

*इसी क्रम में मैं अपने सहपाठी **डॉ० सुशील कुमार दुबे, डॉ० रजनीकांत पांडे, डॉ. वीर रॉय, डॉ अभय राज सिंह, डॉ. संदीप कुमार आदित्य, श्री रितेश कुमार** एवं अन्य सभी मित्रों का आभारी हूँ।*

*अन्त में मैं **डॉ० स्वदेश कुमार (पर्यावरण सलाहकार, स्कॉलर्स हब),** का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे शोध कार्य को पूरा करने में सहयोग दिया।*

विकास शुक्ला

अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका

अध्याय	शीर्षक	पेज न.

प्रथम अध्याय : प्रस्तावना **1–24**

1.1 भूमिका
1.2 शोध समस्या
1.3 साहित्य समीक्षा
1.4 शोध प्रश्न
1.5 शोध उद्देश्य
1.6 शोध परिकल्पना
1.7 शोध प्रविधि
  1.7.1 प्राथमिक स्रोत
  1.7.2 द्वितीयक स्रोत
1.8 अध्यायों का संक्षिप्त परिचय

द्वितीय अध्यायः राष्ट्र –राज्य और राज्य–राष्ट्र की अवधारणा एक सैद्धांतिक ढांचा **25–53**

2.1 राज्य एक अवधारणा
2.2 राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत
  2.2.1 राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत
  2.2.2 राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत
  2.2.3 राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत
  2.2.4 राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक सिद्धांत
  2.2.5 राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत
  2.2.6 राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत
2.3 राष्ट्रः एक अवधारणा
2.4 राष्ट्रवादः एक अवधारणा
2.5 राष्ट्र–राज्यः एक अवधारणा

2.6 राज्य–राष्ट्रः एक अवधारणा

तृतीय अध्यायः दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद 54–76

3.1 दक्षिण एशियाः एक परिचय
3.2 दक्षिण एशिया का राजनीतिक इतिहास
3.2.1 भारत का राजनीतिक इतिहास
3.2.2 पाकिस्तान का राजनीतिक इतिहास
3.2.3 बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास
3.2.4 नेपाल का राजनीतिक इतिहास
3.2.5 भूटान का राजनीतिक इतिहास
3.2.6 श्रीलंका का राजनीतिक इतिहास
3.2.7 मालदीव का राजनीतिक इतिहास
3.3 दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद
3.4 दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद
3.5 दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद के कारण
3.5.1 लोकतंत्र का क्षरण
3.5.2 नृजातीय संघर्ष
3.5.3 सांप्रदायिक संघर्ष
3.5.4 सुरक्षा दुविधा

चतुर्थ अध्यायः नेपाल राज्य के लोकतान्त्रिक विकास की रूपरेखा 77–111

4.1 प्रस्तावना
4.2 लोकतन्त्रः एक परिचय
4.3 लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धान्त
4.4 नेपाल में लोकतन्त्र का विकासः ऐतिहासिक परिपेक्ष्य
4.4.1 सन् 1950 का नागरिक–आंदोलन
4.4.2 जन–आंदोलन
4.5 लोकतंत्रः स्थापना और स्वरूप
4.6 राजनीतिक दलों और प्रजातांत्रिक विचारों का आरम्भ
4.7 प्रजातांत्रिक ह्रास एवं पंचायतीराज प्रणाली
4.8 1990 में लोकतन्त्र की स्थापनाः प्रकृति एवं चुनौतियाँ
4.9 लोकतन्त्र का अवसान और राजाशाही की पुर्नस्थापना
4.10 अन्तरिम संविधान सभा और 2006 के पश्चात का राजनीतिक घटनाक्रम

4.11 नेपाल में लोकतान्त्रिक व्यवस्था के समक्ष मुद्दे और चुनौतियाँ

पंचम अध्यायः नेपाल में राज्य–राष्ट्र के अंतर्द्वंद में मधेशी आन्दोलन की भूमिका **112–137**

5.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
5.2 मधेशी आंदोलन के उद्देश्य
5.3 मधेशी आंदोलन की उत्पत्ति और कारण
5.3.1 बहिष्करण और भेदभाव आर्थिक शोषण
5.3.2 नागरिकता
5.3.3 आर्थिक शोषण
5.3.4 मधेशी आंदोलन में संघर्ष और राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद
5.3.5 आंतरिक संघर्ष
5.3.6 पहाड़ी–मधेशी संघर्ष
5.3.7 मधेशी और माओवादी दबों के मध्य संघर्ष
5.4 राज्य–राष्ट्र की स्थापना में मधेशी आंदोलन की भूमिका
5.5 क्षेत्र अध्ययन एवं आँकड़ा संग्रह
5.6 उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण
5.7 मधेशी आन्दोलन की उपलब्धियाँ

षष्टम अध्यायः नेपाल राज्य–राष्ट्र अथवा राष्ट्र–राज्य **138–185**

6.1 राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक प्रक्रिया
6.2 नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण
6.3 राष्ट्र निर्माण का प्रारम्भिक चरण
6.4 राष्ट्र निर्माण का लोकतान्त्रिक चरण
6.4.1 हिन्दू राज्य
6.4.2 भाषा नीति
6.5 राज्य निर्माण
6..5.1 नेपाल मे राज्य निर्माण के लिए प्रयास
6.5.2 राज्य निर्माण की आवश्यक शर्तें
6.6 नेपाली राष्ट्रवाद
6.7 नेपाल राज्य–राष्ट्र अथवा राष्ट्र–राज्य
6.7.1 बहिष्करण राज्य और राज्य–राष्ट्र
6.7.2 शासक वर्ग का मुद्दा

6.7.3 उपयुक्त विचारधारा का मुद्दा
6.7.4 दलितों का मुद्दा
6.7.5 राष्ट्र निर्माण के बाद का चरण
6.8 नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और संभावनाएं
6.8.1 भाषाः संघर्ष के मूल श्रोत के रूप में
6.8.2 संघवाद आंतरिक संघर्ष के कारण के रूप में
6.8.3 तराई क्षेत्र का पहाड़ीकरण
6.8.4 पंथनिरपेक्षता

सप्तम अध्यायः उपसंहार **186–196**

संदर्भ ग्रंथ सूची **197–210**

परिशिष्ट **a-e**

तालिका–सूची

तालिका संख्या	तालिका विषय	पृष्ठ संख्या
1.1	झापा, मोरंग और सुनसारी में मधेशियों और गैर–मधेशियों का संयोजन	23
6.1	नेपाल में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों का वितरण (प्रतिशत में)	161

रेखाचित्र–सूची

रेखाचित्र संख्या	रेखाचित्र विषय	पृष्ठ संख्या
3.1	दक्षिण एशिया का मानचित्र	56
5.1	नेपाल में जातीय समूहों का पदानुक्रम और प्रतिनिधित्व	123
6.1	राष्ट्र–अवधारणा का बदलता स्वरूप	144
6.2	राष्ट्र निर्माण के चरण	148
6.3	राज्य–राष्ट्र निर्माण की विशेषताएँ	149
6.4	सात प्रांतो पर आधारित नेपाल के संघीय मॉडल का मानचित्र	182

शब्द–संक्षेप सूची

क्र.सं.	शब्द–संक्षेप	पूर्ण विवरण
1.	सीपीएन (माओस्टि)	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी)
2.	ICG	इंटेरनेशनल क्राइसिस ग्रुप
3.	**CBES**	Chure Bhawar Ekta Samaj
4.	**CPN (Maoist)**	Communist Party of Nepal
5.	**DDC**	District Development Committee
6.	**GDP**	Gross Domestic Product
7.	**ICG**	International Crisis Group
8.	**IDSA**	Institute for Defence Studies and Analysis
9.	**JTMM**	Janatantrik Terai Mukti Morcha
10.	**MJF**	Madhesi Jan Adhikar Forum
11.	ICG	इंटेरनेशनल क्राइसिस ग्रुप
12.	**CBES**	Chure Bhawar Ekta Samaj
13.	**CPN (Maoist)**	Communist Party of Nepal
14.	**DDC**	District Development Committee
15.	**GDP**	Gross Domestic Product
16.	**MJF (L)**	Madhesi Jan Adhikar Forum (Loktantrik)
17.	**MNLF**	Madhes National Liberation Front
18.	**MNO**	Mongol National Organisation
19.	**NC**	Nepali Congress
20.	**NCP**	Nepali Communist Party
21.	**NEFIN**	Nepal Ethnic Federation of Indigenous Nationalities
22.	**NRs**	Nepali Rupees
23.	**NSP**	Nepali Sadbhavna Party

<u>प्रकाशित लेख</u>

1. ″मधेसी आंदोलन में आंतरिक संघर्षः नेपाली राज्य निर्माण में एक चुनौती″ Published in **“Annals of Multidisciplinary Research”** A Quarterly International Peer Reviewed Refereed research Journal, Vol. 9- Issue 1, March 2018, ISSN - 2249-8893.

2. ″नेपाल में लोकतान्त्रिक प्रक्रियाः चुनौतियाँ और समाधान″ Published in **“Jigyasa”** An Interdisciplinary Peer Reviewed Refereed research Journal, Vol. –12 , No – II, February 2019, ISSN – 0974-7648.

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

प्रथम अध्याय
प्रस्तावना

1.1 भूमिका–

समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे पर दो दृष्टिकोण अपना प्रभुत्व रखते है प्रथम राष्ट्र–राज्य का विचार और द्वितीय राज्य–राष्ट्र की अवधारणा। हम सभी जानते हैं राष्ट्र–राज्य का विचार वेस्टफेलिया की संधि (1648) का उत्पाद है फिर भी राज्य–राष्ट्र (State-Nation) राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक नवीन घटना है। राज्य–राष्ट्र (State-Nation) उपनिवेशवाद के अंत (Decolonization) का उत्पाद है। तृतीय विश्व के नवीन निर्मित स्वतंत्र राज्य अभी तक राष्ट्र–निर्माण की प्रक्रिया में व्यस्त है। प्रस्तावित अध्ययन के दो भाग हैं। प्रथम–सामान्य रूप में दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र (State-Nation) अंतर्द्वंद (Dilemma) और द्वितीय–विशेष रूप में नेपाल राज्य में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद।

प्रस्तावित अध्ययन को तीन दृष्टिकोणों के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रथम–ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो सांस्कृतिक परम्परा का वर्णन करता है। द्वितीय–आर्थिक दृष्टिकोण जो नेपाल के भू–बध्य (Land Locked) होने के नाते उसके विकास में उत्पन्न हो रहे अवरोधों और नेपाल राज्य की राजनीतिक स्थिति के कारण चीन और भारत के मध्य में प्रतियोगिता का वर्णन करता है और तृतीय–राजनैतिक दृष्टिकोणजो नेपाल की स्थिति का वर्णन यथार्थवादी एवं नव–यथार्थवादी सिद्धांत के प्रकाश में परिभाषित करने का प्रयास करता है। भू–बध्य होने के नाते अपनी वैश्विक अवस्थिति के चलते नेपाल के समक्ष अस्तित्व की चुनौतियाँ हैं। जो मार्क्सवाद–लेनिनवाद और माओवाद से उत्पन्न नेपाल के संदर्भ में वैचारिकी भी एक चुनौती है। उपरोक्त विभिन्न सैद्धांतिक अवधारणाओं के संदर्भ में उक्त विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास है जो निम्नलिखित है–

(a) राज्य–राष्ट्र (state-nation) की अवधारणा

राज्य–राष्ट्र की अवधारणा को 1996 में Linz और Stepan ने प्रस्तुत किया। दोनों लेखकों ने राज्य–राष्ट्र (state-nation) और राष्ट्र–राज्य (nation-state) को तुलनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से विश्लेषित किया है–

1. राष्ट्र–राज्य में जागरूकता और लगाव एक मुख्य सांस्कृतिक परम्परा (Cultural Civilizational Tradition) की तरफ होता है जबकि राज्य–राष्ट्र (State-Nation) में जागरूकता और लगाव एक से अधिक मुख्य सांस्कृतिक सभ्यता परम्पराओं (Multi-Cultural Civilizational Tradition) की तरफ होता है।[1]

2. राष्ट्र–राज्य मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक पहचान, एक आधिकारिक भाषा और एकात्मकता की इकाई (Unity of Oneness) की समरूपता (homogenization) से सम्बद्द होता है जबकि राज्य–राष्ट्र (State-Nation) एक से अधिक सांस्कृतिक पहचानों, भाषाओं, सामान्य राजकीय प्रतीकों को मान्यता प्रदान करता है। राज्य–राष्ट्र विभिन्नता की एकता (Unity of Diversity) के साथ सम्बद्ध होता है।[2]

3. राष्ट्र–राज्य मुख्यता एकीकृत राज्यों (Intigrated State) पर बल देता है वहीं दूसरी ओर राज्य–राष्ट्र (State-Nation) संघीय व्यवस्था पर बल देता है।[3]

4. राष्ट्र–राज्य इकहरी पहचान (Single Identity) पर बल देता है जबकि राज्य–राष्ट्र (State-Nation) विविध पहचानों (Diversity Of Identity) पर बल देता है।[4]

[1] Alfred steepen Juan J- Linz and Yogendra Yadav (2011): Crafting State &Nations: India and Other Multinational Democracies- Baltimore: Johns Hopkins University Press, p-46
[2] Alfred steepen Juan J- Linz and Yogendra Yadav (2011): Crafting State &Nations: India and Other Multinational Democracies- Baltimore: Johns Hopkins University Press.
[3] Alfred steepen Juan J- Linz and Yogendra Yadav (2011): Crafting State &Nations: India and Other Multinational Democracies- Baltimore: Johns Hopkins University Press.
[4] Alfred steepen Juan J- Linz and Yogendra Yadav (2011): Crafting State &Nations: India and Other Multinational Democracies- Baltimore: Johns Hopkins University Press.

संक्षेप में – "राज्य राष्ट्र (State-Nation) प्रतीकों के माध्यम से जैसे–संविधान, समावेशी लोकतान्त्रिक संस्थाएं, मौलिक स्वतन्त्रता की गारंटी के साथ सकारात्मक नागरिक पहचान का निर्माण करता है।"

(b) राज्य और राष्ट्र में भेद

वर्तमान वैश्विक भू–भाग 195 राज्यों में विभाजित है जिनमे 192 संयुक्त–राष्ट्र के सदस्य हैं। इन राज्यों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं। इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राज्यों को अपनी निर्धारित सीमाओं के अंदर अपनी सत्ता (authority) को क्रियान्वयन करने का अधिकार प्राप्त होता है। राज्य और राष्ट्र आधुनिक लोकतंत्र के आवश्यक तत्व हैं। जहां तक राज्य और राष्ट्र में भेद का प्रश्न है वह इस प्रकार है–

1. राज्य और राष्ट्र दोनों के तत्व भिन्न भिन्न होते हैं राज्य के चार तत्व होते हैं–जनसंख्या, भू–भाग, सरकार, संप्रभुता वहीं राष्ट्र लोगों का एक समूह होता है जो सामान्य संस्कृति, भाषा , इतिहास, पहचान को परस्पर साझा करते हैं।
2. राज्य एक राजनैतिक संगठन है वहीं राष्ट्र एक सामाजिक–सांस्कृतिक इकाई है।
3. राज्य के लिए संप्रभुता अनिवार्य तत्व है परन्तु राष्ट्र के लिए यह आवश्यक नही है।
4. राष्ट्र (nation), राज्य की तुलना में अधिक व्यापक धारणा है।[5]

(c) दक्षिण–एशिया में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद

दक्षिण एशियाई राज्य बहुलवादी (Pluralistic) प्रकृति के हैं क्योकि ये राज्य विविध नृजातीय, सांस्कृतिक, भाषाई, पहचानों में विभाजित है। तुलनात्मक रूप से दक्षिण एशियाई राज्यों ने विविध प्रकार के आदिवासी, बहुसंख्य जातीय और

[5] Alfred steepen Juan J- Linz and Yogendra Yadav (2011): Crafting State &Nations: India and Other Multinational Democracies- Baltimore: Johns Hopkins University Press.

नृजातीय समूह समाज में उर्ध्वाधर (vertical) और क्षैतिज (horizontal) आकार में विभाजित है। दक्षिण एशियाई राज्यों के पास समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा है। दक्षिण एशिया 7 स्वतंत्र राज्यों का क्षेत्र है जहां विश्व की 1/6 प्रतिशत आबादी निवास करती है। भू–राजनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दक्षिण एशियाई राज्यों का समाज बहु–सांस्कृतिक, बहु–भाषाई, बहु–धार्मिक, बहु–मजहबीय, बहु–नृजातीय विशिष्टताओं को समेटें हुए है। दक्षिण एशिया में दो परम्पराएँ मुख्य रूप से परिलक्षित होती हैं। प्रथम धार्मिक परंपरा है जिसका इतिहास 5000 वर्षों का है और दूसरी परंपरा पश्चिम एशिया में उत्पन्न अब्राहम की परंपरा है जिससे तीन रिलीजन–मजहब यथा यहूदी रिलीजन, क्रिश्चिययन रिलीजन और इस्लाम मजहब की परंपरा रही है।[6] जहां तक दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र (state-nation) अंतर्द्वंद (dilemma) का प्रश्न है तो सभी दक्षिण एशियाई राज्य "राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद" (state-nation dilemma) का सामना कर रहें हैं क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में ये सभी देश समान भाषा, संस्कृति, पहचान, धर्म मजहब इतिहास को परस्पर साझा करते हैं परन्तु एक राज्य के रूप में ये सभी अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं। दक्षिण एशियाई राज्यों में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद (state-nation dilemma) के मुख्य कारणों में –"सरकार का अस्थायित्व, लम्बे समय तक सैनिक शासन (पाकिस्तान और बांग्लादेश)[7], नृजातीय संघर्ष, मजहबी संघर्ष पहचान और भागीदारी का संकट शामिल है" यह सभी अंतर्द्वंद दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र को स्थापित करने में बाधक रहें हैं।

(d) नेपाल में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद

नेपाल दक्षिण एशिया में एकमात्र जीवित राजतन्त्र के रूप में विद्यमान रहा है। लेकिन लंबी राजनीतिक उथल–पुथल वैचारिक आधार पर उत्पन्न हिंसक संघर्षों, विचार विमर्शों के उपरांत 20 सितम्बर 2015 को नेपाल में नया संविधान

[6] प्रो रिपुसूदन सिंह (2011)अलग– अलग अर्थों के वाचक हैं रिलीजन और मजहब, राजधर्म, अगस्त, पेज 49–50

[7] प्रो रिपुसूदन सिंह (2011)अलग– अलग अर्थों के वाचक हैं रिलीजन और मजहब, राजधर्म, अगस्त, पेज 49–50

लागू हो गया और नेपाल को "संघीय प्रजातांत्रिक गणतन्त्र" घोषित कर दिया गया। परन्तु जहां तक नेपाल में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद (state-nation dilemma) का प्रश्न है तो अन्य दक्षिण एशियाई राज्यों की भाति नेपाल राज्य भी राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद का सामना कर रहा है। नेपाल में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद को निम्नलिखित आधारों के माध्यम से समझा जा सकता है–

• माओवादी विद्रोह और राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल–माओवादी (CPN-M) ने नेपाली राज्य के विरुद्ध लंबे समय तक (1996–2006) सैनिक विद्रोह किया परन्तु नेपाल में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद CPN-M के द्वारा दशकों तक जारी सैनिक विद्रोह के कारण नही बल्कि नेपाल राज्य द्वारा अपने शासन पर प्रभुत्व और नियंत्रण न कर पाने के कारण यह अंतर्द्वंद उत्पन्न हुआ। नेपाल में इस वैधानिक संकट के उत्पन्न होने के दो कारण रहें–

i. 20वी शताब्दी में निरंतर चलने वाले राजनीतिक आन्दोलन नेपाल राज्य में लोकतंत्र और संविधानवाद को स्थापित करने में विफल रहे।

ii. नेपाली राज्य अपने नागरिकों को सरकारी/जनसुविधाएँ और सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा।

इन कारणों से नेपाली राज्य कमजोर होता गया और गैर–राज्यकर्ता (non-state actors) माओवादी समूह के प्रभाव के कारण देश की सम्प्रभुता कमजोर होती गयी। इसके अतिरिक्त माओवादी, नेपाल राज्य में विदेशी अनुदान और गैरसरकारी संगठनों के संचालन के विरोधी हैं क्योंकि इनका तर्क है कि यह स्थिति नेपाल पर प्रभुत्व स्थापित करने की है।

• मधेशी आन्दोलन और राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद

20 सितम्बर 2015 को नेपाल में नया संविधान लागू होते ही नेपाल एक पंथनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित हो गया। परन्तु नेपाल राज्य के कुछ विशेष

समूह मुख्यतः मधेशी समुदाय[8] के लोग जो नेपाल के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं और जिनकी आबादी नेपाली जनसंख्या की लगभग 50 प्रतिशत है नए संविधान से संतुष्ट नहीं है क्योंकि इनका मानना है कि नए संविधान में उनका बहिर्वेशन (exclusion) और भेदभाव हुआ है। अपनी मांगों को लेकर मधेशी समुदाय आन्दोलनरत है इनकी प्रमुख मांगे हैं–

1. अंतरिम संविधान के अनुच्छेद 63(3) को नए संविधान में पुनः लागू किया जाये।

2. नए संविधान के अनुच्छेद 283 को संशोधित किया जाये क्योंकि यह मधेशी समुदाय के लोगों को नेपाल राज्य का मूल निवासी नहीं मानता।

मधेशी समुदाय का यह आन्दोलन नेपाल को राज्य–राष्ट्र (State-Nation) के रूप में विकसित होने की दिशा में एक प्रमुख चुनौती बनकर उभरा है।

• नृजातीय संघर्ष (ethnic conflict) और राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद

नेपाल राज्य में नृजातीय समूहों की अत्यधिक विविधता है। नेपाल राज्य में नृजातीय समूह अपनी पहचान, भागीदारी के संकट को लेकर संघर्षरत है। नृजातीय समूहों का यह संघर्ष नेपाल को राज्य राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रहा है।

• आर्थिक अंतर्द्वंद और राज्य–राष्ट्र

नेपाल राज्य ऐतिहासिक रूप से आर्थिक गतिविधियों हेतु भारत पर निर्भर रहा है। ब्रिटिश समाज – वैज्ञानिक Piers Blaike का मानना है कि नेपाल में पूंजीवाद का विकास और भारत के साथ सम्बंध नेपाली राज्य की प्रकृति और सहयोग के बिना नामुमकिन है इनका विचार है कि भारतीय आर्थिक प्रक्रियाओं के विस्तार ने नेपाल राज्य की पर्वतीय आबादी की आर्थिक प्रक्रियाओं, संस्थाओ को कमजोर और

[8] नोटः मधेशी नेपाल में निवास करने वाली प्रमुख नृजातीय समुदाय है। जो मूल रूप से भारत के राजस्थान और बिहार राज्य से इतिहास काल में नेपाल राज्य में रच–बस गायें हैं।

विकलांग बना दिया है। नेपाल राज्य में भारतीय आर्थिक गतिविधियों ने एक प्रकार के अंतर्द्वंद (Dilemma) को उत्पन्न करने का कार्य किया है।[9]

1.2 शोध समस्या

विविधता सभी दक्षिण एशियाई राज्यों की वास्तविकता है। सभी दक्षिण एशियाई राज्य बहु–भाषाई, बहु–नृजातीय, बहु–मजहबी, बहु–धार्मिक, बहु–पहचान की विशेषताएँ लिए हुए हैं। दक्षिण एशिया के प्रत्येक राज्य में नृजातीय, भाषाई समूहों की विविधता पाई जाती है। ये सभी समूह भिन्न सामाजिक–राजनीतिक लामबंदी के स्तर पर है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने प्रत्येक आधार पर विश्व को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है लेकिन "विविधता" पहचान के माध्यम से अस्तित्व में आती है, परन्तु पहचान (Identity) अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रखने हेतु वैश्वीकरण के लिए चुनौती उत्पन्न कर रही है। नेपाल इस दृश्य परि–घटना (Phenomenon) में अपवाद नहीं है ।

इस सन्दर्भ में नेपाल का उपलब्ध साहित्य नेपाल राज्य के समावेशी लोकतंत्र या वास्तविक लोकतंत्र की प्रकृति को चुनौती देता है। नेपाल एक मध्यम राज्य है जिसके समाज में संरचनात्मक विषमताएं विद्धमान हैं।

1.3 साहित्य समीक्षा

Benedict Anderson ने अपनी (1979) में प्रकाशित पुस्तक, **Imagined Communities: Reflection on the Origine and Spread of Nationalism.**[10] में राष्ट्र–राज्य की उत्पत्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। विभिन्न लेखकों ने राष्ट्र–राज्य और राज्य–राष्ट्र की उत्पत्ति पर विमर्श किया है। Anderson ने इस विमर्श को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र–राज्य की उत्पत्ति को रेखांकित किया है। इनका मानना है कि राष्ट्र–राज्य का आरम्भ प्रिन्ट मीडिया के द्वारा हुआ है जैसे–समाचार पत्र और नयी तकनीक 1500 और 1600 A.D. में विकसित हुई, जिससे लोग नये

[9] Piers Blaike

[10] Anderson Benedict; (1983): Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso.

तरीकों के माध्यम से अपने विचारों, संस्कृति, मूल्य, भाषा को परस्पर साझा करने लगे यहीं से राष्ट्र–राज्य की उत्पत्ति हुई। Anderson राष्ट्र–राज्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि "राष्ट्र लोगों का एक समूह है जो परस्पर सामान्य भाषा, संस्कृति, इतिहास को साझा करते हैं, जबकि राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसकी एक निर्धारित भू–भाग पर संप्रभुता होती है।"

T-K-Oommen ने अपनी (2002) में प्रकाशित पुस्तक **State Versus Nation in South Asia: Linking Language and Governence**[11] में दक्षिण एशिया में राज्य बनाम राष्ट्र के विमर्श पर बल दिया है। इनका मानना है कि दक्षिण एशियाई राज्य बहु–सांस्कृतिक, बहु–भाषाई, बहु–नृजातीय, बहु–धार्मिक विशिष्टताओं से परिपूर्ण है । दक्षिण एशिया में "राज्य और राष्ट्र" का विमर्श राष्ट्रीय एकीकरण योजना के तीन आयामों के आधार पर विचार करता है–

(i) संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करना।

(ii) राज्य के समुदायों के मध्य सम्बंध सम्पूर्णतः लिए हुए होने चाहिए।

(iii) इतिहास शिक्षा के द्वारा राजनीतिक समाजीकरण।

Oommen तर्क देते हुए कहते हैं कि सांस्कृतिक समरूपता (culturally Homogineous) और राज्य–राष्ट्र की पश्चिमी यूरोपीय अवधारणा दक्षिण एशियाई राज्यों के लिए उपयुक्त नही है। Oommen इसका कारण यह बताते हैं कि दक्षिण एशियाई राज्य सांस्कृतिक, भाषाई विविधता से परिपूर्ण हैं। अतः इस विविधता को समरूपता (Homoginize) प्रदान करना एक लोकतंत्र विरोधी प्रक्रिया होगी। Oommen ने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि दक्षिण एशियाई राज्यों में राष्ट्रीय पहचान को धार्मिक और अंतर–धार्मिक (religious and inter- religious) संघर्ष से बाहर निकालकर स्थापित करने का प्रयास चल रहा है।

[11] Oommen, T.K; (2002): State versus Nation in South Asia: Linking Language and Governance. Sage publication New Delhi/Thousand Oaks/London

Ishtiaq Ahmed ने अपनी पुस्तक (1996), **State, Nation and Ethnicity in South Asia.** में दक्षिण एशियाई राज्यों में राज्य राष्ट्र के अंतर्द्वंद को नृजातीयता, साम्प्रदायिकता और अलगाववाद के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया है। वह बल देते हुए कहते हैं कि सम्पूर्ण दक्षिण एशियाई राज्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण नृजातीय समस्या का सामना कर रहे है मुख्यता श्री–लंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान इसका सामना कर रहे है।

इनका मानना है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया नृजातीय और अलगाववादी समस्या को सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण सिद्ध कर रही है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 1980 के दौरान से नृजातीय और साम्प्रदायिक समस्या और अधिक सशक्त हुई है। Ahmed नृजातीयता को व्यापक सन्दर्भ में परिभाषित करते हुए कहते है "नृजातीयता मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है जो एक दूसरे के साझा धर्मों, भाषा, संस्कृति, प्रतीकों, एक दूसरे से जुड़ाव की भावना, विमर्श की साझा संरचना के साथ जुड़ी होती है।"

अपने अध्ययन में Ahmed ने बहुसांस्कृतिक उत्तर–औपनिवेशिक राज्यों को नृजातीय संघर्ष और अलगाववाद के सिद्धांतों के द्वारा वर्णित किया है इस सन्दर्भ में वह कहते हैं कि दक्षिण एशिया के राज्यों का आधुनिक राज्यों के साथ कमजोर जुड़ाव है, जहां एक ओर आधुनिक राज्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के चलते विकसित और मजबूत आर्थिक स्थिति में है वहीं दूसरी तरफ दक्षिण एशिया के राज्य नृजातीय संघर्ष, साम्प्रदायिकता और अलगाववादी स्थिति के कारण कमजोर स्थिति में है । इस सन्दर्भ में वह **"राष्ट्र–राज्य योजना *बनाम* अलगाववादी योजना"** को रेखांकित कर रहे हैं । वह कहते हैं कि राज्य और समाज के मध्य सकारात्मक तालमेल समाज की सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता को स्थापित करने में सहायक होगा ।

Richard Burghar ने अपनी पुस्तक (1984), **The Formation of the Concept of Nation & State in Nepal-** में Burghar नेपाल राज्य में राज्य–राष्ट्र और राष्ट्र–राज्य के विमर्श को संकल्पना (concept) और राज्य के विचार (Idea of state) के सन्दर्भ में विश्लेषित किया है। Burghar राष्ट्र–राज्य का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि

"राष्ट्र–राज्य सरकार का एक रूप है, जिसमे सांस्कृतिक, भाषाई, विविध पहचान वाले समूह एक निर्धारित भू–भाग में रहते हैं।" Burghar का यह मानना है कि नेपाल में राज्य–राष्ट्र (State-Nation) का विचार वर्तमानकालीन सन्दर्भ में परिलक्षित नही होता है, क्योंकि दक्षिण एशियाई पार्श्वभाग (Southern Flank) में नेपाल राज्य के विस्तार के कोई भी प्रमाण उपलब्ध नही है।[12]

इनके अनुसार नेपाली राज्य एक नयी समस्या का सामना कर रहा है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया द्वारा सीमा के निर्धारण में विभिन्नता होने से उत्पन्न हुई है। वह मानते है कि नेपाल में राज्य–राष्ट्र की अवधारणा पश्चिमी है, जो उसके मूल समस्याओं और आंतरिक अंतर्द्वंद (Internal Dilemma) को सुलझाने में विफल रही है।

Nancy-E-Levine ने अपने लेख (1987), **Cast, State and Ethnic Boundries in Nepal.** में नृजातीय अंतर्द्वंद का विध्लेषण किया है इनके मत में नेपाल राज्य में एक तरफ असीमित नृजातीय विविधता है वहीं दूसरी ओर अपेक्षाकृत नृजातीय समूहों का सीमित विरोध परिलक्षित होता है, जैसे कि–हिन्दू बनाम बुद्ध, आदिवासी बनाम जातीय, पर्वतीय बनाम मध्य पर्वतीय, मध्य पर्वतीय बनाम तराई। इनका तर्क है कि नेपाल राज्य में नृजातीय समूहों का यह अंतर्द्वंद नेपाल को राज्य–राष्ट्र के रूप में विकसित होने में एक बाधक के रूप में कार्य कर रहा है। नेपाल में वर्तमान नृजातीय समूहों के मध्य सम्बंध क्षेत्रीय नृजातीय व्यवस्था के मध्य ऐतिहासिक प्रक्रिया के सामंजस्य और राज्य की केन्द्रीयकरण की नीतियों का परिणाम है[13]।

Levine का मानना है कि नेपाल राज्य के ह्युमला (Humala) और उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में नृजातीय सामंजस्य की प्रक्रिया को समझने के लिए यह नृजातीय समूह एक शिक्षापृद स्थिति प्रदान करते हैं। ह्युमला (Humala) और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां नेपाल राज्य के प्रमुख नृजातीय समूह लंबे अंतराल से निवास के रहे हैं। Levine का तर्क है यह वह क्षेत्र भी है जहां गैर– हिन्दू नृजातीय समूह

[12] Burghar Richard; (1984): The Formation of the Concept of Nation & State in Nepal.
[13] Nancy-E-Levine; (1987): Cast, State and Ethnic Boundries in Nepal.

हिन्दू शासन के आधीन रहें हैं सम्पूर्ण नेपाल राज्य में ह्युमला (Humala) जनसंख्या का अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नृजातीय पहचान (Ethnic identity) और जातीय प्रतिष्ठा (caste position) के आधार पर किया जाता है नेपाल राज्य इन अंतर्द्वंदों को सुलझाने में विफल रहा है। यह अंतर्द्वंद नेपाल में राज्य–राष्ट्र की प्रक्रिया में बाधक सिद्ध हो रहा हैं।

Andras Hoffer ने अपनी पुस्तक (1979), **That is, Parbatiya, Newar and Terai Caste System.** में नेपाल राज्य में जातीय अंतर्द्वंद (Caste Dilemma) का विश्लेषण किया है। इस सन्दर्भ में वह ध्यान दिलाते है कि सरकार ने नेपाली समाज को एकीकृत करने का प्रयास किया था, जिसमे तीन ऐतिहासिक क्षेत्रीय स्वायत्त जाति पद्सोपानीयताएं (Caste Hierarchies) शामिल है–

- तिब्बती बोलने वाली जनसंख्या
- बर्मन बोलने वाली जनसंख्या
- उत्तरी सीमा पर रहने वाली तिब्बतीय नृजातीयता के लोग[14]

Hoffer अपने अध्ययन में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इनमे से अधिकांश जातियाँ नेपाली राज्य के दूरवर्ती क्षेत्रों से हैं जिनके सम्मुख पहचान का संकट (Identity Crisis) है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक **"राष्ट्रीय जाति व्यवस्था"** नेपाल में निर्मित हुई और सरकारी आर्थिक नीतियाँ भी जातिगत स्तर और नृजातीय समूहों को ध्यान में रखकर बनने लगी। Hoffer का मत है कि सरकार को एक **"राष्ट्रीय जाति व्यवस्था"** निर्मित करने और नेपाली राजनीतिक पहचान को वैधानिकता प्रदान करने की आवश्यकता है परन्तु उनका तर्क है कि नेपाल राज्य के प्रचलित कानून के माध्यम से विविधतापूर्ण जनसंख्या के लिए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना अत्यन्त दुरूह कार्य है। तुलनात्मक दृष्टि से भारत की जातीय व्यवस्था के विपरीत नेपाली जाति व्यवस्था और पद्सोपानियता गैर–हिन्दू, मध्य पर्वतीय, पर्वतीय समूहों के मध्य

[14] Andras Hoffer; (1979)**:** That is, Parbatiya, Newar and Terai Caste System.

स्थापित है। Hoffer अपनी इस पुस्तक में नेपाली समाज की जाति व्यवस्था का वर्णन तीन स्तरों पर करते हैं –

- उच्चस्तरीय तराई और नेवार जाति
- पर्बतिया या नेपाली भाषा बोलने वाले हिन्दू
- सेवा करने वाली निचली हिन्दू जातियां

Hoffer का यह मानना है कि नेपाल राज्य में जातीय स्थित एक संकटपूर्ण मुद्दा रहा है और जातीय आधार पर आंतरिक और परस्पर संघर्ष के कारण नेपाल राज्य को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह जाति अंतर्द्वंद (Caste Dilemma) नेपाल राज्य की राज्य–राष्ट्र की प्रक्रिया में बाधक तत्व है।

Jeevan Raj Sharma ने अपनी पुस्तक (2010), **On State Reconstraction in Nepal**[15] में नेपाल राज्य के पुनर्निर्माण की समस्याओं को रेखांकित किया है। अपने अध्ययन में वह उल्लेख करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल–माओवादी (CPN-M) ने नेपाली राज्य के विरुद्ध लंबे समय तक सैनिक विद्रोह किया परन्तु 2006 में CPN-M और नेपाली राज्य के मध्य शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के उपरांत माओवादियों का यह विद्रोह थम गया। वर्तमान कालीन नेपाल राज्य पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। 20 सितम्बर 2015 को नया संविधान लागू होते ही नेपाल संघीय प्रजातंत्रात्मक गणतन्त्र के रूप में स्थापित हो गया। नेपाल राज्य पुनर्निर्माण की दिशा में जिन तात्कालिक समस्याओं का सामना कर रहा है उनमे प्रमुख हैं –

- निरंतर हिंसा, तराई क्षेत्र में राज्य के नियन्त्रण और उत्तर दायित्व का अभाव
- संघर्ष के पीड़ितों को न्याय और मुआवजे का प्रावधान करने में विफलता
- नृजातीय समूहों का संघर्ष
- ऐतिहासिक रूप से कमजोर, अधिकारविहीन समूहों की पहचान और उनके समावेशन का संकट

[15] Sharma Jeevan Raj; (2010)**:** On State Reconstraction in Nepal.

- मधेशी आन्दोलन

नेपाल राज्य में "राज्य पुनर्निर्माण (state reconstruction) का विमर्श विभिन्न मुद्दों को शामिल करता है –

- नृजातीय और क्षेत्रीय संघवाद
- सकारात्मक कार्यवाही (Affirmative action)
- समावेशी राज्य (inclusive state)
- जनवादी लोक तन्त्र
- पहचान समूहों की समस्याओ को रेखांकित करना

तात्कालिक विमर्श की यह प्रव्रत्ति है की यह आंतरिक और बाह्य समस्याओं को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सन्दर्भ में समझने का प्रयास करता है। नेपाली राज्य के विफल होने में भी यही कारक उत्तरदायी रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं–

- नेपाली राज्य द्वारा सामाजिक सम्बंधों और राजनीतिक सत्ता के लोकतंत्रीकरण करने में विफलता
- विकास अनुदान होने के बावजूद नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में विफलता

नेपाल राज्य में राज्य पुनर्निर्माण के मार्ग में ये आधारभूत समस्याएँ हैं। अतः नेपाल में राज्य और राज्य पुनर्निर्माण में हिमालयी क्षेत्र के एकीकरण का भू–राजनीतिक विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है तथा वैश्वीकरण और भारतीय विस्तार को राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के व्यापक सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

Alfred Stepan, Juan J. Linz and Yogendra Yadav ने अपनी (edt) पुस्तक (2011), **Crafting State&Nation: India and other Multi-national Demoracies.** में

सर्वप्रथम राज्य–राष्ट्र की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए कहा कि "राज्य– राष्ट्र "We Feeling" के साथ जुड़ी संकल्पना है, जिसमे लोग किसी विशेष समुदाय, संस्कृति, भाषा से जुड़ाव महसूस करते हैं।" इनका मानना है कि राज्य और राष्ट्र दोनों धारणाएं आधुनिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं । Linz और Stepan का यह मत है कि यदि कोई राज्य "राज्य–राष्ट्र" के आदर्श प्रकार के करीब है तो इसके नागरिकों के पास उपर्युक्त चार विशेषताएँ होनी चाहिए–

- राज्य के साथ सकारात्मक पहचान
- विविध परन्तु पूरक राजनीतिक पहचान
- राज्य की संस्थाओं पर अटूट विश्वास
- लोकतंत्र के लिए उच्चस्तरीय सकारात्मक समर्थन

राष्ट्र राज्य सिद्धांतकारों का केन्द्रीय दावा यह है कि केवल राष्ट्र–राज्य (Nation-State) ही राज्य के साथ पहचान और विश्वास को सुधार सकता है, जो लोकतान्त्रिक कार्यों के लिए आवश्यक है । परन्तु Linz और Stepan का मानना है कि राष्ट्र–राज्य (Nation-State) में "विविधता" शांतिपूर्ण और लोकतान्त्रिक तरीके से आकर नहीं ले सकती है क्योंकि यह स्थिति सिर्फ राज्य–राष्ट्र (State-Nation) में ही सम्भव है । राज्य–राष्ट्र (State-Nation), राज्य के प्रतीकों के द्वारा जैसे संविधान, समावेशी लोकतान्त्रिक संस्थाएं, मौलिक स्वतन्त्रता की गारंटी के साथ सकारात्मक नागरिक पहचान का निर्माण करता है । Linz और Stepan अपनी इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख करते हैं कि राज्य–राष्ट्र की नीतियाँ ऐसे राजनीतिक संस्थात्मक दृष्टिकोण के साथ जुड़ी होती है, जो एक से अधिक सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई पहचान का सम्मान करती है।[16]

बी. सी. उप्रेती ने अपने लेख **'नेशनलिज्म इन साउथ एशिया ट्रेंड्स एंड इंटरप्रिटेशन'** इंडियन जर्नल आफ पॉलीटिकल साइंस, Vol. XVII, No. 3 July & September, 2006.

[16] Steepen Alfred, Juan J- Linz and Yadav Yogendra; (2011): Crafting State&Nations: India and Other Multinational Democracies- Baltimore: Johns Hopkins University Press

PP-535-544 में एशिया में राष्ट्रवाद का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार दक्षिण एशियाई राष्ट्रवाद की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं जैसे कि पंथनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, भाषा–सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, आक्रमक राष्ट्रवाद इस प्रकार धर्म भाषा जातीयता आदि दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद के तत्व रहे हैं।[17]

भारत में राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदार लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता का प्रतिनिधित्व करता है जिससे एकता की धारणा को बढ़ावा मिलता है। भारतीय राष्ट्रवाद को आकार प्रदान करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किया और इसके स्त्रोत ऐतिहासिक परंपराएं, राष्ट्रवादी आंदोलन, संविधान, लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएं, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्रता और समानता तथा आधुनिकीकरण और विकास रहे हैं। हालांकि भाषाई, जातीय और क्षेत्रीयता की उभरती संकुचित प्रवृत्तियों ने अनेक विकृतियां उत्पन्न की है।

हुमा बाकी अपने लेख **"डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन साउथ एशिया"** में कहती हैं कि दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में समान राजनीतिक प्रणाली नहीं है परंतु स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांश दक्षिण एशियाई राज्यों ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। सभी दक्षिण एशियाई देशों का लोकतांत्रिक करण की प्रक्रिया के साथ अनुभव मिलाजुला रहा है इस संदर्भ में आम धारणा यह है कि भारत में लोकतंत्र सफल रहा है और पाकिस्तान में विफल दक्षिण एशिया में भारत और श्रीलंका औपनिवेशिक शासन के शिकार रहे हैं। जिस कारण इन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास की गंभीर समस्याओं का सामना किया है। उसके बावजूद भी यह दोनों देश लोकतांत्रिक बने हुए हैं। फिर भी दोनों राजनीतिक प्रणालियों को बार–बार उप राष्ट्रीय आंदोलनों नृजातीय संघर्षों और समाज के सभी वर्गों के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ रहा है जो राज्य राष्ट्र अंर्तद्वंद को उत्पन्न करने में महती भूमिका का निर्वाह कर रहा है।[18]

[17] Pathak B & Uprety D; (2009): october 14- Terai Madhes: Searching for Identity based Security-Conflict Study Centre pp- 9&10

[18] Huma Baqai (2005); Democratic Deficit in South Asia, Pakistan Horizon, Vol. 58, No. 4, pp. 43-52 Published by: Pakistan Institute of International Affairs, October 2005.

एस. डी. मुनि ने **"द न्यू डेमोक्रेटिक वेब एंड रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, 2009"** में दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के विकास पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। एस. डी. मुनि कहते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान हुआ है। सभी दक्षिण एशियाई देशों में अब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था है सभी दक्षिण एशियाई देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना है लेकिन लोकतंत्र के लिए यह संक्रमण अभी भी नाजुक और कमजोर है क्योंकि दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक विफलतायें भी आयी हैं जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक तख्तापलट, आंतरिक और बाह्य संघर्ष आदि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की नई लहर का सामना करने की चुनौती है[19]।

अदित्य अधिकारी ने अपनी पुस्तक "**द बुलेट एंड बैलेट बॉक्सः द स्टोरी आफ नेपाल माओस्टि रेवोल्यूसन, 2014"** रूपा पब्लिकेसन इंडिया में लोकतन्त्र को शरीर और आत्मा के संदर्भ में परिभाषित करते हुए कहते है "शरीर और आत्मा के रूप में एक व्यक्ति का कल्याण भी एक लोकतन्त्र है। विभिन्न राजवंशों ने प्राचीन काल से आधुनिक युग तक नेपाल पर शासन किया। इन राजवंशो में प्रमुख है गोपालवंस, महीशपाल, किरात, लिच्छवि, और मल्ल ने 18वीं शताब्दी तक नेपाल पर शासन किया। इसके पश्चात शाह वंस (1769–1847) और राणाओं ने (1847–1951) तक नेपाल पर शासन किया। फिर एक दशक 1951 से 1960 तक नेपाल में बहुदलीय व्यवस्था चली और दलविहीन पंचायत ने अगले तीन दशकों 1991 तक नेपाल पर शासन किया। इन विभिन्न शासनों में राणा शासन (1847–1951) को नेपाल के इतिहास में निरंकुश, अत्याचारी, पारिवारिक शासन कि संज्ञा दी गई है। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में ये सत्तारूढ़ प्रणाली नेपाल के राजनीतिक और लोकतान्त्रिक विकास का गठन करती है।[20]

सुसन हैंगेन की पुस्तक **'राइज ऑफ एथनिक पॉलिटिक्स इन नेपाल डेमोक्रेसी इन द मार्जिन्स'** जातीय राजनीतिक दल मंगोल राष्ट्रीय संगठन (MNO) पर केन्द्रित है

[19] Muni S.D; (2015) "Nepal's New Constitution: Towards Progress or Chaos?", *Economic and Political Weekly*, October 3, p. 19

[20] अधिकारी अदित्य: (2014): द बुलेट एंड बैलेट बॉक्सः द स्टोरी आफ नेपाल माओस्टि रेवोल्यूसन

जिसमें अनेक जातीय समूह शामिल है जो पूर्वी ग्रामीण नेपाल में अपना समर्थन जुटा रहे हैं। यह पुस्तक अनुसंधान के द्वारा 1990 के दशक में ग्रामीण नेपाल में लोकतान्त्रिककरण की प्रक्रिया तथा दलीय विमर्श और संघर्ष के द्वारा प्राप्त किए जा रहे ग्रामीण सरकार के भीतर संचालन के लिए समर्थन को अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उपर्युक्त अनुसंधान यह सूक्ष्म समझ हमारे समक्ष रखता है कि जातीय राजनीतिक दल सतह पर कैसे कार्य संपादित करते है? तथा यह तर्क रखता है कि जातीय आंदोलन सामाजिक आंदोलनों के साथ काफी हद तक समाप्त हो जाते है। और इसलिए दल और आंदोलन के मध्य की सीमा को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। जैसे राजनीति और लोकतन्त्र के मध्य संबंध आमतौर पर विद्वानो और नीति निर्माताओ के लिए एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। नेपाली राजनीति में जातीय राजनीति तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस पुस्तक का तर्क है कि जातीय राजनीति में अस्थिर करने की बजाए लोकतन्त्र को सशक्त करने की क्षमता है। सुसन हैंगन के द्वारा वर्षों के एथनोग्राफिक फील्डवर्क के द्वारा किया गया विश्लेषण यह दर्शाता है कि जातीय पक्ष विरोधी नहीं है बल्कि लोकतंत्रीकरण विविधता के साथ आगे बढ़ सकता है। यह तर्क नेपाल के स्वदेशी राष्ट्रीयता आंदोलन में एक गहन चर्चा प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से मधेशी आंदोलन का विस्तार से उल्लेख करती है।[21]

वी. आर. राघवन की पुस्तक **'इंटरनल कान्फ्लिक्ट इन नेपालः ट्रांजीसनल कोन्सिक्यूएंसेस'** इसमें राघवन इस बात पर चर्चा करते है कि नेपाली समाज में सामाजिक–आर्थिक असमानता और अन्याय की उपेक्षा के लिए नेपाल में माओवादी विद्रोह की उत्पत्ति को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें उन मुद्दो पर चर्चा की गई है कि 1990 के जन आंदोलन ने नेपाल में कैसे बहुदलीय शासन का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें यह स्पष्ट उल्लेख है की राजनीति के खुलने से असमानता के बारे में लोगो की जागरूकता बढ़ी, जिससे माओवादी उग्रवाद को बढ़ने में सहायता मिली। इसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि व्यापक शांति समझौते और

[21] Susan Hangen & Mahendra Lawoti; (2013): *Nationalism and Ethnic Conflict in Nepal*, in Nationalism and Ethnic Conflict in Nepal 17 Mahendra Lawoti & Susan Hangen eds., Routledge.

विधानसभा के चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बहुजातीय समूहों के राजनीतिक, आर्थिक अभिलाषाओं पर ध्यान नही दे सकी, जिसने आगे चलकर नए संघर्षों और अशांति के लिए परिस्थितिया पैदा कर दी। परंतु लेखक ने मधेशी आंदोलन पर बहुत कम लिखा है लेखक द्वारा प्रस्तुत पुस्तक में माओवादी उग्रवाद पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया है (राघवन, 2011)[22]

महेंद्र लावोटी और **सुसन हैंगेन** द्वारा संपादित पुस्तक '**नेशनलिज्म एंड एथनिक कान्फ्लिक्ट इन नेपाल आइडेंटिटीस एंड मोबिलाइजेसन आफ्टर 1990**' में नेपाली समाज में उन हाशिये के समूहों जैसे– मधेसियों, पहाड़ी दलितों, और मधेशी मुसलमानों की पहचान करके विस्तृत चर्चा की जो विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे है। लेखक ने जातीय राजनीति और जातीय विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। लेखक द्वारा पुस्तक में नेपाल में जातीय विविधता का विशद वर्णन शामिल है और इसलिए इन विविध जातीय समूहों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष का विस्तार से वर्णन किया है। पुस्तक पहचान के संकट के बाहर उत्पन्न होने वाले विभिन्न आंदोलनों जैसे–जातीय संघर्ष और जातीय आंदोलनों पर तो दृष्टि डालती है परंतु मधेशी आंदोलन पर अधिक ध्यान केन्द्रित नहीं करती है (महेंद्र और सुसन, 2013)[23]

अचिन विनायक ने अपने लेख **'द हिमालयन रिपब्लिक'** में नेपाली समाज की जटिल सामाजिक ऐतिहासिकता को दर्शाया है। 2006 की नेपाल की दूसरी लोकतान्त्रिक क्रांति ने राजशाही को उखाड़ फेंका तथा एक नए गणराज्य की स्थापना के लिए नेपाल के साम्यवादी दल (माओवादी) को संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेखक ने इस लेख में तराई में मधेशी आंदोलन की समस्याओं के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। लेखक ने विशेष रूप से तराई में माओवादी भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया है और राजशाही के समापन के पश्चात राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन के संक्रमण काल के परिप्रेक्ष्य में मधेशी आंदोलन के बारे में चर्चा

[22]राघवन वी. आर ; (2011): 'इंटरनल कान्फ्लिक्ट इन नेपालः ट्रांजीसनल कोन्सिक्यूएंसेस

[23] Hangen Susan & Lawoti Mahendra; (2013): *Nationalism and Ethnic Conflict in Nepal*, in Nationalism and Ethnic Conflict in Nepal 17 Mahendra Lawoti & Susan Hangen eds., Routledge.

करते है। वह दूसरे जनांदोलन के पश्चात मधेशी आंदोलन की व्याख्या करते है कि कैसे अन्तरिम संविधान की विफलता के परिणामस्वरूप संघीय आधार नेपाली राज्य के भविष्य के लिए सामने आया। लेकिन लेखक दुविधाओं के रूप में कई अन्य कारणों पर भी ध्यान केन्द्रित किया है उनमें से नेपाल और मधेशी के राजनीतिक तंत्र में परिवर्तन एक है। वह केवल मधेशी आंदोलन के बारे में वर्णन नहीं करते है (विनायक, 2008)[24]

निहार नायक का लेख **'द मधेशी मूवमेंट इन नेपालः इंप्लीकेशन्स फॉर इंडिया'** नेपाल की राजनीति में मधेसियों की बढ़ती भूमिका की पहचान करता है। नायक ने अपने लेख में तर्क दिया कि उच्च जाति के पहाड़ी (हिल) लोगों और नेपाली राज्य के द्वारा किए गए भेदभाव ने मधेशी पहचान को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। वह उल्लिखित करते है कि मुख्यधारा के मधेशी दलों ने स्वतन्त्रता की मांग के लिए सशस्त्र समूहों कि अपेक्षा नरम रुख अपनाया है। वह मधेसी आंदोलन के भीतर मौजूद मतभेदों और आंदोलन के विभाजन तथा इसमें भारत को घसीटने के मुद्दे का भी विस्तार से उल्लेख करते है। नायक यह चर्चा करते है कि यह स्थिति भारत औरे नेपाल के सम्बन्धों को प्रभावित करेगी और इससे नेपाल में भारत विरोधी भवनाएं उत्पन्न होंगी, परंतु नायक मधेशी आंदोलन की सीमाओं और उस पर राज्य की प्रतिक्रियाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित नही करते हैं।[25]

1.4 शोध प्रश्न

- दक्षिण एशिया में उपनिवेशवाद ने राज्य–राष्ट्र (State & Nation) की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया है?
- नेपाल राज्य में लोकतन्त्र का उभार कैसे हुआ?
- नेपाल राज्य को दक्षिण एशिया में कैसे स्थापित किया जा सकता है?

[24] विनायक अचिन; (2008) : 'द हिमालयन रिपब्लिक'
[25] Nayak N; (2011): The madeshi movement in Nepal: Implications for India- Strategic Analyssis 40 & 660

- मधेशी आंदोलन के उद्देश्य क्या हैं और आंदोलन के बढ़ने के पीछे विभिन्न कारण क्या हैं?
- मधेशी आंदोलन के भीतर विभिन्न मधेशी समूहों और दलों के बीच संघर्ष क्या हैं?
- नीति निर्माण की प्रक्रियाओं में मधेसियों को एकीकृत करने के लिए समय पर क्या प्रयास किए गए हैं?
- मधेसियों को नेपाली राज्य की मुख्य धारा में समावेश की समस्या

1.5 शोध उद्देश्य

- दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र और राष्ट्र–राज्य के विमर्श को समझना।
- दक्षिण एशिया में नेपाल राज्य की स्थिति को समझना।
- नेपाल राज्य में राज्य–राष्ट्र और राष्ट्र–राज्य की स्थिति को समझना।
- नेपाल राज्य में राज्य–राष्ट्र की प्रक्रिया में मधेशी आन्दोलन की भूमिका को समझना।
- नेपाल राज्य में राज्य–राष्ट्र की प्रक्रिया में जातीय अंतर्द्वंद को समझना।
- नेपाल राज्य में राज्य–राष्ट्र की प्रक्रिया में आर्थिक अंतर्द्वंद को समझना।
- नेपाल राज्य में राज्य–राष्ट्र की प्रक्रिया में वैश्विक हस्तक्षेप की भूमिका को समझना।

1.6 शोध परिकल्पना

- दक्षिण एशिया और नेपाल राज्य दोनों में अंतर्द्वंद (Dilemma) की स्थिति समान है।
- राज्य–राष्ट्र और लोकतन्त्र के मध्य तालमेल नेपाल राज्य की सबसे बड़ी समस्या है।

- नेपाल राज्य की राजनीति पर्वतीय राज्य होने के कारण दक्षिण एशिया में भिन्न है।

1.7 शोध प्रविधि

शोध प्रविधि शोध करने की एक क्रमबद्ध योजना होती है। प्रस्तावित अध्ययन में गुणात्मक और द्वितीयक स्त्रोतों के साथ–साथ परिमाणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग प्रकरण सम्बन्धी आधार (Contextual Basis) पर किया है। प्रस्तुत अध्ययन अपनी प्रकृति में सैद्धांतिक, व्यवहारिक, ऐतिहासिक और विश्लेष्णात्मक है। प्रस्तुत अध्ययन में राज्य–राष्ट्र और राष्ट्र–राज्य के विमर्श को दक्षिण एशिया और विशेष रूप से नेपाल राज्य के सन्दर्भ में समझने का प्रयास किया गया है। उसके उपरांत नेपाल राज्य में राज्य–राष्ट्र के अंतर्द्वंद (State-Nation Dilemma) में नृजातीय, भाषाई, जातीय समूहों और मधेशी आन्दोलन की भूमिका का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए क्षेत्र अध्ययन (Field Study) पद्धति का प्रयोग प्रासंगिक प्रकरणों के सन्दर्भ में किया गया है।

1.7.1 प्राथमिक स्त्रोत

प्रस्तुत शोध के लिए प्राथमिक श्रोत के रूप में एथनोग्राफी अध्ययन पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि मधेशीयों की कुछ विशेषताएं थीं जो सामान्य नहीं थीं। मैंने अपने शोध में उत्तरदाताओं के जवाबों को बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रामाणिक रूप से दर्शाया है।

(a) अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध के लिए अध्ययन का क्षेत्र झापा, मोरंग और नेपाल का सुनसारी, जिला था। झापा नेपाल का पूर्वी जिला है और उपजाऊ तराई क्षेत्र के मैदानों में स्थित है। यह उत्तर में ईलम जिला, पश्चिम में मोरंग जिला, बिहार राज्य, दक्षिण पूर्व में भारत और पश्चिम बंगाल की सीमा में आता है। जिले को 37 ग्राम विकास समितियों (वीडीसी) और 7 नगरपालिकाओं में विभाजित किया गया है। मोरंग, झापा के

पश्चिम में स्थित है। इसमें 6 नगर पालिका और 47 ग्राम विकास समितियाँ हैं। सुनसारी में 42 ग्राम विकास समितियों (वीडीसी) और 5 नगर पालिकाओं हैं जो कि मोरंग के पश्चिम में स्थित है। झापा, मोरंग और सुनसारी के क्षेत्रों को निम्नलिखित कारणों से लिया गया था– 2015 के नए संविधान द्वारा नेपाल के प्रस्तावित 7 राज्यों में मधेशी राज्य 2 और थारु राज्यों की संख्या 5 है। राजनीतिक दृष्टि से मधेशी और थारु ऐसे दो राज्यों की मांग कर रहे हैं जिसमें दोनों में समतल मैदान हो। इनकी मांग के अनुसार इन दोनों राज्यों में कोई पहाड़ी क्षेत्र शामिल नही होना चाहिए। परंतु नेपाल के नए संविधान में 7 राज्यों के साथ वर्तमान संघीय मानचित्र में 3 क्षेत्र हैं जो मधेशियों और थारु की मांगों के अनुरूप नही है, और यही संघर्ष की जड़ है। जो नेपाल में राज्य–राष्ट्र की प्रक्रिया में एक अवरोध के रूप में कार्य कर रहा है।

ये प्रमुख कारण थे जिससे मधेशी अभी भी 2015 के संविधान द्वारा किए गए सीमांकन से संतुष्ट नही थे, जो मधेशियों के आक्रोश का कारण बन गया। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन झापा, मोरंग और सुनसारी पर केन्द्रित है। क्योंकि झापा, मोरंग और इसलिए सुनसारी में मधेशियों और गैर मधेशियों की आबादी का उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

सारिणी 1.1

	झापा	**मोरंग**	**सुनसारी**
मधेशी	226,529	417,171	396,594
गैर–मधेशी	558,377	477,407	322,216
अन्य	27,744	70,792	44,677

सारिणी 1.1: झापा, मोरंग और सुनसारी में मधेशियों और गैर–मधेशियों का संयोजन (स्त्रोतः नेपाल केंद्रीय सांख्यिकीय ब्यूरो)

झापा में गैर–मधेशियों द्वारा मधेशियों का अपमान किया जाता है। मोरंग में गैर–मधेशियों की तुलना में मधेशियों की जनसंख्या लगभग 60,000 कम है और

बाकी के 70,000 को 'अन्य' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सुनसारी में मधेशियों ने गैर–मधेशियों को बाहर कर दिया था। प्रस्तुत अध्ययन में झापा, मोरंग और सुनसारी के तीन जिलों दमक, विराटनगर और धरान के तीन क्षेत्रों को जानबूझकर चुना गया था। अध्ययन द्वारा लक्षित उत्तरदाताओं में मधेशी पार्टी के नेता, पार्टी के सदस्य, सामान्य मधेशी जनसंख्या और गैर मधेशी शामिल थे। नमूने का आकार 109 था, जिसमें प्रत्येक जिले में 10 पार्टी नेताओं और सदस्यों और 15 साधारण मधेशी उत्तरदाताओं और प्रत्येक जिले में 10 गैर मधेशी उत्तरदाताओं में से 35 उत्तरदाताओं में विभाजित किया गया था और 4 सरकारी कर्मचारियों को विशेषज्ञ राय के लिए साक्षात्कार लिया गया था, जिसमें कुल 109 थे।

(b) साक्षात्कार प्रक्रियाः

डेटा संग्रह के लिए प्राथमिक स्रोत 'सर्वेक्षण पद्धति' का प्रयोग किया गया हैद्य जिसमें साक्षात्कार के लिए एक प्रश्नावली का उपयोग किया गया है और डेटा को खुली चर्चा के माध्यम से एकत्र किया गया है। मैंने अपने इस शोध कार्य में 15 मधेशी उत्तरदाताओं और इसी तरह 10 गैर मधेशी उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया था। प्रस्तुत शोध नेपाल सरकार के प्रकाशनों और रिपोर्टों पर भी निर्भर करता था। साक्षात्कार की गोपनीयता और इसकी स्वैच्छिक प्रकृति को बनाए रखने के लिए सभी उत्तरदाताओं को नाम न प्रकाशित करने के लिए कहा गया था और साथ ही साथ उन्हे साक्षात्कार छोड़ने का विकल्प दिया गया था। उत्तरदाताओं को उनकी सुविधा के अनुसार साक्षात्कार के लिए बेहतर समय और स्थान पर बातचीत करने का विकल्प भी दिया गया और उन्हें शोध के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझाया गया।

1.7.2 द्वितीयक स्त्रोत

अखबार पुस्तकें पत्रिकाएँ लेख आदि का प्रयोग किया गया है जिनका अध्यायों में संदर्भ के रूप में उल्लेख किया गया है

1.8 अध्यायों का संक्षिप्त परिचयः

प्रथम अध्याय : प्रस्तावना

द्वितीय अध्याय : राज्य–राष्ट्र और राष्ट्र–राज्य की अवधारणा

तृतीय अध्याय : दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र और राष्ट्र–राज्य का अंतर्द्वंद

चतुर्थ अध्याय : नेपाल राज्य के लोकतान्त्रिक विकास की रूपरेखा

पंचम अध्याय : नेपाल में राज्य–राष्ट्र के अंतर्द्वंद में मधेशी आन्दोलन की भूमिका

षष्ठ्म अध्याय : नेपाल राज्य–राष्ट्र अथवा राष्ट्र–राज्य

सप्तम् अध्याय : उपसंहार

द्वितीय अध्याय

राष्ट्र-राज्य और राज्य-राष्ट्र की अवधारणा एक सैद्धांतिक ढांचा

द्वितीय अध्याय
राष्ट्र–राज्य और राज्य–राष्ट्र की अवधारणा
एक सैद्धांतिक ढांचा

2.1 राज्य एक अवधारणा –

मानव आरंभ से एक संगठित जीवन जीने का प्रयास करता रहा है। इस व्यवस्थित और संगठित जीवन के प्रयास में जो सर्वोच्च संस्था हमारे सम्मुख उभर कर आती है वह राज्य ही है। परंतु राज्य को वर्तमान स्वरूप तक आने में विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ा है। राज्य की धारणा अत्यंत जटिल है, और परिभाषित करने के लिहाज से सबसे कठिन अवधारणाओं में से एक है। विभिन्न विषयों जैसे नृविज्ञान, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान ने राज्य को परिभाषित किया है परंतु इसके बावजूद भी राज्य को परिभाषा में पिरोने और एक सर्वमान्य परिभाषा विकसित करने में सफल होने का दावा नहीं कर सकता राज्य निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। जिसने इतिहासकारों, राजनीति वैज्ञानिकों, मानव वैज्ञानिकों के बीच व्यापक रूप से सिद्धांत और विमर्श को जन्म दिया है।

राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का अत्यंत महत्व होता है। हालांकि राज्य शब्द का प्रयोग राष्ट्र, सरकार और समाज के पर्यायवाची के रूप में हमेशा गलत प्रयोग होता रहा है स्टेट अर्थात राज्य लैटिन शब्द स्टेटस से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ है "स्वर अथवा स्थिति"। कोई भी व्यक्ति सिर्फ राज्य के अंतर्गत ही अपनी शक्तियों तथा योग्यताओं का पूर्ण विकास कर सकता है। जब तक कोई सत्ता कानून और संगठन नहीं होगा तब तक एक समाज का अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। राज्य का अस्तित्व भी तभी तक कायम है जब तक मनुष्य संगठनिक रूप से समाज में रह रहे होते हैं।

मैकियावली वह प्रथम चिंतक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक **"द प्रिंस"** में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। वह राज्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं ''राज्य

अपने साध्य का स्वयं साधन है तथा राज्य अपने लिए तथा अपनी सुरक्षा हेतु अस्तित्व में आता है एवं बना रहता है।"[1]

मैक्स वेबर ने राज्य की सबसे व्यवस्थित परिभाषा प्रस्तुत की है उनके अनुसार "राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है।"

गार्नर राज्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं "राज्य ऐसे लोगों का समुदाय है जो बड़ी संख्या में हो, जिनका एक निश्चित भूप्रदेश पर स्थायी अधिकार हो, बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हो और जिनकी एक संगठित सरकार हो तथा जिसकी आज्ञाओं का पालन जनता स्वभाव से करती हो।"[2]

हैरोल्ड जे लौस्की ने अपनी पुस्तक **"एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स"** के अंतर्गत राज्य को परिभाषित करते हुए कहा कि "अन्य सभी सहचरों का चरित्र तो स्वैच्छिक होता है और वे किसी व्यक्ति को तभी बांध पाते हैं, जब वह अपनी पसंद से उसका सदस्य बनता है। परंतु किसी राज्य में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए उनके आदर्शों का पालन अनिवार्य हो जाता है। अतः आधुनिक राज्य तो समाज रूपी अट्टालिका का शिखर है, अन्य सभी समूहों की तुलना में राज्य की सर्वोच्चता ही उसकी प्रमुख विशेषता है।[3]

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर राज्य के चार तत्व उभर कर आते हैं–

(a) जनसंख्या– राज्य एक मानवकृत संस्था और संगठित समुदाय है। और किसी भी संगठित समुदाय के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। जनसंख्या का तात्पर्य उन मानविक समुदायों से है जिनसे राज्य का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जैसे अंटार्कटिका को राज्य नही कह सकते, क्योंकि वहां कोई जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या राज्य के अस्तित्व को बनाए रखती है। जहां तक राज्यों की जनसंख्या के स्वरूप का प्रश्न है तो यह भिन्न–भिन्न हो सकती है। प्लेटो और

[1] The prince
[2] Political Science and Government, 1951
[3] लास्की हैरोल्ड जे 1931: एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, प्रकाशित रूटलेज

अरस्तू ने नगर राज्य को ही राज्य कहा था। प्लेटो आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 निर्धारित करता है, वही अरस्तु का विचार प्लेटो से भिन्नता रखता है। अरस्तु का मानना है राज्य की जनसंख्या न तो बहुत बड़ी होनी चाहिए और न ही बहुत छोटी होनी चाहिए । क्योंकि विशाल जनसंख्या वाला राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल सिद्ध होता है। रूसो राज्य की जनसंख्या को 10,000 निर्धारित करता है। परंतु वर्तमान में राज्यों की प्रकृति को देखते हुए किसी भी राज्य के लिए जनसंख्या का निर्धारण करना असंभव कार्य है। इस प्रकार सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों आधारों पर राज्यों की जनसंख्या का निर्धारण करना दुष्कर कार्य है।

(b) भू–भाग

जिस प्रकार प्रत्येक नागरिक राज्य का सदस्य होता है उसी प्रकार पृथ्वी का एक–एक टुकड़ा राज्य का हिस्सा होता है। बिना निश्चित भू–भाग के राज्य की परिकल्पना संभव नहीं है। राज्य के सार्वजनिक भू–भाग में रहने के कारण ही लोग एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, और यह संबद्धता ही लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का कारक होती है। राज्य की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए एक निश्चित भू–भाग का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इस निश्चित भू–भाग के अंतर्गत जल, भूमि, वायु सभी कुछ समाहित होता है। और इन सभी पर एक संप्रभु राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है।

(c) सरकार

जनसाधारण का एक साथ मिलकर रहने का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह समुचित ढंग से संगठित नहीं हो जाती तथा निर्धारित कानून व्यवस्था का पालन नहीं करती। जो संस्था कानून एवं व्यवस्था तथा सहकारिता बनाए रखने का कार्य संपादित करती है उसे ही सरकार कहते हैं। सरकार मूलरूप से एक निर्धारित भू–भाग के अंतर्गत रहने वाले लोगों के सामूहिक उद्देश्यों की ओर ध्यान केंद्रित करती है। सरकार के माध्यम से सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण और सार्वजनिक मामलों को नियंत्रित किया जाता है। और इसके अभाव में जनसाधारण के मानदेय,

पारस्परिक संबद्धता तथा सामूहिक गतिविधियों की संभावना समाप्त हो जाती है। सरकार के अभाव में राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे सरकार का स्वरूप कैसा भी क्यों न हो।

(d) संप्रभुता

किसी निश्चित भू–भाग में रहने वाली जनसंख्या की सरकार के अधीन नियंत्रित हो जाने मात्र से ही उसे राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता, क्योंकि इसके लिए संप्रभुता एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। उदाहरण के लिए 1947 से पूर्व भारत में अन्य सभी तत्व मौजूद थे परंतु उसे राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था और इसका मुख्य कारण भारत का संप्रभुता संपन्न न होना था। यह संप्रभुता दो प्रकार की होती है आंतरिक और बाह्य। जहां आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है राज्य का अपनी सीमा के भीतर एकाधिकार, जिसमें किसी अन्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। वहीं बाह्य संप्रभुता का अर्थ है राज्य पर किसी बाह्य शक्ति का नियंत्रण न हो। संक्षेप में कहें तो एक राज्य के लिए जनसंख्या, भू–भाग, सरकार तथा संप्रभुता चार महत्वपूर्ण तत्व है इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति में राज्य का अस्तित्व नहीं रह जाएगा।

2.2 राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत

राजनीतिक विचारकों और दार्शनिकों ने अपनी वैचारिकी के आधार पर प्रचलित प्रकृति और सामाजिक स्थिति के अनुसार विभिन्न तरीकों से राज्य की उत्पत्ति का पता लगाने और समझाने का प्रयास किया है। हालांकि राज्य की उत्पत्ति कब हुई? इस पर कई विरोधाभासी मान्यताएं और विमर्श हैं। इतिहास में यह कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है कि राज्य कब अस्तित्व में आया था? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न–भिन्न मान्यताएं और सिद्धांत थे जो अपने तर्कों से राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इस आधार पर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है–

(a) राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत

(b) सामाजिक समझौता सिद्धांत

(c) शक्ति सिद्धांत

(d) पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक सिद्धांत

(e) ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत

(f) मार्क्सवादी सिद्धांत

2.2.1 राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत

राज्य की प्रारंभिक उत्पत्ति के संबंध में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार ष्राज्य य एक ईश्वरीकृत संस्था है और वही उस पर शासन करता है। इस सिद्धांत के समर्थकों में जेम्स प्रथम (द लॉ ऑफ फ्री मोनर्की), रॉबर्ट मिल्मर (पैट्यिार्क) का उल्लेख किया जाता है। जेम्स प्रथम का स्पष्ट कहना था कि "राज्यों को देवता कहना उचित है क्योंकि वह पृथ्वी पर दैवीय शक्ति की भांति व्यवहार करते हैं। यह सिद्धांत कुछ प्रमुख मान्यताओं को अपना आधार मानता है। जैसे – राज्य शक्ति ईश्वर प्रदत है। राज्य तंत्र वंशानुगत है, और राज्य के आदेशों की अवहेलना अपराध है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर आक्षेप लगता है वह यह कि यह सिद्धांत प्रमाणरहित है, इतिहास में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है[4]।

2.2.2 राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत

राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत जिस के समर्थक हॉब्स[5], लॉक[6], रूसो[7] और आधुनिक काल में हॉब्स हैं। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि –

1. राज्य लोगों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम है।

2. प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे।

3. समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण होता है।

आधुनिक काल में जॉन रॉल्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को अपनाकर न्याय सिद्धांत को गढ़ने में प्रयोग किया है। परंतु बावजूद इसके इस सिद्धांत की भी ऐतिहासिक और कानूनी आधार पर आलोचना की जाती है।

---

[4] जेम्स प्रथम द लॉ ऑफ फ्री मोनर्की
[5] लेवियाथन
[6] फोर लेटेर्स ऑन टोलरेसन
[7] द सोशल कांट्रैक्ट

2.2.3 राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत

राज्य की उत्पत्ति का तीसरा सिद्धांत शक्ति सिद्धांत है जो राज्य को बल के परिणाम स्वरुप निर्मित संस्था मानता है। इस सिद्धांत के समर्थकों में ओपेन हाइमर[8] (द स्टेट), जैक्स[9] (हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स) हैं। यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की कुछ मान्यताएं गढ़ता है जो इस प्रकार है–

1. राज्य बल का परिणाम है ।

2. शक्ति ही राज्य का आधार होता है।

3. शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए बल जरूरी है।

4. राज्य के प्रसार के लिए शक्ति व बल जरूरी होते हैं।

परंतु राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत भी अपूर्ण है क्योंकि यह शक्ति को ही राज्य का एकमात्र कारक मानता है जबकि **रूसों** ने कहा है कि "बल तो एक शारीरिक शक्ति होती है बल के समक्ष झुकना मजबूरी होती है।" वहीं **टी.एच. ग्रीन** भी कहते हैं की राज्य य का आधार इच्छा है न की शक्ति।

प्रायः सभी लोग इस बात पर सहमति रखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति को विकास के रूप में समझना चाहिए। परंतु विकास के क्रम के संबंध में काफी मतभेद हैं। इसी मतभेद के सिलसिले में हम पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत की चर्चा सुनते हैं।

2.2.4 राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक सिद्धांत

पितृसत्तात्मक सिद्धांत जिसके प्रवर्तक सर हेनरी मैन है वे इस सिद्धांत को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो समाज का आरंभ ऐसे प्रथक परिवारों से मानता है जो सबसे अधिक आयु वाले पुरुष वंशज के नियंत्रण व छत्रछाया में एक साथ निवास करते हैं इस सिद्धांत का आधार तीन मूल मान्यताएं हैं–

[8] द स्टेट
[9] हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स

1. पितृसत्तात्मक सिद्धांत का आधार स्थाई विवाह और गोत्र संबंध था।
2. राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो प्रारंभिक परिवार के एक ही पूर्वज के वंशज थे।
3. पितृसत्तात्मक परिवार के प्रधान के व्यापक और असीमित अधिकार राजनीतिक सत्ता के मूल स्त्रोत थे।

दूसरी और मातृसत्तात्मक सिद्धांत जिसके समर्थक मैक्लेनन जैंक्स का मानना है कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत के संकेत उन जंगली प्रथाओं में मिलते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों भारत के कुछ समुदायों में तथा कुछ अन्य जातियों में पाई जाती है मातृसत्तात्मक समाज की मूल मान्यताएं इस प्रकार हैं–

1. अस्थाई विवाह संबंध
2. स्त्री के माध्यम से संबंध सूत्र
3. संपत्ति और अधिकार पर केवल स्त्रियों को ही उत्तराधिकार

2.2.5 राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत

राज्य की उत्पत्ति का एक अन्य सिद्धांत ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के अन्य सिद्धांतों का आधार अनुमान रहा था परंतु विकासवादी सिद्धांत का आधार प्रमाण है जो ऐतिहासिक विकास के परिणामस्वरूप राज्य य के अस्तित्व को स्वीकार करता है यह सिद्धांत यह मानता है कि राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है इस सिद्धांत को सभी वर्तमान उदार वादियों का समर्थन प्राप्त है विकासवादी सिद्धांत की मूल मान्यताएं इस प्रकार हैं–

1. राज्य अतीत में हुए विकास का परिणाम है।
2. यह अनेक तत्वों, सामाजिक भावना, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां, धर्म, राजनीतिक चेतना का परिणाम है।

2.2.6 राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत

राज्य की उत्पत्ति का एक अन्य सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत जिस के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को एक वर्ग विशेष पूंजीवादी वाद के वर्चस्व के आलोक में विश्लेषित करता है। मार्क्सवादी सिद्धांत मूवी के फुल आवाज को एक वर्गीय संगठन मानवता है जो कामगारों के शोषण का पूंजीपतियों का हथियार है। यह सिद्धांत मूलतः राज्य के उदारवादी परंपरा के विरुद्ध उभरा। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत इस प्रारंभिक आधार को अस्वीकार करता है कि राज्य एक ट्रस्टी अथवा सम्पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है। यह अस्वीकृति इस मान्यता पर आधारित है कि मार्क्सवादी के अनुसार समाज वर्ग विभाजित समाज है।"

इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण के अंतर्गत मैंने राज्य की अवधारणा, उसकी परिभाषा तथा उत्पत्ति के सिद्धांतों का विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है।

2.3 राष्ट्रः एक अवधारणा

राष्ट्र की अवधारणा शायद परिभाषित करने के लिहाज से सबसे जटिल अवधारणाओं में से एक है। एक राष्ट्र हमें दिया गया कोई प्राकृतिक मानव समुदाय नहीं है। यह मूलत एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक श्रेणी है अर्थात राष्ट्र कुछ निश्चित ऐतिहासिक परिस्थितियों का उत्पाद है। 18वीं और 19वीं शताब्दी ने राष्ट्रवाद के उभार से पूर्व राष्ट्रवाद शब्द को कई प्रकार से प्रयोग किया जाता था। विशेष रुप से नस्ल या कबीला के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता था। इन शब्दों का अर्थ वर्तमान में राष्ट्र को दिए गए अर्थ से बिल्कुल भिन्न है।

19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में राष्ट्र को परिभाषित करने का नया आयाम हमारे सम्मुख आया। इस नए आयाम के अंतर्गत अर्नेस्ट रेनान ने राष्ट्र की नस्लीय और प्राकृतिक भाषाओं को दरकिनार कर दिया और इनके स्थान पर उन्होंने इच्छा स्मृति और चेतना पर आधारित राष्ट्र की परिभाषा दी।

रेनान राष्ट्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक अवधारणा है जिसमें राष्ट्र के लोग समान संस्कृति समान भाषा

समान इतिहास समान धर्म और समान नस्ल को आपस में साझा करते हैं और इसके आधार पर एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं । रेनान राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र और समान होने चाहिए। रेनान की परिभाषा राष्ट्र को पहले से मौजूद तत्व के रूप में नहीं देखती बल्कि इनकी ऐतिहासिक निर्माण पर बल देती है।[10]

रेनान इस धारणा को भी स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रों का निर्माण प्राकृतिक सीमाओं जैसे नदी पहाड़ों और समुद्र द्वारा होता है उनके अनुसार राष्ट्रों का निर्माण इच्छा और चेतना द्वारा होता है।[11]

राष्ट्र की अवधारणा को समझने में रेनान का यह तरीका एक नया मोड़ साबित हुआ जिसमें राष्ट्रों को एक आकस्मिक जरूरत के तौर पर देखा जिसे मानव शिक्षा के माध्यम से लाया गया था। 1882 में राष्ट्र की धारणा पर दिए गए अपने भाषण में रेनान ने कहा था कि **"राष्ट्र कोई चिरस्थायी चीज नहीं है उनका जन्म हुआ है और वह समाप्त भी होंगा"** रेनान द्वारा प्रस्तुत किए गए राष्ट्र के इस विश्लेषण में कई समस्याएं थी जिसका आगे चलकर बेनेडिक्ट एंडरसन ने समाधान करने का प्रयास किया।

राष्ट्र और राष्ट्रवाद के अग्रणी सिद्धांतकार **बेनेडिक्ट एंडरसन** ने अपनी पुस्तक **"इमैजिन्ड कम्युनिटी"** में एक राष्ट्र की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। एंडरसन ने राष्ट्र को विस्तार से परिभाषित किया है। राष्ट्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं "राष्ट्र" एक प्रकार का काल्पनिक समुदाय है। जो सीमित और संप्रभु है और जिसके सदस्य आपस में भाईचारे का अनुभव करते हैं। एंडरसन के मत में राष्ट्र काल्पनिक समुदाय है क्योंकि इसके सदस्य अपने साथी सदस्यों को जानते नहीं, सुनते नहीं, मिलते नहीं परंतु इसके बावजूद भी उनके मन में आपसी जुड़ाव का भाव होता है। उनके अनुसार राष्ट्र सीमित और संप्रभु है क्योंकि कोई राष्ट्र अपनी सीमाओं तक ही सीमित होता है यहां तक कि विस्तृत राष्ट्र भी अपनी

[10] Earnest Renan (1883): What is a Nation, Columbia University Press, Chapter 9.
[11] Earnest Renan (1883): What is a Nation, Columbia University Press, Chapter 9

सीमाओं तक ही सीमित होते हैं। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्र को संप्रभु भी मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पुनर्जागरण और क्रांतिकारी आंदोलनों ने यूरोप में पदसोपानीय वंशवाद की सत्ता को समाप्त करने में महती भूमिका का निर्वाह किया था[12]।

एंडरसन राष्ट्र के निर्माण में भाषा संस्कृति को महत्वपूर्ण के रूप में मानते हैं। काल्पनिक समुदाय में व्यक्ति अपनी पहचान को राष्ट्रीयता की परिधि में जोड़ता है। इसके अंतर्गत वह भाषण को महत्वपूर्ण कारक मानते हैं जिससे इस समुदाय की कल्पना संभव हो पाती है । एंडरसन का स्पष्ट मानना है कि भाषा और संस्कृति समाज को जोड़ती है और वही उसकी राष्ट्रीय पहचान भी निर्धारित करती है[13]।

एंडरसन राष्ट्र की अवधारणा को एक सांस्कृतिक अवधारणा मानते हैं। सांस्कृतिक जड़ों ने राष्ट्र की अवधारणा को आधार प्रदान करने का कार्य किया है। इन सांस्कृतिक जड़ों को वह 3 मुख्य आधारों पर व्याख्या करते हैं।

1. मध्यकालीन वैश्विक दृष्टिकोण और धार्मिक समुदायों का कमजोर होना।
2. लैटिन भाषा का पतन और स्थानीय भाषा का स्थायीकरण।
3. साम्राज्यवादी और वंशानुगत राज्य तंत्र की प्रणाली का पतन।[14]

राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति ने **'नेशस'** से हुई जो समान रूप से जाति या जन्म के विचार को अभिव्यक्त करता है। राष्ट्र के व्युत्पत्ति विषयक अर्थ को **बर्गेस** ने **"पॉलिटिकल साइंस एंड कंपरेटिव कांस्टीट्यूशनल लॉ"** में परिभाषित करते हुए कहा कि "राष्ट्र नृजातीय इकाई की एक जनसंख्या है जो एक भौगोलिक इकाई के क्षेत्र में निवास करती है।" बर्गेस के अनुसार, नृजातीय से तात्पर्य है वह जनसंख्या या

[12] Anderson Benedict (1983): Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism- London Verso

[13] Anderson Benedict (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London Verso.

[14] Anderson Benedict (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London Verso.

लोगों का समूह जो समान भाषा, साहित्य, रीति–रिवाज और चेतना का आपस में आदान–प्रदान करते है।[15]

लार्ड ब्राइस (South America) ने राष्ट्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि "राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है जो स्वयं को एक स्वायत्त राजनीतिक समूह या इकाई के रूप में संगठित करती है ।

आर. एन. गिलक्राइस्ट (Principles of Political Science) ने राष्ट्र की परिभाषा इन शब्दों में कि "राष्ट्र" राज्य से अधिक राष्ट्रीयता के अधिक निकट है।[16]

राष्ट्र की अवधारणा का विभिन्न सिद्धांतों द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र लोगों के समूह की ओर संकेत करता है जो आपस में समान रूप से जाति, निवास, भाषा, धर्म, संस्कृति, भू–भाग, इतिहास, परंपराओं को साझा करते हैं । राष्ट्र की इस विस्तृत व्याख्या के आधार पर हम उन तत्वों के कारकों का उल्लेख कर सकते हैं जो एक राष्ट्र का निर्माण करने में निर्धारक हैं –

(a) भौगोलिक एकता समान निवास

भौगोलिक एकता अथवा समान निवास राष्ट्र की भावना को बढ़ाने तथा सहयोग करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। राष्ट्र की अवधारणा के अधिकांश सिद्धांतकार भौगोलिक एकता या समान निवास को राष्ट्र का आधारभूत तत्व मानते हैं। भौगोलिक एकता राष्ट्र के विकास में सहायक होती है इसके विपरीत भौगोलिक विभेद राष्ट्र के विकास में बाधक होते हैं। पाकिस्तान इस भौगोलिक विभेद का आश्चर्यजनक उदाहरण है जिसके दो धड़े सामंजस्य स्थापित करने में विफल सिद्ध हुए जिसके कारण एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ।

एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में साथ रहते हुए लोग समान भाषा, संस्कृति, इतिहास, धर्म, मूल्य, रीति–रिवाज, साहित्य को आपस में एक दूसरे के साथ बांटते

[15] डब्ल्यू. जे. बर्गेस, (1890–91) पॉलिटिकल साइंस ,ड कंपरेटिव कांस्टीट्यूशनल लॉ. बोस्टन यूएसए, एंड लंदन, गिन एंड कंपनी

[16] आर. एन. गिलक्राइस्ट (1921): प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल साइंस

हैं। परंतु यदि कोई विशेष जाति (त्बम) भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में असफल सिद्ध होती है तो यह स्थिति एक राष्ट्र को बिखेर सकती है उदाहरण के लिए ज्यूस अपनी मातृभूमि से पलायन कर गए अजब अरबों पर फिलिस्तीनियों ने आक्रमण किया तो वह निरंतर अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे और 1948 में अंग्रेजों के चले जाने के पश्चात वे अपना एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने में सफल हुए जिसे हम इसराइल के नाम से जानते हैं।

समान रूप से प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व पोलैंड सोवियत संघ और आस्ट्रिया–हंगरी, जर्मन साम्राज्य का भाग्य था परंतु वे अपनी स्वतंत्रता और मातृभूमि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे और अंत में वे एक स्थाई पृथक राज्य य का निर्माण करने में सफल रहे। संक्षेप में राष्ट्र का विकास और समृद्धि भौगोलिक एकता, समान निवास पर निर्भर करता है।

(b) जातिगत समुदाय

जातीय एकता राष्ट्र की सार्वभौमिक विशेषताओं में से एक है। समान जाति के लोगों का संबंध प्राकृतिक रूप से अधिक एकीकृत होता है । बर्गेस और लीकाक जैसे चिंतक जातीय एकता को किसी राष्ट्र का आधारभूत तत्व मानते हैं। प्रो0 जिम्नर का मत है प्रत्येक राष्ट्र संस्थागत समूह की भावनाओं को पसंद करता है । जो मुख्यतया जातीय एकता और रक्त की शुद्धता से निर्धारित होता है। यह कहा जा सकता है कि यदि कोई देश जातीय आधार पर ऐकीकृत है तो जातीय एकता उस राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध होगी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हिटलर ने जर्मनी को और मुसोलिनी ने इटली को एकीकृत किया।

(c) भाषागत समुदाय, परंपरा और संस्कृति

सामान्यतः किसी भी राष्ट्र के नागरिकों की एक आम भाषा होती है । क्योंकि यही वह माध्यम है जिसके द्वारा भी अपने विचार परंपराओं और संस्कृति का आदान–प्रदान करते हैं। समुदाय की भाषा, परंपरा और संस्कृति समुदाय की जाति के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। जो लोग समान भाषा को आपस में साझा करते हैं वह समान साहित्य और संस्कृति का भी आपस में अनुकरण करते हैं । यह

भाषा की एकता ही है जो हमें दूसरे देशों के लोगों के साथ जोड़ने में मदद करती है । भाषा की विभिन्नता हमें वैसे ही विभाजित करती है जैसे नदियां, पहाड़ और समुद्र एक देश को दूसरे देश से विभाजित करते हैं।

अर्नेस्ट बार्कर का इस संदर्भ में मानना है कि "हम भाषा और राष्ट्र में एक घनिष्ठ संबंध पाते हैं। भाषा मात्र शब्दों का संकलन नहीं है । प्रत्येक शब्द हमें समूहों के साथ ऊर्जा प्रदान करता है। हम अपनी भावनाओं और विचारों को तब तक आपस में बांट नहीं सकते जब तक हम समूहों के ताले भाषा की चाबी से न खोलें[17] ।"

बेनेडिक्ट एंडरसन 'इमैजिन्ड कम्युनिटी' में भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि भाषा किसी राष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने का माध्यम है। इनके अनुसार स्थानीय भाषाओं के स्थापित होने से लोगों को अपने विचारों का आदान प्रदान करने में सुविधा हुई एंडरसन मानते हैं भाषा के इस विकास ने लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत करने में सफलता अर्जित की[18]।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि समान भाषा संस्कृति और परंपराएं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यही कारण है कि विजेता देश अपनी भाषा और संस्कृति को विजित देश पर लागू करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए भारत अल्जीरिया अफ्रीका लेटिन अमेरिका में अंग्रेजों ने अपनी भाषा को थोपने का प्रयास किया।

(d) समान धर्म

राष्ट्र की राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने में और राष्ट्र को विकसित करने में धर्म ने एक प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह किया है अतीत में धर्म ने लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एकताबद्ध करने में मजबूत शक्ति के रूप में कार्य किया है। गार्नर ने (Political Science and Government, 1951) में कहा कि **"रिलीजियस"** समुदाय (मजहबी समुदाय) राष्ट्र का महत्वपूर्ण लक्षण है और पूर्व के समय में इसने

[17] Barker Earnest (1951): Principles of social and political theory, Oxford Clarendon press.
[18] Anderson Benedict (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London Verso.

राष्ट्र के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।[19] वहीं गिलक्राइस्ट ने कहा कि रिलीजन राष्ट्र का प्रमुख आधार है। हम जानते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन युग में राजनीति रिलीजन[20] से अत्यधिक प्रभावित थी । इस कारण यह कहना समीचीन होगा कि कुछ देशों की राजनीति रिलीजियस संस्थाओं द्वारा संचालित होती थी। यह रिलीजन ही था जिसने लोगों को एक नेसन राष्ट्र के रूप में एकताबद्ध करने, उन्हें अनुशासन और आज्ञापालन के साथ–साथ अपने जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र के संदर्भ में यह बात अत्यधिक समीचीन है कि "आज्ञापालन और अनुशासन राष्ट्र की आत्मा है। रिलीजन किसी राष्ट्र की एकता का आधार स्तंभ है। उदाहरण के लिए 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान इस्लाम ने अरबों को एक राष्ट्र के रूप में एकतबद्ध करने में महती भूमिका का निर्वाह किया । यह इसी का परिणाम था कि अरबों को इंडस से लेकर स्पेन तक भू–भाग को विजित करने में सक्षम बनाया ।

दक्षिण एशियाई संदर्भ में अगर हम इसका अवलोकन करने का प्रयास करें तो भारत में औरंगजेब ने अपने रिलीजन (मजहब) को हिंदुओं पर थोपने का कार्य किया उसकी निरंकुशता रिलीजन (मजहब) के आधार पर थी। इसके परिणामस्वरूप हिंदुओं में अपनी धार्मिक पवित्रता की सुरक्षा के लिए एकता की भावना ने जन्म लिया और मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि समान धर्म हमेशा लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एकताबद्ध करने में सहायक होता है। परंतु इस धार्मिक एकता के बावजूद कभी–कभी मजहबी समुदाय एक राष्ट्र को विघटित करने में सफल हो जाते हैं। कभी–कभी धार्मिक भिन्नता के कारण राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए दक्षिण एशिया में हिंदू और मुस्लिम मजहबी/धार्मिक मतभेदों के कारण मैत्रीपूर्ण ढंग से नहीं रह सके। यही मजहबी भिन्नता भारत के विभाजन का कारण बनी। पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था जिसका आधार मजहबी भिन्नता थी। वहीं तुर्की मुस्लिमों और ईसाइयों द्वारा बसाया

[19]गार्नर, अरनेस्ट, (1951), पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट

[20]आर. एन. गिलक्राइस्ट (1921): प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल साइंस

गया था, परंतु दोनों समुदायों ने मजहबी भिन्नता का पोषण किया जो उनके विघटन का कारण बना। 1815 में वियना कांग्रेस ने बेल्जियम और होलेंड को एक राष्ट्र के रूप में एकताबद्ध किया जिसे नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। परंतु वे अपनी रिलीजियस मान्यताओं के कारण अपनी एकता को अक्षुण्य रख पाने में सफल नहीं हुए और इसका प्रमुख कारण बेल्जियम के लोग रोमन कैथोलिक और होलेंड के लोग प्रोटेस्टेंट समुदाय को मानने वाले थे। इसका परिणाम यह हुआ कि 1831 में ये दो पृथक राज्यों में विभाजित हो गए। आयरलैंड में भी राष्ट्रीय आंदोलन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट रिलीजियस विश्वासों (Beliefs), मजहबी मान्यताओं के कारण अपनी शक्ति नही प्राप्त कर सका।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि समान रिलीजन किसी राष्ट्र के एकीकरण और उसके सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध होता है। हालांकि इसके अपवाद भी देखे जा सकते हैं जैसे युगोस्लाविया। परंतु फिर भी एक राष्ट्र के निर्माण में समान मजहब अत्यंत प्रभावी कारक है।

(e) समान राजनीतिक महत्वाकांक्षा

वर्तमान संदर्भों में समान राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि करने वाले अन्य कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं समकालीन समय में समान भाषा, समान, जाति, समान संस्कृति, समान धर्म की भिन्नताओं के बावजूद राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना का निरंतर विकास हो रहा है यह भी विशषताएं उन लोगों में पाई जा रहीं हैं जो समान राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आपस में बांटते हैं जो लोग विदेशी दासता के अधीन रहे हैं वे राष्ट्रीयता की भावना को विकसित कर रहे हैं मैं अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने हेतु अपना संयुक्त राज्य का गठन कर रहे हैं उदाहरण के लिए भारत अफ्रीका लैटिन अमेरिका के लोगों का उद्देश विदेशी साम्राज्य को उखाड़ फेंकना और एक संप्रभु राष्ट्र का गठन करना था भारत को अगर केंद्र में रखकर कहे तो भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने का कारण 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन ने किया भारतीयों में यह राष्ट्रीय एकता विदेशी पराधीनता के कारण विकसित हुई परंतु स्वाधीनता के पश्चात

प्रांतों द्वारा भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग के कारण राष्ट्रीय एकता में गिरावट आनी शुरू हुई क्षेत्रवाद की भावनाएं तीव्र गति से बढ़ने लगी इस पूरी स्थिति में राज्य–राष्ट्र के अंतर्द्वंद को जन्म दे दिया। 29 अक्टूबर 1962 को चीन द्वारा भारत पर आक्रमण ने पुरे राष्ट्रीय एकता की भावना को जन जागृति कर राजनीतिक एकता का परिचय दिया समान राजनीतिक एकता 1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध और 1971 के दौरान भी दिखाई दी इसके अलावा नेपोलियन द्वारा जर्मनी पर आक्रमण करने का प्रयास किया गया तब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई संपूर्ण इटली ऑस्ट्रेलियन साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकता बढ़ गई।

(f) समान इतिहास

एक राष्ट्र को गढ़ने वाले कारकों में समान इतिहास एक महत्वपूर्ण कारक रहा है समान इतिहास को राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने वाला महत्वपूर्ण कारक माना जाता है जैसा कि गिल का मानना है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान समान इतिहास प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं तथा उससे जुड़ी स्मृतियों के आधार पर निर्मित होती है।

उपरोक्त सभी तत्व राष्ट्रीयता की भावना को उभारने अथवा निर्मित करने में सहायक होते हैं परंतु इनमें से किसी एक तत्व के आधार पर राष्ट्र को परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि एक राष्ट्र इन सभी तत्वों का मिश्रण है।

2.4 राष्ट्रवादः एक अवधारणा

राष्ट्रवाद एक राजनीतिक और आधुनिक अवधारणा है जिसका उदय ऐतिहासिक दृष्टि से यूरोप में 18वीं शताब्दी में राष्ट्र–राज्य के निर्माण के दौरान हुआ वस्तुतः राष्ट्रवाद एक विचार है जिसमें सांस्कृतिक पहचान राज्य के लिए आधार का कार्य करती है तथा आधुनिक समाज के विचार की स्थिति और उसकी प्रभुत्व की वैधता को स्थापित करने का कार्य करता है उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राष्ट्रवाद ने यूरोप में इटली और जर्मनी का एकीकरण किया तथा हैप्सवर्ग और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा

एशिया और अफ्रीका की राजनीतिक जागृति में एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में कार्य किया राष्ट्रवाद आधुनिक विचार है जिसकी उत्पत्ति इस अवधारणा के परिणाम स्वरूप हुई है कि राजनीतिक सरोकारों का केंद्र बिंदु राष्ट्र–राज्य में निहित है धीरे–धीरे इस विचार को व्यापक मान्यता प्राप्त हो गई इस संबंध में **अर्नेस्ट गेलनर** ने (Nation and State, 1983) की टिप्पणी अत्यंत उल्लेखनीय है वह राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि "राष्ट्रवाद प्राथमिक रूप में एक राजनीतिक सिद्धांत है जो इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक और राष्ट्रीय इकाई को एक होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रवाद की परिघटना प्रत्यक्षता हमारी साझी परिस्थितियों में हुए बदलावों के गर्भ से पैदा हुई है। इनका स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रवाद को एक भावना और एक आंदोलन के तौर पर परिभाषित किया जाना चाहिए"[21] ।

इस प्रकार राष्ट्रवाद एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जो आधुनिक समाज के आचार विचार तथा उसके प्रभुत्व की वैधता को सिद्ध करता है। यह एक ऐसी धारणा है जो राज्य–राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों में एकता स्थापित करती है राष्ट्रवाद का मूल अभिप्राय राज्य–राष्ट्र लोगों की मिलजुल कर रहने की भावना से है यह एक ऐसी भावना है जो उन्हें विभिन्नताओं और भेदभाव के बावजूद इकट्ठा होने के लिए प्रेरित करती है और परिणाम स्वरूप दूसरे राष्ट्रों से पृथक करती है। इस एकीकरण का कारण ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक सभी हो सकते हैं।

राष्ट्रवाद कई तत्वों का मिश्रण है जिनमें कुछ की जड़े मानव प्रकृति में निहित हैं तो कुछ का लंबा इतिहास है। आधुनिक अर्थ में राष्ट्रवाद को देशभक्ति का कारक माना जाता है जैसा कि समकालीन समय में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देशों में परिलक्षित हो रहा है परंतु देशभक्ति और राष्ट्रवाद दो प्रथक प्रथक धारणाएं हैं जहां देशभक्ति का संबंध व्यक्ति विशेष से संबंधित है वही राष्ट्रवाद का संबंध सामाजिक अभिव्यक्ति से है कभी–कभी राष्ट्रवाद का अभिप्राय अपनी सभ्यता और संस्कृति को अन्य सभ्यता और संस्कृतियों से सर्वोच्च मानने से लिया जाता है जिसके लिए अंध देशभक्ति उपयुक्त शब्द होगा राष्ट्रवाद कभी–कभी राष्ट्रीय पहचान का पर्याय समझ

[21] Gellner Ernest, (1983). Nation and nationalism, wiley Blackwell, ISBN 978-1-405-13442-2

लिया जाता है जिसे उपयुक्त नहीं माना जा सकता वास्तविकता तो यह है कि राष्ट्रवाद का तात्पर्य राष्ट्र निर्माण से है जिसका सीधा सा अभिप्राय है कि एक विशेष प्रकार की संस्कृति को ऊपर से नीचे तक लागू करना।

राष्ट्रवाद की अवधारणा को विभिन्न विचारकों ने सिद्धांतों के आधार पर परिभाषित किया है।

राष्ट्रवाद पर किए गए विद्वतापुर्ण शोध में एरिक हौब्सबौम द्वारा विकसित आविष्कृत परम्परा (Invented Tradition) एक महत्वपूर्ण धारणा है।

हाब्सबाम ने अपनी पुस्तक **"Nation and Nationalism Since, 1780–1990"** में राष्ट्रवाद के संदर्भ में आविष्कृत परंपरा को व्याख्यातित किया है। वह राष्ट्रवाद की दो अवस्थाओं की पहचान करते हैं जो पश्चिमी व्यवस्था में राज्य को आकार देती है प्रथम है पूर्व राजनीतिक अवस्था जो उदारवादी बुजुर्वा राष्ट्रवाद के साथ जुड़ी है। इसके अंतर्गत हाब्सबाम यूरोपीय राज्यों के राष्ट्रीयकरण पर बल देते हैं जो सरकारी औद्योगिक बुजुवा वर्गों और व्यावसायिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रभुत्व रखती थी तथा 19 वीं शताब्दी की विस्तृत परंपरा जैसे कि ब्रिटिश राज्य अभिषेक समारोह, ब्राजील विजय की फ्रांसीसी उत्सव, राष्ट्रीय मई दिवस, राष्ट्रीय सैनिक परेड, राष्ट्रीय खेल संघ पर प्रकाश डालते हैं[22]।

हॉब्सबाम राष्ट्रवाद की दूसरी अवस्था को भाषायी विशिष्टता के द्वारा परिभाषित करते हैं जो यूरोप में 1870 से 1914 तक समृद्ध हुई राष्ट्रवाद की इस अवस्था में निचले वर्गों द्वारा बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के अस्तित्व की लोकतांत्रिक राजनीति में व्यापक से सहभागिता की मांग की जाने लगी। हॉब्सबाम के लिए आंदोलन से पूर्व में आर्मेनिया और पश्चिम में वेल्स स्कूटी एरीज के बीच नृजातीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई[23]।

हॉब्सबाम राष्ट्रवाद की संरचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जो मूलतः राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों पर बल देती है उनके मत में आर्थिक राजनीतिक

[22] E.J Hobsbawm (1992) Nation and nationalism since 1780-1990, Cambridge University press
[23] E.J Hobsbawm (1992) Nation and nationalism since 1780-1990, Cambridge University press

और बौद्धिक वर्गों द्वारा राष्ट्रवाद का प्रयोग राष्ट्रीय पहचान निर्माण की मांग और अपने राजनीतिक तथा आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए की जाती है वह कहते हैं राष्ट्रवाद एक सामाजिक भावनात्मक और वास्तविक घटनाक्रम है और इसे इसी परिपेक्ष में समझा जाना चाहिए।

राष्ट्रवाद के अन्य सिद्धांतकार बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपनी पुस्तक Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,1983 में राष्ट्रवाद का मार्क्सवादी और राज्य केंद्रों से परे जाकर एक व्यापक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक समाज की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। **एंडरसन** राष्ट्रवाद को एक काल्पनिक समुदाय के रूप में परिभाषित करते हैं उनके मत में राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की एक सांस्कृतिक गतिविधि है एंडरसन राष्ट्र को न केवल सांस्कृतिक जड़ों में खोजते हैं बल्कि उनके लिए राष्ट्र की अवधारणा भी एक सांस्कृतिक खोज है वह राष्ट्र को काल्पनिक राज्य नीतिक समुदाय के रूप में परिभाषित करते हैं जो सीमित हो, प्रभुत्व संपन्न हो और वर्गों से परे हो परंतु वह राष्ट्र निर्माण और उसके संचालन में जनसंचार के माध्यम को महत्व प्रदान करते हैं और इनमें सबसे अहम भूमिका प्रिंट पूंजीवाद के उदय ने अदा की है जिसने छपाई की नई तकनीक को पूंजीवादी उत्पादन के साथ मिलाया और देशी भाषाओं में किताबों एवं समाचार पत्रों के व्यापक प्रचार के जरिए पढ़ने वाले एक विशाल जन समूह का निर्माण किया इस प्रकार प्रिंट पूंजीवाद ने भाषायी राष्ट्र के समाजशास्त्री समुदाय को परिभाषित किया[24]।

राष्ट्रवाद के एक और सिद्धांत का अर्नेस्ट गेलनर ने अपनी पुस्तक Nation and State, 1983 में राष्ट्रवाद की अवधारणा को सांस्कृतिक समरूपता के सिद्धांत के आधार पर परिभाषित किया, गेलनर ने हॉब्सबाम एंड एंडरसन के पूंजीवादी विचार को खारिज कर दिया परंतु वह इनके इस विचार से सहमति रखते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद का कारण संरचनात्मक परिवर्तन है **गेलनर** राष्ट्रवाद को इन शब्दों में परिभाषित करते हैं "राष्ट्रवाद प्राथमिक तौर पर एक राजनीतिक सिद्धांत है जो इस

[24]Anderson Benedict (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London Verso

बात पर बल देता है कि राजनीतिक और राष्ट्रीय राज्य को एक समान होना चाहिएं" इनका मानना है राष्ट्रवाद एक भावना, एक आंदोलन के तौर पर इन सिद्धांतों के माध्यम से बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। गेलनर का राष्ट्रवाद का सिद्धांत संरचनावादी है और वह इस आधार पर कि उनकी यह अवधारणा औद्योगीकरण के आधुनिक विकास द्वारा राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन पर जोर देती है।[25]

एक अन्य राष्ट्रवादी विचारक **हॉब्सकाम** राष्ट्रवाद को मनोवैज्ञानिक रूप में परिभाषित किया इनके विचार में राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक स्थिति, एक विचार और एक वैचारिक स्थिति है जो मनुष्य के मस्तिष्क को नए विचारों और भावनाओं से लबरेज कर देती है और उसे अपनी चेतना को संगठित कार्यवाही की दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करती है[26]।

राष्ट्रवाद के सिद्धांतीकरण के संबंध में दो बड़ी विभाजक रेखाएं उभरकर सामने आती हैं प्रथम है आधुनिकतावादी और दूसरी है गैर आधुनिकतावाद आधुनिकता वादी राष्ट्रवाद को एक आधुनिक परि–घटना तथा पिछली तीन शताब्दियों से भी कम घटनाक्रम के रूप में देखते हैं दूसरी और गैर आधुनिकता वादी सिद्धांत है जो राष्ट्रवाद की समाज की एक विशेष स्थिति के रूप में देखता है इनका मानना है राष्ट्रवाद की व्यापक अवधारणा को समझने के लिए कहीं अधिक समय की आवश्यकता है इनके अनुसार राष्ट्रवाद जो मानव जीवन में बहुत ही जटिलता के साथ जुड़ा हुआ है उसका निर्माण अल्प समय में कदापि नहीं हो सकता। गैर आधुनिकता वादी राष्ट्र को एक मानसिक दशा के रूप में वर्णित करते हैं और यही वह कारण है कि यह राष्ट्रवाद के उत्थान या विकास जैसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करते बल्कि लोगों के दिलो–दिमाग में राष्ट्रवाद की असीम और स्थाई भावना की चर्चा करते हैं।

वहीं दूसरी और आधुनिकता वादी राष्ट्रवाद को आधुनिक युग का प्रतिफल मानते हैं आधुनिकता वादियों का स्पष्ट मानना है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद मूलता एक

[25] Gellner Ernest, (1983). Nation and nationalism, wiley Blackwell, ISBN 978-1-405-13442-2
[26] E.J Hobsbawm (1992) Nation and nationalism since 1780-1990, Cambridge University press

प्रकार से राष्ट्र राज्य की सर्वोच्च स्तर पर आधारित भावनात्मक व्यवस्था है जो आधुनिक युग में राजनीतिक सत्ता के उच्चतम स्तर में भी संभव है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद की शक्ति बल बुद्धि वादी तत्वों से पैदा नहीं होती बल्कि भावनाओं तथा एहसास जैसे गैर बुद्धि वाली तत्वों के साथ भी अभिन्न तरीके से जुड़ी होती है जो किसी समुदाय विशेष के साथ जुड़ाव की भावना से निकलती है इस प्रकार राष्ट्रवाद के दो पक्ष उभर कर हमारे सामने आते हैं पहला विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद का राजनीतिक पक्ष तथा दूसरा भावनात्मक पक्ष जो अपने साझे अतीत संस्कृति तथा भूमि के साथ जुड़ाव के प्रति सचेत हैं।

2.5 राष्ट्र–राज्यः एक अवधारणा–

पाश्चात्य सभ्यता तीन काल खंडों में विभाजित है प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक राष्ट्र–राज्य प्रणाली।

इन तीनों काल खंडों में यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म इसकी परि वृद्धि मात्र है। राष्ट्र–राज्य जैसी शब्दावली से ही यह परिलक्षित होता है कि इन दोनों शब्दों में मूलभूत अंतर है यद्यपि दोनों में संयोजन भी विद्यमान है राज्य की परिकल्पना एक ऐसी राजनीतिक इकाई के रूप में की गई जिसकी सीमाएं एक राष्ट्रीय समूहों के क्षेत्रीय विभाजन के समरूप हो यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें एक राष्ट्र के पास अपना स्वयं का राज्य है। राष्ट्र–राज्य का विचार इस बात का घोतक है कि इसका संबंध क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या से है विश्व राज्य को राष्ट्र–राज्य नहीं कहा जा सकता जो किसी अन्य राष्ट्र की परिसीमा का उल्लंघन करके राष्ट्र–राज्य बनने का प्रयत्न करें एक सच्चे अर्थ में राष्ट्र राज्य य में वही व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका जन्म वहां हुआ हो तथा जिनके ऊपर संप्रभु वैधानिक सत्ता का प्रयोग किया जाता है।

राष्ट्र–राज्य को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि राष्ट्र राज्य य सरकार का एक रूप है जिसमें संस्कृति भाषा के विविध पहचान वाले समूह एक

निर्धारित भूभाग में निवास करते हैं।[27] (Richar Burghar:The Formation of the Concept Nation State in Nepal, 1984)

वहीं राष्ट्र–राज्य की राजनीतिक जीवन का एक ऐसा ढांचा है जिसमें जनता पृथक पृथक संप्रभु राज्यों के रूप में संगठित होती है और जो दूसरों से भिन्न–भिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं।

''राष्ट्र–राज्य उस राज्य को कहते हैं जो राज्य की राजनीतिक सत्ता को उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिला देती है।''

एंथनी स्मिथ जो राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं के प्रभावशाली विचारक हैं उन्होंने राष्ट्र राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि ''वह राज्य राष्ट्र राज्य है जहां एक नृजातीय और सांस्कृतिक जनसंख्या एक राज्य की सीमाओं के अंदर निवास करती हैं।''

एक व्यापक परिभाषा के अनुसार ''एक राष्ट्र राज्य एक प्रकार का राज्य है जो किसी राज्य की राजनीतिक इकाई को किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक इकाई से मिलाता है तथा जिसका उद्देश्य शासन करने के लिए अपनी राजनीतिक वैधता प्राप्त करना होता है।''

एक राज्य विशेष रूप से एक राजनीतिक इकाई है जबकि एक राष्ट्र एक सांस्कृतिक और जातीय इकाई है राष्ट्र–राज्य शब्द का अर्थ है कि एक राज्य य ने एक विशिष्ट सांस्कृतिक और जातीय समूह को अपनाने और समर्थन करने के लिए चुना है जो मौलिक रूप से इसके साथ संबंधित है।

2.6 राष्ट्र–राज्य का विकास –

राष्ट्र राज्यों की उत्पत्ति और उसका प्रारंभिक इतिहास विवादित रहा है इस संदर्भ में किसी एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का अभाव रहा है। राष्ट्र राज्य के विकास और उत्पत्ति को लेकर दो सिद्धांतों पर बहस हुई है पहला कौन सी अवधारणा

[27] Burgher, Richard. (1984), The Formation of the Concept of Nation-State in Nepal. Journal of Asian studies November.

पहले अस्तित्व में आई राष्ट्रीय–राष्ट्र–राज्य व दूसरा राष्ट्रवाद एक प्राचीन अवधारणा है या आधुनिक?

कुछ विद्वानों ने राष्ट्रवाद की परिकल्पना को उन्नत करते हुए कहा कि राष्ट्र–राज्य 15वीं शताब्दी के बौद्धिक आंदोलन का उत्पाद था जिसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व्यापारिकता, राजनीतिक भूगोल और भूगोल में नवीन खोजों ने राष्ट्र–राज्य के विकास में संयुक्त रूप से कार्य किया। दूसरे कुछ विद्वानों के लिए राष्ट्र और राष्ट्रवादी आंदोलन संप्रभुता के लिए अस्तित्व में आए और फिर राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा उठाई गई मांगों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राज्य बनाया गया अधिकार सिद्धांत राष्ट्र–राज्य को एक आधुनिक यूरोपीय घटना के रूप में देखते हैं जिसका विकास राज्य शास्त्र, शिक्षा, जन्र–साक्षरता और जन–संचार के माध्यमों से हुआ है।

आमतौर पर एक राष्ट्र–राज्य का विचार राज्यों के आधुनिक प्रणाली के उदय के साथ जुड़ा हुआ है जिसे समान्यतया ऑस्ट्रेलिया की संधि 1648 के संदर्भ में वेस्ट फेलियन सिस्टम कहा जाता है।

आधुनिक युग में राष्ट्र और राज्य एकाकार हो गए हैं राज्य की सीमाओं को राष्ट्र की सीमाएं कहा जाता है। राज्य के हित को राष्ट्रीय हित तथा विभिन्न राज्यों के परस्पर संबंध को अंतरराष्ट्रीय संबंध कहा जाता है जहां तक राष्ट्र राज्य का संबंध है तो इसमें वहां के समस्त नागरिक आ जाते हैं चाहे वे किसी भाषा, संस्कृति, इत्यादि से संबंध रखते हैं, शर्त यह है कि वे अपने समान इतिहास सामान्य हित सामान्य जीवन के प्रति सजग हो और केंद्रीय सत्ता के प्रति निष्ठा रखते हो। वस्तुतः राष्ट्र राज्य का विकास आधुनिक सभ्यता के बहुत लंबे इतिहास की परिणति है और इस विकास को कुछ ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जा सकता है–

कबीला राज्य –

राज्य का यह प्रारंभिक चरण था जिसमें मनुष्य ने सर्वप्रथम अपने को संगठित करने के लिए कबीले के रूप में व्यवस्थित किया यह राज्य का सबसे पुराना स्वरूप है जिसमें छोटे छोटे कबीले अपने सरदार के शासन में रहते थे

कबीलों में सरकार को परामर्श देने हेतु एक सभा होती थी यह कबीले जाति , धर्म और आर्थिक हितों के बंधनों से बंधे थे।

प्राच्य राज्य –

राष्ट्र–राज्यों के विकास की दूसरी अवस्था प्राच्य राज्यों की आती है यह वह स्थिति है जब नील घाटी सिंधु घाटी और पीली नदी की उर्वर घाटियों में आरंभिक सभ्यता का विकास हुआ इन स्थानों पर भिन्न–भिन्न स्वजन समूहों के लोग मिलजुल कर रहने लगे थे इन्होंने युद्ध कला में निपुणता प्राप्त कर अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की प्राचीन मिस्र बेबीलोन सीरिया और चीन के साम्राज्य इस श्रेणी में आते हैं।

यूनानी नगर राज्य –

जब भूमध्य सागर की ओर मानव सभ्यता का विकास हुआ तब यूरोपीय प्रायद्वीप में भी राज्य का उदय हुआ इस तरह यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आए इनकी प्रमुख विशेषता यह थी कि छोटे–छोटे नगर राज्य होने के कारण शक्तिशाली निरंकुश शासक अस्तित्व में नहीं आए बल्कि यहां के नागरिक मिलजुल कर शासन चलाते थे

रोमन साम्राज्य –

जब आंतरिक कलह और बाह्य आक्रमणों के कारण यूनानी नगर राज्य नष्ट हो गए तब यूरोप में समस्त सत्ता का केंद्र रोम बना और रोमन साम्राज्य विकसित हुआ। रोम यूरोप के केंद्र में स्थित था रोमन लोगों द्वारा भिन्न–भिन्न रिलीजियस (मजहबी) प्रथाओं को मानने वाले लोगों पर शासन करने के लिए विस्तृत कानूनी प्रणाली विकसित की गई परंतु रोमन साम्राज्य में लोकतंत्र और स्थानीय शासन की संस्थाएं लुप्त हो गई अंततः यह शक्तिशाली साम्राज्य अपने ही साम्राज्य को न संभाल पाने के कारण छिन्न–भिन्न हो गया।

सामंती राज्य –

रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात केंद्रीय सत्ता विलुप्त हो गई पांचवी शताब्दी ईस्वी से मध्यकाल प्रारंभ हुआ जिसमें संपूर्ण शक्ति बड़े बड़े जमीदारों और सरदारों के हाथों में आ गई ऐसे छोटे–छोटे राज्यों में राज्य की स्थिति सर्वोच्च मानी जाती थी परंतु मुक्त शक्ति सामंत सरदारों के हाथों में केंद्रित रही। सामंती सरदारों के अलावा धार्मिक तंत्र अधिकारियों विशेषतकर पोप के हाथों में विस्तृत शक्तियां आ गई थी चौथी शताब्दी आते–आते पोप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और राज्य तंत्र शक्ति को पुनर्जीवित किया उन्हीं दिनों उद्योग धंधों के विकास के कारण भी जमीदारों की शक्ति को चुनौती दी जाने लगी यही वह समय था जब आधुनिक राष्ट्र–राज्य के बीज बो दिए गए थे।

आधुनिक राष्ट्र राज्य –

आधुनिक राष्ट्र राज्य के विकास को यूरोप, एशिया और अफ्रीका के अलग अलग संदर्भ में देखना पड़ेगा। आधुनिक राष्ट्र राज्य के विकास का प्रथम चरण 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र–राज्य के उदय के साथ आरंभ हुआ। जिसका बौद्धिक संस्थापक मैकियावली था इस समय जमीदारों और धर्माधिकारियों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और लोग नए आर्थिक संबंधों के अलावा राष्ट्रीय भाषा, संस्कृति की एकता और देश की प्राकृतिक सीमाओं के विचार से स्थाई समूहों के रूप में जुड़ गए थे। इस प्रकार पहले स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, स्वीटजरलैंड, नीदरलैंड, रूस, जर्मनी और इटली में राष्ट्र–राज्यों का उदय हुआ प्रारंभिक राष्ट्र–राज्यों में राजतंत्र का बोलबाला था जिसमें संपूर्ण सत्ता किसी राज्य या सम्राट के हाथों में केंद्रित रहती थी, परंतु 18वीं शताब्दी से यूरोप में संवैधानिक शासन का विकास हुआ इंग्लैंड में यह परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ परंतु फ्रांस में क्रांति का सहारा लेना पड़ा।

दूसरे चरण में 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों ने अपनी–अपनी राष्ट्रीय सुदृढ़ता स्थापित करने के पश्चात् आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए उपनिवेशवाद का सहारा लिया इस दौर में फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, पुर्तगाल

इत्यादि ने एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों पर अपने उपनिवेशों का जाल बिछाकर उनका भरपूर शोषण किया जिसके परिणामस्वरूप इन देशों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और अंतता वह राष्ट्रीय आंदोलनों में परिवर्तित हुआ जिसके फलस्वरूप नए राष्ट्र–राज्यों जैसे भारत, पाकिस्तान, वर्मा, मिस्र, नाइजीरिया, लीबिया, सीरिया का उदय हुआ।

विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवाद का उदय–

यूरोप में पुनर्जागरण सुधारवादी आंदोलनों के पश्चात् लैटिन भाषा के स्थान पर स्थानीय भाषा का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजें, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार मध्य वर्ग का उदय आदि कई महत्वपूर्ण तत्वों ने राष्ट्र–राज्य के विकास में सहयोग किया इनके कारण यूरोप में राष्ट्रीयता के आधार पर राज्यों का विकास हुआ इन परिस्थितियों ने नए सिद्धांतों को जन्म दिया जिसे राष्ट्र–राज्य के नाम से जाना जाता है।

जहां यूरोप में राष्ट्र–राज्य और स्वतंत्रता आपस में घुल–मिल गए और अटूट नजर आने लगे वही संसार के अन्य भागों में ऐसा नहीं हुआ कई स्थानों पर स्वतंत्रता की सुरक्षा और राष्ट्रीयताओं के मध्य विरोधाभास का अनुभव किया गया जिसके आधार पर कई राष्ट्रीयता पर आधारित राष्ट्र–राज्यों का विकास हुआ उदाहरण के लिए अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर में अंग्रेज उपनिवेश वादियों तथा दक्षिण में स्पेनियो और पुर्तगालियों को जब यह एहसास हुआ कि उनके प्रयत्नों और विधियों ने देश के राजदरबारों के खजाने भरे हैं और वे अपने लिए कम दूसरों के मुनाफे के लिए कार्य कर रहे हैं तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और जल्दी ही यह संघर्ष वतन के संघर्ष में परिवर्तित हो गया जिसके परिणाम स्वरूप नई राष्ट्रीयताओं तथा उस पर आधारित राष्ट्र–राज्यों का विकास हुआ।

मध्य यूरोप में भी राष्ट्र–राज्य का विकास 18 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुई फ्रांस की क्रांति आधुनिक राष्ट्र–राज्य के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी थी इससे राष्ट्र–राज्य का विचार इंग्लैंड से हटकर मध्य यूरोप में आ गया। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप स्थापित राष्ट्रीय सभा नागरिकों तथा व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा,

राष्ट्रद्रोह, प्रभुसत्ता के निवास, सामंतवादी विलासिता, कृषि दास वर्ग, विशेषाधिकार तथा वंशानुगत न्यायपालिका की समाप्ति राष्ट्र के दिवालिएपन को समाप्त करने हेतु चर्च की समाप्ति, , राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान राष्ट्र के नाम पर लड़े जाने वाले युद्धों ने फ्रांस में राष्ट्र–राज्य के विचार को चरम पर पहुंचा दिया।

यूरोप में हुए इन परिवर्तनों ने एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों पर भी असर डाला इन उपनिवेश ओं के संस्थापक तथा व्यापारिक केंद्र जो अभी तक राज्यों और व्यापारियों के हितों की पूर्ति कर रहे थे वह नवोदित वर्ग तथा शहरी जनता के हितों के लिए अपर्याप्त प्रतीत हुए परिणाम स्वरूप कंपनी साम्राज्य को सरकार के साम्राज्य में परिवर्तित करना अनिवार्य हो गया साम्राज्यवादी देशों कार्य एशिया तथा अफ्रीका के देशों पर सीधा शासन और उनकी अर्थव्यवस्था का शोषण करना था परंतु 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन और आर्थिक विकास के फलस्वरूप इन राज्यों में परिवर्तन शुरू हुआ।

इस प्रकार राष्ट्र–राज्य वर्तमान आधुनिक सभ्यता को संगठित करने का सबसे आधुनिक और व्यवस्थित रूप है विश्व के सभी देश राष्ट्र–राज्य की स्थापना कर रहे हैं परंतु इस संपूर्ण विमर्श की मुख्य बात यह है कि राष्ट्र–राज्य का विकास अलग–अलग देशों में अलग–अलग कारणों से हुआ।

2.5 राज्य–राष्ट्रः एक अवधारणा

वर्तमान वैश्विक समुदाय 195 राज्यों में विभाजित है उनमें से 192 राज्य य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और उनकी सीमाओं को अन्य राज्यों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राज्यों को अपनी सीमाओं के अंदर जनसंख्या पर नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त होता है समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे पर अलग–अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं पहला राष्ट्र–राज्य और दूसरा राज्य–राष्ट्र। राज्य और राष्ट्रों के लिए अपरिहार्य तत्व है जहां राष्ट्र–राज्य का विचार वेस्ट फेलियस संधि, 1648 का उत्पाद है वहीं राज्य का विचार राजनीति विज्ञान तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नवीन घटना है राज्य–राष्ट्र का विचार मौलिक रूप से उपनिवेशवाद के अंत

का उत्पाद है। तृतीय विश्व में उपनिवेशवाद के अंत के पश्चात् नवीन स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए इन नवनिर्मित स्वतंत्र राज्यों की मुख्य विशेषता धार्मिक भाषागत सांस्कृतिक राजनीतिक, आर्थिक विभिन्नता है जिसने इन राज्यों में नए विमर्श को जन्म दिया और वह नया विमर्श राष्ट्र–राज्य न होकर राज्य–राष्ट्र है।

राज्य–राष्ट्र के विचार को **अल्फ्रेड स्टीफनए जुआन. जे. लिंज** और **योगेंद्र यादव** ने अपनी पुस्तक **"Crafting State Nations: India and Other Multinational Democracies"** मैं 1996 में प्रस्तुत किया इनका तर्क है जिन राज्यों को हम राज्य राष्ट्र कहते हैं वे मूलता सांस्कृतिक और बहुराष्ट्रीय तत्वों को समेकित किए हुए हैं। राज्य–राष्ट्र की अवधारणा यह मानती है कि एक राज्य राष्ट्र वह है जिसमें एक विशेष राज्य के अंतर्गत पृथक–पृथक राष्ट्र अस्तित्व में हो जैसे भारत नेपाल श्रीलंका आदि।[28]

जहां राष्ट्र राज्य में जागरूकता चेतना, आपसी लगाव मौलिक रूप से किसी एक सांस्कृतिक परंपरा की तरफ होता है वहीं राज्य–राष्ट्र के अंतर्गत जागरूकता और लगाव एक से अधिक प्रमुख सांस्कृतिक सभ्यताओं (Multi & Cultural Civilizational Tradition) की तरफ होता है राष्ट्र–राज्य का विचार मुख्य रूप से एकल सांस्कृतिक पहचान, भाषा और एकात्मकता की समरूपता की इकाई (Unity of Oneness) से संबद्ध होता है।[29]

राष्ट्र राज्य मूलतः एकीकृत राज्यों (Integrated State) पर बल देता है जबकि राज्य राष्ट्र का विचार संघीय व्यवस्था पर बल देता है राष्ट्र–राज्य एकहरी पहचान पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि राज्य–राष्ट्र विविध पहचानो पर बल देता है।

राज्य राष्ट्र प्रतीकों के माध्यम से जैसे संविधान समावेशी लोकतांत्रिक संस्थाएं मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी के साथ नागरिक पहचान का निर्माण करता है। यदि कोई राज्य–राष्ट्र है तो उसकी कुछ मूलभूत विशेषताएं होंगी। पहली सांस्कृतिक पहचान नागरिकों के पास कई राजनीतिक पहचान का होना तीसरी नागरिकों का

[28] Alfred steepen, Juan J. Linz, and Yogendra Yadav (2011), Crafting State-Nations: India and Other Multinational Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
[29] Alfred steepen, Juan J. Linz, and Yogendra Yadav (2011), Crafting State-Nations: India and Other Multinational Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

राज्य के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक कानूनी और प्रशासनिक संस्थाओं में विश्वास का स्तर उच्च होना, चौथी नागरिकों का लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए उच्च स्तरीय सकारात्मक समर्थन का होना।

एक राज्य–राष्ट्र अपने इन मौलिक विशेषताओं के साथ स्वयं को राष्ट्र–राज्य से पृथक करता है।

राष्ट्र–राज्य का मॉडल मानता है कि केवल सांस्कृतिक रूप से एकीकृत लोग राज्य के प्रति वफादार हो सकते हैं परंतु राज्य–राष्ट्र का मॉडल इस विचार को खारिज करते हुए बहुसांस्कृतिक, बहुभाषायी, विभिन्नता को इसका आधार मानता है अगर भारत और नेपाल के संदर्भ में बात करें तो यह दोनों राज्य 'राज्य–राष्ट्र' की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इन दोनों राज्यों में सांस्कृतिक भाषायी धार्मिक विभिन्नता देखने को मिलती है और नागरिक अपने पहचान के लिए राज्य पर निर्भर होना चाहते हैं।

उक्त अध्याय में राज्य, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्र–राज्य, राज्य–राष्ट्र की अवधारणाओं को व्यवस्थित रूप से व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। जहां राज्य एक राजनीतिक धारणा है वहीं राष्ट्र एक सांस्कृतिक धारणा है। जबकि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, वहीं राष्ट्र–राज्य एक प्रकार का राज्य है जो किसी राज्य की राज्य नीतिक इकाई को उसकी सांस्कृतिक इकाई के साथ मिलाता है। जबकि राज्य–राष्ट्र एक आधुनिक विमर्श है जो यह मानती है कि एक राज्य के अंतर्गत प्रथक प्रथक राष्ट्र अस्तित्व में हो सकते हैं।

वैश्वीकरण की अवधारणा आने के बाद विश्व के सभी राष्ट्र–राज्य आपस में घनिष्ठ रूप से इतने मिल–जुल गए हैं कि राष्ट्र–राज्य की अवधारणा का पतन हुआ है । दूसरी तरफ राज्य–राष्ट्र एक आधुनिक विमर्श के रूप में उभरा है जिसे वर्तमान तृतीय विश्व के देशों के संदर्भ में समझा जा सकता है।

तृतीय अध्याय
दक्षिण एशिया में राज्य राष्ट्र अंतर्द्वंद

तृतीय अध्याय
दक्षिण एशिया में राज्य राष्ट्र अंतर्द्वंद

3.1 दक्षिण एशियाः एक परिचय

दक्षिण एशिया विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जहां भिन्न–भिन्न जातीय और रिलीजियस (मजहबी) समुदाय के लोगों ने लंबे समय तक एक साथ कार्य किया है। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विभिन्नता ने इसे एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है जो विश्व में अद्वितीय है। दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप एक दूसरे के पर्यायवाची है। इस क्षेत्र को आमतौर पर 1947 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के राज के रूप में संदर्भित किया जाता था। दक्षिण एशिया सात स्वतंत्र देश भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव का एक समूह है। भारत राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही प्रकार से दक्षिण एशिया का प्रमुख केंद्र रहा है। इसे केंद्र–परिधि मॉडल से समझा जा सकता है जिसमें अन्य देश परिधि क्षेत्र बनाते हैं जो कई शताब्दियों से ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से कोर से प्रभावित रहा है।

एक क्षेत्र (Region) के रूप में दक्षिण एशिया में सहयोग का अभाव है और यह एक क्षेत्र के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया में है। दक्षिण एशिया आज रणनीतिक रूप से विश्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। 1990 के दशक के बाद से दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत ने आर्थिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के साथ–साथ गरीबी और असमानता की जांच करना महत्वपूर्ण है।

दक्षिण एशियाई राज्य बहुलवादी प्रकृति के हैं, क्योंकि यह राज्य विविध नृजातीय, सांस्कृतिक, भाषाई, रिलीजियस (मजहबी) पहचानों में विभाजित है। यही विविध पहचान दक्षिण एशियाई राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का आधार है।

चित्र 3.1 दक्षिण एशिया का मानचित्र

3.2 दक्षिण एशिया का राजनीतिक इतिहास

3.2.1 भारत का राजनीतिक इतिहास –

संघात्मक स्तर पर भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में अधिकांश समय संघीय सरकार का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया है। जबकि राज्यों की राजनीति में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और विभिन्न क्षेत्रीय दलों सहित कई राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व रहा है। 1950 से 1990 तक दो संक्षिप्त अवधियों को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1977 से 1980 के बीच सत्ता से बाहर थी। 1989 में जनता दल के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन ने वाम मोर्चा गठबंधन के साथ चुनाव जीता, परंतु केवल 2 वर्षों तक सत्ता में रहने में कामयाब रहा[1]।

[1] Malhotra, Nitasha (2017), South Asia Political and Economic Region, The Association for Geographical Studies.

1991 के चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं दिया। कांग्रेस ने पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अल्पमत की सरकार बनाई। भारतीय राजनीति में वर्ष 1996 से 1998 तक संघीय सरकार में भारी उथल–पुथल का दौर चल रहा था, जिसमें कई अल्पकालिक गठबंधनों का बोलबाला था। भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में अल्पकाल के लिए सरकार बनाई परंतु इसके बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। इस गठबंधन जिसने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों को बाहर कर दिया। 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने कई अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन किया और सरकार का निर्माण किया। 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाली प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार को 2004 के आम चुनावों में पराजय का सामना करना पड़ा तत्तपश्चात् कांग्रेस ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन नामक गठबंधन के साथ सरकार का गठन किया।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत नें रिलीजियस (मजहबी) हिंसा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में चुनौतियों का सामना किया है। इन आंतरिक समस्याओं ने राज्य–राष्ट्र के विमर्श को आगे बढ़ाया है। जिसका व्यापक प्रभाव दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पड़ता दिखाई देता है। हालांकि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर जम्मू और कश्मीर की अलगाववाद व आतंकवाद की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। 1991 से प्रारंभ होकर महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों ने भारत को दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदल दिया है जिससे भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ा है।

3.2.2 पाकिस्तान का राजनीतिक इतिहास–

एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का इतिहास 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत से स्वतंत्रता के साथ प्रारंभ हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके क्षेत्र में दक्षिण एशिया की कुछ सबसे पुरानी बस्तियां और इसकी कुछ पुरानी सभ्यताएं शामिल हैं। 1906 में मुस्लिम हितों की रक्षा हेतु ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई जो 1930 के दशक के उत्तरार्द्ध में लोकप्रियता

की ओर बढ़ी। इसी दौरान 29 दिसंबर 1930 को कवि मोहम्मद इकबाल ने भारत में भारतीय मुसलमानों के लिए एक स्वायत्त राज्य की स्थापना का आहवान किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत और मुस्लिम लीग का नेतृत्व करते हुए 1940 में स्वतंत्र पाकिस्तान के गठन की मांग की। पाकिस्तान भारत के पूर्व और उत्तर–पश्चिम में क्रमशः 72 मुस्लिम बहुल राज्यों के रूप में स्वतंत्र हुआ। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में आर्थिक शिकायतों और राजनीतिक असंतोष के कारण भारत–पाकिस्तान युद्ध हुआ और अंततः पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राज्य की पहचान मिली।

जुल्फीकार अली भुट्टो के नेतृत्व में 1972 से 1977 तक पाकिस्तान में नागरिक शासन का दौर चला। जब तक जनरल जियाउल–हक द्वारा उन्हें पदच्युत नहीं किया गया। जुल्फीकार अली भुट्टो को पदच्युत करके जियाउल–हक पाकिस्तान के तीसरे सैन्य राष्ट्राध्यक्ष बने। इस दौरान पाकिस्तान की पंथ निरपेक्ष नीतियों का शरिया कानून (मजहबी कानून) द्वारा बदल दिया गया। जिससे प्रशासनिक सेवा और सेना पर मजहबी प्रभाव में वृद्धि हुई। 1988 में जियाउल– हक की मृत्यु के पश्चात बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति खराब होने के कारण भुट्टो ने नवाज शरीफ के साथ सत्ता में साझेदारी की परंतु 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान परवेज मुशर्रफ ने तख्तापलट करते हुए शासकीय शक्तियां ग्रहण की। 2002 के संसदीय चुनावों के पश्चात् मुशर्रफ ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ज़फद–उल्लाह खान जमाली को कार्यकारी शक्तियां वस्ततुः हस्तांतरित कर दी। पाकिस्तान में वर्ष 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की हत्या के बाद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुए तथा आम चुनावों के बाद गठबंधन सरकार सत्ता में आई और आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 2013 के आम चुनाव पीएमएल (एन) सत्ता में आई और नवाज शरीफ तीसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते शाहिद रवकान अब्बासी को प्रधानमंत्री पद सौंपा। 2018 में हुए आम चुनावों में पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ पार्टी) सत्ता में आई और इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार से देखें तो पाकिस्तान का

राजनीतिक इतिहास 70 वर्षों से उथल–पुथल भरा रहा है। जिसमें राजनीतिक व्यवस्था पाकिस्तानी सेना के हाथों की कठपुतली रही है।

3.2.3 बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास

पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से हो रही उपेक्षा और सियासी तिरस्कार से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में जन्मे आक्रोश ने पाकिस्तान के इतिहास और भूगोल को हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया तथा 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा स्वतंत्र हो गया और वैश्विक मानचित्र पर एक नवीन राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का गठन होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने। 1975 में सैनिक तख्तापलट के बाद उनकी भी हत्या कर दी गई और देश में सैनिक शासन लागू हो गया। 1977 में जनरल जिया–उर–रहमान राष्ट्रपति बने। 1979 के चुनाव में जिया–उर–रहमान की बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बहुमत हासिल किया और परिणामस्वरूप सैनिक शासन समाप्त हो गया। 1981 में अब्दुस सत्तार राष्ट्रपति बने। 1982 में तख्तापलट के बाद जनरल इरसाद सत्ता में आए। 1986 में हुए चुनाव में इरशाद विजयी रहे और सत्ता में वापस आए। 1991 में खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी और इन्होंने संविधान में परिवर्तन करके राष्ट्रपति के अधिकार सीमित कर दिए। 1996 में आवामी लीग सत्ता में लौटी और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। 2001 में शेख हसीना चुनाव में पराजित हुई और खालिदा जिया की सत्ता में वापसी हुई। 2008 में पुनः शेख हसीना की सत्ता में वापसी हुई। वर्तमान में बांग्लादेश में शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि स्वाधीनता के बाद बांग्लादेश के कुछ प्रारंभिक वर्ष राजनीतिक अस्थिरता से परिपूर्ण थे। देश में 13 राष्ट्राध्यक्ष बदले गए और चार सैन्य बगावतें हुई। परंतु धीरे–धीरे बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने अपना स्थान मजबूत किया है।

3.2.4 नेपाल का राजनीतिक इतिहास

नेपाल दक्षिण एशिया में एकमात्र जीवित राजतंत्र के रूप में विद्यमान रहा है। अपने लगभग दो शताब्दियों के इतिहास में कभी लंबे समय तक शांत नहीं रहा। नेपाल की वर्तमान सीमाओं का निर्धारण नेपाल और अंग्रेजो के बीच 1814 से 1816 तक चले युद्ध के बाद हुई संधि का परिणाम है। नेपाल ने बीसवीं शताब्दी में लोकतंत्र के लिए एक लंबे संघर्ष का अनुभव किया। 1990 के दशक से 2008 तक नेपाल में नागरिक संघर्ष जारी रहा। 2008 में चुनाव हुए और शाही घराने को सत्ता से बाहर कर दिया गया। लंबी राजनीतिक उथल–पुथल, हिंसक संघर्षों, विचार–विमर्शों के उपरांत 28 मई 2008 को नेपाल में नया संविधान लागू हो गया। नेपाल को संघीय प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। नेपाल उन एशियाई देशों में से एक है जो कभी औपनिवेशिक शासन में नहीं रहा। एंग्लो–नेपाली युद्ध और 1816 में सुगौली की संधि के पश्चात नेपाल ब्रिटिश साम्राज्य का मित्र बन गया था। 1951 से 1960 में जब राजा महेंद्र ने पंचायत प्रणाली को अधिनियमित किया तब नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र को विकसित किया गया।

2008 में नेपाल में राजशाही को समाप्त कर दिया गया। नेपाल की दूसरी संविधान सभा ने 2015 में नए संविधान को लागू किया।

3.2.5 भूटान का राजनीतिक इतिहास

भूटान एक राजतंत्रात्मक देश है। भूटान का राजनीतिक इतिहास विभिन्न मठों के बीच संबंधों से जुड़ा है। द्रुक्पा कग्युपा संप्रदाय आज भी यहां का प्रमुख संप्रदाय है। ब्रिटिश प्रभाव के तहत 1907 में यहाँ राजशाही की स्थापना हुई। 3 वर्षों के बाद अंग्रेजों के साथ एक समझौते में निर्धारित किया गया कि ब्रिटिश भूटान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे परंतु भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड के द्वारा तय की जाएगी। बाद में 1947 के पश्चात यही भूमिका भारत को मिली। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत सरकार ने भूटान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान की। 1949 में भारत और भूटान ने शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किये, जो यह निर्धारित करती है कि भारत भूटान के आंतरिक

मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 1971 में भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना और इसके साथ ही भूटान में नेशनल असेंबली, नया कानून, रॉयल भूटानी सेना, उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सीमित आर्थिक और सैन्य क्षमताओं के होते हुए भी भूटान का राजनीतिक चरित्र कभी औपनिवेशिक प्रभाव में नहीं आया। वर्तमान में भूटान के राजा जिसमें खेसर नामग्याल वांग्चुक हैं।

3.2.6 श्रीलंका का राजनीतिक इतिहास

श्रीलंका जिसका आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, दक्षिण एशिया में एक द्वीपीय राष्ट्र है। जहां लगभग 20 मिलियन लोग निवास करते हैं। प्रमुख समुद्री मार्ग होने के कारण श्रीलंका पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य रणनीतिक नौसैनिक लिंक है। श्रीलंका एक बहु–धार्मिक और बहु–जातीय राष्ट्र है। जिसमें विशेषरूप से हिन्दूओं की आबादी सर्वाधिक है जो कुल जनसंख्या के एक चौथाई से अधिक हैं। शेष बौद्ध धर्म इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म व अन्य धर्मों को मानने वालों का है। श्रीलंका में तमिलों के साथ सिंहली समुदाय बहुसंख्यक आबादी बनाता है। जो सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यक के रूप में द्वीप के उत्तर और पूर्व में केंद्रित है। श्रीलंका का संविधान श्रीलंका में एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है जो एक एकात्मक राज्य भी है। श्रीलंका की राजनीतिक प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली का मिश्रण है। श्रीलंका के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों और सरकार दोनों के प्रमुख होते हैं और लोकप्रिय रूप से 6 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। राष्ट्रपति श्रीलंका की संसद के प्रति उत्तरदायी होता है जो कि 225 सदस्यी विधायिका है। राष्ट्रपति संसद के निर्वाचित सदस्यों से बने मंत्रियों की एक कैबिनेट नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के उप–प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व करते हैं।

1931 से श्रीलंका ने सार्वभौमिक मताधिकार के साथ लोकतंत्र का आनंद लिया। 2004 में वर्ल्ड बैंक और एशियन विकास बैंक द्वारा श्रीलंका को दुनिया के राजनीतिक रूप से सबसे अस्थिर देशों में से एक माना गया था, परंतु नागरिक

संघर्ष के विराम के पश्चात श्रीलंका को स्थिर लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.2.7 मालदीव का राजनीतिक इतिहास

आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। 1968 के जनमत संग्रह ने मालदीव को एक गणराज बनाने वाले संविधान को मंजूरी प्रदान की। मालदीव की राजनीतिक व्यवस्था अध्यक्षीय गणराज्य के रूप में संचालित होती है। जहां राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रपति मजलिस (संसद) के गुप्त मतदान के द्वारा 5 वर्षों के लिए नामांकित किया जाता है। जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय जनमत संग्रह द्वारा की जाती है। मालदीव की मजलिस में 50 सदस्य होते हैं जो 5 वर्षों तक सेवा करते हैं। मालदीव के इतिहास में जुलाई 2005 में पहली बार राजनीतिक दलों को अनुमति प्रदान की गई। राजशाही से गणतंत्र की ओर बढ़ने के बावजूद, समकालीन राजनीतिक ढांचा सांमती अतीत को दिखाता है जिसमें सामाजिक ढांचे के शीर्ष पर कुछ परिवारों के बीच सत्ता बँटी हुई थी[2]।

30 वर्षों तक मोमून अब्दुल गय्यूम के शासन के बाद 2008 में नया संविधान बना तो उम्मीद जगी कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी परंतु 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी यहां लोकतंत्र अपनी जड़े नहीं जमा पाया है। और राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने आपातकाल लागू कर दिया। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता का लंबा इतिहास है। 1968 में इसे गणतंत्र घोषित किया गया । 1972 में अहमद जकी को प्रधानमंत्री चुना गया था। परंतु 1975 में तख्तापलट करके उन्हें पदच्युत कर दिया गया इसके उपरांत सत्ता मोमून अब्दुल गय्यूम को सत्ता मिली जिसमें 30 वर्षों तक शासन किया। 2008 में नया संविधान बना और पहली बार सीधे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। इन चुनावों में मोहम्मद नशीद की जीत हुई और गयूम सत्ता से बाहर हो गए। प्रोफेसर एस.डी. मुनि बताते हैं कि यहीं से सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। 2013 में चुनाव हुए

[2] Malhotra, Nitasha (2017), South Asia Political and Economic Region, The Association for Geographical Studies

तो पहले दौर में नशीद को ज्यादा वोट मिले परंतु न्यायालय ने उन्हें अवैध घोषित कर दिया। दूसरे दौर में अब्दुल्ला यामीन को जीत मिली जो आज भी राष्ट्रपति हैं।

3.3 दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद –

दक्षिण एशिया का इतिहास हजारों वर्षों का अनवरत इतिहास है। जिसमें मिली जुली संस्कृति के दर्शन होते हैं जो उस ऐतिहासिक प्रक्रिया से विकसित हुई जिसका मूल आधार अनेकता में एकता है। मोटे तौर पर दक्षिण एशियाई भू–भाग पर नेपाल, भूटान और मालदीव को छोड़कर एक लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन का बोलबाला रहा है। दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया का परिणाम था। राष्ट्रवाद का यह उभार दक्षिण एशिया में नये राज्यों की स्थापना का आधार बना।

दक्षिण एशिया में राष्ट्रवादी विचारधारा ने अपना बौद्धिक आधार पश्चिमी देशों से प्राप्त किया। जिसे उसने अपनी विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल परिवर्तित कर लिया। राष्ट्रवाद की उभरती इस मूल प्रवृत्ति का आधार साम्राज्यवाद व साम्राज्यवादी प्रतीकों और उसके शोषण के प्रति एक स्वाभाविक घृणा थी क्योंकि उन्होंने उनकी जमीन पर बलपूर्वक कब्जा किया था और बलपूर्वक ही उनकी समृद्धि का दोहन किया था। उनकी शासन प्रणाली को नष्ट किया था व उनकी जनता को गुलाम बना लिया था। इनके विरुद्ध इन राज्यों में राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति का उभार हुआ जो आगे चलकर एक रचनात्मक शक्ति बन गया। स्वतंत्रता, स्वाधीनता, आर्थिक न्याय, शोषण विहीन व्यवस्था और राष्ट्रीयता के मौलिक सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्र निर्माण को बल मिला।

दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद की प्रकृति रचनात्मक थी, इसने न केवल लोगों को संगठित किया अपितु उन्हें राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी किया। इस उपक्रम नेतृत्व प्रदान करने का कार्य भारत ने किया जिसने विश्व में एक विशालतम जन आंदोलन को जन्म दिया। यह आंदोलन न केवल उसे औपनिवेशिक नियंत्रण और शोषण से मुक्त कराने में सफल हुआ बल्कि उसने स्वतंत्र भारत के लिए एक सोचा समझा व्यवस्थित कार्यक्रम भी प्रदान किया। भारत के

उदाहरण ने अन्य उपनिवेशों को भी प्रेरणा प्रदान की। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन नें नेपाल, भूटान और मालदीव जैसे देशों में राजनीतिक चेतना जगायी।

बी. सी. उप्रेती ने अपने लेख 'नेशनलिज्म इन साउथ एशिया ट्रेंड्स एंड इंटरप्रिटेशन' (इंडियन जर्नल आफ पॉलीटिकल साइंस, Vol. XVII, No. 3 July & September, 2006) PP-535-544 में दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार दक्षिण एशियाई राष्ट्रवाद की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं जैसे कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, भाषा–सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, आक्रमक राष्ट्रवाद। इस प्रकार धर्म भाषा जातियता आदि दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद के तत्व रहे हैं।[3]

भारत में राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदार लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्षता का प्रतिनिधित्व करता है जिससे एकता की धारणा को बढ़ावा मिलता है। भारतीय राष्ट्रवाद को आकार प्रदान करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किया। इसके स्त्रोत ऐतिहासिक परंपराएं, राष्ट्रवादी आंदोलन, संविधान, लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएं, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्रता समानता आधुनिकीकरण और विकास रहे हैं। हालांकि भाषाई, जातीय और क्षेत्रीयता की उभरती संकुचित प्रवृत्तियों ने अनेक विकृतियां उत्पन्न की हैं।

1947 में मुसलमानों की एक पृथक पहचान के आधार पर पाकिस्तान भारत के विभाजन के साथ एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। इस प्रकार धार्मिक पहचान अथवा मजहब पाकिस्तानी राष्ट्रवाद का आधार बना। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरने के उपरांत बांग्लादेश ने एक उदार लोकतांत्रिक ढांचे का पालन किया और देश में पंथनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। परंतु शीघ्र ही बांग्लादेश का पंथनिरपेक्ष राष्ट्रवाद छिन्न–भिन्न हो गया। 1975 में राजनीति के सैनिक अधिग्रहण ने बांग्लादेश में राष्ट्रवाद के धार्मिक और कट्टरपंथी आधारों को बढ़ावा देना शुरू किया। हालांकि 1990 में बांग्लादेश पुनः लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के क्रम में आगे बढ़ा। बांग्लादेश की राजनीति में इस्लामी नारे और प्रतीक

[3] B.C. Upreti, Nationalism in South Asia (2006): Trends and Interpretations, Indian Journal of Political Science, Vol. XVII, No. 3 July & September, PP-535-544

विद्यमान है। इस प्रकार भाषा, पंथनिरपेक्षता बांग्लादेशी राष्ट्रवाद के मुख्य स्रोत रहे हैं। जिन्होंने उसके राष्ट्रवाद को अलग आकार और दिशा प्रदान की।

श्रीलंका में राष्ट्रवाद ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में अपनी जड़े जगाई। जिसका प्रतिनिधित्व पश्चिमी शिक्षित अभिजात्य वर्ग ने किया। श्रीलंका के लोकतांत्रिक शासन ने बहुसंख्यक सिंहली धार्मिक–सांस्कृतिक प्रतीकों को अपनाना शुरू कर दिया। जिसने श्रीलंका में धार्मिक–सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया जो मूलतः सिंहली राष्ट्रवाद था। इसने अन्य समुदायों विशेषकर तमिलों को अलग–थलग कर दिया गया जिसने अंततः तमिल अलगाववाद को जन्म दिया, जो श्रीलंकाई राष्ट्रवाद के लिए गंभीर चुनौती बन गया।

नेपाल औपनिवेशिक शासन और कब्जे से मुक्त रहा इसलिए राष्ट्रवाद को आकार देने में पारंपरिक प्रतीकों की भूमिका अधिक जटिल नहीं रही। नेपाल राज्य के संस्थापकों ने राज्य की धार्मिक पहचान को बढ़ावा दिया और हिंदू राष्ट्रवाद को जन्म दिया। हिंदू राष्ट्रवाद ने अपने राजतंत्र को वैधता प्रदान की।

भूटान में द्रुकपा संस्कृति और राजशाही की संस्था राष्ट्रवाद के मुख्य स्त्रोत रहे हैं। राजशाही द्रुकपा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। भूटान की राष्ट्रीय पहचान द्रुकपा संस्कृति से जुड़ी है। इस प्रकार भूटानी राष्ट्रीय पहचान राजशाही और द्रुकपा संस्कृति के साथ अंतर–सम्बद्ध है।

मालदीव मूलतः एक समरूप समाज है। मूगा द्वीपों के एक देश मालदीव की एक पृथक पहचान है। 1980 के दशक की छोटी मोटी गड़बड़ियों को छोड़कर मालदीव में स्थिरता और शांति कायम रही है।

इस प्रकार दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद ने अधिकांश मामलों में सकारात्मक धारणाओं का प्रदर्शन किया है और यह इस क्षेत्र में विविधता में एकता स्थापित करने में सफल रहा है, लेकिन इसके साथ ही उसने भाषाई जातीयता अलगाववादी पहचान को मजबूत करने में भी भूमिका निभाई है। कुल मिलाकर यह कहा जा

सकता है कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रवाद में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विशेषताएं हैं।

3.4 दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद –

दक्षिण एशिया विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जहां सभी जातियों और धर्मों के लोगों ने लंबे समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया है विभिन्न संस्कृतियों की इस परत ने दक्षिण एशिया को एक विशिष्ट पहचान दी है। दक्षिण एशिया 7 स्वतंत्र देशों भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव का समूह है। भूराजनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दक्षिण एशियाई राज्यों का समाज बहु–सांस्कृतिक, बहु–भाषाई, बहु–मजहबी, बहु–नृजातीय विशेषताओं को समेटे हुए है। इस प्रकार से विविधता सभी दक्षिण एशियाई राज्यों की मौलिक विशेषता है।

समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे पर दो दृष्टिकोण अपना प्रभुत्व रखते हैं। इसमें प्रथम है राष्ट्र–राज्य का विचार और दूसरा है राज्य–राष्ट्र का विचार। हम जानते हैं कि राष्ट्र–राज्य का विचार मूलतः वेस्टफेलिया की संधि (1648) का उत्पाद है। परंतु राज्य–राष्ट्र का विचार और विमर्श राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नवीन घटना और विमर्श है। राज्य–राष्ट्र का विमर्श मूलतः उपनिवेशवाद के अंत का परिणाम है जहां तक राष्ट्र–राज्य और राज्य–राष्ट्र के मध्य भिन्नता की बात है राष्ट्र–राज्य के विचार में राष्ट्र मुख्य एजेंसी है जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयताएं अपने लिए एक राज्य को स्थापित करने की मांग करती हैं वहीं दूसरी ओर राज्य राष्ट्र के विचार में राज्य मुख्य एजेंसी है जिसमें राज्य विभिन्न राष्ट्रीयताओं की मांगों को मान्यता प्रदान करता है।

तृतीय विश्व के नवीन निर्मित स्वतंत्र राज्य अभी तक राष्ट्र निर्माण की अनवरत प्रक्रिया में व्यस्त हैं।दक्षिण एशियाई राज्य बहुलवादी प्रकृति के हैं क्योंकि यह राज्य विभिन्न नृजातीय, सांस्कृतिक, भाषाई पहचानों में विभाजित हैं। एक प्रकार से दक्षिण एशियाई राज्यों के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है जहां तक दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र अंर्तद्वंद का प्रश्न है तो वर्तमान परिदृश्य में सभी दक्षिण

एशियाई राज्य राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद का सामना कर रहे हैं क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में सभी दक्षिण एशियाई देश समान भाषा, संस्कृति, इतिहास, पंथ को परस्पर साझा करते हैं परंतु एक राज्य के रूप में यह सभी अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं।

T. K. Oommen अपनी पुस्तक **State versus Nation in South Asia : Linking Languages and Governance, 2002** में दक्षिण एशिया में राज्य बनाम राष्ट्र के विमर्श पर बल दिया है। इनका मानना है कि सभी दक्षिण एशियाई राज्य बहु–सांस्कृतिक, बहु–भाषाई, बहु–नृजातीय, बहु–मजहबी विशेषताओं से परिपूर्ण हैं। ओमेन का मानना है कि दक्षिण एशिया में राज्य और राष्ट्र का विमर्श राष्ट्रीय एकीकरण योजना के तीन आयामों के आधार पर विचार करता है–

- प्रथम संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करना।
- द्वितीय राज्य के विभिन्न समुदायों के मध्य संबंध संपूर्णता लिए हुए होने चाहिए
- तृतीय इतिहास शिक्षा के द्वारा राजनीतिक समाजीकरण होना चाहिए[4]।

ओमेन का स्पष्ट मानना है कि सांस्कृतिक समरूपता (Cultural Homogeneity) और राज्य–राष्ट्र की पश्चिमी अवधारणा दक्षिण एशियाई राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि पश्चिमी समाजों की परिस्थितियों उनकी समस्याओं का दक्षिण एशियाई राज्यों के समाजों की समस्याओं और परिस्थितियों के मध्य किसी प्रकार का कोई तालमेल या समरूपता नहीं है। इसका कारण बताते हुए वह कहते हैं कि दक्षिण एशियाई राज्य सांस्कृतिक भाषाई विविधता से परिपूर्ण हैं और इस विविधता को समरूपता (Homogeneity) प्रदान करना एक लोकतंत्र विरोधी प्रक्रिया होगी[5]।

ओमेन ने अपने इस अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि दक्षिण एशियाई राज्यों में राष्ट्रीय पहचान को धार्मिक और अंतर धार्मिक (Religious and Inter-religious)

[4] Oommen. T.K (2002), State versus Nation in South Asia:Linking Language and Governance.
[5] Oommen, T.K (2002), State versus Nation in South Asia:Linking Language and Governance.

संघर्ष से बाहर निकालकर स्थापित करने का प्रयास चल रहा है।[6] **इश्तियाक अहमद** ने अपनी पुस्तक (State Nation and Ethincity in south Asia, 1996) में दक्षिण एशियाई राज्यों में राज्य राष्ट्र अंर्तद्वंद को नृजातीयता, संप्रदायिकता और अलगाववाद के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया है। अहमद बल देते हुए कहते हैं कि संपूर्ण दक्षिण एशियाई राज्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण नृजातीय समस्या का सामना कर रहे हैं। मुख्यतः श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान में यह समस्या व्यापकता लिए हुए है।[7]

अहमद का मानना है कि राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में नृजातीय और अलगाववादी समस्या सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो रही है। दक्षिण एशियाई राज्यों में 1980 के दशक से नृजातीय और सांप्रदायिक समस्या और अधिक सशक्त हुई है। अहमद नृजातीयता को व्यापक संदर्भ में परिभाषित करते हुए कहते हैं कि नृजातीयता मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है जो एक दूसरे के साझा पंथ, भाषा, संस्कृति, प्रतीकों एक दूसरे से जुड़ाव की भावना विमर्श की साझा संरचना के साथ जुड़ी होती है।

अपने इस अध्ययन में अहमद ने दक्षिण एशिया के बहु–सांस्कृतिक और उत्तर औपनिवेशिक राज्यों नृजातीय संघर्ष और अलगाववाद के सिद्धांतों के द्वारा वर्णित किया है। इस संदर्भ में वह कहते हैं कि दक्षिण एशिया के राज्यों का आधुनिक राज्यों के साथ कमजोर जुड़ाव है जहां एक और आधुनिक राज्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के चलते विकसित और मजबूत आर्थिक स्थिति में है वहीं दूसरी तरफ दक्षिण एशिया के राज्य नृजातीय संघर्ष संप्रदायिकता और अलगाववादी स्थिति के कारण कमजोर स्थिति में है। इस संदर्भ में वह राज्य–राष्ट्र योजना बनाम अलगाववादी योजना को रेखांकित कर रहे हैं। वह कहते हैं राज्य और समाज के मध्य सकारात्मक तालमेल समाज की सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने में सहायक होगा।

[6] Ahmed, Ishtiaq (1996), State, Nation and Ethnicity in South Asia. Pinter New York, 1996.
[7] Oommen, T.K (2002), State versus Nation in South Asia: linking Language and Governance.

3.5 दक्षिण एशिया में राज्य राष्ट्र अंर्तद्वंद के कारण –

अंतर्द्वंद प्रत्येक राज्य और समाज में गुप्त रूप से विद्यमान होते हैं। कुछ राज्यों में यह छिपे रहते हैं लेकिन कुछ में यह हिंसा और व्यापक अथवा गंभीर समस्याओं के रूप में प्रकट होते हैं। यह अंतर्द्वंद स्थानीय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सभी स्तरों पर हो सकते हैं। दक्षिण एशिया विभिन्न प्रकार के अंतर्द्वंदों का क्षेत्र रहा है। इन अंर्तद्वंदों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के अभिलक्षणों को समझा जाए क्योंकि इस क्षेत्र की संरचना अंतर्द्वंदों के लिए हालात मुहैया कराती है। दक्षिण एशिया का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हुआ है परंतु इसे आंतरिक और अंतर राज्य अंतर्द्वंदों ने गंभीरता से प्रभावित किया है। दक्षिण एशिया विश्व में सबसे अधिक नृजातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक भाषाई विविधता के साथ सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। संपूर्ण दक्षिण एशियाई राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अभाव नृजातीय हिंसा, क्षेत्रवाद लंबे समय तक सैनिक शासन, धार्मिक संघर्ष, संप्रदायिक हिंसा, पहचान और भागीदारी का संकट, अल्पसंख्यकों की समस्या, सुरक्षा की समस्या आदि दक्षिण एशिया में राज्य राष्ट्र अंतर्द्वंदों के प्रमुख कारणों में से एक हैं और यह सभी आंतरिक और अंतर राज्य अंतर्द्वंद दक्षिण एशिया में राज्य राष्ट्र को स्थापित करने में बाधक रहे हैं उनमें से प्रमुख हैं–

3.5.1 लोकतंत्र का क्षरण –

लोकतंत्र वैश्विक रूप से एक सर्वस्वीकृत शासन व्यवस्था है। विश्व के 193 देशों में से 121 देश आज लोकतांत्रिक हैं। यह वास्तविक रूप से एक प्रगतिशील प्रवृत्ति है। एक लोकतांत्रिक समाज को तीन आधारों पर समझा जा सकता है –

1. व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहे लोकतांत्रिक संस्थान।
2. सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार।
3. एक समृद्ध राजनीतिक समाज।

लोकतंत्र कोई संख्यात्मक अवधारणा नहीं है बल्कि एक विकसित अवधारणा है इसलिए एक समेकित लोकतंत्र के लिए 6 मौलिक सिद्धांत बताए जा सकते हैं राजनीतिक विकल्प, वफादार विपक्ष, स्वतंत्र प्रेस, विश्वसनीय नौकरशाही, निष्पक्ष न्यायपालिका और नागरिक समाज। रॉबर्ट डहल ने एक वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था के पांच आधार बताए हैं–

1. राजनीतिक समानता
2. समावेशन
3. बौद्धिक समझ
4. नीतियों और कार्यक्रमों पर नियंत्रण
5. प्रभावशाली सहभागिता

हुमा बाकी अपने लेख **"डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन साउथ एशिया"** में कहती हैं कि दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में समान राजनीतिक प्रणाली नहीं है परंतु स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांश दक्षिण एशियाई राज्यों ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। सभी दक्षिण एशियाई देशों का लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का अनुभव मिलाजुला रहा है। इस संदर्भ में आम धारणा यह है कि भारत में लोकतंत्र सफल रहा है और पाकिस्तान में विफल। दक्षिण एशिया में भारत और श्रीलंका औपनिवेशिक शासन के शिकार रहे हैं। जिस कारण इन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास की गंभीर समस्याओं का सामना किया है। उसके बावजूद भी यह दोनों देश लोकतांत्रिक बने हुए हैं। फिर भी दोनों राजनीतिक प्रणालियों को बार–बार उप राष्ट्रीय आंदोलनों, नृजातीय संघर्षों और समाज के सभी वर्गों के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ रहा है जो राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद को उत्पन्न करने में महती भूमिका का निर्वाह कर रहा है।[8]

दूसरी ओर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बार–बार सैन्य तख्तापलट का सामना किया है पाकिस्तान ने सरकार को वैध बनाने के लिए आम चुनाव आयोजित

[8] Huma Baqai (2005); Democratic Deficit in South Asia, Pakistan Horizon, Vol. 58, No. 4, pp. 43-52 Published by: Pakistan Institute of International Affairs, October 2005.

कराए, परंतु हमेशा की तरह निर्वाचित निकाय को भंग कर दिया गया हालांकि बांग्लादेश 1990 के बाद व्यवस्थित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित करने में सफल रहा है।

लोकतंत्र के साथ नेपाल का प्रयोग भी अनिश्चित रहा है। यह ऐतिहासिक रूप से राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली द्वारा संचालित होता था। परंतु 1990 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के दबाव में आकर इसमें लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। 2006 में यहां पुनः व्यापक स्तर पर लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि 2008 में नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया। परंतु आंतरिक संघर्षों के कारण नेपाल में वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष गंभीर समस्याएं हैं जो उसे राज्य–राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में मुख्य बाधा उत्पन्न करती हैं।

भूटान और मालदीव जैसे छोटे राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था वास्तविक रूप से स्थापित नहीं हो पाई है।

इस प्रकार दक्षिण एशिया में कमजोर और निष्प्रभावी लोकतंत्र नें एक प्रकार की अनिश्चितता को उत्पन्न किया है जो इस क्षेत्र में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद का एक मुख्य कारण है।

एस. डी. मुनि ने **"द न्यू डेमोक्रेटिक वेब एंड रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, 2009"** में दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के विकास पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। **एस. डी. मुनि** कहते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान हुआ है। सभी दक्षिण एशियाई देशों में अब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था है सभी दक्षिण एशियाई देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना है लेकिन लोकतंत्र के लिए यह संक्रमण अभी भी नाजुक और कमजोर दौर में है क्योंकि दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक विफलतायें भी आयी हैं जैसे पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट, आंतरिक और बाह्य संघर्ष आदि। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की नई लहर का सामना करने की चुनौती है।[9]

[9] S D Muni (2015) "Nepal's New Constitution: Towards Progress or Chaos?", Economic and Political Weekly, October 3, p. 19

3.5.2 नृजातीय संघर्ष –

सामान्यतः नृजातीयता को उन लोगों के समूह का एक संगठन माना जाता है जो संस्कृति, भाषा, धर्म, इतिहास के लिहाज से सर्वमान्य गुण रखते हैं और ऐसे किसी अन्य समूह से भिन्न होते हैं जो अपने अलग सर्वमान्य गुण रखते हैं। उदाहरण के लिए भाषा, धर्म, जाति अथवा जनजाति के आधार पर लामबंदी को नृजातीय लामबंदी माना जाता है। दीपांकर गुप्ता कहते हैं कि एक नृजातीय समूह स्वयं को किसी राष्ट्र के राज्य क्षेत्र में आस्था का सच्चा अनुयाई होने की घोषणा करता है। नृजातीयता के संदर्भ में दो शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है प्रथम नृजातीय आईलैंड और दूसरा–नृजातीय एंक्लेव। नृजातीय आईलैंड का अर्थ है कि एक विशाल जनसंख्या के बड़े समूह का निवास। उदाहरण के लिए जर्मन जो साउथ सेंट्रल टैक्सास में रहते हैं अर्थात अमेरिका के एक राज्य टेक्सास में जर्मन लोगों का समूह निवास कर रहा है, और नृजातीय एंक्लेव का अर्थ है लोगों का एक समूह किसी राज्य क्षेत्र के नगर में निवास करता हो।

जहां तक दक्षिण एशिया का संदर्भ है तो देश बहु–सांस्कृतिक और बहु–राष्ट्रीय है। यह देश एक से अधिक समाजों और समुदायों अथवा संस्कृतियों से मिलकर बने हैं। दक्षिण एशिया में राजनीतिक प्रणालियां सामान्य तौर पर बहुसंख्यक वर्ग के पक्ष में झुकी हुई हैं तथा एक समूह का अन्य समूहों पर संख्यात्मक बाहुल्य है जैसे पाकिस्तान में यह पंजाबी हैं, भूटान में भूटानी बांग्लादेश में बंगाली भाषी मुसलमान और श्रीलंका में सिंहली हैं। यह स्थिति दक्षिण एशिया में नृजातीय समूहों के बीच असुरक्षा का भाव उत्पन्न करती है। विभिन्न नृजातीय समूहों के मध्य संघर्ष नें राष्ट्रीय एकीकरण तथा राज्य–राष्ट्र निर्माण में व्यापक समस्याएं उत्पन्न की हैं। दक्षिण एशियाई राज्यों ने राज्य समर्थित प्रक्रिया के माध्यम से नृजातीय संघर्षों पर नियंत्रण लगाने के प्रयास किए हैं जिसे हम दक्षिण एशिया में राज्य राष्ट्र निर्माण कहते हैं। इन नृजातीय संघर्षों ने दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र अंर्तद्वंद को जन्म दिया है और उसका आधार है–

1. स्वयतता आंदोलन

2. पृथक राष्ट्र की मांग

3. विद्रोह

4. पहचान प्रतीकों जैसे जनजाति भाषा धर्म आदि के आधार पर संघर्ष

भारतीय संदर्भ में नृजातीयता के आविर्भाव के अनेक उदाहरण हैं जैसे उत्तर पूर्वी भारत में 1960 के दशक में असम के खासी, जैंतिया, गारो जनजातियों में एक स्वायत्त राज्य के लिए आंदोलन देखा गया, जो 1972 में एक पृथक मेघालय राज्य के निर्माण में परिणित हुआ। दक्षिण भारत में द्रविडियन आंदोलन ने पृथक राज्य की मांग प्रारंभ की हालांकि हमें ज्ञात है कि यह मांग नागालैंड तथा जम्मू–कश्मीर की भांति जनसमर्थन जुटाने में सफल न हो सकी। पंजाब में नृजातीयता मुख्यतः स्वयत्तता आंदोलन के रूप में उभरी जिसका आधार क्षेत्रीय, धार्मिक तथा आर्थिक था। जम्मू कश्मीर में स्वयत्तता आंदोलन भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक कार्यों से जुड़ा है हालांकि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 तथा 35A को समाप्त कर अलगाववाद की मांग को खारिज दिया। नृजातीय आंदोलन मुख्य रूप से संप्रभुता और राज्य राष्ट्र की संकल्पना पर संदेह करते हैं।

कुल मिलाकर नृजातीयता उन चुनौतियों में से एक है जो दक्षिण एशियाई देशों के सम्मुख है। नृजातीय संघर्ष दक्षिण एशिया के देशों में राज्य राष्ट्र निर्माण के मॉडल की सत्यता पर संदेह करते हैं। इनमें शामिल है भारत में नागा व मिजो, तमिलनाडु में द्रविडियन आंदोलन, जम्मू–कश्मीर और पंजाब, बांग्लादेश में चकमा विद्रोही, श्रीलंका में सिंहली तमिल। दक्षिण एशिया में नृजातीय संघर्षों की इस स्थिति ने राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद को जन्म दिया तथा दक्षिण एशिया के देशों को राज्य राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में एक बाधक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

3.5.3 सांप्रदायिक संघर्ष

दक्षिण एशिया में भारत अपनी जनसंख्या आकार के नजरिए से सबसे बड़ा देश है। इसके अतिरिक्त इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी अपनी पहचान को किसी एक विशेष

धर्म से नहीं जोड़ा। वहीं अन्य दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो बौद्ध धर्म श्रीलंका और भूटान का राष्ट्रीय धर्म है। पाकिस्तान ने स्वयं को इस्लामी गणतंत्र के रूप में घोषित किया है। सुन्नी इस्लाम मालदीव का अधिकारिक धर्म है। बांग्लादेश जिसका जन्म 1971 में एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के रूप में हुआ था परंतु 1980 के दशक में जब जनरल इरशाद राष्ट्रपति थे तब संवैधानिक संशोधन करके इस्लाम को प्राथमिकता दी गई। भूटान जिसे एक शांत राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है परंतु 1990 के दशक में भूटान ने अपनी बौद्ध पहचान मजबूत करने के लिए वहां सदियों से बसे हिंदू परिवारों को नेपाल में ढकेल दिया। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के दौरान नेपाल स्वयं एक हिंदू राष्ट्र था लेकिन 2008 में राजशाही की समाप्ति के पश्चात नेपाल की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में पहचान होने लगी। जहां तक दक्षिण एशिया में सांप्रदायिक संघर्ष अथवा हिंसा की बात है तो इनमें नेपाल की स्थिति सबसे बेहतर है यद्यपि वहां मुसलमानों पर हिंसक हमले हुए हैं परंतु वहां प्रमुख विवाद आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक रहे हैं, धार्मिक नहीं। दक्षिण एशियाई देशों में तेजी से उभरती धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिक संघर्ष का खतरा मंडराने लगा है। इन देशों में धार्मिक अथवा सांप्रदायिक संघर्ष राज्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा बनकर उभरे हैं। इस स्थिति में दक्षिण एशिया में राज्य राष्ट्र निर्माण को प्रक्रियाके लिए गंभीर संकट उत्पन्न किया है।

नेपाल में लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद राजशाही का अंत किया और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया परंतु देश के कई बड़े राजनीतिक दल नेपाल को पुनः हिंदू राज्य में बदलने की मांग और कोशिश कर रहे हैं इस कारण से नेपाल की संविधान सभा लोकतंत्र बनाम धार्मिक राज्य की प्रश्न पर गतिरोध का शिकार रही है।

श्रीलंका जहां अहिंसा में विश्वास करने वाले कई भिक्षुओं ने मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन चला रखा है जिसमें मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और उनकी बस्तियों पर निरंतर हमले किए जाते हैं।

बांग्लादेश की स्थिति भी कमोबेश समान ही है जहां मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन तेजी से बढ़ रहे हैं जो धर्म के नाम पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हजारों की संख्या में हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण ले रहे हैं। पाकिस्तान में देश को सबसे बड़ा खतरा धार्मिक कट्टरपंथियों से है।

सम्पूर्ण दक्षिण एशिया में संप्रदायिक अथवा धार्मिक संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर हैं। धार्मिक कट्टरपंथी राज्य–राष्ट्र की संकल्पना में विश्वास नहीं करते।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि संप्रदाय संघर्ष दक्षिण एशिया में राज्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा है, इसके लिए आवश्यक है कि धार्मिक संगठनों को शक्ति के साथ पराजित किया जाए और राज्य को धर्म से पृथक रखा जाए।

3.5.4 सुरक्षा दुविधा –

भौगोलिक रूप से दक्षिण एशिया पर्वतों की महान श्रंखला उत्तर में हिमालय, कराकोरम, हिंदू कुश दक्षिण पूर्व और पश्चिम में हिंद महासागर से घिरी हुई एक प्राकृतिक रणनीतिक इकाई है। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र के लोग जाति, संस्कृ ति, धर्म और राजनीतिक निष्ठा द्वारा निकटता से जुड़े रहे हैं।

दक्षिण एशिया में राजनीतिक सीमाएं स्थिर नहीं है इस क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता के विभिन्न केंद्र रहे हैं। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में ब्रिटिशों ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर ही अधिकार नहीं किया अपितु उन क्षेत्रों पर भी अधिकार किया जो आजकल पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के अंग हैं। दक्षिण एशिया में यही वह समय था जब जातीय, भाषाई समुदायों पर राजनीतिक सीमाएं खींची गई। एक प्रकार से इस क्षेत्र के 7 देशों की क्षेत्रीय सीमाएं औपनिवेशिक शासन द्वारा निर्धारित की गई सीमाएं हैं।

टी.के. ओमेन ने अपनी पुस्तक **"सुरक्षा एक नया दृष्टिकोण"** में दक्षिण एशिया में सुरक्षा की धारणा का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ओमेन के अनुसार दक्षिण

एशिया में सुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण करें तो हमें 7 तरह के सामाजिक आंदोलन दिखाई देते हैं। जो दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद को उत्पन्न कर रहे हैं तथा राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यह सात आंदोलन है–

- अलगाववादी आंदोलन।
- स्वायत्तता की मांग करने वाले आंदोलन।
- राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों के विकेंद्रीकरण के लिए आंदोलन।
- भूमि पुत्रों के अधिकारों के लिए लामबंदी।
- सामाजिक विसंगतियों से पार पाने के लिए लामबंदी।
- उभरते राजनीतिक गठजोड़ के विरुद्ध लामबंदी[10]।

ओमेन द्वारा बताए गए आंदोलन राज्य–राष्ट्र प्रक्रिया को व्यापक तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा का विमर्श भारत–पाकिस्तान पर केंद्रित है और इसका मुख्य कारण दोनों राष्ट्रों में परमाणु हथियारों की उपस्थिति है। इस स्थिति ने दक्षिण एशिया में अंतरराष्ट्रीय हितों को उत्पन्न किया है। मार्च, 2000 में दक्षिण एशिया की अपनी यात्रा के दौरान 'बिल क्लिंटन' ने कश्मीर को पृथ्वी पर सबसे खतरनाक स्थान घोषित किया था परंतु क्लिंटन का यह मूल्यांकन कश्मीर में नागरिकों द्वारा दिन–प्रतिदिन के सुरक्षा खतरों के मूल्यांकन पर आधारित नहीं था बल्कि परमाणु युद्ध के कारण पर आधारित था। भारत और पाकिस्तान के अलावा अन्य दक्षिण एशियाई देशों में भी सुरक्षा की समस्या बहुत व्यापक है। श्रीलंका में तमिल, नेपाल में माओवादी, बांग्लादेश में चकमा विद्रोही, इन राज्यों में सुरक्षा अंतर्द्वंद को उत्पन्न कर रहे हैं।

उक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि दक्षिण एशियाई देशों के दो पहलू हैं। पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। दक्षिण एशियाई देशों के सकारात्मक पहलू की बात करें तो इस क्षेत्र का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक

[10] Oommen, T.K. (2005). Understanding security: A new perspective. Palgrave macmillan. ISBN 978-1403929426.

विकास हुआ है। विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपनाया जाना एक सकारात्मक पहलू है। पंरतु दूसरी तरफ नृजातीय संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष, निर्वाचित सरकारों का सैनिक शासन द्वारा तख्तापलट, राज्य और अंतर राज्य संघर्ष, सुरक्षा का अंतर्द्वंद, अलगाववाद व क्षेत्रवाद आदि उसके नकारात्मक पहलू को उजागर करते हैं। यह सभी दक्षिण एशिया के देशों में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद को जन्म दे रहे हैं। जिससे इस क्षेत्र में राज्य–राष्ट्र की प्रक्रिया के समक्ष गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर हमें दक्षिण एशिया के देशों को राज्य–राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है तो इन नकारात्मक तत्वों को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक स्थायित्व, सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना, धार्मिक संघर्षों और पृथकतावादी आंदोलनों को समाप्त करने का गंभीर प्रयास करना होगा।

चतुर्थ अध्याय
नेपाल राज्य के लोकतान्त्रिक विकास की रूपरेखा

चतुर्थ अध्याय
नेपाल राज्य के लोकतान्त्रिक विकास की रूपरेखा

4.1 प्रस्तावना

नेपाल में लंबे समय की राजशाही के काल में नेपाली राज्य सम्पूर्ण विश्व से लगभग पृथक रहा। इस प्रक्रिया में राणा शासको की भूमिका नकारात्मक रही उन्होने नेपाली आमजन को शिक्षा से जानबूझकर प्रथक रखा, जिससे नेपाली आमजन को लोकतान्त्रिक और नागरिक अधिकारों की समझ न रहे। नेपाल में राजशाही की निरंकुशता एवं दमन से त्रस्त होकर बड़ी संख्या में नेपाली हिंदुस्तान में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसका परिणाम यह हुआ कि यह हिंदुस्तान में शिक्षा प्राप्त करने के साथ–साथ वे पाश्चात्य राजनैतिक विचारकों के संपर्क में आए। इसके साथ–साथ हिंदुस्तान में रहने वाले बड़ी संख्या में नेपाली लोगो ने भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। और बड़ी संख्या मे नेपाली लोग भारतीय साम्यवादी दल के संपर्क मे आकर उसमे शामिल हुए। राणा शासकों की दमनकारी नीतियों के चलते उन्होने नेपाल मे सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संगठनो पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके फलस्वरूप भारत मे रह रहे नेपाली लोगो द्वारा कुछ राजनीतिक दलों का निर्माण किया गया इनमे से कुछ प्रमुख हैं जो 1947 मे बी. पी कोइराला के नेतृत्व में कुछ छात्रों के सहयोग से नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 1940 के दशक के उत्तरार्ध में नेपाली प्रजातंत्री दल एवं नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे नेपाली लोगो के अंदर राजनीतिक समझ का विकास हो चुका था जिसके चलते वे नेपाल में अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सशक्त आवाज उठा रहे थे। इसके दूसरी तरफ जो मुख्य घटना चल रही थी वह यह कि राणा शासन की दमनकारी नीतियों से क्षुब्ध होकर राजा त्रिभुवन भी राणा शासन के विरुद्ध बढ़ते जन असंतोष को समर्थन दे

रहे थे जिसके परिणाम स्वरूप 1950 मे एक व्यापक जन असंतोष उभरकर सामने आया जिसको मौलिक रूप से 1950 का जन आंदोलन कहा गया है।

4.2 लोकतन्त्रः एक परिचय

लोकतन्त्र एक लैटिन शब्द है जो दो शब्दों डेमो(लोग) तथा क्रेशिया (शासन) से बना है। इस दृष्टि से लोकतन्त्र को लोगो या जनता का शासन कहा जाता है। जबकि इसके ठीक विपरीत लोकतान्त्रिक प्रथाओं के अभाव में किसी भी शासन को निरंकुश शासन की संज्ञा दी जाती है। लोंगमैन शब्दकोश में लोकतन्त्र को सरकार की एक प्रणाली के रूप परिभाषित किया गया है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति अपने सदस्यों का चुनाव करने के लिए मतदान कर सकता है। लोकतान्त्रिक राज्य में एक सरकार होती है जिसे उस देश के लोगो द्वारा चुना जाता है। इस अर्थ में लोकतन्त्र वह प्रणाली या स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समान है और उसे मत देने, निर्णय लेने आदि का अधिकार है। एक प्रकार से लोकतन्त्र कानून और व्यवस्था का नियम है जिसके तीन मौलिक स्तम्भ है स्वतन्त्रता, समानता, और बंधुत्व ।

अदित्य अधिकारी ने अपनी पुस्तक द बुलेट एंड बैलेट बॉक्सरू द स्टोरी आफ नेपाल माओस्टि रेवोल्यूसन (2014) में लोकतन्त्र को शरीर और आत्मा के संदर्भ में परिभाषित करते हुए कहते है "शरीर और आत्मा के रूप में एक व्यक्ति का कल्याण भी लोकतन्त्र है। विभिन्न राजवंशों ने प्राचीन काल से आधुनिक युग तक नेपाल पर शासन किया। इन राजवंशो में प्रमुख है गोपालवंस, महीशपाल, किरात, लिच्छवि, और मल्ल ने 18वीं शताब्दी तक नेपाल पर शासन किया। इसके पश्चात शाह वंश (1769–1847) और राणाओं ने (1847–1951) तक नेपाल पर शासन किया। फिर एक दशक 1951 से 1960 तक नेपाल में बहुदलीय व्यवस्था चली और दलविहीन पंचायत ने अगले तीन दशकों 1991 तक नेपाल पर शासन किया। इन विभिन्न शासनों में राणा शासन(1847–1951) को नेपाल के इतिहास में निरंकुश, अत्याचारी, पारिवारिक शासन की संज्ञा दी गई है। नेपाल के राजनीतिक इतिहास

में ये सत्तारूढ़ प्रणाली नेपाल के राजनीतिक और लोकतान्त्रिक विकास का गठन करती है।[1]

4.3 लोकतन्त्र के विभिन्न सिद्धान्त

कुछ देशों को छोड़कर दुनिया के अधिकांश देश आज लोकतान्त्रिक सरकार के रूप को अपनाते है। लोकतन्त्र केवल एक सरकार का रूप नही है यह एक आदर्श है और दुनिया का हर देश इस लोकतान्त्रिक आदर्श के लक्ष्य को पाना चाहता है। लोकतन्त्र मूलतः दो ग्रीक शब्दों डेमोस (लोग) और क्रेटोस(शासन द्वारा) अर्थात लोकतन्त्र का अर्थ हुआ 'लोगो द्वारा शासन'। जब शासन किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उस शासन व्यवस्था को राजतंत्र कहते है, जब शासन कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है तो उस शासन व्यवस्था को कुलीनतंत्र कहते है परंतु लोकतन्त्र इन दोनों शासन व्यवस्थाओं से भिन्न है क्योंकि इस व्यवस्था मे शासन लोगों का द्वारा चलाया जाता है। जहां तक लोकतन्त्र की शुरुआत का प्रश्न है तो इसकी शुरुआत एथेंस से होती है। 462 बी.सी से 322 बी.सी के बीच एथेंस पूर्ण रूप से लोकतान्त्रिक था। इस काल में एथेंस में लोकतन्त्र पूर्णतया परिपक्व अवस्था में था और आधुनिक लोकतन्त्र की जड़ें एथेंस की इसी लोकतान्त्रिक स्वरूप से जुड़ी हुई है। एथेंस का लोकतन्त्र ही वह मॉडल या प्रारूप है जिसे आधार बनाकर आधुनिक लोकतन्त्र का विकास हुआ, परंतु आधुनिक लोकतन्त्र और एथेंस के लोकतन्त्र में एक महत्वपूर्ण भिन्नता है। एथेंस में जहां प्रत्यक्ष लोकतन्त्र प्रचलित था जिसमे जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती थी परंतु आधुनिक लोकतन्त्र प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र है जिसमे जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रणाली में भाग लेती है। परंतु इन दोनों प्रकार के लोकतंत्रों के मूल अथवा आदर्श समान है और वह यह कि शासन शक्ति जनता के हाथों में होनी चाहिए।

लोकतन्त्र के मुख्य रूप से तीन चरण है। प्रथम चरण, प्रक्रियात्मक लोकतन्त्र का है, इसमे हम इस बात पर ध्यान केन्द्रित करते है कि लोकतन्त्र का संचालन

[1] अधिकारी अदित्य, (2014), द बुलेट एंड बैलेट बॉक्सरू द स्टोरी आफ नेपाल माओस्टि रेवोल्यूसन रूपा पब्लिकेसन, इंडिया

कैसे होता है? उसके संचालन के नियम, कानून और कायदे क्या है? चुनाव कैसे होंगे? उम्मीदवारों का मनोनयन कैसे होगा? दल कैसे पंजीकृत होंगे? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? चुनावों मे कितनी राशि व्यय होगी? इस प्रकार प्रक्रियात्मक लोकतन्त्र में हम सिर्फ प्रक्रियाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करते है। इसलिए प्रक्रियात्मक लोकतन्त्र को लोकतन्त्र का पहला पायदान कह सकते है।

लोकतंत्र का दूसरा चरण, विमर्शमूलक लोकतन्त्र होता है। विमर्शमूलक लोकतन्त्र इस बात पर ध्यान केद्रित करता है कि चुनावों के पश्चात निर्मित सरकार का कार्य क्या होगा? सरकार को कैसे निर्णय लेना चाहिए? न्यायपालिका को कैसे निर्णय देना चाहिए? विमर्शमूलक लोकतन्त्र में जनता संसद और सरकार को प्रभावित करके बताती है कि उन्हे कैसे निर्णय लेने चाहिए। इस तरह विमर्शमूलक लोकतन्त्र लोकतन्त्र का दूसरा पायदान है जहां जनता वोट देकर घर नही बैठ जाती बल्कि वह सरकार और उसके निर्णयों को लेने में अपनी प्रभावशीलता रखती है।

लोकतन्त्र का तीसरा पायदान सहभागीमूलक लोकतन्त्र है जो इस बात पर ध्यान केन्द्रित करता है कि सरकार, न्यायपालिका, द्वारा जो निर्णय जनता के प्रभाव से लिए गए है उन्हे जमीनी स्तर पर सही ढंग से अमलीजामा पहनाया जाए।

4.4 नेपाल में लोकतन्त्र का विकासः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट और हरी–भरी घाटियों वाला नेपाल अपने लगभग दो शताब्दियों के इतिहास में कभी लंबे समय तक शांत नहीं रहा। उसकी वर्तमान सीमाओं का निर्धारण उसके और अंग्रेजों के बीच 1814 से 1816 तक चले युद्ध के बाद हुई संधि का परिणाम है। उसके बाद 1846 से वहां राणाओं के वंशवाद ने नेपाल को लंबे समय तक बाहरी दुनिया से अलग–थलग रखा।

1923 में ब्रिटेन से हुई संधि के फलस्वरूप उसे संप्रभुता मिल तो गई पर भारत की आजादी के प्रभाव में नेपाल में भी लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू हो गए। नेपाल की कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन को तीव्र किया और 1951 में राणाओं की

सत्ता समाप्त हो गई। राजा त्रिभुवन वीरबिक्रम को संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में 1959 एक महत्वपूर्ण साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल नेपाल ने अपना लोकतांत्रिक संविधान बनाया और संसदीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, पर अगले ही साल राजा महेंद्र ने सरकार पर भ्रष्टाचार और अकुशलता का आरोप लगाकर संसद भंग कर दी। 1962 में उन्होंने बुनियादी लोकतंत्र के नाम पर किसी भी पार्टी के सहयोग के बिना ही राष्ट्र पंचायत का गठन किया। राजा ने स्वयं ही एक मंत्रिमंडल चुना। 1972 मेंराजा महेंद्र की मृत्यु के बाद राजा बीरेंद्र को गद्दी मिली। 1980 के दशक में संवैधानिक सुधार की मांग फिर जोर पकड़ने लगी। राजा नैशनल असेंबली के लिए सीधे चुनाव पर सहमत तो हुए मगर राजनीतिक दलों के गठन की इजाजत नहीं दी। बहुदलीय पद्धति अपनाने की मांग पर 1985 में नेपाली कांग्रेस पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। इसी क्रम में उसने अगले ही साल होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया। कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जोर पकड़ने लगा और 1990 तक सड़कों पर प्रदर्शनों, सभाओं, हड़तालों के दबाव में आखिरकार राजा बीरेंद्र ने पंचायत पद्धति खत्म कर राजनीतिक पार्टियों को वैधता देने वाले नए संविधान पर अपनी संस्तुति दे दी[2]।

नई संवैधानिक व्यवस्था के तहत संपन्न हुए 1991 के पहले लोकतांत्रिक चुनावों में नेपाली कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बने, पर तीन साल बाद ही 1994 में कोइराला सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होगया। नए चुनावों में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ मगर इस सरकार को अगले ही साल भंग कर दिया गया। उधर, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने राजशाही के खात्मे के लिए नेपाल के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह शुरूकर दिया।

नेपाली कांग्रेस पार्टी समेत नेपाल की दूसरी पार्टियां एक के बाद एक भीतरी कलह का शिकार होने लगीं। 1999 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और

[2] Lawoti M (2005)Towards a Democratic Nepal: Inclusive Political institutions for a multicultural society- New Delhi: Sage Publications- 138

कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमंत्री बने। पर अगले ही साल पार्टी में विद्रोह के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा और गिरिजा प्रसाद कोइराला चौथी बार प्रधानमंत्री बनाए गए। 1 जून 2001 नेपाल के इतिहास का सबसे त्रासदपूर्ण दिन साबित हुआ, जब राजकुमार दीपेंद्र ने राजा बीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या समेत राजपरिवार के कई सदस्यों की हत्याकर खुद को भी गोली मार ली। बीरेंद्र की मौत के बाद नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोधी उनके भाई राजकुमार ज्ञानेंद्र राजा बने। उनके राजा बनने के बाद से ही अचानक नेपाल के माओ विद्रोहियों की गतिविधियां तेज हो गईं। वे नेपाल के कई हिस्सों पर अपना कब्जा करने में कामयाब हुए[3]।

माओवादियों की हिंसक गतिविधियों को रोकने में नाकामयाब कोइराला ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और 11 साल में 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शेर बहादुर देउबा ने सत्ता संभाली। उन्होंने माओ विद्रोहियों से शांति वार्ता शुरू की जो चार महीने में ही असफल हो गई। शाही सेना और माओ विद्रोहियों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए राजा ज्ञानेंद्र ने आपातकाल की घोषणा कर दी। देउबा माओवादियों से लड़ने के लिए मदद मांगने ब्रिटेन और दूसरे देशों की यात्रा पर गए। अमेरिका ने उन्हें दो करोड़ डॉलर की सहायता देने का वादा किया।

मई 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने संसद भंग कर आपातकाल लगा दिया। कांग्रेस पार्टी ने देउबा को पार्टी से बाहर कर दिया। देउबा अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने लगे। अक्टूबर 2002 में उनके माओ विद्रोहियों की हिंसा के बीच चुनाव को एक साल स्थगित करने की बात पर राजा ज्ञानेंद्र ने उन्हें पदच्युत कर लोकेंद्र बहादुर चंद्र को सरकार का नया प्रमुख बनाया। कुछ महीनों बाद उन्हें हटाकर सूर्य बहादुर थापा को उनका स्थान दे दिया गया।

जनवरी 2003 में माओ विद्रोहियों और सरकार द्वारा घोषित युद्ध विराम कुछ ही महीनों में खत्म हो गया, जिसके बाद पूरा नेपाल हत्याओं, आंदोलनों, प्रदर्शनों

[3] Lawoti M (2005)Towards a Democratic Nepal: Inclusive Political institutions for a multicultural society- New Delhi: Sage Publications- 138

की आग में झुलसने लगा। इस स्थिति को नियंत्रित कर पाने में असफल सूर्य बहादुर थापा ने इस्तीफा दिया। राजा ज्ञानेंद्र ने एक बार फिर शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया पर वे भी माओवादियों की हिंसा के बीच बद से बदतर होती जा रही राजनैतिक स्थिति को संभाल नहीं पाए। 1 फरवरी 2005 को राजा ज्ञानेंद्र ने देउबा को बर्खास्तकर सारी कार्यकारी शक्तियां अपने हाथों में ले लीं। नेपाल में मीडिया और संचार साधनों पर राजा का कब्जा हो गया।

4.4.1 सन 1950 का नागरिक–आंदोलन

नेपाल की राजनीतिक उठापटक के चलते नेपाल मे राणा शासन का उदभव हुआ लेकिन राणा शासकों के शासन संचालन के निरंकुश, क्रूर और बर्बर तरीकों के कारण आम जन में उनके खिलाफ विरोध के स्वर बढ्ने शुरू हो गए एक प्रकार से राणा शासकों के सहयोग से ही नेपाली राज्य मे रहने वाले जनमानस में चेतना उत्पन्न हुई। जनमानस मे इस चेतना का सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि राणा शासकों की निरंकुश नीतियो और शासन के विरुद्ध अंदर और बाहर विरोध कार्यक्रम आयोजित होने लगे। आम जनमानस में राणा शासन की बर्बर शासन प्रणाली और कार्यप्रणाली के प्रति भारी असंतोष उत्पन्न हो रहा था। इस नागरिक आंदोलन में राजनीतिक आयाम के साथ साथ सामाजिक आयाम पर भी मुख्य जोर दिया जा रहा था और इसी का परिणाम था कि आर्य समाज की स्थापना कर इस आंदोलन की सामाजिक प्रष्ठभूमि को तैयार किया गया। इसके अलावा इस नागरिक आंदोलन में साहित्य की भूमिका भी अत्यंत प्रभावी बनकर उभरी, साहित्य के माध्यम से आम जनमानस में जाग्रति फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। राणा शासन की निरंकुशता के खिलाफ नेपाल में साहित्यकारों ने साहित्य स्रजन का कार्य आरंभ किया जो नागरिक आंदोलन को नई दिशा प्रदान करने के साथ साथ राणा शासन के विरोध का एक प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा और इसका सबसे सकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि राणाशाही के खिलाफ विरोध की लहर आम जनमानस तक सुगम रूप से पहुँचने मे सफल हो सकी। इस प्रकार से हम देखते है कि इस नागरिक आंदोलन कि सामाजिक प्रष्ठभूमि तैयार हुई। इसी का सकारात्मक परिणाम

था कि नेपाली सैनिकों मे नई जाग्रति उत्पन्न हुई जिससे वह नई ऊर्जा के साथ राणा शासन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार हुए।

इस नागरिक आंदोलन के माध्यम से आम–जन को राणा शासन के निरंकुश कार्यप्रणाली के खिलाफ एकीकृत करने का प्रयास किया गया। और इसके लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई जिसमे से प्रमुख है प्रचंड गोरखा संस्था जिसकी स्थापना 1931 में तथा प्रजा परिषद संस्था जिसकी स्थापना 1936 में की गई। इसके सक्रिय सदस्यों मे टंक प्रसाद, दशरथ चंद्र आदि थे। राणा शासन द्वारा इनके सदस्यों को गंभीर यतनाए देकर इस नागरिक आंदोलन को कुचलने का असफल प्रयास किया। इसके सदस्यों ने राजा त्रिभुवन के साथ मिलकर राणा शासन के खिलाफ विरोध आंदोलन की योजना बनाई परंतु मोहन शमशेर राणा को इसकी सूचना मिल जाने के फलस्वरूप शुक्रराज, शास्त्री और धर्मभक्त को फांसी दे दी गई और गंगालाल तथा दशरथ चंद्रकी गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा इसके अन्य सदस्य भी वीरगति को प्राप्त हुए। नेपाल के बाहर भी राणा शासन के खिलाफ आंदोलन के लिए कई संस्थाएं स्थापित हुई जिसमे भारत में स्थापित नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख है।

नागरिक आंदोलन के परिणामस्वरूप उपजी परिस्थितियों के कारण शमशेर राणा द्वारा 1947 में कानूनी सुधार हेतु प्रथम संविधान की रचना की गई। इसके अलावा काठमांडू में प्रजा पंचायत और कलकत्ता में नेपाल प्रजातांत्रिक कांग्रेस की स्थापना की गई। परंतु इसके बाद भी राणा शासन के खिलाफ एक समूहिक आंदोलन की कमी रही जिसे 1949 में नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस और नेपाली प्रजातांत्रिक कांग्रेस मिलकर नेपाली कांग्रेस की स्थापना की। इसी कड़ी में कलकत्ता में 1949 में नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई।

4.4.2 जन–आंदोलन

राणा शासन को सत्ता से बेदखल करने हेतु अक्टूबर 1949 में राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन की शुरुआत हो गई। इस नागरिक आंदोलन को बिना बाधा के

संचालन के लिए अनेक संगठनो का गठन किया गया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन आंदोलन को सशस्त्र बनाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के कारण नाजुक स्थिति को भांपते हुए प्रधानमंत्री मोहन शमशेर राणा ने राजा त्रिभुवन पर पद छोड़ने के लिए दबाव डाला, परंतु राजा त्रिभुवन ने भारतीय दूतावास में जाकर शरण ली। जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रधानमंत्री शमशेर राणा ने राजा त्रिभुवन के 3 वर्षीय पुत्र पौत्र को राजा घोषित करके शाही परिवार के अन्य सदस्यों पर प्रतिबंध आरोपित करने की योजना बनाई। परंतु राजा त्रिभुवन ने नेपाल में संवैधानिक राजशाही की घोषणा कर दी और राजा त्रिभुवन की इस घोषणा को क्रियान्वित करने की पुष्टि की। तथा नेपाली कांग्रेस अपनी लिबरेसन आर्मी दल के साथ राणा शासन के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए नेपाल सीमा पर आकार खड़ी हो गई।

इस उत्त्पन्न गंभीर स्थिति का समाधान निकालने हेतु मोहन शमशेर राणा ने राजा त्रिभुवन को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से मनाने का प्रयास किया परंतु असफल रहे। इसका परिणाम यह रहा कि 7 नवंबर 1950 को राणा शासकों ने तीन वर्षीय ज्ञानेन्द्र को राजा घोषित कर उनकी ताजपोशी की। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन और भारत आदि ने ज्ञानेन्द्र की इस ताजपोशी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने से मना कर दिया।

राणा शासकों के द्वारा उत्पन्न इस स्थिति के कारण राजा त्रिभुवन ने नेपाल छोड़ भारत आने आने का प्रयास किया जिसे रोकने के लिए राणा शासकों ने भरसक प्रयत्न किए परंतु राजा त्रिभुवन 11 नवम्बर 1950 को भारत आने मे सफल हुए। राजा त्रिभुवन के भारत पहुँचते ही नेपाल के विभिन्न भागों मे राणा शासन के विरुद्ध सैन्य आंदोलन शुरू हो गए जो मुक्ति सेना, नेपाली कांग्रेस की लिबेरसन आर्मी तथा भारतीय वायुसेना के सहयोग से लगभग दो माह तक यह सैन्य विरोध चला, जिसमें राणा शासन की पराजय हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि नेपाल का शासन पुनः शाही सम्राट के हाथों मे आ गया और घोषणा की गई कि नेपाल राज्य का शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों तथा राजा के प्रतिनिधियों के माध्यम से

संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा और लोकतान्त्रिक तरीके से जनता के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रयास किया जाएगा।

राणा शासन के खिलाफ हुए इस सैन्य आंदोलन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक कारण रहे है। राणा शासकों के हाथों में सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तियां केन्द्रित होने के कारण उनके द्वारा शासन को निरंकुश तरीके से चलाया जाता था जिसमे जनता का दमन चरम पर था। इस व्यवस्था में राजा और प्रजा को नेपाल की राजनीति में किसी प्रकार की कोई सहभागिता प्राप्त नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि राणा शासकों ने देश के राजस्व का उपयोग अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु किया जिसके परिणामस्वरूप आम–जनमानस आर्थिक शोषण का गंभीर रूप से शिकार हुआ। जहां तक राणा परिवार का प्रश्न है तो सामाजिक दृष्टि से उसका स्तर उच्च था जिसके कारण उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा किए गए आपराधिक कार्यों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती थी। राणा परिवार को तीन वर्गों ए , बी, सी मे बांटा गया था जिस कारण इसमे आंतरिक रूप से वर्चस्व स्थापित करने की जंग निरंतर जारी थी। इस वर्गीकरण में 'सी' वर्ग वाले राणा परिवार को सत्ता में भागीदारी नही होने के कारण वह प्रतिशोध के लिए उनके विरोध में निकलकर आए।

राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अलावा वैश्विक परिस्थितियाँ भी राणा शासन के अनुकूल नही थी। यही वह समयकाल था जब उपनिवेशवाद के विरुद्ध सम्पूर्ण विश्व में प्रभावी आंदोलन चल रहे थे। जिसके परिणामस्वरूप भारत, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, इन्डोनेशिया के साथ–साथ अन्य कई देश ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे। ऐसी परिस्थितियों में स्वतंत्र हुए भारत ने नेपाल को राणा शासन से मुक्त करने में भरपूर सहयोग दिया।

4.5 लोकतन्त्रः स्थापना और स्वरूप

नेपाल में राजशाही के खिलाफ हुए व्यापक जनांदोलन तथा भारत के प्रभावी दबाव के फलस्वरूप राणा शासक मोहन शमशेर राणा, राजा त्रिभुवन और नेपाली

कांग्रेस के मध्य अन्तरिम सरकार के गठन हेतु फरवरी 1951 के पहले सप्ताह में तृतीय चरण की वार्ता हुई और इनके मध्य समझौते हुए जिनमे निम्न प्रावधान किए गए–

- अन्तरिम सरकार के नए मंत्रिमंडल में 7 जनप्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस द्वारा नामित किए जाएंगे।
- अन्तरिम सरकार के महत्वपूर्ण विभाग जनप्रतिनिधियों के हाथ में रहेंगे।
- प्रथम चुनावों तक मंत्रिमंडल राजा के प्रति उत्तरदायी होगा।
- सभी प्रकार के सुधारों की घोषणा राजा द्वारा की जाएगी[4]।

4.6 राजनीतिक दलों और प्रजातांत्रिक विचारों का आरम्भ

भारत में निर्वासित जीवन गुजार रहे नेपाली लोगों की भारत मे शिक्षा और भारत के स्वतन्त्रता आंदोलन में उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका के फलस्वरूप नेपाली लोगों में राजनीतिक और सामाजिक जागृति आई और इसने उन्हे नेपाल में राणा शासन की निरंकुशता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। और भारत में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस और अन्य सामाजिक संगठनो की स्थापना इसी जागृति का परिणाम थीा राणा शासन के खिलाफ इन संगठनो ने अत्यंत प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया। राणा शासन की समाप्ति के पश्चात इन राजनीतिक दलों और संगठनो को अन्तरिम सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त हुई। इस तरह नेपाल में प्रजातांत्रिक विचारों की शुरुआत हुई।

नेपाल में 1950–51 की राजनीतिक घटनाओं को सामान्य रूप से जन–आंदोलन कहा जाता है, लेकिन यह सिर्फ आम–जन के द्वारा किए गए आंदोलन का परिणाम नहीं था, बल्कि यह आंतरिक और बाहरी शक्तियों के प्रयास का परिणाम था। परंतु मुख्य बात यह रही कि 1950–51 का राजनीतिक घटनाक्रम

[4] Pyakurel U (2012) The vision of the Jan Andolan 2 for the future of Nepal- In B- Upreti State and Democracy in Nepal, December p- 1- Delhi: Kalinga Publications.

नेपाली राज्य के लिए कोई ढांचागत परिवर्तन लाने में पूर्णतया सफल नहीं हो सका। इसके बावजूद इसने आंशिक सफलता जरूर हासिल की जिसमे राणाशाही की निरंकुशता को समाप्त किया और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके फलस्वरूप लगभग अर्धशताब्दी तक सत्ता में काबिज रहे निरंकुश शासकों, राजा त्रिभुवन और निहित स्वार्थ रखने वाले नेताओं के मध्य संघर्ष का मंच बन गया। नेताओं ने अपनी अयोग्यता और अनुभवहीनता का प्रदर्शन किया और इसके परिणस्वरूप राजा त्रिभुवन नेपाल में क्रांति के जनक के रूप में नेपाल में एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। और 1951 के शुरू में राजा त्रिभुवन ने प्रजातांत्रिक संविधान मे अनेक संशोधन कर एक शक्तिशाली राजा के रूप में स्वयं को स्थापित किया तथा संविधान सभा के चुनावों को असफल कर दिया।

राजा त्रिभुवन के पश्चात 1955 में राजा बने महेंद्र ने 1950–51 की घटनाओं में नेपाल की भारत पर निर्भरता से मुक्त कराने का प्रयास किया और इसके लिए महेंद्र ने पारंपरिक मूल्यों और विश्वासों पर जोर देकर नेपाली राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना प्रारम्भ किया और सामाजिक और वैधानिक आदेशों के साथ हिन्दू संस्कृति पर जोर दिया। इस दिशा में प्रयास करते हुरे राजा महेंद्र ने नेपाली भाषा को सरकारी कामकाज के साथ–साथ राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने पर जोर दिया। राजा महेंद्र ने जनता से सीधा संपर्क कर उनके सम्मुख स्वयं को उनका हितैषी और उनका कल्याण करने वाले नेता के रूप मे पेश किया। नेपाली राष्ट्रवादी विचारधारा का मौलिक पहलू भारत से संबन्धित होते हुए भी राजा महेंद्र ने भारतीय राजनीतिक दलों और नेताओं को अवरुद्ध कर दिया।

जन–आंदोलन के बाद के काल मैँ राजनीतिक दलों और नेताओं ने उस समयकाल की विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का प्रयास नहीं किया बल्कि अधिकांश नेता सत्ता के लिए दल के भीतर और बाहर के संघर्ष में शामिल हो गए। नेपाली राजनीतिक दलों के अधिकांश नेता भारत में शिक्षित होने एवं ग्रामीण और शहरी उच्च हिन्दू जातियों से होने के कारण उन्हे जनता की मौलिक समस्याओं का

ज्ञान नहीं था और न ही वे उनके कल्याण के लिए प्रयासरत थे। नेपाल की गरीब और अशिक्षित जनता में राजनीतिक चेतना का अभाव होने के कारण वह राजनीतिक दलों और उनके द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया में प्रजातांत्रिक भागीदारी तक उनकी पहुँच नहीं बन सकी। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षों से निवास करने वाली आम जनता के लिए राजनीतिक संस्था के रूप में राजा महेंद्र तक पहुँच बहुत आसान थी।

इसी को ध्यान में रखते हुए राजा महेंद्र ने आम चुनाव कराने के लिए 1958 में सुवर्ण शमशेर की अध्यक्षता में अन्तरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। जबकि जन–आंदोलन के उपरांत गठित अन्तरिम सरकार आम–जन के अनुरूप शासन का संचालन करने में असफल सिद्ध हुई थी, साथ ही साथ भ्रस्टाचार और आतंक को प्रोत्साहित करने का कार्य भी किया गया। इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण नेपाल का विकास अवरुद्ध हो गया। 1958 में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप निचले सदन के लिए चुनाव सम्पन्न कराये गए जिसमे 42 लाख मतदाताओं में से 17 लाख मतदाताओं (42 प्रतिशत) ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया। चुनाव परिणाम में नेपाली कांग्रेस को सबसे अधिक 109 सीटों में से 74 सीटें प्राप्त हुई और नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता जी. पी. कोइराला को 1954 में नेपाल का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

4.7 प्रजातांत्रिक ह्रास एवं पंचायतीराज प्रणाली

नेपाल की पहली चुनी हुई सरकार ने देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए लोकतन्त्र को सशक्त करने और राजनीतिक स्थायित्व सुदृढ़ करने के साथ–साथ विकास के कार्यों को भी तेजी से संपादित करने का प्रयास किया परंतु सरकार के यह कार्य अधिक समय तक निरंतर जारी नही रह सके और 18 महीने के कार्यकाल के दौरान ही सरकार को दल के भीतर और बाहर विभिन्न प्रकार के विरोधों का सामान करना पड़ा। सरकार को जिन मामलों में अत्यधिक आलोचना का सामना करना पड़ा वह निम्न है–

- सागरमाथा का प्रश्न
- भारत–नेपाल गंडक योजना समझौता
- पश्चिम में लूटपाट से उत्पन्न अशांति और गोरखा विवाद

इन विभिन्न महत्वपूर्ण मसलों को लेकर नेपाली कांग्रेस की सरकार को दल के भीतर के साथ–साथ दल के बाहर भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और इससे नेपाली जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का कार्य करना मुश्किल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि नेपाली कांग्रेस के भीतर आपसी तनाव और षड्यंत्र का माहौल व्याप्त हो गया। ऐसी विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट होने लगा कि नेपाल कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का कार्य करना और शासन संचालन संभव नहीं है, फलस्वरूप 1960 में राजा महेंद्र ने कांग्रेस मंत्रिमंडल को हटाकर संसद को भंग करने का निर्णय लिया और संविधान के अनेक प्रावधानों को समाप्त कर दिया। इस तरह से नेपाल की जनता द्वारा चुनी हुई पहली प्रतिनिधिक सरकार एवं संसदीय व्यवस्था का अवसान हो गया। तत्पश्चात राजा महेन्द्र ने 1960 में सरकार को विघटित कर यह घोषणा की कि नेपाल का शासन रीति–रिवाजों और परम्पराओं के अनुसार ही संचालित किया जाएगा और नेपाल राज्य की संप्रभु शक्तियों और विशेषाधिकार का प्रयोग राजा के द्वारा ही किया जाएगा। इस घोषणा के पश्चात ही सम्पूर्ण कार्यपालिकीय शक्तियाँ राजा महेंद्र में निहित हो गई, जिनका प्रयोग राजा महेंद्र ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों के सहयोग से करने लगे।

संसद मे पेश किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर राजा की अनुमति अनिवार्य कर दी गई जिन पर अनुमति देना एवं निर्णय लेना राजा के विवेक पर निर्भर था। इस प्रकार संसद की सम्पूर्ण शक्तियों पर राजा का एकाधिकार हो गया। हालांकि न्यायिक शक्तियों के बारे में किसी प्रकार का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया परंतु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदच्युत करने की शक्ति राजा के अधीन रखी गई। इसके अलावा देश में किसी प्रकार की संकटकालीन स्थिति में सम्पूर्ण संविधान तथा उसके किसी भी भाग में संशोधन करने अथवा उसे

समाप्त करने का अधिकार राजा ने अपने हाथों में सुरक्षित रखा। इस तरह से राजा महेंद्र ने नेपाल की सम्पूर्ण राजनीतिक सत्ता पर अपना मजबूत नियंत्रण स्थापित कर लिया।

1960 में राजा महेंद्र ने जी. पी. कोइराला के नेत्रत्व में बनी अन्तरिम सरकार की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए उसे बर्खास्त कर दिया और राजा द्वारा इसे आम–जन के हित में लिया गया निर्णय बताया। राजा महेंद्र ने इस कदम के तत्पश्चात नेपाल में एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया और इसके पीछे उनका उद्देश्य राजशाही की सर्वोच्चता को स्थापित रखते हुए नेपाली जनता की राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इस वैकल्पिक व्यवस्था के लिए राजा महेंद्र ने एक अध्ययन समिति का गठन किया, जिसे पाकिस्तान, इन्डोनेशिया, मिश्र, नाइजीरिया एवं युगोस्लाविया जैसे विकासशील देशों की शासन प्रणाली का अध्ययन कर सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। इन देशो में प्रचलित वैकल्पिक लोकतान्त्रिक मॉडल इन देशों के शासकों द्वारा स्वयं को वैधता प्रदान करने के लिए विकसित किए गए थे, जैसे पाकिस्तान में जनरल अय्यूबखान का आधारभूत लोकतन्त्र, इन्डोनेशिया में सुकर्णो का निर्देशित लोकतन्त्र (इंप्लाइड डेमोक्रेसी), मिश्र में नासिर की वर्ग संगठन प्रणाली (क्लास ओर्गनाइजेसन) और युगोस्लाविया में भी वर्ग संगठन प्रणाली आदि। जहां तक नेपाल में पंचायत व्यवस्था का प्रश्न है तो इसका मुख्य लक्षण राजशाही का वर्चश्व, दलविहीन राजनीति और पंचायत संगठन के सभी स्तरों पर इसका नियंत्रण एवं समंजस्य था। इस पंचायत प्रणाली को राजा महेंद्र ने नेपाली संस्कृति और परम्पराओं पर आधारित वास्तविक राजनीतिक प्रणाली कहा। हालांकि इस नई राजनीतिक प्रणाली को प्रजातान्त्रिक शक्तियों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, फिर भी राजनीतिक दलों के भारी विरोध के बावजूद इस पंचायत प्रणाली ने कार्य करना शुरू कर दिया। पंचायत प्रणाली की इस नई व्यवस्था में राजनीतिक दलों को अवैध घोषित कर दिया गया।

राजा नेपाल में राजनीतिक गतिविधियों को परम्पराओं पर आधारित करना चाहता था, उसका मानना था नेपाल में राजनीतिक गतिविधियां पश्चिम के प्रभाव में

आयीं है लेकिन युवा पीढ़ी इन राजनीतिक गतिविधियों को परम्पराओं पर आधारित करने के पक्ष में है। राजा महेंद्र का मानना था कि पंचायत प्रणाली हमारे देश में व्याप्त गरीबी, अज्ञानता, और पिछड़ेपन को समूल नष्ट करने में सफल सिद्ध होगी और प्रजातन्त्र को सशक्त करने का कार्य करेगी।

राजा महेंद्र का स्पष्ट मानना था की पंचायत प्रजातन्त्र का आधार होती है और अभी तक के सभी घटनाक्रम से या सिद्ध हो गया है कि ऊपर से थोपी गई लोकतान्त्रिक व्यवस्था नेपाली राज्य के लिए बिलकुल भी उपयुक्त नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि पंचायतों के द्वारा नेपाल में लोकतन्त्र को शसक्त करके उसे क्रियान्वित किया जाए। इस पंचायती व्यवस्था का मौलिक उद्देश्य प्रशासन के प्रत्येक स्तर को समायोजित करना और गाँव, जिला एवं नगर पंचायतों को विकसित करना पंचायत प्रणाली का उद्देश्य है।

राजा महेंद्र नेपाल में पंचायत व्यवस्था कि उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि नेपाल में शताब्दियों से आम–जनता का जितना शोषण नहीं हुआ है उतना 50 के दशक में इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था अथवा लोकतान्त्रिक सरकार के शासनकाल में हुआ है। राजा महेंद्र का कहना था देश में यदि पंचायत व्यवस्था को लागू नहीं किया गया तो देश की आम–जनता के अंदर राष्ट्रीय भावना और चेतना क्षीण हो जाएगी, और पंचायती प्रणाली को लागू करने का सीधा प्रभाव यह होगा कि आम–जनता अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को प्राप्त करने में सफल हो सकेगी। शुरुआत में राजनीतिक दलों के कई युवा नेता पंचायती व्यवस्था में सम्मिलित हो गए और इसका मुख्य कारण नेपाली कांग्रेस के कई नेता शुरुआत में राजनीतिक दलों के अनेक युवा नेता पंचायत व्यवस्था में शामिल हो गये और इसका मौलिक कारण यह था कि कांग्रेस के अनेक युवा नेता राजा महेंद्र के साथ जुड़े हुए थे।

सन् 1962 में जो संविधान बनाया गया उसके द्वारा नेपाल को पहली बार आधिकारिक रूप से हिन्दू राज्य के रुप में स्थापित किया गया। हालांकि नेपाल एक बहुजातीय और बहू–सांस्कृतिक राज्य था लेकिन संविधान का अनुच्छेद 2 यह

प्रावधान करता था कि नेपाली लोगों की आत्म पहचान हिन्दू के रूप में होगी और नेपाल की निर्धारक राजशाही होगी।

चूंकि राजा महेंद्र नेपाल में परम्पराओं पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे और इसके लिए उन्होने पंचायत व्यवस्था में प्रतिबंधित राजनीतिक दलों को और उनकी पाश्चात्य विचारधारा के खिलाफ कठोर कार्यवाही की। राजा महेंद्र द्वारा की गई इस कार्यवाही में अनेक नेताओं को बंधक बनाया गया और जो इस कार्यवाही में बच गए वो भारत आ गए। इन राजनीतिक लोगों के द्वारा भूमिगत रहकर गतिविधियां 70 के दशक तक निरंतर जारी रही। पूर्वी नेपाल के हिस्से में ये गतिविधियां उग्र रूप में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा संचालित की जा रही थी जो आगे चलकर दंगो के रूप मे परिवर्तित हो गई। राजा महेंद्र द्वारा जिस पंचायत व्यवस्था की स्थापना की गई थी वह आम–जन की आशा और आकांक्षाओं पर खरी उतरने में सफल सिद्ध नहीं हुई। इस व्यवस्था से आम–जन में विषेशकर नेपाली छात्रों में व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ और इस विश्वास को मजबूती मिली कि नेपाली सरकार सम्पूर्ण शक्तियों को राजशाही में समाहित करना चाहती है। इस राजनीतिक उठापटक और अस्थिरता के बीच 1972 मे राजा महेंद्र का देहावसान हो गया और उनके पुत्र वीरेंद्र नेपाल के राजा बने।

पंचायत प्रणाली की अस्थिर कार्यप्रणाली ने 1979 के प्रारम्भिक दिनो में पंचायत प्रणाली को समाप्त करने की मांग होने लगी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि पंचायत प्रणाली राजा महेंद्र की पसंद थी क्योंकि वह राजनीतिक दलों द्वारा अपनी सत्ता को चुनौती और उसे कमजोर करने के उनके प्रयास को लेकर सशंकित थे। पंचायत प्रणाली को अनेक दोषों का सामना करना पड़ा। इसका उद्देश्य नेपाल में जमीनी स्तर लोकतन्त्र को स्थापित करना था लेकिन इस व्यवस्था के पास नेपाली अशिक्षित, गरीब और परंपरागत लोगों काराजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई वैकल्पिक कार्यप्रणाली मौजूद नहीं था।

पंचायत प्राणली की असफलता और उसके प्रति नेपाली जनता में व्यापक असंतोष के कारण 1970 के दशक के अंत में राजा वीरेंद्र ने नेपाल में पंचायत

प्रणाली के परती रुख को जानने के लिए जनमत संग्रह कराने की घोषणा कर दी परंतु जनमत संग्रह के परिणाम नेपाली कांग्रेस और राजनीतिक दलों के आशाओं के अनुरूप नहीं आए आए और उसमें लोगो ने पंचायत प्राणली को जारी रखने के पक्ष में अपना मत दिया। परिणामस्वरूप 1980 में पंचायत व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ। 1981 में चुनाव सम्पन्न कराये गए लेकिन नेपाल के राजनीतिक दलों ने यह तर्क देकर इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया कि राजनीतिक व्यवस्था चुनावों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध नहीं करा रही है, राजनीतिक स्वतन्त्रता और जनसहभागिता के लिए संघर्ष करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध जारी है। इसका प्रतिरोध करने के लिए 1985 में नेपाली कांग्रेस के साथ सभी राजनीतिक दलों ने नेपाल में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया जो लंबे समय तक जारी रहा। राजनीतिक दलों द्वारा पंचायत व्यवस्था की समाप्ति और बहुदलीय लोकतन्त्र की स्थापना और राजशाही की असीमित शक्तियों में कटौती के लिए चलाये गए इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम हुए और 1990 में एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया।

4.8 1990 में लोकतन्त्र की पुनः स्थापनाः प्रकृति एवं चुनौतियाँ

राजनीतिक दलों द्वारा पंचायत व्यवस्था की समाप्ति और बहुदलीय लोकतन्त्र की स्थापना और राजशाही की असीमित शक्तियों में कटौती के लिए चलाये गए इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम हुए और 1990 में एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन की खास बात यह थी कि इसने विचारधारा की सीमाओं को ध्वस्त कर दिया। नेपाली राजनीति के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने एक साथ मिलकर आंदोलन किया। आंदोलन का दायरा व्यापक था यह सिर्फ शहरी लोगों तक सीमित न रहकर एक व्यापक जन–आंदोलन में परिणत हो गया।1990 मे प्रारम्भ यह आंदोलन 1950–51 के दौरान हुए आंदोलन से भिन्न था और यह भिन्नता यह थी कि यह जन–आंदोलन हिन्दू जातियों और शहरी उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित न रहकर सभी वर्गों के बहुसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। समाज के जिन वर्गों जैसे महिलाओं के साथ अत्यधिक

भेदभाव किया जाता था उनकी इस जन–आंदोलन में भूमिका और सहभागिता सराहनीय के साथ–साथ अत्यंत उल्लेखनीय रही। एक तरह से 1990 का यह जन–आंदोलन राजशाही द्वारा स्थापित पंचायत प्रणाली के उन्मूलन और नेपाल में संवैधानिक लोकतन्त्र की स्थापना का आंदोलन था।

इस जन–आंदोलन में सभी राजनीतिक दलों ने सम्मिलित रूप से हिस्सा लिया। वामपंथी दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया और नेपाली कांग्रेस ने इस मोर्चे के साथ मिलकर नेपाल में बहुदलीय लोकतन्त्र की स्थापना के लिए व्यापक आंदोलन शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1990 में नेपाली कांग्रेस और वामपंथी मोर्चे के अनेक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और अखबारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। 18 फरवरी 1990 को आधिकारिक रूप से जन–आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका दमन करने के लिए राजशाही के आदेशानुसार बल प्रयोग किया गया जिसमे कई लोगों की जान गई।

आंदोलन ने अपना उग्र रूप धरण कर लिया जिसके परिणामस्वरूप देश भर में बंद और हड़ताल का आयोजन हुआ। काठमांडू में लाखों लोगों ने एकत्र होकर राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस उग्र प्रदर्शन के कारण 8 अप्रैल 1990 को राजा वीरेंद्र ने राजनीतिक दलों पर से सारे प्रतिबंधों का हटा लिया।

1990 के आंदोलन के उग्र रूप और उसके दबाव के चलते राजा वीरेंद्र ने नेपाल मेन संवैधानिक राजतंत्र को लागू करने की मांग को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात वामपंथी मोर्चा और नेपाली कांग्रेस ने मिलकर कुछ महीने में संविधान का खाका तैयार किया, जिसमें संप्रभुता को जनता में निहित किया गया तथा वयस्क मताधिकार, संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय राजतंत्र को नवनिर्मित संविधान की आधारशिला बनाया गया।इसके अलावा स्वतन्त्रता, समानता, कानून का शासन और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था की संविधान में गारंटी की गई। यह नवनिर्मित संविधान नेपाल की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का वैधानिक आधार है। संविधान निर्माता समिति के सदस्यों ने संविधान में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आधार रखने का प्रयास किया है परंतु साथ ही साथ संरचनात्मक परिवर्तन करने से बचने का प्रयास

किया है। नवनिर्मित संविधान के खाके में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया वह था दलविहीन व्यवस्था से बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार करना और राजशाही की भूमिका व्यापक परिवर्तन आदि। इस नवनिर्मित संविधान के अनुच्छेद 4 में नेपाली राज्य को बहुभाषी, बहुजातीय, संप्रभु और राजतंत्र घोषित किया गया। संविधान निर्माण के समय गैर हिन्दू संगठनो और वामपंथी संगठनो द्वारा नेपाल को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित करने की पुरजोर मांग की गई परंतु उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया और संविधान में नेपाल को एक हिन्दू राज्य घोषित किया गया। चूंकि नेपाल में हिन्दू जनसंख्या अधिक होने के कारण संविधान में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अधिक प्रभावशाली उच्च हिन्दू जातियों को कुछ विशेषाधिकार पहले की भांति बनाए रखे गए और इस संदर्भ में यह तर्क दिया गया कि नेपाल एक हिन्दू राज्य होने के कारण सामाजिक व्यवस्था हिन्दू धर्म के रीति रिवाजों, विस्वासों और मूल्यों के अनुरूप संचालित होगी। संविधान में नेपाली भाषा को राष्ट्रभाषा एवं राजकीय कामकाज की भाषा घोषित कर उसे अन्य भाषाओं पर वरीयता प्रदान की गई, जिससे नेपाली भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों को समाज और प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का भेदभाव का सामान न करना पड़े।

1990 के बाद बनाए गए इस संविधान में कार्यपालिका और विधायिका पाश्चात्य लोकतान्त्रिक मॉडल पर आधारित रखी गई। विधायिका की संरचना द्विसदनात्मक थी जिसमे प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा थी। प्रतिनिधि सभा में प्रत्यक्ष चुनाव से चुने हुए 205 सदस्य और राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की संख्या 60 थी। इस मॉडल के अंतर्गत राजा केवल औपचारिक प्रमुख ही रहा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान राजा के द्वारा किया गया। मंत्रिपरिषद को राजा के प्रति जवाबदेह बनाया गया। नवनिर्मित संविधान के अंतर्गत इस व्यवस्था में राजा को औपचारिक प्रमुख बनाए रखने के साथ ही सम्पूर्ण सत्ता राजनीतिक दलों से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में सन्निहित हो गयी। संविधान में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, वर्ग के भेदभाव के बिना राजनीतिक दलों की सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। निर्वाचन

आयोग को इस संदर्भ में निर्णायक और प्रभावी भूमिका सौपी गयी। इस संदर्भ में निवचन आयोग ने 1991 में हिंदुओं के साथ भेदभाव करने वाले 3 दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। जिसमे आने वाले 3 वर्षों के दौरान और अधिक वृद्धि हुई। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों के लोगो ने यह आरोप लगया कि नेपाल को हिन्दू राष्ट्र घोषित करते ही वह स्वतः ही सांप्रदायिक हो जाता है इसलिए ऐसी परिस्थिति में सांप्रदायिक आधार पर अन्य दलों पर प्रतिबंध आरोपित करने वाला संविधान का अनुच्छेद 113 स्वतः ही निरर्थक हो जाता है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने राज्य सांप्रदायिकता और जातीय, सांप्रदायिकता मे भेद स्पष्ट करते हुए दलों के इस तर्क को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया।

1990 के जन–आंदोलन के बाद नेपाल में शासन संचालन की शक्ति राजशाही से लेकर राजनीतिक दलों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में सौप दी गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि लोकतान्त्रिक और सामाजिक बदलाव के लिए राजशाही की भूमिका समाप्त हो गई और राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ गई गई। परंतु जन–आंदोलन में शामिल दल जैसे वामपंथी मोर्चा (यू. एल. एफ.), नेपाली कांग्रेस और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (एन. डी. पी.) के अलावा अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी प्रभावशीलता खो दी। 1990 से लेकर 2002 के दरम्यान नेपाल में प्रजातांत्रिक सरकार अस्थायित्व का शिकार रही लेकिन इस समयकाल में अनेक ऐसे कार्य है जो उल्लेखनीय माने जा सकते है जैसे– सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समान शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई जिससे नेपाली समाज में सामाजिक न्याय और समानता, भाषाई, क्षेत्रीय संगठनों में समरसता की भावना की वृद्धि हुई। नेपाली नवनिर्मित संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार अपनी नीतियों में राष्ट्र कि सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए राष्ट्र की एकता को सशक्त करने का प्रयास करेगी। जिससे देश के सभी वर्गों और समूहों में सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित हो सके। संविधान में इन अनेक प्रावधानों के अलावा नेपाली जनता को अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की स्वतन्त्रता के साथ साथ संगठन निर्माण करने की आजादी भी प्रदान की गई जो नेपाल को एक लोकतान्त्रिक राज्य की ओर अग्रसर करने वाला

एक मौलिक कदम था। संविधान में वंचितों और पिछड़े वर्गों को विधायिका के निचले सदन में 3 प्रतिशत और स्थानीय चुनाव में 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए जिससे एक समवेशी राजनीतिक व्यवस्था का आधार रखा जा सके।

4.9 लोकतन्त्र का अवसान और राजाशाही की पुर्नस्थापना

1990 में जन–आंदोलन के पश्चात बनी सरकार ने नेपाल में जन–कल्याण के अनेक कार्यों को आरंभ किया, लेकिन सरकार जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, धार्मिक भेदभाव और स्थानीय असमानता का उन्मूलन करने में असफल सिद्ध हुई। पंथनिरपेक्ष संविधान का निर्माण करने के बाद भी नेपाल हिन्दू राज्य ही बना हुआ था। संस्कृत भाषा को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस द्वारा मुखर विरोध शुरू हुआ और यह आरोप लगाया गया कि नेपाली सरकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इस संदर्भ में 1 जून 1999 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में नेपाली भाषा के साथ अन्य भाषाओं के सरकारी कार्यों में प्रयोग की आलोचना की तथा साथ में यह भी कहा कि यह प्रावधान वर्तमान में नेपालीकरण कि प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए किया गया है। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कुछ स्थानो पर पलागू करने के निर्णय को अवैध घोषित कर दिया। इसके अलावा बजट आवंटन नेपाल में एक व्यापक समस्या बनी हुई थी। पर्याप्त बजट आवंटन के अभाव में रोजगार के अभाव, विकास कार्यों में व्यवधान, जातीय समस्या आदि नेपाली लोकतान्त्रिक सरकार की कमियाँ रही। इन सब कारणों से नेपाल की प्रजान्त्रिक सरकार एक बार फिर से 4 अक्तूबर 2002 में अपनी प्रभावशीलता खो दी जब राजा ने सरकार को असंवैधानिक तरीके से बर्खास्त कर दिया। 2006 में यह प्रश्न फिर से उठाया गया कि विभिन्न वर्गों के द्वारा कि नेपाल में कोई संविधान है भी या नहीं? यह एक वाजिब प्रश्न भी था क्योंकि नेपाल इस समय न तो पुराने संविधान से संचालित हो रहा था न ही संशोधित संविधान से शासन संचालित हो रहा था। इस अवसर का राजा द्वारा लाभ उठाया गया और समाज की समस्याओं को दूर करने के नाम पर संविधान के अनुच्छेद 127 का दुरुपयोग किया और सम्पूर्ण शक्तियां अपने हाथों में ले ली। इससे राजनीतिक दलों

की गतिविधियां निस्प्रभावी हो गई और आम–जन के मौलिक अधिकार राजा द्वारा प्रतिबंधित कर दिये गए। नेपाली राजनीतिक दलों और संगठनों ने राजा के इस कदम की यह कहकर आलोचना की कि यह संविधान की मूल भावना की गलत व्याख्या है। राजा की संविधान की मूल भावना के खिलाफ किए गए इस कार्य की नेपाल की आम जनता ने व्यापक विरोध करना शुरू कर दिया जिसमे अनेक लोगों की जान गई। 24 अप्रैल 2006 को यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब राजा ने संसद को बहाल कर सम्पूर्ण शक्तियाँ वापस प्रदान करने की घोषणा की। राजा द्वारा 1 फरवरी 2005 को संविधान के विरुद्ध जो कार्य किया किया गया वह नेपाल की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के मार्ग में चौथा व्यवधान था। पहला अवरोध 1960 में राजा महेंद्र द्वारा, तीसरा और चौथा अवरोध राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा 4 अक्तूबर 2002 एवं 2005 को उत्पन्न किया गया। राजशाही द्वारा नेपाल में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में उत्पन्न किए गए अवरोध से नेपाल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोग राजशाही के विरुद्ध संगठित होने लगे और वह अपना यह विस्वास जताने लगे कि नेपाल में व्याप्त व्यापक जातीय असमानता का उन्मूलन प्रजातांन्तिक व्यवस्था की स्थापना से ही संभव है। और लोकतन्त्र की संसदात्मक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम समाज के वंचित वर्गों को भी शासन व्यवस्था में भागीदार बनाते है। 2005 में 7 राजनीतिक दलों द्वारा किया गया समझौता इसकी परिणति थी। इस समझौते में 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन (एस. पी. ए.) द्वारा मुख्य जोर राजा के विकासवादी और प्रजातांत्रिक पुनर्निर्माण पर रहा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन का मजबूत आधार प्रदान कर सके। इसकी खास बात यह रही कि राजनीतिक दलों ने अपनी पूर्व में की गई गलतियों को स्वीकार किया और उन्हे भविष्य में न दोहरने का निर्णय लिया। राजशाही की समाप्ति और नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए 26 नवंबर 2005 को 7 दलीय गठबंधन और माओवादियों ने एक 12 सूत्रीय समझौते पर अपनी सहमति जताई। राजा की निरंकुशता के विरुद्ध माओवादियों के सहयोग से गठबंधन ने विरोध आंदोलन चलाया और यह तब तक चलता रहा जब तक राजा ने लोकतंत्र की बहाली और सत्ता का हस्तांतरण करने का निर्णय नही ले लिया। पुनः बहाल

की गई संसद नयी संविधान सभा के गठन के हेतु भंग कर दी गई और नए संविधान के निर्माण की घोषणा की गई। 2008 में नया संविधान बनकर तैयार हुआ जिसमें लोकतान्त्रिक व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया। 2015 में इसमे संशोधन करते हुए नेपाल को हिन्दू राष्ट्र के स्थान पर एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। वर्तमान में राजनीतिक दल, नागरिक समाज, और अन्य संगठन देश के पुनर्निर्माण और समवेशी लोकतन्त्र के लिए मिलकर कार्य कर रहे है। हालांकि के.पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार के निर्णयों से नेपाल में राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बीच संघर्ष की स्थिति बन गई है।

4.10 अन्तरिम संविधान सभा और 2006 के पश्चात का राजनीतिक घटनाक्रम

सरकार की माओवादी आंदोलन से निपटने की असमर्थता के आरोप के आधार पर राजा ज्ञानेन्द्र ने फरवरी 2005 में संसद को बर्खास्त कर सम्पूर्ण प्रसाशनिक शक्तियाँ अपने हाथों में केंद्रित कर ली। इस अवधि में नेपाल के अनेक बड़े राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया और कई ने नेपाल से भागकर भारत में शरण ली। जहां उन्होने राजा के द्वारा सत्ता के अधिग्रहण के विरुद्ध आंदोलन के लिए भारत में संगठित होकर 7 दलीय गठबंधन (एस. पी. ए.) का निर्माण किया।

राजा द्वारा लोकतान्त्रिक व्यवस्था को पुनः समाप्त करने और राजशाही को स्थापित करने के इस प्रयास का संज्ञान लेते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने नेपाल में वर्तमान परिस्थिति का आकलन करने हेतु 2005 में निरीक्षण कार्यक्रम की स्थापना की। इस बीच 7 दलीय गठबंधन (एस. पी. ए.) और कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल के मध्य 12 नवम्बर 2005 को शांति और लोकतन्त्र की स्थापना के लिए 12 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस आधार पर इसने नेपाली और वैश्विक समुदाय से यह आग्रह किया कि लगभग एक दशक से नेपाल की जनता को जिन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है उन्हे देखते हुए नेपाली संविधान सभा के द्वारा 7 दलीय गठबंधन (एस. पी. ए.) और कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल की 12 सूत्रीय मांगों को स्वीकार और समर्थन किया जाए। राजा ज्ञानेन्द्र के निरंकुश एवं असंवैधानिक तरीके से सत्ता अधिग्रहण के विरुद्ध गठबंधन ने नेपाली जनता को

राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन में शामिल करने के लिए लोकतन्त्र समर्थको और राजनीतिक शक्तियों को अप्रैल 2006 में संगठित करना शुरू कर दिया और राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन और रैलियों का आयोजन किया गया।

6 अप्रैल 2006 को नेपाल में लोकतन्त्र की पुनः स्थापना के लिए प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और सैकड़ों लोगो को हिरासत में लिया गया। पूर्वी और दक्षिणी नेपाल में भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर लोगों को हिरासत में लिया गया एवं लोकतन्त्र समर्थकों की रैली को असफल कर दिया गया। राजधानी काठमांडू में लोकतन्त्र समर्थकों की रैली में राजनीतिक दलों ने राजशाही सरकार को गिरने में सहयोग करने के लिए कार्यों और बिलों का भुगतान न करने का आम–जन से अनुरोध किया। इस तरह राजा के विरुद्ध विरोध आंदोलन जारी रहा और दूसरी ओर राजा की तरफ से दमन चलता रहा। परंतु देश में इन व्यापक प्रदर्शनों और साथ ही साथ वैश्विक दबाव के चलते राजा ज्ञानेन्द्र ने 7 दलीय संगठन से बातचीत प्रारम्भ की, लेकिन गठबंधन ने राजा के द्वारा दिये गए प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया। इसके चलते माओवादियों ने उग्र प्रदर्शन प्रारम्भ कर दिया जिसे देखते हुए राजा ज्ञानेन्द्र ने 24 अप्रैल 2006 को संसद बहाली का जनता से वादा किया। 25 अप्रैल 2006 को प्रदर्शनकारियों ने संसद बहाली का मांग पत्र राजा को सौंप दिया जिसे न स्वीकार करने पर पुनः उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इन उग्र आंदोलनों की वजह से नेपाल में अस्थिरता और अनिश्चितता का वातावरण बन गया था। माओवादियो ने 27 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेन्द्र को अवसर मुहैया करने के लिए 3 माह के युद्ध विराम की घोषणा की और जी. पी. कोइराला चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। पिछले लगभग 4 वर्षों में प्रदर्शनकारी राजनीतिक दलों को संविधान सभा के लिए अवसर दिया गया। इसके चलते गिरिजा प्रसाद कोइराला ने नया संविधा बनाने के लिए संसद के सत्र को आहूत करने का निर्णय लिया और माओवादिओं के साथ मिलकर कार्य करने का आग्रह किया। 2 मई 2006 को प्रधानमंत्री ने नए मंत्रिमण्डल की घोषणा की और उसमें माओवादिओं को भी शामिल किया लेकिन प्रधानमंत्री ने नए राजनीतिक नेतृत्व पर जमकर हमला किया। माओवादी उग्र प्रदर्शन मे हजारो लोग मारे गए परंतु अब

इस उग्र संघर्ष को समाप्त कर शांति की स्थापना के लिए और जनता की आशाओं पर खरा उतारने के लिए वार्ता के लिए सहमत हुए। सरकार ने संसद का सत्र बुलाकर राजा का सेन पर नियंत्रण, उसकी कानूनी शक्ति और रक्षा आदि शक्तियों को वापस ले लिया और नेपाल को एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। लोकतन्त्र की इस बहाली का उत्सव मनाने के लिए सरकार ने 19 मई 2006 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया तथा राजा ज्ञानेन्द्र को सत्ता से पृथक करने की घोषणा की गई और राजा से समस्त शक्तियाँ छीन ली गई। राजा को सत्ता से बाहर करने के पश्चात जून 2006 में माओवादी नेता पुष्प कुमार दहल (प्रचंड) ने अन्तरिम सरकार में शामिल होने और सरकार का पुनर्गठन करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन दहल के माओवादिओं पर नियंत्रण रखने से पीछे हटने और उनके द्वारा माओवादिओं को सेना में शामिल किए जाने की मांग को सेना प्रमुख ने संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में डाल दिया।

नवंबर 2006 में माओवादी नेता प्रचंड सरकार के साथ शांति वार्ता में शरीक हुए और अनौपचारिक रूप से माओवादिओं के शस्त्र डालने की बात पर सहमत हो गए। इसके तुरंत बाद माओवादिओं द्वारा लंबे चले सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने की घोषणा की गई। माओवादिओं और सत्ताधारी दल के मध्य हुआ यह समझौता नेपाल के इतिहास में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। लेकिन इस समझौते के बाद मुख्य समस्या माओवादिओं के मुख्यधारा में शामिल होने की है। अप्रैल 2007 में माओवादी सरकार में शामिल हुए। माओवादिओं ने सरकार में शामिल होते ही राजशाही की समाप्ति के साथ तत्काल चुनाव करने की मांग की और इस प्रक्रिया में विलंब होने पर देशव्यापी हड़ताल की गंभीर चेतावनी दी। इसका परिणाम यह हुआ कि नेपाल में 2007 में राजा की समस्त शक्तियाँ समाप्त कर दी गई। हालांकि नेपाली कांग्रेस राजशाही की कुछ परंपरागत शक्तियों को बनाए रखने के पक्ष में थी परंतु माओवादिओं ने उनके इस विचार को पूर्णरूप से खारिज कर दिया और वह पूर्ण गणतन्त्र की स्थापना पर अड़ गए। सत्ताधारी दलों ने सहमत न होते हुए भी शांति प्रक्रिया पुनः न बिगड़ने के डर से माओवादिओं की मांगो पर अपनी सहमति जताई, लेकिन इसके बावजूद भी अनेक मसलों पर दोनों के मध्य मतभेद बने हुए

थे। दिसंबर 2007 में नेपाली संसद के विघटन पर मतदान हुआ और सैकड़ों वर्ष पुरानी राजशाही का समापन हुआ और नेपाल एक गणतन्त्र राज्य बन गया।

अप्रैल 2008 में राजशाही समाप्त कर नेपाल में एक नई व्यवस्था की स्थापना हेतु चुनाव सम्पन्न कराये गए जिसमे नेपाली आम–जनता ने व्यापक उत्साह दिखते हुए भारी मतदान किया। चुनाव परिणामों में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को भारी सफलता मिली जो वास्तव में एक चौकने वाला परिणाम था। मई 2008 में दुनिया के आखिरी हिन्दू शासक को विस्थापित कर गणतन्त्र की स्थापना के लिए नए चुने हुए सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया। जून 2008 में माओवादिओं के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार के गठन के लिए प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने अपना इस्तीफा दे दिया। गणतंत्रात्मक राज्य के लिए राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ जिससे गतिरोध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन बाद में रामबरन यादव जिनकी पहचान एक मध्यमार्गी नेता की थी उन्हे नेपाली कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हो जाने से जुलाई 2008 में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात उन्होने अपने प्रथम सम्बोधन में देश के सभी राजनीतिक दलों से गतिरोध को समाप्त कर आपसी सहमति से सरकार गठन करने और शासन संचालन करने का आग्रह किया। अगस्त 2008 में माओवादी नेता पुष्प कुमार दहल (प्रचंड) नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। प्रचंड ने 2009 में सेना प्रमुख को पद से हटाने का दबाव बनाना शुरू किया और पद से न हटाये जाने पर शांति प्रक्रिया के खतरे में पड़ जाने की गंभीर चेतावनी दी, लेकिन राष्ट्रपति रामबरन यादव ने प्रधानमंत्री प्रचंड की इस मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राष्ट्रपति का मानना था कि सेना प्रमुख ने नेपाल को दशकों चले गृह युद् से बाहर निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इसके परिणामस्वरूप माओवादिओं ने काठमाण्डू में सेना प्रमुख के विरुद्ध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री प्रचंड ने इससे नाराज होकर पद त्याग दिया। माओवादिओं ने इस स्थिति में नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए प्रस्ताव रखा कि देश में राजनीतिक संकट न गहरा पाये इसलिए अन्य दल मिलकर प्रधानमंत्री चुन सकते है।

जुलाई 2009 में लगभग दो माह के अंतराल के बाद संसद की बैठक आहूत की गई, लेकिन माओवादिओं ने संसद पर विकलांग का आरोप लगाकर नेपाल में विरोध आंदोलन के एक नए युग की शुरुआत कर दी। इसी राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में पूर्व प्रधानमंत्री कोइराला का देहांत हो गया। अप्रैल 2010 में माओवादी नेता प्रचंड ने सरकार को अपदस्थ करने के लिए देशव्यापी आंदोलन का आयोजन किया जिसमे उन्होने विपक्ष के दलों से सहयोग मांगा। मई 2010 में इस आंदोलन की क्रियान्वित करते हुए काठमाण्डू में जबर्दस्त प्रदर्शन करते हुए सरकार पर सत्ता छोड़ने का दबाव बनाया। सशस्त्र माओवादिओं ने स्कूल, बाजार बंद करवा दिये और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे, फलस्वरूप माओवादिओं की मांग और दबाव के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री ने पद छोड़ दिया[5]।

जनवरी 2011 में नेपाल में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सहयोग से कम्युनिस्ट विद्रोह समाप्त हो गया और झालानाथ खनाल को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन राजनीतिक दलों के गठबंधन में सरकार पर सहमति नहीं बन पाने के कारण राष्ट्रपति रामबरन यादव ने संसद को नया प्रधानमंत्री चुनने का आदेश जारी किया। जिसके बाद अगस्त 2011 में राजनीतिक अस्थिरता के बाद एक स्थिर सरकार बनाने के लिए वरिष्ठ माओवादी नेता बाबूराम भट्टराई को प्रधानमंत्री चुना गया।

नेपाल के नए संविधान के निर्माण के लिए तय समय सीमा के अंदर संसद संविधान का निर्माण करने में असफल सिद्ध हुई। इसलिए संसद को नवंबर 2011 में चौथा और अंतिम कार्यकाल प्रदान किया गया। लेकिन मई 2012 में राष्ट्रपति बाबूराम भट्टराई ने यह घोषणा की कि संविधान निर्माण कि प्रक्रिया में असफल संसद का नवंबर 2013 के चुनाव से पूर्व विघटन हो जाएगा। माओवादी नेता प्रचंड ने देश में राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए अहवाहन किया। नवंबर 2013 में हुए चुनाव में देश को राजनीतिक अस्थिरता से बाहर निकालने के लिए भारी मतदान हुआ जिसमे नेपाली कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में जीतकर उभरी और सुशील

[5] Rimal Gauri Nath (2009): Infused Ethnicities: Nepals Interlaced and Indivisible Social Moasaic-Kathmandu: Institute for Social and Environmental Transition &Nepal

कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री बने। परंतु प्रचंड ने इस चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और कहा ये परिणाम नेपाल को पीछे की ओर ले जाएगा। जनवरी 2015 में यू. सी. पी. एन. (एम) के प्रमुख प्रचंड ने संविधान निर्माण में अपने दल की उपेक्षा करने का आरोप लगया। हालांकि उनका दल संविधान सभा से बाहर नहीं गया।

नए संविधान के निर्माण करने का कार्य संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमबांग को सौंपा गया जो सत्ताधारी दलों के सांसदों को पसंद नहीं आया और कहा कि यह कार्य संविधान सभा अध्यक्ष का नहीं है। सांसदों का मानना था कि संविधान सभा की समिति यह कार्य संपादित करेगी और सभी संसद उसका सहयोग करने को तैयार है। लेकिन राजनीतिक दलों के बीच आपसी असहमति और खीचतान की वजह से टकराव की संभावना बढ्ने लगी। संविधान निर्माण की वैकल्पिक समयसीमा पर विचार विमर्श करने हेतु प्रधानमंत्री ने बैठक का आयोजन किया जिसमे नेपाली कांग्रेस, यू. सी. पी. एन. (एम) और मधेशी दलों ने हिस्सा लिया और यह स्वीकार किया कि संविधान निर्माण में अत्यधिक विलंब पहले ही हो चुका है परंतु अभी भी राजनीतिक दल आपसी विवादित मसलों पर सहमति नहीं बना पाये है। इन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने सभी राजनीतिक दलों को निर्धारित तिथि 22 जनवरी तक देश हित में संविधान निर्माण करने के लिए पत्र लिखा। एक अन्य पत्र में प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, सी. पी. एन. (यू. एम. एल.) प्रमुख पुष्प कमल दहल और यू. डी. एम. एफ. के संयोजक विजय कुमार गजधर को लिखते हुए कहा कि उन्हे आशा है कि नेपाल में राजनीतिक दल निर्धारित की गई अवधि के अंतर्गत लोकतान्त्रिक और समवेशी संविधान का निर्माण करने में सफल होंगे। परंतु यू. सी. पी. एन. (एम) और नेपाली कांग्रेस के मध्य प्रजातीयता आधारित संघवाद पर मतभेद हो गए। यू. सी. पी. एन. (एम) के सांसदों ने प्रजातीयता आधारित संघवाद का विरोध करते हुए कहा कि नेपाल एक बहु जातीय राज्य है जिसे देखते हुए किसी एक पहचान की जगह एक से अधिक पहचान की आवश्यकता है। इस दौरान 13 जनवरी 2015 को संयुक्त राष्ट्र के दूत नेपाल में संविधान निर्माण की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राजधानी काठमांडू

पहुंचे। सत्ताधारी दलों के नेतृत्व में राष्ट्रीय जन–मोर्चा के प्रमुख चित्रा बहादुर सहित संविधान सभा के 413 सदस्यों ने संविधान सभाध्यक्ष सुभाष नेमबांग को 22 जनवरी 2015 को संविधान की घोषणा करने की मांग की। लेकिन दूसरी तरफ प्रचंड ने संविधान सभा में मतदान द्वारा नए संविधान की घोषणा को पूर्ण रूप से अस्वीकार करने की बात कही। प्रचंड ने कहा कि आम सहमति बनाने की अपेक्षा संविधान सभा में विवादित मसलों पर मतदान कराया जाना चाहिए। अन्यथा सत्ताधारी दलों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे[6]।

22 जनवरी 2015 को नवनिर्मित संविधान की घोषणा के निर्धारित समय को संविधान सभा के चारों ओर किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए। अनेक प्रयासों के बावजूद भी, यू. सी. पी. एन. (एम), नेपाली कांग्रेस, सी. पी. एन. (एम) और मधेशी दलों के मध्य अनेक मसलों जैसे– संघवाद, सरकार के स्वरूप, न्यायपालिका और चुनाव व्यवस्था के प्रावधानों पर सहमति नहीं बन पाई, जिससे नया संविधान नहीं बन पाया। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमबांग ने संविधान सभा के सभी 31 राजनीतिक दलों के नेताओं के मध्य जारी गतिरोध को समाप्त करने हेतु आम–सहमति विकसित करने का आग्रह किया। यू. सी. पी. एन. (एम) के वरिष्ठ नेता बाबूराम भट्टराई ने तय समयसीमा में नेपाली जनता को संविधान न दे पाने के लिए क्षमा मांगी।

संविधान निर्माण के मुद्दे पर व्यापक असहमति को समाप्त करते हुए 8 जून 2015 को चार प्रमुख राजनीतिक दलों यू. सी. पी. एन. (एम), नेपाली कांग्रेस, सी. पी. एन. (एम) और मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ने संघवाद समेत प्रमुख विवादित मुद्दों पर एक 16 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। 11 जून 2015 को संविधान का प्रारूप तैयार करने का संविधान सभा में एक सभी राजनीतिक दलों की सहमति रिपोर्ट पेश की गई। संविधान सभा में 601 सदस्यों में से 25 सदस्यों ने नए संविधान का विरोध किया अन्य ने इसके पक्ष में मतदान किया। 20 सितंबर 2015 को राष्ट्रपति बाबूराम

[6] Jha H (2015): Nepal's New Constitution: An analysis from the Madhesi perspective- Retrieved from IDSA: Institute for Defence Studies and Analysis: http://www-idsa-in, September page-24

भट्टराई ने नेपाल के नए संविधान की घोषणा की। घोषणा के कार्यक्रम में संसद के सदस्य, संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख, मंत्रिमंडल के सदस्यों और नेपाली सुरक्षा बलों के उच्चा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नया संविधान नेपाल को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। नेपाल का यह संविधान नेपाल को एक राज्य–राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है क्योंकि नेपाली राज्य एकल पहचान, धर्म, विस्वास के स्थान पर जातीय विभिन्नता, बहु पहचान, बहु–भाषाओं को अपनाता है जो उसके राज्य–राष्ट्र होने का सबूत है। हालांकि अभी इस मार्ग में अनेक चुनौतियाँ है।

4.11 नेपाल में लोकतान्त्रिक व्यवस्था के समक्ष मुद्दे और चुनौतियाँ

लोकतन्त्र सबसे अधिक व्यापक और प्रभावशाली राजनीतिक प्रणाली है, परंतु इसे निरंतर बनाए रखना सबसे अधिक कठिन कार्य है। अन्याय और सामाजिक बहिष्कार से लोगों को मुक्ति प्रदान करने के मौलिक उद्देश्यों के साथ लोकतंत्र की शुरुआत होती है। नेपाल का लोकतन्त्र अभी शैशवा अवस्था में है जो विभिन्न मोर्चों से कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि अभी नेपाल के लिए पूर्ण लोकतन्त्र की स्थापना की आशा करना अत्यधिक जल्दबाजी होगी, क्योंकि लोकतन्त्र एक स्व–शिक्षा और आत्म–सुधार प्रणाली है, जिसके लिए लोगों को प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ लंबे वक्त तक निरंतर कार्य करने की आवश्यकता होती है।

नेपाल में एक अन्तरिम संविधान की घोषणा के साथ, लोकतन्त्र की नवीनतम लहर का सूत्रपात होता है, जिसका मूलभूत उद्देश्य लोकतन्त्र को प्रभावी ढंग से संस्थागत बनाने और सतत विकास के एजेंडे को मिलकर क्रियान्वित करना है। परंतु नेपाल की सामाजिक व्यवस्था के ताने–बने में लोकतन्त्र की जड़ों को गहरा और सशक्त बनाना नेताओं के लिए एक कठिन कार्य है।

चूंकि नेपाल एक पारंपरिक और बहुलवादी समाज है, जिस कारण शासन और नीति निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों की भागीदारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। कुछ जातीय समूह राष्ट्रीय जीवन के सभी महत्वपूर्ण

क्षेत्रों में अत्यधिक वर्चश्व रखते है। इसलिए यह बेहद अनिवार्य हो गया है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में आनुपातिक रूप से हाशिये के जातीय समूहों को शामिल करने के लिए राजनीतिक संस्थानो में बड़े सुधार किए जाए। नेपाल में एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज का निर्माण करने के लिए एक समावेशी लोकतन्त्र अति–आवश्यक है जिसकी स्थापना राज्य संस्थाओं में आमूलचूल सुधार लाने के पश्चात ही संभव है। राज्य को वर्ग, जाति, लिंग, जातीयता, और भूगोल के आधार पर अन्याय, असमानता और भेदभाव जैसी सदियों पुरानी सामाजिक विसंगतियों का समाधान करना चाहिए। नेपाली समाज की इन अमानवीय रोगजनक विसंगतियों का उन्मूलन किए बिना, एक लोकतान्त्रिक नेपाल के बारे में सोचना व्यर्थ है।

राजशाही की भूमिका एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोई भी नेपाली लोगों पर राजशाही की शक्ति और उसके प्रभाव पर संदेह नहीं कर सकता है। हालांकि, इतिहास से पता चलता है कि नेपाल में लोकतन्त्र और राजशाही की भूमिका एक दूसरे के विरोधाभाषी और शत्रुतापूर्ण रही गई है। अब राजशाही के सवाल पर आम–जनता में असहमति बनी हुई है, जिसे ठीक से संबोधित किया जाना चाहिए। इसी तरह नेपाली सेना का लोकतंत्रीकरण एक और महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा, माओवादी कैडर और राष्ट्रीय सेना के साथ राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित पीपुल्स लिबरेसन आर्मी का सुदृढीकरण नेपाल में लोकतन्त्र स्थापना का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू होगा। इस तथ्य के बावजूद कि नेपाल में राजनीतिक दल बहुदलीय लोकतन्त्र की रीढ़ है, फिर भी लोगों ने राजनीतिक दलों के नेताओं पर लोकतान्त्रिक मापदण्डों और मूल्यों के निरंतर क्षरण का आरोप लगाया है। अतीत में राजनीतिक दल राजनीतिक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार थे। राजनीतिक दलों में जनता के विश्वास का तीव्र गति से क्षरण हो रहा है क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक दल सत्ता उन्मुख है जनकल्याण उन्मुख नहीं। भ्रष्टाचार, पक्षपात, तीव्र संघर्ष शक्ति, भाई–भतीजावाद, एकाधिकार और सत्ता का दुरुपयोग कुछ मूलभूत चुनौतियाँ है जिन्हे नेपाल में लोकतान्त्रिक व्यवस्था और मूल्यों को स्थापित करने के लिए समाप्त करने की आवश्यकता है।

लोकतान्त्रिक सरकार के अधिकांश लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाए की बढ़ती उम्मीद भी एक गंभीर चुनौती है। माओवादियों का उभार लोकतांत्रिक समावेशन का एक और चिंताजनक कारक है। माओवादिओं की खुली और प्रतिस्पर्धी बहुदलीय राजनीति में आने की प्रतिबद्धता एक महत्वपूर्ण विकास है। परंतु माओवादियों द्वारा सशस्त्र संघर्ष लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। नेपाल में नए संविधान का निर्माण वास्तव में एक अच्छी शुरुआत है, परंतु लोकतन्त्र को लचीला और मजबूत बनाना नेताओं की कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। सभी नागरिकों के मध्य लोकतान्त्रिक मूल्यों और व्यवहार की एक निश्चित और कारगर समझ का निर्माण करने में नागरिक समाज समूहों, राजनीतिक दलों और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

यदि देश की ताकते एक मजबूत लोकतंत्र चाहती है तो उन्हे एक राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सक्रिय होना होगा जिसमें अतीत की गलतियों से सीखने, लचीलापन और क्रिया–प्रतिक्रिया की समस्या से बचने के लिए सक्रिय होना होगा। संकटों के मूल कारणो को दूर करने और आत्मविश्वास विकसित करने की आवश्यकता है। नेपाल में लोकतन्त्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि माओवादी धरातल पर कैसे कार्य करते है।

नेपाल राज्य के लोकतान्त्रिक विकास की रूपरेखा अध्याय के अंतर्गत नेपाल में राजशाही से लेकर लोकतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना तक विस्तृत वर्णन किया गया है। नेपाल में 1950 के जन–आंदोलन के द्वारा राणाशाही की समाप्ति तथा राजा त्रिभुवन की सत्ता के अधीन संवैधानिक राजतंत्र लागू करने की घोषणा की गई। राणा मोहन शमशेर, राजा त्रिभुवन और नेपाली कांग्रेस के मध्य अन्तरिम सरकार के गठन को लेकर 1951 में हुए समझौते से नेपाल में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ।

1950–51 का जन–आंदोलन आंतरिक और बाह्य शक्तियों के प्रभावी सहयोग का परिणाम था। राणा, राजा और राजनीतिक दलों जैसे हित समूहों को संतुष्ट कर एक नई व्यवस्था का विकास किया गया। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि

1950–51 के जन–आंदोलन से नेपाल का लोकतान्त्रिक व्यवस्था से स्पर्श ही सिर्फ हो पाया था और तीनों हित समूहों राणा, राजा और राजनीतिक दल के मध्य नेपाल एक प्रकार से सत्ता संघर्ष का मंच बन गया था। राजनेताओं की अनुभवहीनता एवं अक्षमता के कारण राजा त्रिभुवन नेपाल में क्रांति के जनक के रूप में लोकप्रिय नेता बन गए। राजा ने अपनी इस लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए अन्तरिम संविधान में कई संशोधन कर निरपेक्ष राजा के रूप में राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त कर लिया और संविधान सभा के चुनावों को आसानी से नाकाम कर दिया।

1955 में राजा बने महेंद्र ने भारत पर निर्भरता से नेपाल को मुक्त कराने का प्रयास किया और पारंपरिक मूल्यों पर जोर दिया। हिन्दू संस्कृति, नेपाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। निरंतर अस्थिर सरकार के चलते राजा ने एक नई दलविहीन व्यवस्था पंचायत प्रणाली को लागू किया। सही मायानों में कहे तो पंचायत व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को अवरुद्ध करते हुए राजा की स्थिति को मजबूत करने का माध्यम थी। राजा महेंद्र ने 1980 में पंचायत प्रणाली पर पुनः जनमत संग्रह कराया, जिसके परिणाम इस प्रणाली को जारी रखने के पक्ष में रहे। 1985 में राजनीतिक दलों से किए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता के कारण 1990 में एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया, जो पंचायत प्रणाली की समाप्ति और संवैधानिक लोकतन्त्र कि स्थापना का आंदोलन था। इस आंदोलन में सभी राजनीतिक दलों, छात्रों और सामाजिक संगठनो ने हिस्सेदारी की। शाही सरकार द्वारा दमन की कार्यवाही चलती रही लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी आंदोलन चलते रहे। इन परिस्थितियों के कारण मजबूर होकर राजा ने राजनीतिक दलों से प्रतिबंध हटा लिए और संवैधानिक राजतंत्र लागू करने की बात स्वीकार कर ली। 1990 के पश्चात गठित लोकतान्त्रिक सरकारों के कामकाज राजशाही के निरंतर हस्तक्षेप के चलते अस्थिर वातावरण बना रहा। इसी अवधि में माओवादिओं द्वारा 1996 से राजशाही के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया जो लगभग एक दशक तक चला। 1990 से लेकर 2006 तक के घटनाक्रम एवं संघर्ष का विस्तृत उल्लेख इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। 2006 में राजशाही की समाप्ति के पश्चात लोकतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना संविधान सभा के चुनाव एवं संविधान निर्माण के

प्रयासों का विस्तृत वर्णन इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। नेपाल में 20 सितंबर 2015 में नेपाल में नया संविधान स्वीकार कर लिया गया।

पंचम अध्याय

नेपाल में राज्य-राष्ट्र के अंतर्द्वंद में मधेशी आन्दोलन की भूमिका

पंचम अध्याय
नेपाल में राज्य–राष्ट्र के अंतर्द्वंद में मधेशी आन्दोलन की भूमिका

5.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपाल में राजनीतिक स्थिति सदैव उथल–पुथल भरी रही है, जैसा की अनेक विद्वानो का मानना है कि नेपाली राज्य एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। राणा काल में नेपाल विश्व के अन्य हिस्सों से प्रथक एक देश था। 1951 का आंदोलन नेपाल के राजनीतिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन लेकर आया था। 1951 के आंदोलन के माध्यम से कुलीनतंत्रीय राणा शासन को उखाड़ फेंका गया, परंतु राजा ने अपने शाही तख्तापलट से लोकतान्त्रिक प्रयोगों को बाधित कर दिया। राजा महेंद्र ने दलविहीन पंचायत प्रणाली पर आधारित राजशाही की निरपेक्ष प्रणाली की शुरुआत की, जो 1990 तक चलती रही। परंतु इस लोकप्रिय आंदोलन ने नेपाल में बहुपक्षीय लोकतन्त्र को बहाल करने में महती भूमिका का निर्वाह किया। राजा के निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए नेपाली जनता ने बहुदलीय लोकतन्त्र को स्थापित करने की मांगों को लेकर जन–आंदोलन आरंभ किया। लोकतन्त्र को बहाल करने के लिए इस आंदोलन को जन–आंदोलन के रूप में लोकप्रिय बनाया गया। जहां एक ओर नेपाल ने 1960–1990 और 2002–2006 तक निरंकुश शासन के समयकाल को देखा है, वहीं दूसरी ओर 1950–1960 और 1997–2002 तक अल्पकालिक लोकतान्त्रिक प्रयोगों का व्यापक अनुभव भी किया है। यह विशद है कि 1990 और 2006 नेपाल के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि इन वर्षो के दौरान नेपाल ने लोकतन्त्र के आगमन को देखा और उसका भागीदार रहा। 1990 में लोकतन्त्र के आगमन के पश्चात गजेंद्र नारायण सिंह जैसे नेता ने मधेशियों को लोकतान्त्रिक व्यवस्था में उचित स्थान देने की पुरजोर मांग की । 2007 से क्षेत्रीय

दल अधिक मुखर और आक्रामक होकर मधेशी आंदोलन के साथ आए है। इसलिए 1990 के दशक की अवधि ने नेपाल के लोकतन्त्र को पहचान प्रदान की।[1]

नेपाल में तीन स्थलाकृतिक क्षेत्र हैं पहाड़ (माउंटेन), पहाड़ियाँ (हिल) और तराई या मधेश। तराई को सामान्यतया मधेश कहा जाता है, यह क्षेत्र तराई निम्न भूमि के मध्य भाग को संदर्भित करता है, जो दक्षिणी नेपाल, भारत और भूटान तक फैला है। तराई क्षेत्र में नेपाल के 75 में से 20 जिले शामिल है, जो नेपाल की 26 मिलियन नागरिकों की आधी आबादी को शामिल करता है (Mikilian, 2009)। 'मधेश' शब्द की उत्पत्ति के बारे में भिन्न–भिन्न धारणाएं प्रचलित है, परंतु इसका शाब्दिक अर्थ 'मध्य देश' है जो सबसे अधिक स्वीकारजन्य है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ पहाड़ियों और मैदानों के मध्य का क्षेत्र है। जहां निवास करने वाले सीमांत समूह नेपाल राज्य के भीतर अपनी पृथक पहचान की आकांक्षा रखते है, और इसने उन्हे अपनी पृथक पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। एक मानव शास्त्री अध्ययन से यह पता चला है कि 'मधेश' मूल रूप से नेपाल की थारु जनजाति थे, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल आक्रमण के दौरान भारत के राजस्थान जिले से पलायन करके आए थे।

निहार नायक के अनुसार मधेशी आबादी में तीन प्रमुख समुदाए शामिल है और वो हैं जनजाति (थारु), राज्य प्रायोजित प्रवासन के कारण आजीविका की तलाश में पहाड़ों से पलायन करने वाले और तीसरे जिन्हे अक्सर भारतीय मधेशी कहा जाता है, जो 1950 से पूर्व बिहार और उत्तर प्रदेश से नेपाल चले गए थे। मधेशियों के बीच विभिन्न जातियाँ और जातीय समूह शामिल है जैसे– थारु, ब्राह्मण, यादव, तेली, चमार, मुस्लिम, भूमिहार, माली, सोनार, लोहार, राजधोबी, ताजपुरिया, तमोली, धनुक, झांगर डोम, मुशर, कठौनिया आदि। पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में भारतीय मधेशियों को भाषाई रूप से मैथली, भोजपुरी और अबधी में विभाजित किया गया है।

[1] Nayak N. (2011) , The Madhesi Movement in Nepal: Implications for India- Strategic analysis, p- 641

केंद्रीय सांख्यिकीय ब्यूरो द्वारा संचालित नेपाल की 2011 की जनगणना के अनुसार नेपाल की कुल जनसंख्या 26,494,504 है। जिसमें 2001 के पश्चात 3,343,08 की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार नेपाल की आबादी का 50.27 प्रतिशत भाग तराई क्षेत्र में निवास करता है, जो मूल रूप से 13.3 मिलियन है। तराई की इस कुल आबादी 1,737,470 में 6.56 प्रतिशत थारु जनजाति शामिल है। नेपाल की कुल आबादी में यादव 1,054,458 अर्थात 4 प्रतिशत, मुस्लिम 1,164,255 जो जनसंख्या का 4.4 प्रतिशत है। अगर मधेशी राजनीतिक दलों द्वारा बताई गई संख्या को माने तो नेपाल की जनसंख्या का कुल 28 प्रतिशत भाग अर्थात 7.3 मिलियन मधेशी लोग है। परंतु थारु और मारवाड़ी स्वयं, को मधेशी के रूप में नहीं मानते जिससे कुल मधेशी आबादी 20 प्रतिशत तक कम हो जाती है[2]।

2006 के द्वितीय जन आंदोलन के पश्चात मधेशियों का उदय नेपाल में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ और उन्होने लोकतान्त्रिक व्यवस्था में स्वयं की आवाज को मुखर करते हुए पहाड़ी क्षेत्र को चुनौती देकर नेपाली राष्ट्रवाद में अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए मांग की। मधेशी पहचान का मुद्दा जनवरी 2007 में अचानक सम्मुख नहीं आया, इस आंदोलन की शुरुआत विभिन्न कारणों से हुई। मधेशी लोगो के साथ भेदभाव का एक लंबा इतिहास है जो मधेशी संघर्ष की जड़ है। जनवरी 2007 में प्रारम्भ हुए मधेशी विद्रोह को समझने के लिए इसके पीछे के मौलिक कारणों को समझना आवश्यक है। पिछले पाँच दशकों से मधेशी नेपाल सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों, नागरिकता और भाषा के कानूनों के साथ–साथ नौकरशाही और सेनाओं में भर्ती प्रक्रियाओं की भेदभावपूर्ण नीतियों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ रखा है।

मधेशी आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा नागरिकता का है, क्योंकि मधेशी आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग नागरिकता प्रमाणपत्र रहित है, जो मधेशी आबादी के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ी संस्कृति के लोग और क्षेत्रीय संस्कृति के लोग एक दूसरे के साथ संदेह की स्थिति में रहते है।

[2] Central Bureau of Statistics C (2012), National population and Housing Census 2011- Kathmandu: Natioanal Planning Commission] Government of Nepal

इस संदेह को दर्शाते हुए राष्ट्रीय पहाड़ी संस्कृति के प्रतिनिधियों ने 1960 के दशक के दौरान नागरिकता कानून बनाया, जिससे तराई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए नागरिकता को प्राप्त करना कठिन हो गया 1990 में नेपाल में लोकतन्त्र की पुनर्रबहाली के पश्चात निर्मित नागरिकता कानून 1960 के दशक में निर्मित कानून से भिन्न नहीं है। परंतु 1950 के दशक में निर्मित नागरिकता कानून गैर–भेदभावपूर्ण था। हालांकि 1960 के दशक में बनाया गया नागरिकता कानून भेदभावपूर्ण था, क्योंकि इसे शाही और राजनीतिक तख्तापलट के पश्चात बनाया गया था। इस नागरिकता अधिनियम में राष्ट्रीय भाषा नेपाली को बोलने और लिखने की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया। जिस कारण इस प्रावधान ने मधेशियों को उनके नेपाली बोलने और लिखने में अधिक सक्षम न होने के कारण उन्हे नागरिकता प्रमाण पत्र से वंचित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मधेशियों के लिए नेपाल में भूमि खरीदना या पंजीकरण कराना कठिन हो गया[3]।

मधेशियों का मानना है कि वे वंचित है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सरकारी संगठन उन्हे रोजगार देने से इंकार करते है, और नेपाल में विभिन्न कृत्यों के द्वारा उनकी भूमि को पंचायत और राजशाही के काल से ही समय–समय पर जबरदस्ती अधिकृत की गई। वे उच्च जाति के पहाड़ी प्रवासी समुदायों के साथ साथ राज्य के द्वारा भी शोषित महसूस करते है। उदाहरण के लिए, नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग ने नेपाली भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में और आधिकारिक कार्यों के लिए भी अनिवार्य बना दिया है। 1959 में प्रथम बार निर्वाचित प्रधानमंत्री बी. पी कोइराला ने हिन्दी भाषा को मधेश में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। हालांकि राजा महेंद्र ने तख्तापलट के पश्चात इस निर्णय को परिवर्तित कर दिया, और नेपाली भाषा, नेपाली वेषभूषा को जीवन से अधिक प्रेम होने की बात कही, जो तराई के लोगों के लिए एक कठिनाई बन गई। मधेशियों का मानना है कि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाए हैं। कहा जाता है कि देश के कुल राजस्व का 76 प्रतिशत मधेश क्षेत्र से एकत्रित किया जाता है,

[3] Pathak B & Chitra N.(2007), Madhes Violence: Identity clash in Nepal- Retrieved from Madhesi voice: http://www-madhesi-wordpress-com

परंतु इस क्षेत्र में गुणवत्ता वाले स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य सुविधाएं नही हैं।

मधेशी संघर्ष की जड़ों को 1951 में खोजा जा सकता है, जब नेपाल तराई नामक दल को बेदानंद झा के नेतृत्व में मधेशी क्षेत्रीय स्वायतता की वकालत के लिए गठित किया गया था। परंतु यह दल चुनावी राजनीति में लोगो का समर्थन हांसिल करने में विफल रहा था तथा 1959 के संसदीय चुनावों में सभी सीटें खो दी थी। तब 1956 में रघुनाथ ठाकुर ने मधेशी मुक्ति आंदोलन का गठन किया था। इन दोनों संगठनों (नेपाल तराई कांग्रेस और मधेशी मुक्ति आंदोलन) ने मिलकर सत्ताधारी कुलीन वर्ग द्वारा मधेशियों के खिलाफ किए जा रहे शोषण और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई। 1983 में पुनः गजेंद्र नारायण सिंह ने नेपाल सद्भावना परिषद नाम के संगठन की स्थापना की जिसने मधेशी पहचान की राजनीति को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। इस संगठन का मूल उद्देश्य मधेशियों के खिलाफ किए जा रहे भेदभाव का मुकाबला करना था। आगे चलकर यह संगठन नेपाल सद्भावना पार्टी में परिवर्तित हो गया। जिसने 1991, 1994 और 1999 के आम चुनाव में पार्टी के घोषणापत्र में सरकार की एक संघीय प्रणाली, सेना में एक पृथक बटालियन और नागरिकता की उदार नीति को शामिल किया[4]।

2000 के बाद से मधेश में माओवादी विद्रोह की वृद्धि उग्रवादी मधेशी राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए हुई। परंतु इस जातीय क्षेत्रीय विषय वस्तु को एक व्यापक परिदृश्य में वामपंथी विद्रोही की छवि के रूप में देखा गया। इसमें सीपीएन (माओवादी) का योगदान यह था कि इसने वंचित मधेशी समाज के लोगों की सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को महत्व दिया। इसमें मधेशी जन अधिकार फोरम (MJF) के प्रवेश ने उग्रवादी मधेशी सक्रियता और मधेशी राष्ट्रवाद को बढ़ाने में मदद की। 2007 से अन्य क्षेत्रीय दल इस परिदृश्य में और अधिक आक्रामक और मुखर होकर सामने आए। मधेशी पहचान आधारित सशस्त्र समूह

[4] Asian Centre for Human Rights ACHR (2009) Madhes: The Challenges and Opportunities for a Stable Nepal Briefing Papers on Nepal] Issue 3 New Delhi: ACHR

जैसे जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (JTMM), स्वयं को मधेशी लोगों का वास्तविक प्रतिनिधि मानते हैं।

जनवरी 2007 में नेपाल के तराई क्षेत्र में उत्पन्न हुए मधेशी विद्रोह को कुछ प्रमुख विरोध प्रदर्शनों और हिंसा द्वारा चिन्हित किया गया था। पर 16 दिसंबर 2006 को नेपाल के अन्तरिम संविधान की घोषणा के पश्चात 8 राजनीतिक दलों ने सम्पूर्ण नेपाल में विरोध प्रदर्शनों की एक व्यापक शृंखला शुरू की, तथा तराई क्षेत्र में अन्तरिम संविधान की प्रतियों को जलाने की कार्यवाही की। इस दौरान सशस्त्र मधेशी और गैर–सशस्त्र दलों में अत्यधिक नाटकीय वृद्धि देखी गई। मधेशी जन अधिकार फोरम (MJF) ने विरोध प्रदर्शन को गति देते हुए कहा कि अन्तरिम संविधान मधेशी लोगों की मांगों को पूरा करने में विफल है, क्योंकि इसका निर्माण पहाड़ी नेपाली लोगों के द्वारा तैयार किया गया है, जो तराई के लोगों की समस्याओं को समझने और उनकी तरफ ध्यान दिलाने में असफल है। तराई क्षेत्र में यह आंदोलन राज्य और तराई क्षेत्र के दलों के मध्य पूर्ण संघर्ष बन गया। इससे तराई क्षेत्र में हिंसा की अनेक घटनाएँ हुई जिसमें मधेशी जन अधिकार फोरम (MJF) के द्वारा सरकार और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के कार्यालयों को जला दिया गया[5]।

2015 में पुनः नेपाल में नाकाबंदी शुरू हुई। और इसका मूलभूत कारण 20 सितंबर 2015 को नेपाल के नए संविधान का लागू होना था। मधेशियों का स्पष्ट मानना था कि यह संविधान मधेशियों की मौलिक समस्याओं को समझने और उनको इंगित करने में विफल रहा, जो कि तराई क्षेत्र कि 70 प्रतिशत आबादी है। मधेशी नवनिर्मित संविधान के सात संघीय राज्यों के गठन को भी अनुचित मानते थे। इसके अनुसार पूर्व में सप्तरी जिले से लेकर तराई में परसा जिले तक केवल आठ जिलों को एक राज्य का दर्जा दिया गया था तथा बाकी के 12 जिलों को पहाड़ी जिलों के साथ जोड़ने का प्रावधान किया गया था। हरिबंश झा कहते हैं कि संघीय राज्यों की इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य स्थानीय लोगों को अल्पसंख्यक के रूप

[5] Chaudhury Deepak (2011) Tarai/Madhes of Nepal: An Anthropological Study Kathmandu: Ratna Pusthak Bhandar

में परिवर्तित करने के लिए की गई थी। नवनिर्मित संविधान के लागू होने के पश्चात नेपाली कांग्रेस और सीपीएन– यूएमएल (संयुक्त मार्क्सवादी लेनिनवादी) जैसे सत्तारूढ़ दलों ने जश्न मनाया, परंतु मधेशी राजनीतिक दलों और थारु संघर्ष समिति ने इसे 'काला दिवस' के रूप में मनाया (हरिबंश, झा, 2015)। यह मधेशियों का अपने अधिकारों के लिए सरकार के विरुद्ध एक राजनीतिक संघर्ष था। माओवादियों ने तराई के लिए पांच प्रांतों– अवधी, मिथिला, भोजपुर, थारुवन और कोचिला का भी प्रस्ताव रखा था। परंतु मधेशी माओवादियों से इस कारण से नाराज थे, क्योंकि मधेशी तराई में एक प्रांत की मांग कर रहे थे। 2009 के उपरांत माओवादियों ने मधेश को दो इकाइयों में विभाजित करने की बात की थी। प्रतनाम– थरुवन (पश्चिम में) और द्वितीय– मधेश (पूर्व में)। इससे मधेशी नेता और अधिक नाराज हो गए हैं।

अचिन विनायक ने अपने लेख **'द न्यू हिमालयन रिपब्लिक'** में कहा है कि तनाव के बीज राज्य और मधेशियों के मध्य, स्वयं मधेशी समूहों के मध्य, मधेशियों और पहाड़ी मूल के निवासियों के मध्य थे[6]।

5.2 मधेशी आंदोलन के उद्देश्य

मधेश क्षेत्र इंडो–गंगा के मैदानों की उत्तरी सीमा है। यह नेपाल के दक्षिणी क्षेत्र में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है। यह उत्तर में पहाड़ियों और दक्षिण में इंडो–गंगा के मैदानों के मध्य स्थित है और इसलिए इसे 'मध्य देश' कहा जाता है। मधेश न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी पहाड़ियों से पृथक है। इस क्षेत्र के अधिकांश लोगमैदानी क्षेत्र के लोग हैं, जिंका धर्म, भाषा, परम्पराएँ, जातीय व्यवस्था, सामाजिक रीति–रिवाज समान हैं। इंडो–गंगा के मैदानी क्षेत्र के लोग नेपाल के पहाड़ी लोगों से पृथक हैं। नेपाल में यह विचार अत्यंत प्रभावी है कि 'मधेश' सिर्फ एक भौगोलिक शब्द नही है बल्कि इसमें सांस्कृतिक अर्थ भी है। इस क्षेत्र में हाशिये और वंचित पड़े समूहों की नेपाल के अंदर एक पृथक पहचान बनाने की इच्छा ने उन्हे मधेशी के रूप में पहचान दी। यह अध्याय मधेश में लोगों की

[6] विनायक अचिन द न्यू हिमालयन रिपब्लिक

इच्छा के बारे में है कि उनकी एक पृथक पहचान और आंदोलन है जो बाद में नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ।

5.3 मधेशी आंदोलन की उत्पत्ति और कारण

मधेशी क्षेत्र की मांग को 1950 में राणा विरोधी क्रान्ति से जोड़कर देखा जा सकता है और 1950–51 में तराई कांग्रेस के गठन के साथ स्वायत्त मधेश की मांग की गई। मधेशियों की शुरुआती मांगे थी कि हिन्दी को अन्य भाषाओं के साथ आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए तथा साथ साथ मधेशियों को नागरिक सेवाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। 1951 में राजनीतिक परिवर्तन हुआ और राणा शासन को प्रतिस्थापित कर उसकी जगह गठबंधन सरकार ने ले ली। इस गठबंधन सरकार में राजा त्रिभुवन, राणा वंश के सदस्य और नेपाली कांग्रेस के सदस्य थे। इसने 'स्वायत्त मधेश' की मांग को कम कर दिया। नेपाल में 1990 के लोकप्रिय विद्रोह के साथ मधेशी पहचान की अवधारणा को व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया, जिस कारण राजनीतिक विमर्शों में मधेशी शब्द को प्रमुखता मिली। 1997 में मधेशी जन अधिकार फोरम की स्थापना के साथ मधेशी आंदोलन को और अधिक गति मिली।

मधेशी जन अधिकार फोरम का मुख्य उद्देश्य मधेशियों और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मुख्यधारा में लाना था। इसके लिए मधेशियों ने राजनीतिक दलों पर अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव की रणनीति का प्रयोग किया। नेपाल में राजशाही से लोकतन्त्र के संक्रमण काल में 'स्वायत्त मधेश' का मुद्दा 2007 में पुनः उभरा। इसे मधेश आंदोलन 2007 कहा जाता है। यह मुद्दा नेपाल के अन्तरिम संविधान में 'संघवाद' को शामिल न करने पर केन्द्रित था, क्योंकि मधेशी जन अधिकार फोरम ने संघवाद को अन्तरिम संविधान में शामिल करवाने का वादा किया था। मधेशियों के लिए संघवाद नेपाली राज्य के पुनर्गठन का एक कदम था, जिसका तात्पर्य था तराई की क्षेत्रीय स्वायतता, मधेशियों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व और संसद में मधेशियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि। 30 अगस्त 2007 को नेपाल सरकार और मधेशी जन अधिकार फोरम के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें

नेपाल की सरकार ने उनकी मांगे स्वीकार कर ली, और मधेशियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। परंतु सितंबर 2015 में नेपाल के संविधान की घोषणा के पश्चात मधेशियों ने इसे असंतोषजनक पाया। परिणामस्वरूप उन्होने संविधान का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि संविधान में आठ प्रांत माडल की बजाए सात प्रांत माडल को अपनाया गया था। मधेशियों का कहना था की यह उनकी मांग के खिलाफ है जो मधेशियों और अन्य अल्पसंख्यकों को गुलाम बनाने का साधन है। मधेशियों ने तर्क दिया कि संविधान पहाड़ी लोगों को बड़ा हिस्सा देने के लिए बनाया गया है तथा आबादी में मधेशियों की संख्या अधिक होने के बावजूद भी उनकी हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व को कम किया जा रहा है। इस कारण मधेशियों ने मध्य–पश्चिम, मधेश और करनाली क्षेत्रों में संविधान को खारिज करते हुए उसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और कई लोग इसमें घायल हो गए। संविधान में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था और समावेशन की प्रक्रिया से मधेशी असंतुष्ट थे। उन्होने इसे राजनीतिक व्यवस्था में उनके हाशिये पर जाने की दिशा में एक कदम बातया। इसके अलावा वे प्रांतीय संघीय ढांचे और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संतुष्ट नही थे। उनका कहना था कि प्रतिनिधित्व का मुद्दा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार नही किया गया है। मधेशियों ने नागरिकता कानून को भी अपने प्रति भेदभावपूर्ण पाया, क्योंकि इसने नेपाली महिलाओं के नागरिकता अधिकारों को छीन लिया यदि वह किसी विदेशी पुरुष के साथ विवाह करती है। परंतु यह व्यवस्था नेपाली पुरुषों पर लागू नहीं थी। यह कानून मधेशियों के लिए भेदभावपूर्ण था, क्योंकि इस प्रांत में भारतीयों के साथ सीमापार विवाह संबंध सामान्य बात है। उस समय प्रांतीय सीमांकन और नागरिकता कानून को छोड़कर जनवरी 2016 के संवैधानिक संशोधन बिल में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे को ही केंद्र में रखा गया था[7]।

[7] Mathema Kalyan Bhakta (2011), Madhesi Uprising: The Resurgence of Ethnicity Kathmandu: Mandala Books

5.3.1 बहिष्करण और भेदभाव

मधेशियों के खिलाफ राज्य का भेदभाव, बहिष्करण और नकारात्मक रुख ऐसे कारक थे, जिन्होने मधेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। मधेशियों को साथ लंबे समय से गैर–नेपाली कहकर उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है। लंबे समय से किए जा रहे भेदभाव और बहिष्करण ने मधेशियों और अन्य अल्पसंख्यकों के मध्य पहचान का संकट उत्पन्न कर दिया। इसलिए मधेशी आंदोलन नेपाली राज्य के विरुद्ध मधेशियों की नाराजगी का स्वाभाविक परिणाम था। मधेशियों के प्रति राज्य का नकारात्मक रुख और भेदभाव की अत्यधिक चौड़ी खाई पाई गई, जिसने आंदोलन को प्रेरित करने का कार्य किया। इसी तरह तराई क्षेत्र को 1951 से पूर्व एक कालोनी के रूप में देखा गया था और मधेशियों को काठमांडू में प्रवेश के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती थी। आखिरकार मुख्यधारा की राजनीति से मधेशियों के बहिष्कार ने उनके मध्य पहचान का संकट उत्पन्न कर दिया।

नेपाल के चुनाव आयोग के अनुसार, 1991 के संसदीय चुनाव में केवल 20 प्रतिशत मधेशी सदस्य थे। जबकि इनकी आबादी कुल जनसंख्या का 33 प्रतिशत है। इसी तरह मधेशियों को प्रशासनिक भागीदारी से बाहर रखा गया जैसे, नौकरशाही, पुलिस और सेना में मधेशियों का प्रतिनिधित्व केवल 9 प्रतिशत पाया गया। इसी तरह मधेश क्षेत्र में गरीबी की स्थिति अधिक है यह 27.60% है जो औसत गरीबी की स्थिति से कम है। दहल ने अपनी पुस्तक 'द मधेशी पीपल ईसूज एंड चौलेंजेज इन नेपाल तराई' में उल्लेख करते हुए कहा है कि मधेशी लोग सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पहाड़ी लोगों से अपेक्षाकृत पिछड़े हैं[8]।

गेलनर (चित्र 1) में बताता है कि मधेशियों को नेपालियों के हृदय से और भी दूर माना जाता है। चित्र 1 बताता है कि मधेशी और भोटिया (उच्च हिमालयी निवासी) नेपाल में बहिष्कार और भेदभाव के सबसे निचले स्तर पर हैं। और इसमें

[8] दहल 'द मधेशी पीपल ईसूज एंड चौलेंजेज इन नेपाल तराई,'**सेज प्रकाशन**

खस–आर्य (शासक जाति) और नेवार में उच्च जातियाँ जो राजतंत्र का मुख्य भाग रही है वह अत्यधिक लाभ ले रही हैं[9] ।

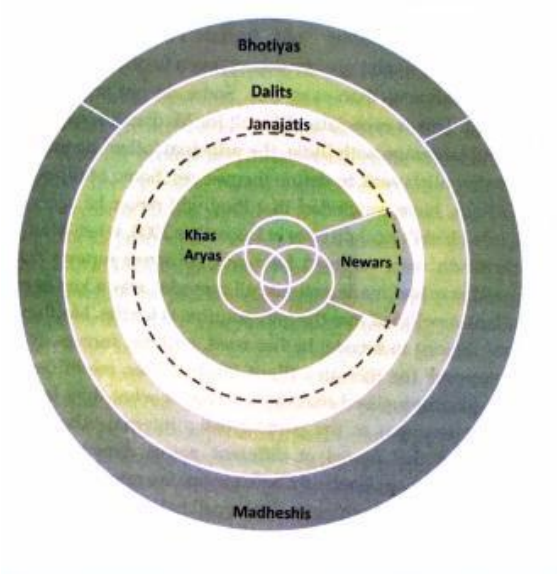

चित्र 5.1: नेपाल में जातीय समूहों का पदानुक्रम और प्रतिनिधित्व
(स्त्रोतः गेलनर, 2016)

5.3.2 नागरिकता

मधेशी आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा नागरिकता का है, क्योंकि मधेशी आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग नागरिकता प्रमाणपत्र के बिना है जो मधेशी आबादी के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ी संस्कृति के लोग और क्षेत्रीय संस्कृति के लोग एक दूसरे के साथ संदेह की स्थिति में रहते है। इस संदेह को दर्शाते हुए राष्ट्रीय पहाड़ी संस्कृति के प्रतिनिधियों ने 1960 के दशक के दौरान नागरिकता कानून बनाया, जिससे तराई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए नागरिकता को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। 1990 में नेपाल में लोकतन्त्र की पुनर्र बहाली के पश्चात बनाया गया नागरिकता कानून 1960 के दशक में बनाए गए कानून से भिन्न नहीं है[10]।

[9] Dahal, D. R. (2008), The Madhesi People: Issues and Challenges of democracy in the Nepal's Terai Sage Publications India Pvt- Ltd
[10] Dahal D R (2008), The Madhesi People: Issues and Challenges of democracy in the Nepal's Terai- p-143- New Delhi: Sage Publications India Pvt- Ltd

5.3.3 आर्थिक शोषण

लाओटी एंड हैंगन के अनुसार, तराई क्षेत्र में लोगों के असंतोष के पीछे एक मौलिक कारण यह है कि उनका क्षेत्र आर्थिक रूप से शोषित है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो तराई क्षेत्र विशेष रूप से पृथक रहा है। 1770 के दशक की राजस्व प्रणाली ने तराई क्षेत्र को राजस्व के स्त्रोत के रूप में इस्तेमाल करने उसे और शासक परिवारों तथा उच्च अधिकारियों को उनके समर्थन के एवज में वितरित करने की प्रथा को स्थापित किया। नेपाली राष्ट्र–राज्य के घटक तत्व के रूप में तराई क्षेत्र को एक आंतरिक उपनिवेश मानने की यह प्रथा राणा शासन में भी निरंतर जारी रही। राणा शासकों ने तराई क्षेत्र को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में देखा और सफलतापूर्वक राजस्व का अत्यधिक आवंटन किया। शाहों की भांति राणाओं ने भी इस क्षेत्र को विकसित करने से परहेज किया कि यह ब्रिटिशों को आकर्षित करेगा और भारतीय राज्य से क्रांतिकारी विचारों को आमंत्रित करेगा। हालांकि तराई क्षेत्र प्राकृतिक रूप से खनिजों से समृद्ध है परंतु मधेशियों का बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से वंचित है। मधेश या तराई क्षेत्र से नेपाल के कृषि उत्पादन का 70 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद का 65 प्रतिशत हिस्सा आता है। तथा कुल राजस्व का 76 प्रतिशत हिस्सा तराई क्षेत्र से ही एकत्र किया जाता है। बावजूद इसके इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं जैसे–स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं का अभाव है। पहाड़ी क्षेत्र में निवास अकर्ने वाले लोगों की तुलना में मधेशी अत्यधिक गरीब हैं। प्राकृतिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद भी तराई क्षेत्र में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है और प्रति व्यक्ति आय पहाड़ी लोगों से कम है। राजशाही के शासनकाल में मधेशियों की उपजाऊ भूमि को भूमि सुधार के रूप में पहाड़ियों को दे दिया गया था[11]।

[11] Lawoti M (2005), Towards a Democratic Nepal: Inclusive Political institutions for a multicultural society- New Delhi: Sage Publications138

5.3.4 मधेशी आंदोलन में संघर्ष और राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद

मधेशी आंदोलन जनवरी 2007 में तब भड़का जब नेपाल के अन्तरिम संविधान में संघवाद को राजनीतिक व्यवस्था के रूप में और मधेशियों को आबादी के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान नही किया गया था। यह माना जाता था कि मधेशी क्षेत्र के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या और चुनाव प्रणाली संविधान सभा में सभी सामाजिक समूहों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की गारंटी देने में सक्षम नहीं होगी। विरोध के प्रतीक के रूप में माइटीघार और काठमांडू में अन्तरिम संविधान के पृष्ठ जला दिये गए थे। परिणामस्वरूप मधेशी जन अधिकार फोरम के अध्यक्ष उपेंद्र यादव हिरासत में लिए गए और उन पर कई मामले दर्ज किए गए। इसके जवाब में जन अधिकार फोरम ने मधेश क्षेत्र में हड़ताल की घोषणा की। जिसमें मधेशी नेताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के कैडरों, बुद्धिजीवियों और आम मधेशी लोगों ने भागीदारी की। यह संघर्ष 22 दिनों तक चलता रहा जिसमें 4 दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी जान गवा दी। परिणामस्वरूप मधेशी मांगों पर विचार करने के लिए अन्तरिम संविधान में तीन महीने के अंदर दो बार संशोधन किया गया। किए गए संशोधन के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्र संख्या की वृद्धि, समावेशन, मधेशियों और अन्य अल्पसंख्यकों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अन्तरिम संविधान में शामिल किया गया था। इसी दौरान मधेशी जन अधिकार फोरम ने चुनाव आयोग में एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण कराया। इसी तरह तराई–मधेश पार्टी का गठन भी नेपाली कांग्रेस और संयुक्त मार्क्सवादी लेनिनवादी (यूएमएल) के विभिन्न नेताओं द्वारा किया गया था। गठन के पश्चात इन दोनों दलों ने 22 बिन्दुओं के समझौतों को पूरा करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। मधेशी दलों और सरकार के मध्य दूसरी बार 16 फरवरी 2008 को 8 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। संघवाद, निर्वाचन क्षेत्र संख्या और समावेशन सुनिश्चित करने के उपरांत अप्रैल 2008 में संविधान सभा का चुनाव सम्पन्न हुआ। संविधान सभा ने मई 2008 को नेपाल को एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्र घोषित किया, जो नेपाल के इतिहास में एक संरचनात्मक परिवर्तन था। इसने आम–जन की संप्रभुता की स्थापना की, क्योंकि इससे पूर्व संप्रभुता राजा के अधीन थी।

संविधान सभा के चुनाव के उपरांत मधेशी दल शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों के रूप में उभरे और माओवादी दल सबसे बड़ा दल बना। परंतु दोनों दलों में से किसी के पास बहुमत नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारों ने देश का नेतृत्व किया। दुर्भाग्य से संविधान सभा संघीय विवाद के कारण अपने निर्धारित समय सीमा में संविधान का निर्माण नही कर सकी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने पहचान और सामर्थ्य के आधार पर 10 से अधिक प्रान्तों की सिफारिश की। हालांकि पहचान और सामर्थ्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। मई 2015 में भूकंप के पश्चात राजनीतिक दलों ने सितंबर 2015 में सात प्रान्तों की पहचान की अवधारणा को खारिज कर दिया। जिससे मधेशियों और जनजातीयों ने पहचान आधारित संघवाद और समावेशन के लिए विरोध शुरू कर दिया। इस बीच भारत ने नेपाल को अपना राजदूत भेजकर शांत करने का प्रयास किया और सरकार को अल्पसंख्यकों की जायज मांग को शामिल करने के लिए मनाने की कोशिस की, ताकि संविधान आम–जन को और अधिक स्वीकार्य हो सके। भारत की चिंता यह थी कि तराई अथवा मधेश क्षेत्र में व्यापक संघर्ष से भारत–नेपाल सीमा में उनकी सुरक्षा को चुनौती मिलेगी। हालांकि 20 सितंबर 2015 को प्रमुख राजनीतिक दलों ने दबाव और विरोध के बावजूद संविधान को अंगीकार किया। हालांकि संविधान के प्रति मधेशियों और अन्य अल्पसंख्यकों का असंतोष अभी भी कायम है।

5.3.5 आंतरिक संघर्ष

मधेशी आंदोलन में आंतरिक संघर्ष के कारण कई मधेशी कट्टर समूहों ने पहाड़ी में बसने वाले लोगों को तराई क्षेत्र से बाहर निकालने की धमकी दी। जिस कारण तराई क्षेत्र में निवास करने वाले पहाड़ी लोगो में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई क्योंकि वह जबरन वसूली के शिकार थे। जिस कारण से पहाड़ी लोगों का तराई क्षेत्र से पलायन शुरू हो गया। परंतु मधेशी नेताओं ने पहाड़ियों के इस पलायन को एक अलग नजरिये से पेश किया उनका कहना था कि पहाड़ी लोगों का तराई क्षेत्र से पलायन का कारण सत्ता खोने का डर था। तराई क्षेत्र में में रहने वाले पहाड़ी समूहों ने बारी–बारी से उग्रवादी एकता समाज जैसे संगठनो की स्थापना की, जो

महतारी और सरलाही जैसे जनपदों में सक्रिय हो गए। पहाड़ी समूहों के यह संगठन मधेशियों की सभी मांगों का विरोध करते है और दावा करते हैं कि अधिकांश मधेशी ऐसे भारतीय है जिन्होने नकली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त किया किया है। पहाड़ी समूह इन मधेशी शक्तियों के विरुद्ध आक्रामक है।[12]

5.3.6 पहाड़ी–मधेशी संघर्ष

नेपाल में मधेशियों के मध्य एक अन्य प्रकार का संघर्ष पहाड़ी मधेशी और तराई में समूहों और राजनीतिक शक्तियों के बीच है। पहाड़ी मधेशी संघर्ष थारु मधेशी संघर्ष से अधिक गतिशील है। पहाड़ी मूल के लोग तराई क्षेत्र की कुल आबादी का लगभग 33 प्रतिशत है। उनमें से कई लोग सदियों से तराई क्षेत्र में निवास करने का दावा करते है, परंतु मधेशियों ने तराई में 1960 के दशक में राजा महेंद्र द्वारा एक व्यवस्थित योजना के संदर्भ में तराई क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को देखते हुए तराई की जनसांख्यिकी को परिवर्तित कर दिया (चकमा, 2009)।

मधेशी आंदोलन में आंतरिक संघर्ष के कारण कई मधेशी कट्टर समूहों ने पहाड़ी में बसने वाले लोगों को तराई क्षेत्र से बाहर निकालने की धमकी दी। जिस कारण तराई क्षेत्र में निवास करने वाले पहाड़ी लोगो में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई क्योंकि वह जबरन वसूली के शिकार थे। जिस कारण से पहाड़ी लोगों का तराई क्षेत्र से पलायन शुरू हो गया। परंतु मधेशी नेताओं ने पहाड़ियों के इस पलायन को एक अलग नजरिये से पेश किया उनका कहना था कि पहाड़ी लोगों का तराई क्षेत्र से पलायन का कारण सत्ता खोने का डर था। तराई क्षेत्र में रहने वाले पहाड़ी समूहों ने बारी–बारी से उग्रवादी एकता समाज जैसे संगठनो की स्थापना की, जो महतारी और सरलाही जैसे जनपदों में सक्रिय हो गए। पहाड़ी समूहों के यह संगठन मधेशियों की सभी मांगों का विरोध करते है और दावा करते हैं कि अधिकांश मधेशी ऐसे भारतीय है जिन्होने नकली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त किया किया है। पहाड़ी समूह इन मधेशी शक्तियों के विरुद्ध आक्रामक है[13]।

[12] Nayak N (2011), The Madhesi Movement in Nepal: Implications for India- Strategic analysis p- 641
[13] Nayak N (2011), The madeshi movement in Nepal: Implications for India- Strategic Analyssis 40 & 660

5.3.7 मधेशी और माओवादी दलों के मध्य संघर्ष

मधेशी आंदोलन में आंतरिक संघर्षों के बारे में चर्चा करते समय माओवादियों और मधेशी दलों के मध्य संघर्ष भी महत्वपूर्ण हो जाता है। माओवादियों ने 1996 में गृह युद्ध की शुरुआत की थी जो 2006 में नेपाल सरकार द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी CPN(M) के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात समाप्त हो गया था। तराई के राजनीतिक उच्च वर्ग का मानना था कि किस तरह से जातीय विभाजन का इस्तेमाल समर्थकों पर दबाव बनाकर उन्हे काठमांडू में एकत्रित करने के लिए किया जा सकता है और उन्होने इसी तर्ज पर मधेशी पहचान आंदोलन का निर्माण करना शुरू कर दिया है। माओवादी गृह युद्ध की अवधि के दौरान 1997 में उपेंद्र यादव द्वारा मधेशी जन अधिकार फोरम (एमजेएफ) का गठन इस विकास में एक मील का पत्थर था। मूल रूप से तराई के नागरिकों के लिए एक शैक्षणिक मंच उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनने के लिए एक सशक्त माध्यम का कार्य करता है जिसमें पहाड़ियों द्वारा मधेशियों के भेदभाव को संबोधित किया जाता है। नेपाल माओवादी और सरकार की कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य दस साल के गृह युद्ध के दौरान मधेशी जन अधिकार फोरम (एमजेएफ) अधिक राजनीतिक और कट्टरपंथी बन गया। उपेंद्र यादव सहित एमजेएफ नेताओं को माओवादियों के साथ सहानुभूति थी। मधेशी जन अधिकार फोरम माओवादियों के साथ अपने गठबंधन को अधिक वित्तीय और सैन्य समर्थन, स्वदेशी राष्ट्रीय आंदोलन की तुलना में अधिक तेजी से जुटाने में सक्षम था। परंतु 2006 में माओवादियों ने नेपाल सरकार के साथ एक व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद माओवादी आंदोलन में उच्च श्रेणी वाले मधेशियों को दरकिनार कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप मधेशियों ने स्वदेशी सामाजिक लामबंदी की रणनीति की शुरुआत की, ताकि राज्य पर रणनीतिक हमला करने के लिए माओवादियों के साथ भागीदारी से अनुभव प्राप्त हो सके। माओवादी रणनीति के जवाब में मधेशियों ने पहली बार भारत के सीमावर्ती शहर गौर में मार्च 2007 को माओवादियों के विरुद्ध एक व्यवस्थित नरसंहार शुरू किया। इस नरसंहार के पश्चात मधेशियों ने भौगोलिक आधार पर नस्लीय और जातीय पहचान के लिए

मधेश के अर्थ को स्थानांतरित करने में सक्षम हो गए। गौर नरसंहार मधेशी जन अधिकार फोरम के सदस्यों और माओवादियों के मध्य एक झड़प थी जिसमें कुल 28 लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने 23 मार्च को माओवादी कैडर के लिए एक स्मारक सेवा का आयोजन किया था जो गौर नरसंहार में मारे गए थे। यह काठमांडू में टुंडीखेल के खुला मंच में आयोजित किया गया था। माओवादियों के अध्यक्ष प्रचंड ने अपने 25 साथी कार्यकर्ताओं के शवों के साथ पार्टी के झंडे गाड़ दिए जो मधेशी जन अधिकार फोरम कैडर के साथ संघर्ष में मारे गए थे। इसलिए मधेशी दल अब माओवादियों के साथ गठबंधन में नहीं थे। इसके अलावा हिंसक अतीत से खुद को पृथक करने की उम्मीद करते हुए तीन मधेशी संगठनों, एनएसपी, एमजेएफ और टीएमएलपी ने 2007 में यूडीएमएफ का गठन किया ताकि एकजुट मोर्चा तैयार किया जा सके और काठमांडू में वार्तालाप के लिए एक मंच तैयार किया जा सके और बड़े राजनीतिक खिलाड़ियों को इससे दूर किया जा सके। अब UDMF की सैद्धांतिक मांग थी कि इस क्षेत्र को एक एकल स्वायत्त इकाई में 'मधेश 'के रूप में पुर्नस्थापित करके संपूर्ण तराई क्षेत्र को मुक्त करने का आह्वान किया जाए जिसमें मधेशियों को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। आमतौर पर नेपाल में मांग को एक मधेश के रूप में जाना जाता था। अप्रैल 2008 के घटक विधानसभा चुनावों में यूडीएमएफ का चुनावी नारा श्एक मधेश, एक प्रदेश बन गया। यूडीएमएफ ने राजनीतिक रूप से मधेशी पहचान को एक मधेश आदर्श के माध्यम से प्राप्त किया था। मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के साथ दलीय गठबंधन (एसपीए) में अधिकांश राजनीतिक नरमपंथी दल एक मधेश प्रस्ताव पर चुनाव लड़ रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने तर्क दिया कि यह नेपाल को विभाजित करेगा और इसके साथ साथ उन्होने यह भी कहा कि मैं पूरे मधेश को एक राज्य के रूप में बनाने की मांग को पूरा नहीं कर सकता। यद्यपि माओवादी नेता प्रचंड, तराई में आत्मनिर्णय के विचार के प्रति अधिक रूचि रखते थे, माओवादी और CPN & UML ने 27 जून 2008 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसमें 'एक मधेश' प्रस्ताव को मजबूती से खारिज कर दिया गया। इसलिए मधेशी दलों और माओवादियों के बीच संघर्ष शुरू हुआ।

मधेशियों और माओवादियों के मध्य असंतोष का एक अन्य कारण यह था कि माओवादियों ने तराई के लिए उचित संघीय संरचना जैसे अवधी, मिथिला, कोकिला, भोजपुरा और थारवन के लिए पांच प्रांत प्रस्तावित किए थे। मधेशी इस कारण से माओवादियों से नाराज हो गए। जब से माओवादियों ने अपनी स्वायत्त लोगों की सरकार के गठन के बाद से मधेश को दो इकाइयों में विभाजित किया थारू प्रथम–थरुवन (पश्चिम में) और द्वितीय–मधेश (पूर्व में) इस विभाजन से मधेश के नेता नाराज थे। माओवादियों ने कहा था कि वे इसे संशोधित करने के लिए प्रतिबद्ध थे हालांकि एक एकीकृत प्रांत अभी भी एक प्रथक थारू प्रशासनिक इकाई शामिल कर सकता है[14]। इसलिए इस तथ्य में एक विडंबना है कि सीपीएन (माओवादी) ने उग्रवादी मधेशी राष्ट्रवाद के उदय का आधार प्रदान किया जो अपनी उग्रवाद की जातीयता की रणनीति के अनुरूप था परंतु बाद में यह परिवर्तित हो गया।

मधेशी और माओवादी संघर्ष का एक अन्य पहलू यह है कि मधेश नेशनल लिबरेशन फ्रंट (MNLF) का गठन 2000 में सिलीगुड़ी भारत में "घमंड के साथ कहो हम मधेशी हैं" के नारे के साथ सीपीएन माओवादी संगठन के रूप में हुआ था। यह माओवादी विद्रोह के समय तराई में सक्रियता के साथ जुड़ा था। मधेशी दलों द्वारा उठाई गई अधिकांश मांगे जैसे कि मधेशी जन अधिकार फोरम और अन्य मधेशी समूह जैसे कि समावेशी संघवाद, आत्मनिर्णय का अधिकार, भाषा, सांस्कृतिक अधिकार, आरक्षण आदि को पहले ही MNLF द्वारा उठाया गया था। जुलाई 2004 में फ्रंट के नेता के रूप में मत्रिका प्रसाद यादव द्वारा MNLF के संस्थापक नेता जय कृ ष्ण गोवाठित के प्रतिस्थापन के कारण असंतुष्टों द्वारा TJMM या JTMM का गठन हुआ। इसलिए असंतुष्टों ने माओवादी कैडरों के साथ सामना किया और उन्होंने सक्रिय रूप से अभियान चलाया कि सीपीएन माओवादी समर्थक मधेशी मुद्रा नकली थी। इस स्थिति को कई अन्य छोटे मधेशी सशस्त्र समूहों ने स्वीकार किया जिनमें टीजेएमएम (ज्वाला सिंह) और एमजेएफ का एक किरच समूह शामिल था। नेपाल

[14] Pathak B & Chitra N.(2007), Madhes Violence: Identity clash in Nepal- Retrieved from Madhesi voice: http://www-madhesi-wordpress-com

के लोकतंत्र सर्वेक्षण 2007 में मधेशियों के माओवादी विरोध का पता चला। मधेशी जातियों और मुसलमानों से संबंधित अधिकांश उत्तरदाताओं ने 'CPN माओवादी' का अविश्वास किया और न ही उन्होंने सीपीएन माओवादी की बहुदलीय प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता पर विश्वास किया। इसके विपरीत अधिकांश पहाड़ी उत्तरदाताओं ने माओवादी प्रतिबद्धताओं पर भरोसा दिखाया। नेकां, यूएमएल और अन्य दलों के स्थानीय मधेशी नेताओं ने मधेश अशांति का मुकाबला करने के विचार को त्याग दिया जब यह स्पष्ट हो गया कि यह माओवादी–विरोधी आंदोलन में बदल रहा है। सदभाव रैलियों (नेकां, यूएमएल और अन्य सभी मुख्यधारा के दलों द्वारा) के लिए आह्वान किया गया जो कि नेपालगंज में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ प्रभावी थी।

5.4 राज्य–राष्ट्र की स्थापना में मधेशी आंदोलन की भूमिका

मधेशी आंदोलन की उत्पत्ति को जानने के लिए राष्ट्र–राज्य की उत्पत्ति और राष्ट्रीय पहचान के विकास को समझना आवश्यक है। नेपाल के तराई या मधेश क्षेत्र में बौद्ध धर्म (बुद्ध का जन्म मधेश के लुम्बिनी में हुआ) और पूर्वी तराई क्षेत्र में हिन्दू धर्म ईसा से पहले फल फूल रहा था। बौद्ध धर्म और मिथिला का प्रभाव भारत के अधिकांश और नेपाल के तराई क्षेत्र तक फैला हुआ था। बरल के अनुसार, वैदिक और बुद्ध का युग कला, दर्शन और रूमानियत के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा काठमांडू सभ्यता में मधेशियों का योगदान छिपा नहीं है। मैथली (पूर्वी तराई में रहने वाले मधेशी) लोगों के पास एक समृद्ध राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत है।

वर्तमान नेपाल राज्य के संबंध में मध्य युग में भारत में मुस्लिमों के बढ़ते प्रभाव के फलस्वरूप नेपाल में भूरा शासकों का आगमन हुआ। इंडो–आर्यन मूल से संबन्धित पहाड़ी क्षेत्र की सत्तारूढ़ उच्च जाति ने मुस्लिम विजय के पश्चात मध्ययुगीन काल में नेपाल में प्रवेश किया। नेपाल के वर्तमान क्षेत्र के अस्तित्व में आने से पूर्व, कई छोटी छोटी लगभग 22 और 26 रियासतें थी। उनमें से गोरखा राज्य राजा पृथ्वी नारायण शाह के अधीन राज्य का विस्तार करने में सफल हुआ। पृथ्वी नारायण शाह ने एक विजय अभियान शुरू किया जिसके कारण 1769 तक

उसने घाटी के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली। 1816 में सुगौली संधि के साथ सम्पन्न हुए नेपाल–एंग्लो इंडिया युद्ध के बाद क्षेत्रीय विस्तार का अभियान रुक गया। इसलिए वर्तमान नेपाल राज्य क्वेस्टर युद्ध की उद्घोषणा और सुगौली संधि का परिणाम है। इसी के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पहचान ने अपना आकार लिया है[15]।

रेग्मी ने अपनी पुस्तक 'ए स्टडी इन नेपाली एकोनोमिक हिस्ट्री' में तर्क दिया कि पृथ्वी नारायण शाह नेपाल के वर्तमान क्षेत्र के राजनीतिक एकीकरण में सफल रहे परंतु उनके उत्तराधिकारी राष्ट्र के गठन के लिए पूरी तरह से अपना योगदान और नेतृत्व प्रदान करने में सफल नही हो सके। 1846 और 1950 के बीच राणा शासकों ने परिवार और सामंती प्रणाली के आधार पर शासन किया। 1950 की संधि ने राणा शासन को समाप्त कर नेपाल में लोकतन्त्र को स्थापित किया और नेपाल को बाहरी लोगों के आगमन के लिए खोल दिया। पूर्वी तराई अथवा मधेश क्षेत्र क्रांति का केंद्र था। बाद में क्रान्ति में भाग लेने वाले कुछ मधेशी नेताओं ने मधेशियों के अधिकारों की वकालत के लिए नेपाल तराई कांग्रेस पार्टी का गठन किया। इन्होने मधेश क्षेत्र की राष्ट्रीय ढांचे के तहत क्षेत्रीय स्वायत्तता की पुरजोर मांग की। उसी समय बी. पी कोइराला के नेतृत्व में नेपाली कांग्रेस पार्टी की दो–तिहाई बहुमत से बनी लोकतान्त्रिक सरकार नेपाल में समावेशी नीतियों और सहभागी लोकतन्त्र को लागू करने की कोशिस कर रही थी। परंतु राजा महेंद्र ने 1960 में बी.पी कोइराला की लोकतान्त्रिक सरकार को खारिज कर सभी शक्तियों पर पर नियंत्रण कर लिया। तथा दल–विहीन पंचायत प्रणाली के तहत राजा ने 30 वर्षों तक देश पर शासन किया।

पंचायत प्रणाली के दौरान नेपाल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ लागू की गई, जैसे 1964 में भूमि सुधार, 1971 में आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा प्राणाली, एक भाषा नीति (नेपाली) और मधेश में पहाड़ी लोगों की बस्तियों की

[15] Pathak B & Uprety D (2009). Terai Madhes: Searching for Identity based Security- Conflict Study Centre pp- 9&10

स्थापना करने की नीतियाँ लागू की गई। 1964 में पंचायत द्वारा 'एक भाषा और एक पोशाक' जिसका अर्थ था नेपाली भाषा और पहाड़ी पोशाक नीति को अपनाकर नेपाली राष्ट्रीय पहचान (नेपालीकरण) की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया गया। 1960 के बाद पहाड़ी से प्रवास को राज्य द्वारा प्रोत्साहित किया गया था, इस उद्देश्य को लेकर कि यह मधेशियों को पहाड़ी संस्कृति में आत्मसात को बढ़ावा देगा। नेपाल का मधेश क्षेत्र धान की खेती का केंद्र है, जो नेपाल की कुल जीडीपी में आधे से अधिक का योगदान करता है। भारत में निकटतम बंदरगाह के साथ जोड़ने वाले अधिकांश व्यापार मार्ग इस क्षेत्र में स्थित हैं। हालांकि मधेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल नेपाल की कुल भूमि का केवल 23 प्रतिशत है। इसी तरह क्षेत्रीय असमानता को व्यापक किया गया। फलस्वरूप 1989 में राजा के खिलाफ आंदोलन भड़क उठा।

फिर भी 1990 के बाद का परिवर्तन मधेशियों की समस्याओं और शिकायतों का हल निकालने में असफल रहा। उदाहरण के लिए, 1963 का नागरिकता उर्पाधनियम गैर–नेपाली बोलने वाले लोगों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण था, क्योंकि उन्हे इसके लिए सरकारी अधिकारियों से एक शिफारिश पत्र की आवश्यकता होती थी। 2000 से पूर्व सरकारी कार्यालयों में बहुत कम मधेशी अधिकारी के रूप में थे। 1990 के परिवर्तन के पश्चात नागरिकता के मुद्दे को हल करने के लिए कई आयोगों का गठन किया गया था। संयुक्त मार्क्सवादी लेनिनवादी (यूएमएल) सरकार के द्वारा 1995 में 34040 को नागरिकता प्रदान की, परंतु ये न्यायपालिका ने वितरित की गई नागरिकता को रद्द करने का आदेश जारी किया। इसी तरह नेपाली को छोड़कर अन्य भाषाओं को सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और स्थानीय स्तरों पर प्रयोग करने पर प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना रिपोर्ट आने के बाद जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की समीक्षा करने का संवैधानिक प्रावधान था, जिसे मधेशियों के परामर्श के बिना संविधान से हटा दिया गया था। इसके कारण मधेशियों का राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व नही बढ़ रहा था।

इसी तरह 25 जुलाई 2008 को काठमांडू महानगर और राजबिराज नगरपालिका ने स्थानीय भाषाओं को नगरपालिकाओं में में आधिकारिक भाषा के रूप

में लागू किया, परंतु न्यायपालिका ने इसे लागू न करने का आदेश दिया। हालांकि 1990 के बाद अल्पसंख्यकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई और लोकतंत्र जड़ों तक फैल गया। 1990 के परिवर्तन के पश्चात मधेशी अधिकारों के लिए गठित की गई नेपाल सादभावना पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरी। इसने मधेशियों के अधिकारों की आवाज को संसद में उठाना शुरू किया। पहाड़ियों की तुलना में मधेशियों की एक अलग भाषा और संस्कृति है और उस आधार पर, मधेशियों के साथ गैर–नेपाली की तरह व्यवहार और भेदभाव किया जाता है। गजेन्द्र नारायण सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा कि वह मधेशी भेदभाव के खिलाफ और उनकी समानता के लिए बोल रहे है। दूसरी ओर माओवादी पीपुल्स वार (1996–2006) ने अल्पसंख्यकों और बहिस्कृत लोगों के मुद्दे को उठाया जिन्होने जातीय और क्षेत्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया। माओवादियों ने एक जातीय आधारित संगठन बनाया और उनके उद्धार के लिए नारे दिये। कार्की ने अपनी पुस्तक सोशल साइंसेस मेथोडोलोजी (2012) में कहा कि माओवादी विद्रोह के बाद नेपाल में नई विचारधारात्मक–जाति, क्षेत्र, जातीयता, धर्म के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के लोकप्रिय आंदोलन उभर रहे है।

5.5 क्षेत्र अध्ययन एवं आंकड़ा संग्रह

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों दोनों पर आधारित है। साक्षात्कार और प्रतिभागी अवलोकन मुख्य रूप से प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए अपनाया गया है। मधेशियों से प्रश्नावली के माध्यम से अनौपचारिक वार्तालाप किया गया था, जिससे वे जानकारी साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकें। 2007 और 2015 के मध्य झांपा, मोरांग, सुनसरी जिलों (जहां आंदोलन व्यापक हुआ था) का अवलोकन किया गया है। आंदोलन के दौरान सुरक्षा बालों को गश्त करते हुए देखा गया था। आंदोलनकारियों द्वारा शहर की दीवारों पर लिखे गए नारे मधेशियों के मध्य पहचान के संकट को दर्शाते थे। इन नारों में एक नारा जो सबसे अधिक ध्यान दे रहा था वह यह 'गर्व से कहो हम मधेशी हैं, विदेशी नही इसी धरती के बेटे हैं'। यह नारा यह दर्शा रहा था कि मधेशी किस तरह अपनी

पहचान के संकट का सामना कर रहे थे। अवलोकन से जमीनी हकीकत कि स्थिति को पहचानने में सहायता मिली। आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ लोगों का साक्षात्कार किया गया। मैंने अपने शोध को और मौलिक बनाने के लिए उन स्थानो जहां आंदोलन गहनता के साथ हुआ जैसे झांपा, मोरांग, सुनसरी जिले का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मधेसी मुद्दों पर विस्तार से विचार–विमर्शकिया। क्षेत्र अध्ययन के दौरान मेरी 9 उत्तरदाताओं से बातचीत हुई। उनमें कुछ से आवश्यकतानुसार फोन द्वारा भी बातचीत की गई थी। इसके अलावा कुछ मधेशियों जैसे रिक्शा चालकों और चाय–दुकानदारों से उनकी समस्याओं को जानने के लिए साक्षात्कार लिया गया था, क्योंकि उनकी कार्य के दौरान सरकारी अधिकारियों, कई समुदायों और नेताओं के साथ उनका संबंध था। मधेशी समुदाय से संबन्धित कुछ थानेदार और सब्जी विक्रेताओं को भी काठमाण्डू में उनके अनुभवों को जानने के लिए साक्षात्कार लिया गया था, क्योंकि वे भेदभाव का सामना कर रहे थे। उनके विचार निष्कर्ष में शामिल किए गए हैं। पत्रिकाओं के लेखों, पुस्तकों और समाचार पत्रों को द्वितीयक आंकड़ों के रूप में उपयोग किया गया है। मात्रात्मक–द्वितीयक आंकड़ों को आंदोलन की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए गहन समीक्षा की गई है।

5.6 उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण

सभी उत्तरदाता इस बात पर एकमत थे कि सैंकड़ों वर्षों तक मधेशियों पर राज्य द्वारा किए गए भेदभाव के कारण यह आंदोलन हुआ था।

मधेशी जन अधिकार फोरम के तत्कालीन अध्यक्ष उपेंद्र यादव (जो वर्तमान में नेपाल जनता समाज पार्टी के अध्यक्ष), जिन्होने मधेशी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इन्होने फोन पर कहा कि मधेशी आंदोलन बहुत आक्रामक था, क्योंकि राज्य इस आंदोलन को दबाने की कोशिस कर रहा था। परंतु यह आंदोलन मधेशियों के साथ साथ सभी उत्पीड़ित लोगों की मुक्ति के लिए था।

झांपा जिले के निवासी हरिशंकर चौधरी पेशे से एक किसान हैं उनका यह कहना था कि एक दिन भी ऐसा नही गुजरता था कि उन्हे मधेशी के रूप में

अपमानित नही किया गया था। मधेशी शब्द जिसका प्रयोग पहाड़ी मूल के लोग अपमानजनक शब्द के रूप में करते थे। परंतु मधेशी आंदोलन के पश्चात उन्हे इस तरह के अपमान और कड़वी बातों का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हे मधेशी होने पर गर्व है। हरिशंकर चौधरी का साक्षात्कार जनवरी 2021 में लिया गया था। वे किसान मधेशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

झांपा जिले के निवासी चेत प्रसाद बराल (पहाड़ी मूल) ने यह स्वीकार किया कि मधेशियों के साथ राज्य द्वारा भेदभाव और बहिष्करण किया गया है। वे मधेशी आंदोलन के पश्चात राष्ट्रीय एकीकरण को लेकर चिंतित थे। वे चुरवार दल में शामिल हो गए, जिसे पहाड़ी मूल के लोगों ने मधेशियों से मुठभेड़ के लिए गठित किया गया था। बाद में उन्होने पहाड़ी और मधेशी लोगों के बीच की खाई को भरने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। उनका स्पष्ट कहना है कि नेपाल की राष्ट्रीय एकता सिर्फ मधेशी और पहाड़ियों के मध्य बेहतर सम्बन्धों से ही स्थापित हो सकती है। चेत प्रसाद बराल का में साक्षात्कार जनवरी 2021 लिया गया था।

एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनेता जो वर्तमान में नेपाल समाज पार्टी से जुड़े है, रामजीहन यादव मोरांग जिला निवासी ,जिन्होने मधेशी आंदोलन को बहुत बारीकी से देखा और विश्लेषण किया उनके अनुसार, मधेशी आंदोलन को प्रारम्भ में माओवादियों के विरुद्ध एक आक्रामकता के रूप में देखा गया था, परंतु वास्तव में यह आंदोलन राज्य के द्वारा किए जा रहे भेदभाव के विरुद्ध था।

बीबीसी नेपाल के संवाददाता और वरिष्ठ पत्रकार मोरांग जिले के निवासी बृज कुमार यादव के अनुसार, मधेशियों के शोषण और बहिष्करण की समय पर सुनवाई न होने के कारण यह आंदोलन व्यापक हो गया है।

मोरांग जिले के जहजा ग्राम के निवासी राजकुमार यादव ने बताया कि नेपाली सरकार को मधेसी मुद्दों को हल करने के लिए मधेसियों के प्रतिनिधित्व के

साथ साथ उन्हे सरकार की नीतियों के निर्माण में भी सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। राजकुमार यादव जी का साक्षात्कार जनवरी 2021 मे लिया गया था।

मोरांग जिले के जहजा ग्राम के निवासी बुद्धिसागर यादव ने बताया कि मधेसी आंदोलन ने उनकी सामाजिक सहभागिता के साथ साथ मधेसी पहचान को मजबूती से स्थापित करने में अहम योगदान दिया है। इससे पूर्व उन्हे पहाड़ी मूल के लोगों के द्वारा बाहरी के तौर पर व्यवहार किया जाता था, परंतु मधेसी आंदोलन के पश्चात इस स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। बुद्धिसागर यादव का साक्षात्कार जनवरी 2021 में लिया गया है।

नेपाल सदभावना पार्टी के नेता सुनसरी जिले के निवासी देवेन्द्र मिश्रा ने कहा कि संघर्ष के दौरान मधेशियों के खिलाफ लंबे समय से राज्य द्वारा किया जा रहा भेदभाव और शोषण मधेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था। इसलिए मधेशी आंदोलन का मौलिक कारण लंबे समय से राज्य द्वारा मधेशियों पर किया जा रहा भेदभाव रहा है।

सुनसरी जिले की बौधीमाई नगरपालिका के निवासी पत्रकार दीपू गौतम ने बताया कि मधेसी आंदोलन ने समावेशी राज्य के निर्माण में एक अहम योगदान दिया है। परंतु अभी भी मधेसियों के साथ भेदभाव सामान्य सी बात है। नागरिकता के प्रश्न पर इनका कहना था कि अभी भी नेपाल में सभी मधेसियों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त नही हो पाया है, जिस कारण से मधेसियों की राजनीतिक सहभागिता और उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में बड़ी बाधा है। दीपु गौतम का साक्षात्कार जनवरी 2021 मेन लिया गया था।

5.7 मधेशी आंदोलन की उपलब्धियां

मधेशी आंदोलन ने नेपाल के सामाजिक– राजनीतिक परिवर्तनों में बहुत अहम योगदान दिया है। मधेशी आंदोलन के पश्चात मधेशियों के प्रति नकारात्मक रुख और धारणा काफी हद तक कम हो गई है। इससे पूर्व मधेशी शब्द का प्रयोग पहाड़ी और काठमाण्डू के लोगों के मध्य अपमानजनक शब्द के रूप में किया जाता

था। सभी उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि मधेशियों के प्रति मुख्यधारा के लोगों का पुराना रुख अब परिवर्तित हो गया है। क्षेत्र में एथनोंग्राफिक अध्ययन से पता चला कि मधेशी आंदोलन ने मधेशियों को कैसे सशक्त बनाया।

सबसे पहले मधेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर मधेशी पहचान को स्वीकार करने में अहम भूमिका का निर्वाह किया। इस आंदोलन ने नेपाली पहचान की पारंपरिक अवधारणा को खाइज कर दिया, क्योंकि यह सिर्फ पहाड़ी संस्कृति को मान्यता प्रदान करती थी। इससे पहले मधेशियों के साथ काठमाण्डू और पहाड़ी क्षेत्र में गैर–नेपाली के रूप में व्यवहार किया जाता था। मधेशी आंदोलन के फलस्वरूप मधेशी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई तथा संविधान में मधेशी शब्द को भी शामिल किया गया। आंदोलन के पश्चात नेपाली राज्य के नीति, विकास, समावेशन और बजट के संदर्भ में सकारात्मक पहल ने मधेशियों को प्राथमिकता दी। इस आंदोलन ने समावेशी लोकतन्त्र को स्थापित करने में अत्यंत महती भूमिका का निर्वाह किया । इसके अलावा संविधान सभा में मधेशियों की संख्या में इजाफा हुआ। उदाहरण के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में मधेशियों की भागीदारी 36.42 प्रतिशत (जबकि मधेशी आबादी 33 प्रतिशत) पहाड़ी मूल के जनजातीय लोगों की 34.33 प्रतिशत और दलितों की 11.94 प्रतिशत बढ़ी। इससे पूर्व संसद में मधेशियों का केवल 20 प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व था। इस आंदोलन के पश्चात जनसंख्या के आधार पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की वृद्धि के चलते मधेशी अब अपनी कुल जनसंख्या के 51 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है जबकि 2008 से पूर्व सिर्फ 90 निर्वाचन क्षेत्र थे परंतु चुनावी निवचन क्षेत्रों में वृद्धि के पश्चात इनकी संख्या 119 हो गई । मधेशी आंदोलन अपनी प्रकृति में ऐतिहासिक था जिसने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जोर दिया। इसके अलावा मधेशी आंदोलन के पश्चात नेपाली गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मधेशी समुदाय से चुना गया था। कुल मिलकर इस आंदोलन से राज्य की नीति में ढांचागत बदलाव आया। मधेशी आंदोलन के पश्चात मधेशी जन अधिकार फोरम और तराई–मधेश पार्टी जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और उन्होने केंद्रीय गठबंधन सरकार में भाग लिया।

षष्ठ्म अध्याय

नेपाल राज्य-राष्ट्र अथवा राष्ट्र-राज्य

षष्ठम अध्याय
नेपाल राज्य–राष्ट्र अथवा राष्ट्र–राज्य

नेपाल में राज्य गठन और राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक प्रक्रिया ने पिछले दो दशकों में नया मोड़ ले लिया है। नेपाली राज्य के मूलभूत आधार और नए जातीय समीकरण नेपाली समाज के बुनियादी संदर्भों को चुनौती दे रहे हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को नई चुनौतियाँ मिल रही हैं। इस अध्याय में मैंने नेपाल में राष्ट्र निर्माण को समान नागरिकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा को संस्थागत बनाने, बाजार के निर्माण और कानून के शासन के अनुसार नेपाल मे राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया है।[1]

नेपाल में 28 मई की तारीख हर वर्ष याद की जाती है। क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र में लंबे समय से चली आ रही राजशाही का 28 मई 2008 को अंत हुआ था। इस तरह देखा जाए तो नेपाल में चली आ रही राजशाही का 240 वर्ष के पश्चात अंत हो गया था। तत्कालीन नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र को अपदस्थ कर नेपाल को गणतंत्र घोषित किया गया। 28 मई 2008 को ही नेपाल के वामपंथी दल को चुनाव में जीत मिली थी। जिसके बाद नेपाल में संविधान बनाने और शांति के प्रयास शुरू किए गए।

नेपाल का इतिहास सभ्यता, संस्कृति और शौर्य की दृष्टि से बड़ा गौरवपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में नेपाल राज्य की बागडोर क्रमशः गुप्तवंश, किरातवंशी, सोमवंशी, लिच्छवि, सूर्यवंशी राजाओं के हाथों में रही है। किरातवंशी राजा स्थुंको, सोमवंशी लिच्छवी, राजा मानदेव व राजा अंशुवर्मा के राज्यकाल बड़े गौरवपूर्ण रहे हैं। कला, शिक्षा, वैभव और राजनीति के दृष्टिकोण से लिच्छवि काल 'स्वर्णयुग' रहा है। जन साधारण संस्कृत भाषा को लिख पढ़ और बोल सकते थे। राजा स्वयं विद्वान् और संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ होते थे। उस समय 'पैगोडा' शैली की

[1] Peter Furtado & Hussein Bassir (2013) Histories of Nations: How Their Identities Were Forged, Thames and Hudson Ltd, 2014; *see also* Azar Gat, Nations: The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism (Cambridge University Press.

वास्तुकला बड़ी उन्नत दशा में थी और यह कला सुदूर चीन तक फैली हुई थी तथा मूर्तिकला भी समृद्ध अवस्था में थी।

धार्मिक सहिष्णुता के कारण् नेपाल में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म समान रूप से विकसित हो रहे थे। वैदेशिक संबंध की सुदृढ़ता वैवाहिक संबंध के आधार पर कायम थी। ई. सन् 880 में लिच्छवि राज्य की समाप्ति पर नुवाकोटे ठकुरी राजवंश का अभ्युदय हुआ। इस समय नेपाल राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई थी। केंद्रीय शासन शिथिल पड़ गया था। फलतः नेपाल अनेक राजनीतिक इकाइयों में विभाजित हो गया। हिमालय के मध्य कछार में मल्लों का गणतंत्रीय राज्य कायम था। लिच्छवि शासन की समाप्ति पर मल्ल राजा सिर उठाने लगे थे।

सन् 1350 ई. में बंगाल के शासक शमशुद्दीन इलियास ने नेपाल पर बड़ा जबरदस्त आक्रमण किया, जिस कारण धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था अस्त–व्यस्त हो गयी। सन् 1480 ई. में अंतिम बैस राजा अर्जुन देव अथवा अर्जुन मल्ल देव को उनके मंत्रियों ने पदच्युत करके स्थितिमल्ल नामक राजपूत को राजसिंहासन पर बैठाया। इस समय तक केंद्रीय राज्य पूर्ण रूप से छिन्न–भिन्न होकर काठमांडू, गोरखा, तनहुँ, लमजुड़, मकबानपुर आदि लगभग तीस रियासतों में विभाजित हो गया था।

नेपाली राज परिवार व भारदारो के बीच गुटबन्दी की वजह से युद्ध के बाद अस्थायित्व कायम हुआ। सन् 1846 में शासन कर रही रानी के सेनानायक जंगबहादुर राणा को पदच्युत करने वाले षडयन्त्र का खुलासा होने से कोत पर्व नाम का नरसंहार हुआ। हथियारधारी सेना व रानी के प्रति वफादार भारदारो के बीच खूनी संघर्ष चलने से देश के राजपरिवार के खलाक, भारदार लोग व दूसरे लोगों की हत्या हुई। जंगबहादुर की विजय के पश्चात राणा वंश ने सुरुकिया व राणा शासन लागू किया। राजा को नाममात्र तक सीमित किया तथा प्रधानमन्त्री पद को शक्तिशाली व वंशानुगत बनाया गया। राणा शासक पूर्ण निष्ठा के साथ अंग्रेजों के पक्ष मे रहते थे व ब्रिटिश शासन को 1857 की सेपोई रेबेल्योन (प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम), व बाद मे दोनों विश्व युद्धों में सहयोग किया था।

सन् 1923 मे संयुक्त अधिराज्य व नेपाल के मध्य आधिकारिक रुप मे मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें नेपाल की स्वतन्त्रता को संयुक्त अधिराज्य ने

स्वीकार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में दक्षिण एशियाई मुल्कों में से पहला दूतावास नेपाल का खोला गया। इक्कसवीं सदी की शुरुआत में नेपाल में माओवादियों का आन्दोलन तेज होता गया। मधेशियों के मुद्दे पर भी आन्दोलन हुए। अन्त में सन् 2008 में राजा ज्ञानेन्द्र ने प्रजातांत्रिक चुनाव करवाए जिसमें माओवादियों को बहुमत मिला और पुष्प कमल दहल (प्रचण्ड) नेपाल के प्रधानमंत्री बने और मधेशी नेता रामबरन यादव ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। माओवादिओं ने राजनीति के मूल आधार से पृथक भूमिगत रूप से राजतन्त्र तथा उसके समर्थक राजनैतिक दलों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। उन्होंने नेपाल की सामन्ती व्यवस्था (उन के अनुसार इसमें राजतन्त्र भी शामिल है) को समाप्त कर एक माओवादी राष्ट्र की स्थापना करने का प्रण किया। जिसकारण से नेपाली गृहयुद्ध शुरु हो गया और 13,000 लोगों की जान गई। इसी विद्रोह का दमन करने की पृष्ठभूमि में राजा ज्ञानेन्द्र ने सन् 2002 में संसद को विघटित किया तथा निर्वाचित प्रधानमन्त्री को अपदस्थ का मनोनित प्रधानमन्त्री के द्वारा शासन चलाने लगे।

सन् 2005 में उन्होंने एकल रूप से संकटकाल की घोषणा करके समस्त कार्यकारी शक्ति को ग्रहण किया। सन् 2006 के लोकतान्त्रिक आन्दोलन (जन–आन्दोलन 2) के पश्चात् राजा ने देश की सार्वभौम सत्ता जनता को हस्तान्तरित की और 24 अप्रैल 2006 को संसद की पुनर्स्थापना हुई। 18 मई 2006 को अपनी पुनर्स्थापित सार्वभौमिकता का उपयोग कर नई–नई प्रतिनिधि सभा ने राजा के अधिकारों में कटौती कर दी तथा नेपाल को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। नवनिर्वाचित संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा की पहली बैठक द्वारा 28 मई 2008 में नेपाल को आधिकारिक रूप से एक संघीय गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषित किया गया।

6.1 राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक प्रक्रिया

नेपाली संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार बहु–जातीय, बहु–भाषी, बहु–सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ विविध भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले नेपाली लोग राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, प्रादेशिकता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और नेपाल की

समृद्धि के प्रति निष्ठा से राष्ट्र का निर्माण करते हैं और लोग राष्ट्र के प्रति प्रेम, आपसी सम्मान और भाईचारे के लिए प्रतिबद्ध है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ है किसी देश की पहचान और प्रतिष्ठा को बढ़ाना, राष्ट्रीय भाषाओं, संस्कृतियों, जीवन शैली की रक्षा और उन्हे बढ़ावा देना। जातीयता, भाषाओं और संस्कृतियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना राष्ट्र निर्माण के मूलभूत तत्व हैं। परंतु नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के निरंतर बने रहने के परिणामस्वरूप राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अनेक चुनौतियां भी हैं, जैसे– राष्ट्रीय एकता के प्रयास में नकारात्मक दृष्टिकोण, बहुसंस्कृतिवाद के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव, भाषा और मजहब के बारे में बढ़ती कड़वाहट, पहचान के संदर्भ में किसी स्पष्ट परिभाषा का अभाव व नागरिकता नीति का स्पष्ट न होना।[2]

वैश्विक अनुभवों ने यह दिखाया है कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा को राजनीतिक व्यवस्था में ध्रुवीकरण की परवाह किए बिना हासिल किया जा सकता है। इस संबंध में चीन एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इस तथ्य के बावजूद अधिकांश सत्तावादी शासन व्यवस्थाएं कानून के शासन को अपनाने में ऐतिहासिक रूप से विफल रही हैं, जिसे केवल उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाओं में ही हासिल किया गया है। एक उदार लोकतान्त्रिक राज्य को राष्ट्र और राज्य निर्माण के रूप में समझने के लिए राष्ट्रों के विकास के चरणों और संप्रभु राज्य को समझना आवश्यक है। इसके अलावा नेपाल में राष्ट्र–निर्माण प्रक्रिया को रेखांकित करने के लिए राष्ट्र–निर्माण के तीन अलग–अलग रूपों और श्रेणियों– रचनात्मक, लोकतान्त्रिक और उत्तर–राष्ट्र अवस्था को समझना आवश्यक है।

एक राष्ट्र की अवधारणा के ऐतिहासिक विकास की बुनियादी विशेषताएं नागरिक पहचान (समावेशी पहचान), जातीय पहचान व अन्य पहचानों (बहिष्करणीय पहचान) के बीच अंतर्द्वंद का विश्लेषण करने के लिए यह महत्वपूर्ण कारक हैं। समावेशी पहचान नस्ल, मजहब, जातीयता, भाषा, लिंग या अन्य पृष्ठभूमि के भेद के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति को समान नागरिक के रूप में मानने के विचार को रेखांकित करती है। दूसरी ओर, बहिष्करणीय पहचान मानवीय सहयोग और सम्बन्धों पर

[2] Article 3 of Nepali Constitution, 2015

केन्द्रित है, जिसमें नस्ल, धर्म, जातीयता, भाषा, लिंग व्यवस्था के मूल में हैं। वर्तमान आधुनिक परंतु कमजोर राज्य इस अंतर्द्वंद से गहराई से भरे हुए हैं; विशेष रूप से सार्वभौमिकता के इस युग में बहिष्करणीय पहचान की मांग न केवल बढ़ रही है, बल्कि इसने राज्यों को काफी द्वंद में डाल दिया है। नेपाल सहित आधुनिक संप्रभु राज्य के लिए इस राज्य–राष्ट्र के अंतर्द्वंद का प्रबंधन निश्चित रूप से एक नवीन चुनौती है। अन्य मुद्दों के अलावा नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण की भावी प्रक्रिया इस अंतर्द्वंद से गहराई से प्राभवित होती है। नीचे दिया गया चित्र 6.1 सामान्य रूप से राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक प्रगति को दर्शाता है।

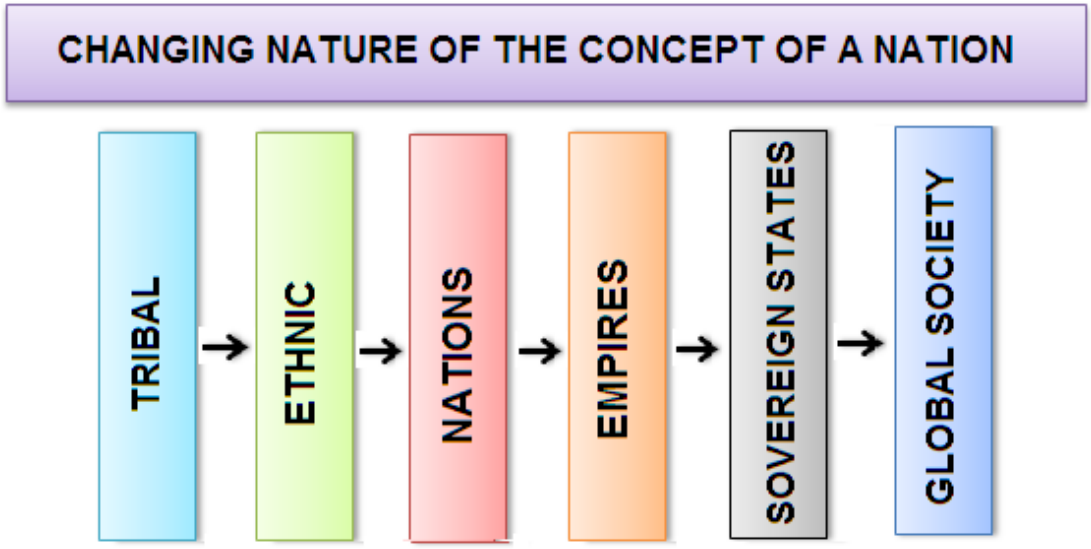

चित्र 6.1 राष्ट्र की अवधारणा का बदलता स्वरूप

नस्ल और वंश से समान लोगों की जातीय शुद्धता केवल आदिवासी स्तर पर ही संभव है, जिसने अपने विस्तार के दौरान अंतरजातीय सहयोग के लिए जगह खोली और इसने इसे एक जातीयता में बदल दिया। जनजातीय समाज के लगभग समान दोषों में फंसे होने के कारण जातीयता, अंतर–जातीय समूहों के बीच सहयोग ग्रहण करने में विफल रही है। इसके दोषों को दूर करने की आवश्यकता ने राष्ट्र–निर्माण के लिए द्वार खोल दिये हैं। राजनीतिक संगठन जहां अनेक समूह और समुदाय एक साथ रहते हैं वह एक राजनीतिक संबंध बनाते हैं। एक राजनीतिक इकाई के रूप में राष्ट्र ने पंथ पर राजनीतिक वर्चश्व स्थापित किया है।

हालांकि इतिहास ने राष्ट्रों को क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए देखा है, जो स्थानीय संघर्षों और युद्धों से आगे बढ़कर दुनियाभर में साम्राज्यवादी वर्चस्व तक बढ़ गया[3] ।

नेपाल भारतीय साम्राज्यों से अत्यधिक प्रभावित रहा परंतु यह दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बचा रहा। हालांकि, अंग्रेजों से हुए संघर्ष (1814–16) और उसके परिणामस्वरूप हुई संधि में तत्कालीन नेपाली साम्राज्य का आधे से अधिक भूभाग ब्रिटिश इंडिया के तहत आ गया और आज भी ये भारतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के अंश हैं। 1500 ईसा पूर्व के आसपास इन्डो–आर्यन जातियों ने काठमाण्डू में प्रवेश किया। करीब 1000 ईसा पूर्व में छोटे–छोटे राज्य और संगठन बने।

6.2 नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण

राज्य–निर्माण नेपाल में एक चर्चा का विषय बन गया है, खासकर 2006 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद वह आंदोलन जिसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल–माओवादी के द्वारा शुरू किए गए एक दशक पुराने उग्रवादी आंदोलन को जनतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। राज्य–निर्माण पर चर्चा तब से गति पकड़ रही है जबसे नया नेपाल बनाने का नारा नेपाली राजनीति में जोर पकड़ने लगा और राज्य–निर्माण से संबंधित प्रकाशन की शुरुआत हुई। नया नेपाल बनाने का नारा राजनीतिक बयानबाजी में राष्ट्र निर्माण की अभिव्यक्ति है। बहरहाल ये नारे राजनीतिक बयानबाजी से आगे नहीं बढ़े हैं। समाज में राज्य संस्थानों की पहुँच को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसके विपरीत, 2006 के बाद की सरकारों ने राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय पोशाक को अस्वीकार कर दिया और राष्ट्रीय एकीकरण दिवस रद्द कर दिया। वे आंशिक रूप से माओवादी उग्रवाद के 10 वर्षों के अंतर्निहित कारणों के कारण लोगों का विश्वास जीतने में असफल रहे हैं। इसके पीछे कई कारण है उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि 2006 के राजनीतिक परिवर्तन के बाद निर्मित नया

[3] राबर्ट सी. यंग (2015), इम्पायर, कॉलोनी, पोस्ट–कॉलोनी, विले ब्लैकवेल,

सामाजिक अनुबंध नेपाल के आम नागरिकों को पहचान देने और उन्हें जोड़ने में असफल रहा।

इसने पुराने राजनीतिक वर्ग को समाप्त कर दिया परंतु नये राजनीतिक वर्ग के विश्वास को प्राप्त नहीं कर सका है। राजा ज्ञानेंद्र द्वारा दिए गए बयान जिसमें उन्होने कहा कि नेपाली राजनीतिक नेता स्वनिर्देशित नहीं बल्कि बाहर से निर्देशित हैं। नेपाली राज्य सदैव राजनीतिक रूप से अस्थिर होने के कारण अपने मूल कार्यों को पूर्ण करने में विफल रहा है। राजनीतिक अस्थिरता ने नेपाली राज्य के संस्थानो को अत्यधिक कमजोर करने का कार्य किया है। वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया ने राज्य संस्थानों की कमजोर स्थिति को सुधारने के बहुत कम प्रयास किए हैं (गनी और लॉकहार्ट, 2008)। नेपाल में राज्य–निर्माण की प्रक्रिया पर बाहरी प्रभाव ने संविधान लेखन जैसे प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर आम सहमति बनाने में राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल खड़ी की है। नेपाली राज्य निर्माण की यह प्रक्रिया इस ओर संकेत करती है कि बाहरी कारक राज्य निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं। राज्य निर्माण मुख्य रूप से एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो राज्य की संस्थाओं को सक्षम बनती है और राज्य–समाज संबधों का विस्तार करती है। राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित विचार के दो अलग–अलग स्कूल हैं, जिनमें से प्रत्येक राज्य की विभिन्न समाजशास्त्रीय समझ को दर्शाता है। प्रथम, राज्य के वेबरियन मॉडल से संबंधित संस्थागत दृष्टिकोण है जो संस्थान निर्माण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है और राज्य–निर्माण के प्रयास पर जोर देता है। दूसरा, वैधता दृष्टिकोण है जो दुर्खाइम के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रभावित है, जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया की आवश्यकता को पहचानता है केंद्रीय राज्य संस्थानों को समेकित करते हुए सामाजिक–राजनीतिक सामंजस्य के महत्व पर अधिक जोर देता हैं।[4]

हंटिंगटन के अनुसार व्यवस्थित और अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था स्वायत्त संस्थानों के माध्यम से ही स्थापित की जा सकती है। फ्रांसिस फुकुयामा[5] (2004)

[4] लेमे–हेबर्ट, 2009

[5] **फुकुयामा फ्रांसिस** (2004): **एंड ऑफ हिस्ट्री ए लास्ट मैन**

का तर्क है कि राज्य निर्माण के लिए नए सरकारी संस्थानों को मजबूत करना आवश्यक है। परंतु नेपाल के राज्य–राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में कई शर्तें हैं–

1. न्यू नेपाल के निर्माण के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता
2. उदारीकरण और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
3. विदेशी निवेश को आकर्षित करना
4. सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास
5. स्थायी विकास और आमजन की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्वशासन अधिनिययम (LSGA)

संयोग से नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कई अन्य सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की तरह विवादास्पद सिद्ध हुई है। वर्तमान में नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण के मुद्दे के संबंध में विभिन्न आयामों को प्रभावित करने वाले चार व्यापक प्रतिमान प्रतीत होते हैंः– प्रथम–पहचान आधारित राष्ट्र निर्माण, द्वितीय– राज्य को एकात्मक से संघीय ढांचे में पुनर्गठित करना, तृतीय–राज्य का समावेशन और चतुर्थ–लोकतान्त्रिक राष्ट्र–निर्माण। पहचान आधारित राष्ट्र–निर्माण एक बहिष्करणीयता की विशेषताओं को साझा करता है। लोकतान्त्रिक राष्ट्र निर्माण में समावेशी जुड़ाव का विचार शामिल होता है। एकात्मक से संघीय व्यवस्था मे नेपाली राज्य का पुनर्गठन या तो व्यवस्थित दिशा में आगे बढ़ सकता है अथवा बहिष्करण और समावेशन दोनों प्रकार के विचारों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। संवैधानिक प्रारूप इसे समावेशी राष्ट्र–निर्माण के एक मॉडल के रूप में दर्शाता है।

इसी तरह 2006 के बाद के राजनीतिक परिदृश्य में समावेशी राज्य और समावेशन के विचार को व्यापक रूप से गलत समझा गया है क्योंकि बहिषकरणीय पहचान के विचार को सामान्यतया बाहर से आयातित समझा जाता था। वास्तव में 2008–2015 की अवधि में नेपाल में संविधान निर्माण की प्रक्रिया इन विभिन्न प्रतिमानों के मध्य विवादों से व्यापक रूप से प्रभावित हुई थी। 2015 के संविधान ने इन तीनों प्रतिमानों को समायोजित करने हेतु कुछ प्रयास किए हैं। फिर भी उन्हें समायोजित और प्रबंधित करने में संविधान के अपर्याप्त होने पर इसकी आलोचना की गई है। वैचारिक रूप से राज्य–राष्ट्र निर्माण एक ऐतिहासिक, सामाजिक,

राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रिया है। हालांकि यह एक विलक्षण घटना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक–राजनीतिक संगठन का निर्माण करने के चरण से लेकर राज्य की संप्रभुता प्राप्त करने के पश्चात व्यवस्था के पूरक के रूप में संवैधानिकता के संस्थानीकरण के चरण तक व्यापक रूप से फैली एक सतत प्रक्रिया है। इस क्रम में नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने से अभी कोसो दूर है। नेपाल में राजनीतिक स्थिरता का निरंतर अभाव होने के कारण राज्य–राष्ट्र की यह प्रक्रिया पूर्ण होने में संशय की स्थिति बनी हुई है। वास्तव में राज्य–राष्ट्र की प्रक्रिया संवैधानिकता के विचार को अपनाकर एक राजनीतिक चरण से दूसरे राजनीतिक चरण में अर्थात एक सत्तावादी व्यवस्था से एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन से गुजरती है। निरंतरता हमेशा राज्य–राष्ट्र निर्माण के निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ती है, अर्थात रचनात्मक से लोकतान्त्रिक और उत्तर राज्य–राष्ट्र चरणों तक– जैसा की चित्र 6.2 में स्पष्ट किया गया है।

चित्र 6.2 राज्य–राष्ट्र निर्माण के चरण

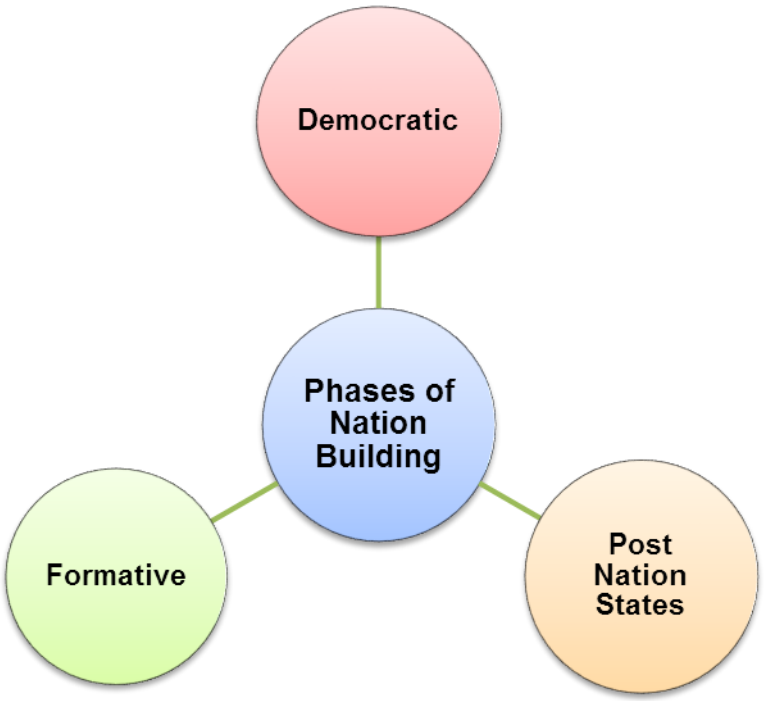

चित्र 6.3 राज्य–राष्ट्र निर्माण की विशेषताएँ

राज्य–राष्ट्र की स्थापना के प्रारम्भिक चरण में ऊपर दिये गए चार्ट में सूचीबद्ध आठ चरणों में से तीन (Sovereignty, Centralized State and Belongingness) इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रथम चरण में राज्य–राष्ट्र संप्रभुता को सुरक्षित करता है। एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना करता है और एक अपनेपन की भावना को बनाए रखता है। इस चरण में मुख्य रूप से राजनीतिक प्रवृत्ति के केन्द्रीकरण से भरा होने के कारण राज्य–राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एक लोकतान्त्रिक राज्य की विशेषताएँ शामिल नहीं हो सकती हैं। 1775 में नेपाल के एकीकरण के साथ शुरू हुए राज्य–राष्ट्र निर्माण के प्रारम्भिक चरण ने भी इन तीन विशेषताओं को साझा किया है।

एक लोकतान्त्रिक चरण में राष्ट्र–निर्माण चित्र 6.2 में प्रदर्शित किए गए सभी आठ चरणों को जोड़ता है। राज्य–राष्ट्र निर्माण का लोकतान्त्रिक चरण विशेष रूप से सकारात्मक कार्यों के मुद्दों को छोड़कर गैर–भेदभाव के सिद्धान्त के अनुसार

क्रियान्वित और व्यवहार में लाये गए सार्वभौमिक आदर्शों के साथ अपनेपन की भावना को बढ़ाता है। परंतु इसके बावजूद भी अभिजनवादी हित जातीय–प्रतीकात्मक दबावों को भड़का सकते हैं, जो नागरिकों में अपनेपन और लगाव के लिए एक गंभीर चुनौती है। यदि नागरिकों की समानता, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और न्याय के आदर्शों पर इस तरह के दबावों को प्रतिबंधित या समाप्त नही किया गया तो इसके परिणामस्वरूप एक गहरा संघर्ष हो सकता है। राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता के कारण, लोकतान्त्रिक राज्य–राष्ट्र निर्माण के इस चरण में नेपाल जातीय और नागरिक पहचान के अंतर्द्वंद से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। साथ ही नेपाल ने वैश्विक संवैधानिकता के विचार में निहित राज्य–राष्ट्र निर्माण के उत्तर–राष्ट्र चरण में भी प्रवेश किया है। इस संवैधानिक चरण के पश्चात, नेपाल अपने घरेलू आदर्शों को अंतराष्ट्रीय व्यवस्था की मांगों के अनुसार सामंजस्य स्थापित करने में सलंग्न है। परिणामस्वरूप संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा बाद में एक राष्ट्रीय संप्रभुता में परिवर्तित हो गई। राज्य–राष्ट्र निर्माण के इस चरण में संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने उत्तरदायित्व को वहन करती है।

चित्र 6.2 व चित्र 6.3 में प्रदर्शित संप्रभुता, केन्द्रीकृत राज्य व अपनेपन की भावना (Sovereignty, Centralized State and Belongingness) राज्य निर्माण को प्रदर्शित करतें हैं। जबकि इसी चार्ट में प्रदर्शित अन्य सात तत्व संप्रभुता, केन्द्रीकृत–राज्य, बाजार, नागरिक–राज्य, सामाजिक सुरक्षा, संवैधानिकता व उत्तर–संविधानवाद राज्य–राष्ट्र निर्माण के उच्चतम रूप को प्रदर्शित करते हैं संप्रभुता, एक केंद्र सरकार और अपनेपन की भावना एक आधुनिक राज्य–राष्ट्र की प्रमुख और न्यूनतम पूर्व शर्तें हैं। शेष चरण राज्य–राष्ट्र निर्माण के उच्च और मजबूत अवस्था का संकेत देते हैं, जो ज्यादातर उदार लोकतान्त्रिक राज्यों में संस्थागत हैं। वर्तमान में नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में इन 7 चरणों का अभाव परिलक्षित होता है।

6.3 राष्ट्र निर्माण का प्रारम्भिक चरण

सामान्य तौर पर प्रथम तीन बुनियादी चरणों से राज्य–राष्ट्र निर्माण का प्रारम्भिक चरण कानून के समक्ष समानता के स्पष्ट विवरण के साथ नागरिक

सम्बन्धों की शुरुआत करता है। हालांकि इसमें अन्य पाँच चरणों का अभाव परिलक्षित होता है जैसे, एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बाजार, समान नागरिकों के विचार पर आधारित एक नागरिक राज्य, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की प्रणाली के माध्यम से समता का वितरण, संवैधानिकता व कानून के शासन का उच्चतम रूप और अंतराष्ट्रीय सम्बन्धों की आधार रेखा के रूप में उत्तर–संवैधानिकता को अपनाना। दूसरी ओर राज्य–राष्ट्र निर्माण के एक लोकतान्त्रिक चरण में राष्ट्र निर्माण के सभी सात चरण शामिल होते हैं। इसके अलावा यह राज्य और नागरिकों की भूमिका को पुनः परिभाषित करता है और केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के न्यूनतम स्तर के साथ टॉप से बॉटम दृष्टिकोण को अपनाता है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक संप्रभु राज्य तब अस्तित्व में आता है जब वह राज्य के चार बुनियादी मानदंडों को बरकरार रखता है–स्थायी जनसंख्या, परिभाषित क्षेत्र, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रवेश करने की क्षमता[6]। एक संप्रभु राज्य की ये मूल विशेषताएँ प्राचीन और मध्ययुगीन नेपाल में मौजूद थीं। हालांकि मध्ययुगीन काल के दौरान रियासतों के उदय और राजनीतिक विखंडन के साथ नेपाल में स्थायी केंद्र सरकार की विशेषता का अभाव था। एक स्थायी केंद्र सरकार की अनुपस्थिति में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रवेश करने की क्षमता भी कम हो गई थी। इस प्रकार नेपाल के एकीकरण की घटना राज्य के इन सभी चार मानदंडों को प्राप्त करने में एक विशिष्ट चरण का प्रतीक है। एकीकरण के पश्चात राजा पृथ्वी नारायण शाह ने सभी जातीय समुदायों को समायोजित करने और उनकी एकता की भावना को सुरक्षित करने के लिए एक नीति विकसित की। उनकी प्रसिद्ध नीति (दिव्य उपदेश), को नेपाल में चार जातियों (जाटों) और छतीस नृजातियों (वर्णों) की एक सामान्य स्थिति के रूप में देखा जाता है। यह इंगित करता है कि एकीकरण प्रक्रिया के दौरान कुछ गंभीर विचलन के बावजूद सम्मान, सद्भाव और सहिष्णुता को सामुदायिक सम्बन्धों की आधार रेखा के रूप देखा गया था। अपनी नीति में पृथ्वी नारायण शाह ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि राज्य–राष्ट्र केवल सभी जातियों और नृजातियों द्वारा समूहिक रूप से पूरा किया जा सकता है।

[6] Article 1 of the Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 1933.

आधुनिक नेपाल में एक केन्द्रीकृत राज्य का विचार पृथ्वी नारायण शाह के काल में उभरा, जिसने अपनेपन का आधार बनाने में एक रणनीतिक भूमिका निभाई, हालांकि कुछ विद्वानों द्वारा समावेशी नही होने के कारण उनकी नीति की कड़ी आलोचना की गईं। इन विद्वानों द्वारा दिये गए मुख्य तर्क चार धारणाओं पर आधारित हैं। सर्वप्रथम राष्ट्र निर्माण के नाम पर जातीय और नृजातीय समुदायों पर हिन्दू धर्म को थोपा गया। दूसरा, नेपाली भाषा और संस्कृति को भी एकता के नाम पर जातीय और नृजातीय समुदायों पर थोपा गया। तीसरा, राजनीतिक एकीकरण के नाम पर छेत्री और बहूँ (मुख्यतया पहड़िया या परबेट) ने देश को शासक वर्ग के रूप में शासित किया, जबकि राजनीतिक भागीदारी से जातीय समुदायों को बाहर रखा। चौथा, सुधार के नाम पर राज्य द्वारा जनजातियों की भूमि (मुख्यरूप से कीपट भूमि की) का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सामान्य तौर पर इन चार मुख्य तर्कों को दो सैद्धांतिक श्रेणियों, अधिरोपण का सिद्धान्त और बहिष्करण का सिद्धान्त में विभाजित किया जाता है।

1990 के पश्चात के लोकतान्त्रिक काल में कुछ विद्वानों ने कथित तौर पर हिंदूकरण के रूप में एकीकरण का उल्लेख किया है[7]। उनके दावे की दृढ़ता स्वयं राजा पृथ्वी नारायण शाह के बयान से आती है, जो नेपाल को 'एक वास्तविक हिंदुस्तान' हिंदुओं की भूमि के रूप में देखते थे[8]। हिन्दू, हिंदुस्तान और हिन्दू धर्म की अवधारणा की उत्पत्ति के लिए कई स्पष्टीकरण दिये जा सकते हैं। उनमे से एक हिंदुकुश क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोगों के भौगोलिक क्षेत्र के अर्थ से संबन्धित है, जहां काकेशियन (इंडो–आर्यन) और मंगोल दोनों निवास करते थे। ऐतिहासिक रूप से हिंदुकुश क्षेत्र मंगोलियाई मूल के लोगों की भूमि थी, जबकि काकेशियन (इंडो–आर्यन) संख्या में अल्प थे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान मुख्य रूप से काकेशियन (इंडो–आर्यन) का घर था जिसमें मंगोल अल्पसंख्यक थे।

जहां तक नेपाल का संदर्भ है तो यहाँ न तो आर्य और न ही मंगोल एक वर्चश्वशाली स्थिति में थे, और न ही वे सहयोगात्मक रूप में साथ रहते थे। इस

[7] Harka Gurung (2008)): *State and Society in Nepal*, in Nationalism and Ethnicity in Nepal 20-33
[8] D. N. Gellner, J. Pfaff-Caarnecka, & J. Wheplpton eds., Kathmandu, Vajra Publications,
Mahendra Lawoti (2005): Towards a Democratic Nepal: Inclusive Political Institutions for Multicultural Society New Delhi, Sage Publications.

संदर्भ में पृथ्वी नारायण शाह के लिए नेपाल को वास्तविक हिंदुस्तान के रूप में वर्णित करना असामान्य बिलकुल भी प्रतीत नही होता, जो इंडो–आर्यन और मंगोलों दोनों के लिए एक घर को दर्शाता है, क्योंकि यह विभिन्न जातियों और नृजातियों के लोगों की एक साथ रहने की मातृभूमि थी। साथ ही एक धार्मिक दृष्टिकोण से हिन्दू धर्म अपने मूल और विकास में एक स्थिर धर्म नही था। यह मुख्य रूप से जीवन का एक तरीका था, जिसमें नास्तिक से लेकर आध्यात्मवादियों तक के कई विचार शामिल थे[9]। इस दृष्टिकोण से भी पृथ्वी नारायण शाह को 'वास्तविक हिंदुस्तान' शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, जिससे एकीकृत भूमि को विभिन्न संस्कृतियों, विश्वासों और सामाजिक व्यवस्थाओं की सच्ची मातृभूमि के रूप में वर्णित किया जा सके, जो कि नेपाल वास्तव में है भी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि शासक वर्ग ने पृथ्वी नारायण शाह की जातीय नीति कि व्याख्या भाषा, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था की एकता के स्त्रोत के रूप में की है।[10] राजेंद्र प्रधान हिंदूकरण को 'पर्बताईजेसन' अर्थात परबतिया संस्कृति का प्रसार, नेपाली भाषा और हिन्दू धर्म देश भर में परबतिया (मुख्य रूप से छेत्री और बहूँ) के प्रवास के रूप में समझाते हैं। राजेंद्र प्रधान इस प्रक्रिया को संस्कृति और समुदायों की अधीनता के रूप में चित्रित करते हैं। हालांकि वे आवास और आत्मसात करने की प्राकृतिक प्रक्रिया को भी स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त वह लिखते हैं कि "सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि तिब्बती–बर्मन नेपाल को अपनी असाधारण जनसांख्यिकीय विविधता प्रदान करते हैं, इंडो–आर्यों ने ऐसे संपर्क प्रदान किए हैं जिन्होने देश को एक सूत्र में बांधा है[11]।''

अपने प्रारम्भिक चरण में विश्व भर के संप्रभु राज्यों को सामान्य तौर पर बेहतर सुरक्षा और व्यापार तथा व्यापार के लिए अधिक अवसर प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया था। नेपाल में भी एकीकरण की स्थापना से लेकर पंचायती युग तक, इन दोनों तंत्रों को विघटन और आंतरिक संघर्ष की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न रूपों और पहलुओं में प्रकट किया गया था। बिना

[9] J. Lipner (2010) Hindus: their Religions Beliefs and Practices Routledge.
[10] J. Winternit (1946): Marxism and Nationality 7 London, Lawrence & Wshart Ltd.,
[11] Karl Marx (1903): A Contribution to The Critique of Political Economy (Chicago, Charles H. Kerr & Co.

किसी अपवाद के विश्व स्तर पर प्रत्येक आधुनिक संप्रभु राज्य ने सामाजिक मानक स्तर पर एक एकीकृत भाषा, संस्कृति और धर्म के साथ कानून की एक मजबूत प्रणाली को अपनाया है[12]।

यद्यपि नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण के प्रारम्भिक चरण में विभिन्न भाषाओं का उपयोग करने और विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का अभ्यास करने की अनुमति दी गई थी। बावजूद इसके राष्ट्रीय स्तर पर नेपाली भाषा और नेपाली संस्कृति ने धीरे–धीरे प्रगति की और कुछ हद तक उसे क्रियान्वित भी किया। अगर नेपाली भाषा और संस्कृति को एकीकृत उद्देश्य की पूर्ति करने वाले कारकों के रूप में सफल नहीं किया गया तो एक भाषा और संस्कृति को उसी एकीकृत उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाया जाएगा। एक या अन्य तरीके से एक राष्ट्रीय भाषा और एक राष्ट्रीय संस्कृति का विकास राष्ट्र–निर्माण की सार्वभौमिक विशेषताओं और प्रवृत्तियों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेपाल में तत्कालीन नीतिगत अनिवार्यताओं को इतिहासकार **एच. जी. वेल्स** के शब्दों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है, उनके अनुसार "संस्थाएं, रीति–रिवाज और राजनीतिक विचार समय के हिसाब से धीरे–धीरे बढ़ते हैं[13]।"

नेपाल में राणाओं ने जाति–व्यवस्था को मजबूती से वैध ठहराया। 1854 की राष्ट्रीय संहिता (मुलुकी एन, 1910 बी.एस.) के तहत विभिन्न जाति श्रेणीक्रमों के मध्य दंड कानून को भी भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया। राणा शासन की समाप्ति के पश्चात यह उम्मीद की जा रही थी कि ऐसी भेदभावपूर्ण और समाज को विखंडित और बहिष्कृत करने वाली नीतियाँ और प्रथाएँ अपनी पकड़ समाज पर से खो देंगी। 1964 कि नई राष्ट्रीय संहिता (मुलुकी एन, 2020, बी.एस.) ने वास्तविक रूप में दंड कानून के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समाप्त कर दिया और काफी हद तक कानून के समान संरक्षण को भी बनाए रखा। परंतु बावजूद इसके दलित समाज के प्रति पूर्वाग्रह और सामाजिक प्रथाओं के मध्य भेदभाव जारी रहा। इसके अतिरिक्त 1962 के पंचायती राज संविधान ने नेपाल को एक हिन्दू राज्य में

[12] Pierre Manent (2006): A World Beyond Politics: A Defense of The Nation State ,translated by Marc LePain, Princeton University Press.
[13] H. G. Wells, *supra* note, at 451

परिवर्तित कर दिया[14] । इसके विपरीत महेंद्र लाओटी, ज्ञानेन्द्र के निरंकुश शासन सहित राजशाही को मुख्यधारा की लोकतान्त्रिक राजनीति की तुलना में अधिक समावेशी मानते हैं। महेंद्र लाओटी लिखते हैं, "राजशाही मुख्यधारा के प्रमुख राजनीतिक दलों की तुलना में अधिक समावेशी सिद्ध हुई है[15]।" इसके अतिरिक्त उनका यह दावा भी है कि, 2002 में हाशिये के समुदायों के लिए राजनीतिक अवसर तब उत्पन्न हुए जब राजा ज्ञानेन्द्र ने सत्ता अपने हाथों में ली[16]। वह मानते हैं कि एक विकृत सोंच पूरी समावेशन कि अवधारणा को पराजित कर देती है, जो कि 2015 के संविधान की घोषणा के पश्चात भी नेपाल में एक समस्याग्रस्त मुद्दा बना हुआ है।

राजा ज्ञानेन्द्र और पंचायती राजतंत्रीय व्यवस्था के शासन के दौरान राष्ट्र–निर्माण प्रक्रिया को अधिक समावेशी होने और 1990 के पश्चात के लोकतांत्रिक चरण के दौरान उसके प्रतिगामी होने के रूप में समझना आवश्यक है। वास्तव में नेपाल में राष्ट्र–निर्माण प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण के दौरान विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं पर प्रतिबंध आरोपित नहीं किया गया था, बल्कि पूरे देश में इसका स्वतंत्र रूप से पालन किया गया था। हालांकि एक ही समयकाल में नेपाली भाषा और हिन्दू संस्कृति दोनों को लागू किया गया था, और स्वेच्छा से सामाजिक एकीकरण को अपनाया गया था। राष्ट्र–निर्माण के एक लोकतान्त्रिक चरण के तहत अनेक प्रश्न उठाए गए हैं जैसे–भाषा, संस्कृति और धर्म के मुद्दों को कैसे सुलझाया जाना चाहिए? दूसरे शब्दों में नेपाली समाज के बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक और बहु–धार्मिक ताने–बाने को कैसे बेहतर तरीके से प्रबंधित और उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए? क्या समान आधिकारिक भाषा के बगैर प्राशासनिक, न्यायिक,

[14] Among the six constitutions so far promulgated in Nepal, the word Hindu does not appear in the 1948, and 1959 Constitutions. Nevertheless, the 1959 Constitution in its Preamble and Article 1(3) designates the King as a Hindu King. In particular, the 1962 *Panchayati* Constitution under Article 1(3) clearly stipulates Nepal as a 'monarchical Hindu state.' The 1990 Constitution under Article 4(1) provides that, "Nepal is a multiethnic, multilingual, democratic, independent, indivisible, sovereign, Hindu and Constitutional Monarchical Kingdom." The Interim Constitution, 2007, for the first time ended the concept of Hindu state by replacing it with a secular state. Article 4(1) of the 2007 Constitution provided that, "Nepal is an independent, indivisible, sovereign, secular, inclusive and federal, democratic republican state."

[15] Mahendra Lawoti (2005): Towards a Democratic Nepal: Inclusive Political Structure for a Multicultural Society 317 New Delhi, Sage Publication.

[16] Susan Hangen & Mahendra Lawoti (2013): *Nationalism and Ethnic Conflict in Nepal*, in Nationalism and Ethnic Conflict in Nepal Mahendra Lawoti & Susan Hangen eds., Routledge.

सामाजिक संपर्क और संचार का प्रबंधन करना व्यावहारिक रूप से संभव हो सकता है?

6.4 राष्ट्र निर्माण का लोकतान्त्रिक चरण

अपनी आंतरिक विशेषताओं के साथ राष्ट्र–निर्माण का लोकतांत्रिक चरण कार्यात्मक और औपचारिक दोनों स्तरों पर राष्ट्र–निर्माण के प्रारम्भिक चरण से पूर्णतया गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। 1990 के पश्चात के युग में एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र–निर्माण की अधिकांश विशेषताओं का विकास होना प्रारम्भ हो गया था, परंतु बावजूद इसके उसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का अभाव था, जिनकी नेपाली समाज के सभी वर्गों ने आलोचना की थी ये आलोचनाएं सामान्य तौर पर राष्ट्र–निर्माण प्रक्रिया में अभावों की ओर संकेत करती हैं।

6.4.1 हिन्दू राज्य

एक हिन्दू राज्य का विचार नेपाल राज्य की औपचारिक संरचना में शामिल था, जिसमें राणा काल से संबन्धित मूल्यविहीन तर्क शामिल थे, जो **'हमारा राजा–हमारा देश'** की पंचायती नीति में परिणत हुआ। परंतु समान भाषा, समान पोशाक 1990 के पश्चात भी कायम रही। फिर भी 1990 के बाद के काल में राजा की संस्कृति और परम्पराओं के पालन का भय समाप्त हो गया था। मंगोल समुदायों के कई जाति समूहों ने *दशई और तिहार* जैसे त्योहारों का बहिष्कार किया और उन्हे आर्य संस्कृति के आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया। परंतु इसमें कुछ अस्पष्टता भी थी। उदाहरण के लिए शक्तिशाली जातीय नेता जो समाजिक स्तर पर आर्य संस्कृति के बहिष्कार की तरफदारी करते थे और राजा से दशई प्राप्त करते थे। महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि आर्य समुदाय ने इन आलोचनाओं को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लिया। 1990 के संविधान द्वारा हिन्दू साम्राज्य का वैधानीकरण एक विचित्र घटना थी, जिसने राजनीति को धर्म से पृथक करने के विचार को नजरअंदाज कर दिया था। परिणामस्वरूप न सिर्फ जातीय और नृजातीय समुदायों ने बल्कि छेत्री और बहुओं ने भी 'हिन्दू साम्राज्य' के विचार की निंदा की। 1990 के संविधान द्वारा नेपाल को हिन्दू राज्य के रूप में घोषित करना एक नागरिक राज्य

के आदर्शों को अवधारणात्मक रूप से नष्ट करना था। 2007 के अन्तरिम संविधान द्वारा एक पंथनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की तरफ मजबूत कदम बढ़ाया गया[17] और 2015 के संविधान के तहत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के वैधानीकरण के साथ औपचारिक संरचनात्मक स्तर पर लागू किया गया[18]। हालांकि 2015 के संविधान को अंतिम रूप देते हुए अनुच्छेद 4 में जोड़ा गया व्याख्यात्मक लेख 'धर्मनिरपेक्ष'शब्द को गैर–धर्मनिरपेक्ष तरीके से परिभाषित करता है। अंतिम समय में यह परिवर्तन प्रचलित जनमत और हिन्दू राज्य की स्थापना के लिए बने दबाव के विरुद्ध था। फिर भी व्याख्यात्मक लेख धर्मनिरपेक्ष राज्य के मुख्य प्रावधान या विचार को कम नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में 2015 के संविधान का अनुच्छेद 3 महत्वपूर्ण है जो यह प्रावधान करता है कि सभी नेपाली लोग समूहिक रूप से राज्य–राष्ट्र का गठन करते हैं[19]। फिर भी संविधान लागू होने के पश्चात भी मधेश आंदोलन राष्ट्र की संवैधानिक परिभाषा से संतुष्ट नहीं था। विरोधी दलों ने संविधान द्वारा वैधता प्राप्त बहु–राष्ट्र–राज्य की मांग की। इस संदर्भ में विद्वानों का मानना है, कि चूंकि नेपाल की संघीय संरचना अनिवार्य रूप से एकात्मक राज्य संरचना से बहु–राष्ट्रीय राज्य संरचना की तरफ एक विकास है[20]। वास्तव में 2015 के संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के अनुसार संस्कृति, भाषा, धर्म और जातीयता को शामिल करते हुए 'राष्ट्र' शब्द का उपयोग पर्याप्त रूप से दृष्टिगोचर हुआ है। दूसरी ओर नेपाल के संघीय ढांचे के निर्माण के दौरान संप्रभु या स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं की एकता को दर्शाने हेतु 'राष्ट्र' शब्द की मांग करना सिर्फ अव्यवहारिक राजनीतिक सम्बन्धों को दर्शाता है।

[17] Article 4 of the Interim Constitution, 2007, recognized Nepal as a secular state.

[18] Article 4 of the 2015 Constitution recognizes Neal as a secular state. Article 4 reads, "Nepal is an independent, indivisible, sovereign, secular, inclusive democratic, socialism-oriented federal democratic republican state. Explanation: for the purpose of this article, 'secular' means protection of religion and culture practiced since ancient times, including religious and cultural freedom."

[19] Article 3 of the 2015 Constitution provides that, "Having multiethnic, multilingual, multi-religious, and multicultural characteristics with the common aspirations of people living in diverse geographical regions, and being committed to and united by the bond of allegiance to national independence, territorial integrity, national interest, and prosperity of Nepal, all the Nepali people collectively constitute the nation."

[20] Pratik Karki, (2016), Through the Lenses of the Constitution: the Nepal Crisis Explained, www.firstpost.com.

6.4.2 भाषा नीति

1990 के संविधान के अनुच्छेद 2 द्वारा एक 'राष्ट्र' की अवधारणात्मक रूप से सर्वव्यापी नीति को अपनाने के बावजूद अनुच्छेद 27 (2)[21] के अंतर्गत राजशाही नेपाली राष्ट्र के एक कारक के रूप में जुड़ी थी। इसके अतिरिक्त एक आधिकारिक भाषा के मध्य सम्बन्धों को परिभाषित करने में इसकी विसंगतियों के कारण नेपाल की भाषा नीति भी प्रतिकूल सिद्ध हुई, जिसे 1990 के संविधान के अनुच्छेद 6 से समझा जा सकता हैः

[1] देवनागरी लिपि में नेपाली भाषा नेपाल की राष्ट्र भाषा है। जो नेपाल की राजभाषा भी होगी।

[2] नेपाल के विभिन्न भागों में मातृभाषा के रूप में बोली जाने वाली सभी भाषाएँ नेपाल की राष्ट्रीय भाषाएँ हैं।

बहरहाल नेपाल में प्रथम बार 1990 के संविधान ने सभी मातृभाषाओं को नेपाल की राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की थी। संविधान ने जातीय समुदायों को उनकी भाषाओं, लिपियों और संस्कृतियों के संरक्षण और प्रचार के संबंध में अधिकारों को भी सुनिश्चित किया था[22]। इसके अतिरिक्त संविधान ने बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर तक शिक्षित करने के अधिकार को भी संवैधानिक बना दिया था[23]। 1990 के संविधान के द्वारा प्रदान किए गए भाषाई मॉडल ने पंचायती भाषा नीति की तुलना में गुणात्मक प्रगति को चिन्हित किया। इन सकारात्मक घटनाक्रम का स्वागत करने की बजाए नेपाली भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में आरोपित करने के प्रतिकूल कदम के रूप में संदर्भित किया है[24]। इससे यह प्रश्न उठता है कि यदि 1990 के संविधान के अनुच्छेद 6 और 18 में उल्लिखित भाषा का मॉडल प्रतिकूल था और वह आरोपित करने के

[21] Article 27(2) of the Constitution of the Kingdom of Nepal, 1990, provides that, "His Majesty is thesymbol of the Nepalese nationality and the unity of the Nepalese people.

[22] Article 18(1) of the Constitution of the Kingdom of Nepal, 1990, which reads, "Each community residing within the Kingdom of Nepal shall have the right to preserve and promote its language, script, and culture."

[23] *See* Article 18(2) of the Constitution of the Kingdom of Nepal, 1990, which reads, "Each community shall have the right to operate schools up to the primary level in its own mother tongue for imparting education to its children."

[24] DFID & The World Bank, Unequal Citizens: Gender, Caste and Ethnic Exclusion in Nepal (2006); *see also* Mahendra Lawoti, Towards a Democratic Nepal, *supra* note.

उसी पुराने सिद्धान्त पर आधारित था, तो इनमें से कौन सा वैकल्पिक मॉडल सबसे अधिक वांछनीय और व्यावहारिक रूप से कुशल होगा? नेपाल के 2007 के अन्तरिम संविधान व 2015 के संविधान ने 1990 के संविधान की भाषा नीति में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के साथ संशोधन करके इस प्रश्न का समाधान किया है। 2007 के अन्तरिम संविधान के अनुच्छेद 5[25] और 17[26] तथा 2015 के संविधान के अनुच्छेद 6[27], 7[28] और 32[29], 1990 के संविधान के अनुच्छेद 6 और 18 की तुलना में गुणात्मक रूप से उन्नत और समावेशी हैं। यह प्रगति वास्तव में उल्लेखनीय है जैसा कि आगे चर्चा की गई है। प्रथम, 2007 के संविधान का अनुच्छेद 5 (3) और 2015 के संविधान का अनुच्छेद 7 (2) नेपाली भाषा के अलावा अन्य भाषाओं को प्रान्तों की आधिकारिक भाषाओं के रूप में उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। इसने विभिन्न मातृभाषाओं के लिए प्रांतीय स्तर पर आधिकारिक दर्जा बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस परिवर्तन के साथ नेपाल में बोली जाने वाली भाषाएँ, उनमें से कुछ क्षेत्रीय रूप से प्रमुख मातृभाषाओं को प्रांतीय स्तरों पर आधिकारिक भाषाओं के रूप में उपयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ।

दूसरा 1990 के संविधान के अनुच्छेद 18(2) में निहित मातृभाषा में प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को 2007 के संविधान के अनुच्छेद 17(1) के तहत मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से परिवर्तित कर दिया

[25] Article 5 of the Interim Constitution of Nepal, 2007, which reads. "Language of the Nation: (1) All languages spoken as mother tongues in Nepal are the languages of nation. (2) The Nepali Language in *Devanagari* script shall be the official language. (3) Notwithstanding anything contained in Clause (2), nothing shall be deemed to prevent the using of any language spoken as the mother tongue in a local body and office. The State shall maintain records by translating the languages so used in the official language."

[26] Article 17 of the Interim Constitution of Nepal, 2007, which reads, "Right relating to education and culture: (1) Every community shall have the right to get basic education in its own mother tongue, as provided in law. (2) Every citizen shall have the right to get free education up to the secondary level from the State, as provided in law. (3) Every community residing in Nepal shall have the right to preserve and promote its language, script, culture, cultural civilization and heritage."

[27] Article 17 of the Interim Constitution of Nepal, 2007, which reads, "Right relating to education and culture: (1) Every community shall have the right to get basic education in its own mother tongue, as provided in law. (2) Every citizen shall have the right to get free education up to the secondary level from the State, as provided in law. (3) Every community residing in Nepal shall have the right to preserve and promote its language, script, culture, cultural civilization and heritage."

[28] Article 6 of the 2015 Constitution provides that, "All languages spoken as mother tongues in Nepal are national languages."

[29] Article 7 of the 2015 Constitution provides that, "(1) The Nepali Language in *Devanagari* script shall be the official language of Nepal. (2) Besides Nepali language, the provinces can determine one or more languages spoken by the majority of people in the province as the official languages of the province."

गया था, जिसे 2015 के संविधान ने और अधिक विस्तार दिया। 2015 के संविधान का अनुच्छेद 31(5) यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक समुदाय को मातृभाषा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, और साथ ही मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालय और शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त 2015 के संविधान ने एक भाषा आयोग के गठन की भी कल्पना की है, जो राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने में भाषाओं के आधार का निर्धारन करने के लिए उत्तरदायी है। आयोग सम्पूर्ण देश में भाषाओं के संरक्षण और प्रचार में नीतियों और रणनीतियों को बनाने में भी महती भूमिका निभा सकता है[30]। हालांकि इन किए गए प्रावधानों को संविधान के क्रियान्वयन के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाना अभी शेष है। इसके बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि 2015 का संविधान राज्य द्वारा अभी तक थोपी जाने वाली नीतियों और बहिष्करण कि मौलिक समस्याओं का समाधान करने हेतु कुछ मजबूत आधार प्रदान करता है। जैसा कि मोहंती ने कहा है "यदि बहुसंस्कृतिवाद को शैक्षिक और राजनीतिक संस्थाओं का लक्ष्य बनाना है तो हमे एक व्यावहारिक धारणा कि आवश्यकता है। सभी व्यावहारिक अंतर्दृष्टि से 2015 के संविधान द्वारा प्रस्तुत की गई भाषा नीति के मॉडल को नेपाली समाज की बहु–सांस्कृतिक और बहु–जातीय व्यवस्था में लोकतान्त्रिक राज्य–राष्ट्र निर्माण की व्यावहारिक धारणा के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि प्रांतीय भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में अपनाने की प्रासंगिकता अभी तक अज्ञात है। बावजूद इसके किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाने से पूर्व कुछ विशेषताओं पर ध्यान देना आवश्यक होता हैः

1. आबादी का बड़ा भाग उस भाषा को बोलता, पढ़ता और लिखता हो।
2. बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी उस भाषा में कार्य सम्पादन करने में सक्षम हों।
3. प्रान्तों की राजभाषाओं में सार्वजनिक सेवाएँ हों।
4. एक बेहतर तरीके से विकसित लिपि, संरचना, व्याकरण का अस्तित्व होना चाहिए।

[30] Article 287 of the 2015 Constitution.

2011 की जनगणना के अनुसार नेपाल में मातृभाषा के रूप में 123 भाषाएँ बोली जाती हैं। इस संदर्भ में उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि नेपाली के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा राष्ट्रीय या संघीय स्तर पर आधिकारिक भाषा के रूप में अपना स्थान बनाने की स्थिति में नहीं है। अनेक भाषाएँ जैसे, मैथली, भोजपुरी, नेपाली और हिन्दी प्रांतीय स्तर पर आधिकारिक भाषा के मानदंडों को पूरा कर सकती हैं तालिका 6.1 नेपाल की 10 प्रमुख भाषाओं के वितरण को दर्शाती है।

तालिका 6.1 नेपाल में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों का वितरण (प्रतिशत में)

स्थिति,	नेपाली	मैथली	भोजपुरी	थारू	तमांग	नेवार	बजिका	मगर	दोतेली	उर्दू
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2011	44.6	11.7	6.0	5.8	5.1	3.2	3.0	3.0	3.0	2.6
2001	48.61	12.30	7.53	5.86	5.19	3.63	मगर	अवधी	बंनतावा	गुरूंग
							3.39	2.47	1.63	1.49

डेटा स्रोत: *CBS, पापुलेसन सेंसस, 2011 और पापुलेसन सेंसस, 1991*

अधिकांश शोध और उपलब्ध आंकड़े मुख्य रूप से मातृभाषा बोलने वाली जनसंख्या के वितरण पर ध्यान केन्द्रित करते हैं परंतु उन आंकड़ों की अनदेखी करते हैं जो नेपाली भाषा की स्थिति को एक भाषा के रूप में दिखाते हैं। बावजूद इसके यह व्यापक रूप से समझा जाता है और व्यावहारिक रूप से सिद्ध है कि लोगों का बड़ा प्रतिशत नेपाली भाषा का उपयोग एक भाषा के रूप में करता है। भाषा विज्ञान के विश्वकोश का अनुमान है कि 90 प्रतिशत से अधिक नेपाली जनसंख्या नेपाली बोलती है। नेपाली भाषा न केवल इंडो–आर्यन भाषाई परिवार के अंदर बोली जाती है बल्कि दूसरी भाषा के रूप में तिब्बती–बर्मन, आस्ट्रो–एशियाटिक और द्रविड़ भाषाई परिवारों में भी बोली जाती है। सामान्य रूप से नेपाल में सभी जातियों, नृजातियों और धर्मों के लोग नेपाली बोलते हैं। चाहे इसे सामाजिक–आर्थिक सहयोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनाया जाए। नेपाली भाषा ने व्यावहारिक रूप से एक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त कर लिया है। हालांकि तीव्र गति से बढ़ती संवैधानिक वैश्विक व्यवस्था में अकेले नेपाली भाषा भाग लेने में सक्षम नहीं हो सकती है।

नेपाल में भाषाई विमर्श और इस संदर्भ में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह अनुभव किया जा सकता है कि नेपाल में 2006 के पश्चात उत्पन्न होने वाले संघर्ष को समाप्त कर दिया गया है परंतु भाषा को लेकर अभी भी नेपाल में एक द्वंद कि स्थिति परिलक्षित होती है जो नेपाल को एक राज्य–राष्ट्र बनने में एक बाधा के रूप में कार्य कर कर रही है। इस संदर्भ में यह कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है कि वास्तविक जीवन क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों को बनाए रखने के लिए व्यावहारिक चेतना को सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता है।

6.5 राज्य निर्माण

नेपाल के संविधान के भाग 1 (अनुच्छेद 4) के अनुसार नेपाल एक स्वतंत्र, अविभाज्य, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतान्त्रिक, सामाजिकतावादी, संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य है। राज्य निर्माण का अर्थ है राज्य को सशक्त बनाना, राज्य निर्माण की प्रक्रिया के कई आयाम हैं:–जैसे राजनीतिक आयाम– राजनीति आयाम राजनीतिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, समावेशी राजनीतिक संस्कृति को विकसित करने में योगदान देता है। आर्थिक आयाम– उदारीकरण, निजीकरण को बढ़ावा देने, निवेशक को अनुकूल वातावरन देने, बुनियादी ढांचे का विकास, वित्तीय क्षेत्र में सुधार कर राज्य निर्माण की दिशा में योगदान देता है। सामाजिक आयाम– शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सशक्तिकरण, सार्वजनिक भागीदारी, समाजिकता। सामाजिक न्याय के माध्यम से राज्य निर्माण की प्रक्रिया में योगदान सुनिश्चित करता है[31]।

6.5.1 नेपाल मे राज्य निर्माण के लिए प्रयास

1. संघीय गणराज्य की स्थापना
2. न्यू नेपाल के निर्माण के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता
3. उदारीकरण और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
4. विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास

[31] Article 4, Nepali Constitution, 2015

5. सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास
6. स्थायी विकास और आमजन की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्वशासन अधिनिययम (LSGA)

6.5.2 राज्य निर्माण की आवश्यक शर्तें

राज्य निर्माण के लिए अनेक शर्ते हैं जैसे–

1. राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक सहमति
2. दीर्घकालिक दृष्टि के साथ स्थिर सरकार
3. शांति निर्माण और संघर्ष का अंत
4. निवेश के लिए अनुकूल वातावरण
5. सहयोगी शासन
6. सक्षम स्थानीय सरकार
7. पेशेवर प्रशासन

6.6 नेपाली राष्ट्रवाद

डॉ0 हरका गुरुंग ने अपने लेख नेपाली राष्ट्रवाद में कहा है कि 'राज्य' और 'राष्ट्र' शब्द के भिन्न–भिन्न अर्थ है। राज्य एक राष्ट्र की तुलना में अधिक विकसित स्थिति है, क्षेत्रीय परिभाषा से परे राज्य के भीतर लोगों के बीच एक भावनात्मक बंधन शामिल है। नेपाली राज्य ने लंबे समय तक अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखी है, परंतु एक राष्ट्र के रूप मे उभरना बाकी है। नेपाल राज्य केवल भौगोलिक रूप से एकीकृत हुआ है, न कि सामाजिक या आर्थिक रूप से। डॉ गुरुंग के अनुसार मेची नदी के पूर्व में नेपाली भाषी आबादी की सामाजिक गतिशीलता ने नेपाली राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया। दार्जलिंग के ग्यावाली और कोइराला, भाषा में कलिमपोंग, राजनीति में कलिमपोंग के गुरुंग ने नेपाली राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामाजिक और आर्थिक एकीकरण राष्ट्रवाद के मूल

आधार हैं, परंतु नेपाल में आर्थिक शोषण और सामाजिक अन्याय व्याप्त है। इसका सबसे उपर्युक्त उदाहरण तराई में मधेसियों का है। 1990 के दशक में नेपाल के संविधान ने एक धर्म और एक भाषा को प्रधानता दी, जिसने सामाजिक विषमता को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न जातीय और भाषाई आंदोलनों का उदय हुआ। उस दौरान बहुभाषी और बहुधार्मिक नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष संविधान की आवश्यकता थी जो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में योगदान दे[32]।

नेपाल में राष्ट्रीय पहचान की खोज एक हालिया घटना हो सकती है परंतु अतीत में इसकी जड़ें गहरी हैं, जिसने नेपाली राष्ट्रवाद में भी वृद्धि हुई। 1769 तक नेपाल छोटे–छोटे स्वतंत्र राज्यों और विभिन्न राष्ट्रीयताओं के समेकन से बना था। गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने अपने विस्तारवादी अभियान को अपनाया और कई राज्यों को गोरखाओं के नियंत्रण में लेकर आए। पृथ्वी नारायण शाह की विस्तारवादी नीतियों का अनुसरण उनके उत्तराधिकारियों ने किया, जो एंग्लो–गोरखा युद्ध (1814–1816) में उनकी पराजय के पश्चात ही समाप्त हुआ। जहां तक नेपाल के राज्य–राष्ट्र का संदर्भ है तो 1930 के दशक में ही नेपाली सरकार ने 'नेपाली' नाम को आधुनिक राष्ट्र–राज्य में बदलने के प्रयास शुरू कर दिये थे। सामान्य तौर पर देश के भीतर विभिन्न मूल के लोग सदियों से शांतिपूर्वक निवास कर रहे थे। लेकिन संघर्ष तब सामने आया जब राज्य ने समूहों के साथ भेदभाव करना आरंभ कर दिया। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को हिंदुओं की सच्ची भूमि (असाली हिंदुस्तान) घोषित किया था। 1854 में पहले राणा प्रधानमंत्री, जंग बहादुर राणा ने हिन्दू धर्म पर आधारित लिखित कानूनों की शुरुआत की , देश को पित्रसत्तात्मक रूप से विभाजित किया और अन्य सभी राष्ट्रीयताओं को ब्राहाण–चेत्रिस (खस) शासक वर्ग के अधीन किया। राजा महेंद्र ने 1950 में दलविहीन पंचायत प्रणाली की शुरुआत की, जिसने नेपाल को केवल हिन्दू साम्राज्य और नेपाली या खस को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया। इस प्रकार राणा शासकों द्वारा नेपाल की बहु–धार्मिक, बहु–राष्ट्रीय, बहु–सांस्कृतिक और बहु–भाषी चरित्र की अनदेखी की गई। नेपाल की सत्तारूढ़ हिन्दू आबादी भारतीय हिन्दू राष्ट्रवादियों की नकल करके

[32] Gurung Harka (1996), Ethnic Demography of Nepal- Democracy Nepal: Gateway to Nepali Politics and Civil Society retrieved from http://www-nepaldemocracy-org/ ethnicity/ ethnic_demograp hy-html- on 10 March 2018

अपने राष्ट्रवाद को व्यक्त करती है। पंचायत राजनीति (1960–1990) के तीस वर्षों ने अल्पसंख्यकों के मुद्दों और उनके अधिकारों की अनदेखी की। यही वह कारण था जिससे हिन्दू मूल सिद्धांतों वाला नेपाली राष्ट्रवाद न केवल मधेसियों बल्कि अन्य लोगों के आंदोलनों के उदय का एक कारण बना।

जन–तान्त्रिक मुक्ति मोर्चा (JTMM) के नेता जयकृष्ण गोवाठित ने भी कहा कि तराई के लोग तथाकथित नेपाली राष्ट्रवाद और देशभक्ति (गोवाठित, 2007) के शिकार हुए हैं। डेविड गेलनर के अनुसार "मधेसियों को विशेष रूप से नेपाल के भीतर जिस तरह से खड़ा किया गया है उसने पहाड़ी संस्कृति और दुश्मनी के प्रतीकों पर नेपाली राष्ट्रवाद का निर्माण किया है[33]। मधेस आंदोलन का प्राथमिक मुद्दा नेपाली राष्ट्रवाद की पुनः परिभाषा है, जिसने एक भाषा (नेपाली) और एक पोशाक जैसे स्तंभों पर ध्यान केन्द्रित किया है। जबकि भारतीय हिमालय से नेपाली भाषा बोलने वालों के मामले में राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना पहाड़ी के प्रत्येक व्यक्ति को एक नेपाली माना जाता है। मधेसी नागरिकों को लंबे समय से बिहार और उत्तर प्रदेश में सीमा–पार के लोगों की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई सम्बन्धों के कारण पांचवे स्तम्भ के रूप में माना जाता है।

6.7 नेपाल राज्य–राष्ट्र अथवा राष्ट्र–राज्य

6.7.1 बहिष्करण राज्य और राज्य–राष्ट्र

नेपाली राज्य में बहिष्करण का दायरा और उसकी स्थिति बहुत व्यापक है जिसे तीन भिन्न–भिन्न विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। पहला छेत्री–बहूँ (परबतिया) प्रमुख वर्ग के रूप में शासन करते हैं और अन्य जातीय समूहों को राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करने से रोकते हैं। दूसरा छेत्री– बहूँ ने जातीय समुदायों (जन जातियों) की जन्मभूमि को भूमि, जल और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से वंचित कर दिया है। तीसरा, जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक स्थायित्व के कारण हिंदुओं ने दलितों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर भेदभाव किया है। चतुर्थ, 2015 के संविधान का अनुच्छेद–289 मधेसी समुदाय को देश के सर्वोच्च आधिकारिक पदों को प्राप्त करने की प्रक्रिया से बहिष्कृत करता है। नेपाली राज्य

[33] Gellner D. N. (2007) Nepal; Towards a Democratic Republic] Caste] Ethnicity and Inequality in Nepal- Economic and Political weekly 1827

द्वारा संविधान में प्रावधानित की गई इस बहिष्करण की नीतियों के कारण नेपाल एक राज्य–राष्ट्र के रूप में विकसित नही हो पाया है। कुछ विद्वान इन बहिष्करण की समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे पहली समस्या का एकमात्र समाधान जातीय संघवाद को मानते हैं, दूसरी, समस्या के समाधान हेतु वह उपयुक्त विचारधारा को मानते हैं, तीसरी समस्या के समाधान हेतु जाति व्यवस्था के अंत के रूप में देखते हैं और चतुर्थ समस्या के समाधान के लिए अनुच्छेद–289 में संशोधन को आवश्यक मानते हैं।

6.7.2 शासक वर्ग का मुद्दा

नेपाली राज्य में बहिष्करण की इन समस्याओं और उनके समाधानों का विवरण राज्य–राष्ट्र के निर्माण के लिए अधिक प्रासंगिक हो सकता है। नेपाल के राजनीतिक इतिहास का यदि हम अवलोकन करें तो यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण देता है कि राणाओं कि निरंकुशता और पूर्ण राजशाही के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत से, राजनीतिक दलों की स्थापना, लोगों के आंदोलनों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने और सभी प्रकार के राजनीतिक जोखिम उठाने के साथ छेत्री, बहूँ और नेवार जातियाँ राजनीतिक संघर्षों में सबसे आगे थीं। उस समय नेपाल में छेत्री, बहूँ और नेवार (CBN) व्यवस्था विरोधी तत्व थे। इस प्रकार राणाओं और राजाओं के शासन को स्वीकार कर लेना तथा छेत्री और बहुओं को शासक के रूप में वर्णित करना अवास्तविक है। यह सर्वविदित है कि 1950 के पश्चात की अवधि में और विशेष रूप से 1990 के पश्चात की अवधि में विभिन्न जातीय समूहों और मधेसी समुदायों के प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्तर से लेकर राज्य के अंगों तक किसी भी भेदभाव के बगैर राजनीतिक पदों और सत्ता पर कब्जा कर लिया।

1990 के पश्चात् की अवधि ने स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर सुनिश्चित किया। स्थानीय सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और जातीयता के लोगों का प्रतिनिधित्व बगैर किसी भेदभाव के किया गया है। निश्चित रूप से विभिन्न जातीय समूहों को सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। निश्चित रूप से विभिन्न जातीय समूहों को सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जा

सकता क्योंकि यह स्थिति सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से संभव प्रतीत नही लगती। सैद्धांतिक रूप से अगर देखें तो राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व एक जातीय प्रक्रिया नही है, बल्कि यह एक नागरिक प्रक्रिया है। वहीं व्यावहारिक रूप से राजनीतिक ढांचे के आधार के रूप में जातीयाता का कोई भी विवरण समान नागरिकों के विचार को कमजोर करने का कार्य करता है। किसी भी राज्य–राष्ट्र का मूल आधार लिंग, जाति, विश्वास और जातीयता के किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध है, जिसे 1990 के संविधान के तहत भी गारंटी दी गई थी और 2007 के संविधान द्वारा इसे और सशक्त किया गया था। 2015 के संविधान के अनुच्छेद–18 में नस्ल, लिंग, जातीयता, धर्म, जाति या अन्य किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिभान्धित किया गया है, जो नेपाल को एक राज्य–राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। हालांकि नेपाल को एक राज्य–राष्ट्र के रूप में घोषित करना अभी भी राजनीतिक अस्थयित्व और आंतरिक संघर्षों के कारण उपयुक्त नहीं होगा।[34]

इसके अलावा महामारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक शक्ति, राज्य व्यवस्था के अत्यधिक दुरपयोग, कानून के शासन के पालन का अभाव और पक्षपातपूर्ण शासन के कारण एक राज्य–राष्ट्र का क्षरण हो रहा था। इन समस्याओं ने जातीयता और बहिष्करण के बावजूद सभी को समाहित किया। एक बहु–जातीय और बहु–सांस्कृतिक समाज में जैसा कि लोकतान्त्रिक अनुभवों से पता चलता है, कि सिर्फ फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट प्रणाली नागरिकों के समावेशी प्रतिनिधित्व की गारंटी नही दे सकती है। इस तरह की चुनाव प्रणाली की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए 2006 के पश्चात नेपाल के राजनीतिक युग में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई है। हालांकि अनेक मामलों में राजनीतिक दलों ने आनुपातिक प्रतिबिधित्व प्रणाली में हेरफेर किया है, परंतु उपलब्ध आंकड़ें और प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि राज्य में समावेशी प्रतिनिधित्व नेपाल में लोकतन्त्र को सशक्त

[34] Article 18 of the 2015 Constitution provides that, "Right to Equality: (1) All citizens shall be equal before the law. No person shall be denied the equal protection of law. (2) There shall be no discrimination in the application of general laws on the grounds of origin, religion, race, caste, ethnicity, sex, physical conditions, disability, health condition, matrimonial status, pregnancy, economic condition, language or geographical origin, ideology, or any other such grounds. (3) The state shall not discriminate among citizens on the grounds of origin, religion, race, caste, ethnicity, sex, economic condition, language or geographical region, ideology and any other such grounds."

करने में एक सकारात्मक संकेत है। इसलिए एक राज्य–राष्ट्र के लिए समूहिक प्रगति के साथ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में शामिल होना उसे स्थायित्व प्रदान करता है।

6.7.3 उपयुक्त विचारधारा का मुद्दा

जातीयता के ढांचे के अंदर संघवाद को दूसरी समस्या के समाधान के लिए बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। नेपाल में भूमि व्यवस्था से पता चलता है कि कैसे इसका प्रयोग कुलीन वर्ग के राजनीतिक हितों के लिए किया गया था। पृथ्वी नारायण शाह के काल से भूमि को राजनीतिक हितों, राज्य की सत्ता बनाए रखने और राजनीतिक सीमा के रूप में कुलीन वर्ग बनाने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में लिया गया था। राणा शासन के काल में यह रणनीति चरमोत्कर्ष पर थी। कीपत, बिरता, जागीर, रकम और गुठी जैसे विभिन्न रूपों में भूमि आत्म–संरक्षण हेतु सत्ता के द्वारा दुरपयोग की जाने वाली सबसे भ्रष्ट व्यवस्था थी। राजा महेंद्र जो एक निरंकुश, समाजवादी, सुधारक और एक परिपक्व रणनीतिकार की पहचान बनाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होने नेपाल में अनेक कानूनों को लागू करके भू–सुधार प्रणाली की शुरुआत की। इन कानूनों ने आयकर प्रणाली के तहत स्वामित्व वाली खारका भूमि (घास का मैदान) को भी समाप्त कर दिया। दूसरी ओर गुथी प्रणाली को समाप्त करने की बजाए उसमें सुधार किया गया था। इस प्रकार दूसरी समस्या का समाधान विचारधारा में खोजना मुश्किल है।

6.7.4 दलितों का मुद्दा

नेपाल में गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों को जाति और मुख्य रूप से दलितों की दयनीय स्थिति से जोड़ा जा सकता है। इस प्राचीन धारणा के बावजूद कि भारत और नेपाल में जाति व्यवस्था हिन्दू संस्कृति और नियमों की एक शाखा है[35]। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि जाति व्यवस्था केवल हिन्दू धर्म में ही विद्यमान नहीं थी, बल्कि सम्पूर्ण इतिहास में यूरोप और एशिया के अनेक देशों में सामाजिक स्तरीकरण कि व्यवस्था प्रचलित थी। उदाहरण के लिए चीन, फ्रांस और जापान के समाजों में जाति व्यवस्था के साथ सामाजिक स्तरीकरण भारत और नेपाल में जाति व्यवस्था से मिलते जुलते हैं। भारत और

[35]Julies Lipner (2010) Hindus: Thier Religious Beliefs and Practices, Kindle Location 214, Routledge, 2nd ed.

नेपाल के अपवाद को छोड़कर लगभग अधिकांश देशों ने सामाजिक स्तरीकण को समाप्त कर दिया है। हालांकि ब्रिटेन में उत्कृष्टता की व्यवस्था को यूरोप में मौजूद सामाजिक स्तरीकण व्यवस्था के अवशेष के रूप में देखा जा सकता है।

नेपाल में जाति व्यवस्था घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। नेपाल में जाति व्यवस्था की क्रोनोलोजी को तभी समझा जा सकता है जब इसका कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाए। कानूनी रूप से देखें तो 1948 के संविधान के प्रारम्भ के पश्चात से कानून के समक्ष समानता की अवधारणा लगातार अस्तित्त्व में थी और नस्ल, लिंग, भाषा और जातीयाता के आधार पर भेदभाव को समाप्त करके इसे और अधिक अनुकूल बनाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय संहिता 1964 ने सामाजिक रीति–रिवाजों और प्रथाओं को तीसरे पक्ष के किसी भी खतरे से बचाया। यह जातीय समुदायों की संस्कृति, भाषा और प्रथाओं की रक्षा के लिए आवश्यक समझा गया था, परंतु साथ ही इसने उस जाति व्यवस्था को भी प्रश्रय प्रदान किया जो निरंतर दलितों को प्रताड़ित कर रही थी।

1990 के पश्चात के काल में भी राजनीतिक समुदाय मुख्य रूप से सत्ताधारी दलों ने जाति व्यवस्था की शर्मनाक संस्थाओं को कायम रखने की अनुमति दी। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से न केवल छेत्री और बहुन्स बल्कि जनजातीय भी जाति व्यवस्था का अभ्यास करते रहे हैं। जातिवादियों ने दलितों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि 1990 के पश्चात की अवधि में दलितों के साथ छेत्री और बहुन्स के द्वारा किया जाता था। 2006 के दूसरे जनआंदोलन की सफलता के पश्चात राष्ट्रीय संहिता में नई धारा 10 (ए) जोड़ी गई जो दलितों के प्रति किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करती है, जिसे 2007 के अन्तरिम संविधान के अनुच्छेद–14 द्वारा और अधिक मजबूत किया गया है। 2007 के संविधान के अनुच्छेद 14 (1) ने अछूत स्थिति और जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित किया था[36]। अनुच्छेद–14 (2) सार्वजनिक सेवाओं, सुविधाओं और उपयोगिताओं के प्रयोग के संबंध में दलितों के साथ भेदभाव को पूरी तरह से निषेध करता है[37]। इसी तरह अनुच्छेद–14 (4) ने जाति या विश्वास प्राणालियों के

[36] Article 14(1) of the Interim Constitution of Nepal, 2007.
[37] Article 14(2) of the Interim Constitution of Nepal, 2007

आधार पर श्रेष्ठता या हीनता के वर्गीकरण के लिए अग्रणी सभी प्रकार की सामाजिक प्रथाओं को प्रतिबंधित किया था[38]। अनुच्छेद–15 (5) और अनुच्छेद–14 (4) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कार्य कानून द्वारा दंडनीय था।

इसके अलावा 2015 के संविधान ने जाति के आधार पर अस्पृश्यता और भेदभाव के खिलाफ स्पष्ट प्रावधान और अधिकार प्रदान किया हैं। इसके साथ ही दलित प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। इस आधार पर यह आशा की जा सकती है कि दलितों कि समस्या का सामाजिक रूप से भी अंत हो जाएगा। 2015 के संविधान का अनुच्छेद–24 अस्पृश्यता के खिलाफ कई अधिकार प्रदान करता है जो निम्नलिखित हैं–

1. किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, नस्ल, मूल, समुदाय, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्तिगत या सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार कि अस्पृश्यता या भेदभाव के साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा।
2. आपूर्ति को प्रतिबंधित करने वाली किसी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन या वितरण नहीं किया जाएगा तथा किसी विशेष जाति से संबन्धित व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी।
3. जाति, जातीयता, मूल परिस्थितियों के आधार पर या अस्पृश्यता के आधार पर अथवा सामाजिक पदानुक्रम के आधार पर किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ और हीन नहीं समझा जाएगा।
4. कार्यस्थल पर अस्पृश्यता या किसी अन्य आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा 2015 के संविधान का अनुच्छेद–40 दलितों को सशक्त बनाने हेतु व्यापक अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों में आनुपातिक समावेश, मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति, स्वस्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा, व्यवसाय का अधिकार, राज्य द्वारा मुफ्त भूमि वितरण और राज्य द्वारा मुफ्त आवास व्यवस्था शामिल है। 2015 के संविधान का अनुच्छेद–42(1) विभिन्न समुदायों और समाज के पिछड़े वर्गों

[38] Article 14(4) of the Interim Constitution of Nepal, 2007

की भागीदारी बढ़ाने के लिए 'समावेश के सिद्धान्त' का प्रयोग करता है। मधेसी मंच ने' समावेश के सिद्धान्त' शब्द की बजाय राज्य के अंगों में मधेसी समुदाय की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसे आनुपातिक रूप से समावेशी शब्द से बदलने की मांग की[39]। फिर भी 2015 के संविधान ने कई प्रावधानों के तहत 'आनुपातिक समावेश' की अवधारणा को शामिल किया है, जैसे कि अनुच्छेद 38(4), 40(1), और 285(2)। हालांकि अनुच्छेद 38(4) के तहत आनुपातिक समावेशन केवल महिलाओं से संबन्धित है और अनुच्छेद 40(1) के तहत दलितों के लिए है।

अनुच्छेद 285(2)संघीय सार्वजनिक सेवाओं में सभी के लिए आनुपातिक समावेश सुनिश्चित करता है। हालांकि 'समावेश के सिद्धांत' और 'आनुपातिक समावेशन' के मध्य की बारीकियों और अंतर को सही तरह से नहीं समझा गया है। संविधान द्वारा इन अधिकारों और नीतियों के बावजूद देश में आत्मनिर्णय के अधिकार की वैचारिक और राजनीतिक अति–महत्वकांक्षा वर्तमान में भी राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को रोक रही है।

अनुच्छेद 84(1) निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण में भूगोल और जनसंख्या शब्द का प्रयोग करता है[40]। प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए फर्स्ट–फास्ट–द–पोस्ट प्रणाली के तहत निर्वाचन क्षेत्र को मधेसी मोर्चा भेदभाव मानता है, क्योंकि यह तराई/ मधेस क्षेत्र में निवास करने वाली 51 प्रतिशत जनसंख्या के साथ भेदभाव करता है। मदेशी मोर्चा ने तर्क दिया कि निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण में प्राथमिक आधार जनसंख्या को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मधेसी मोर्चा यह तर्क देते हैं कि उच्च सदन में प्रतिनिधियों की समान संख्या (प्रत्येक प्रांत से 8 सदस्य) नेशनल असेंबली प्रान्तों की जनसंख्या के आकार को कमजोर करती है और इस प्रकार से यह एक आलोकतांत्रिक स्थिति है। हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जो उच्च सदन में समान संख्या में प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं चाहे भले ही प्रांत का आकार और जनसंख्या का आकार कुछ भी हो। उदाहरण हेतु अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद–1 के तहत अमेरिकी सीनेट प्रत्येक राज्य के 2 सीनेटरों से बना है, चाहे जनसंख्या

[39] Article 42(1) of The Constitution of Nepal, 2015
[40] Article 84(1) of the Interim Constitution of Nepal, 2007

और राज्य का आकार कुछ भी हो। फिर भी 2015 के संविधान के प्रथम संशोधन ने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने में जनसंख्या को प्राथमिकता दी।

इन घटनाक्रमों के साथ नेपाल के लोकतान्त्रिक राज्य–राष्ट्र निर्माण के नए चरण में प्रवेश करने की उम्मीद है। फिर भी 2015 के संविधान में शामिल विशिष्ट खामियाँ लोकतान्त्रिक राज्य–राष्ट्र निर्माण की सुगम प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। उदाहरण के लिए नेपाली संविधान की प्रास्तावना का उद्देश्य समाजवाद के लिए आधार बनाना है और अनुच्छेद–4 नेपाली राज्य को समाजवाद की ओर बढ़ने के रूप में परिभाषित करता है। कुछ विसंगतियों के बावजूद 2015 के संविधान ने लोकतान्त्रिक राज्य–राष्ट्र निर्माण की सभी विशेषताओं के लिए द्वार खोले हैं[41]। एक आधारभूत ढांचे के रूप में एक संविधान राज्य–राष्ट्र निर्माण के लिए एक व्यापक खाका प्रस्तुत नहीं करता है, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों, सरकार द्वारा विकसित नीतियों और कानूनों के क्रियान्यवयन से आना चाहिए। सामान्य तौर पर राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया सरकार की एकात्मक प्राणाली के साथ–साथ सरकार के संघीय ढांचे के तहत भी पूरी की जा सकती है। राज्य–राष्ट्र निर्माण की नेपाली प्रक्रिया एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रही है अर्थात सदियों से चली आ रही एकात्मक व्यवस्था से लेकर राजनीतिक इतिहास में कभी न प्रचलित संघीय व्यवस्था तक पहुँच रही है। वर्तमान चुनौतियों के तहत संघवाद का संस्थाकरण उतना सरल और सीधा नहीं हो सकता जितना आमतौर पर माना जाता है। इसके अलावा नए संस्थान बनाना या स्थापित करना अनेक कारणों से महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु वे राज्य–राष्ट्र निर्माण का अंतिम लक्ष्य नहीं है। हालांकि अक्सर राज्य–राष्ट्र निर्माण के केंद्र में लोगों को लाने में नए संस्थानों की भूमिका भी सराहनीय होती है।

6.7.5 राष्ट्र निर्माण के बाद का चरण

राष्ट्र–निर्माण के बाद का चरण एक ऐसे चरण की ओर इंगित करता है जहां अंतर्राष्ट्रीय नियमों और वैश्वीकरण के चलते बढ़ते संवैधानीकरण के कारण पूर्ण संप्रभुता की स्थिति आप्रासंगिक हो जाती है। राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ साथ घरेलू कानूनों और संवैधानिक व्यवस्था की मांग

[41] Article 4 of the Constitution of Nepal, 2015

करती है। वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में नेपाल एक खंडित राज्य की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो अनेक जटिल समस्याओं को जन्म दे सकता है। परंतु संवैधानिकता के द्वारा कानून के शासन की स्थापना के माध्यम से इस स्थिति से बचा जा सकता है। राज्य–राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का समाधान संवैधानिक ढांचे के भीतर से आना चाहिए, जो वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता के माहौल को देखते हुए अनिश्चित लगता है। नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण के क्रम में यह प्रश्न मौजूद है कि अपराधों को माफ किया जाना चाहिए या इसे और अधिक स्पष्टता के साथ राजनीतिक और वैचारिक आधार पर उचित ठहराया जा सकता है? यह संघर्ष के पश्चात एक महत्वपूर्ण कानूनी और और राजनीतिक मुद्दे के रूप में पुनः सामने आया है। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों को वापस लेने के निर्णयों में हस्तक्षेप करना पड़ा और इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून (IHL) विशेष रूप से जेनेवा अधिवेशन (1948) के अनुच्छेद–3 में सभी पक्षों को घरेलू आपराधिक कानून के तहत दंडित करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद–3 विशेष रूप से जीवन और व्यक्ति के लिए हिंसा और सभी प्रकार के क्रूर व्यवहार को प्रतिबंधित करता है। OHCHR द्वारा तैयार की गई नेपाल संघर्ष रिपोर्ट में नेपाल में 1996–2005 के सशस्त्र संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के उल्लंघन के मामले दर्ज हैं। यह रिपोर्ट तीन उपायों की सिफारिश करती है जो राज्य–राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैः

1. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संघर्ष के दौरान किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के उल्लंघनों की जांच और मुकदमा चलाना नेपाल सरकार का मौलिक दायित्व है।
2. ऐसे मामले जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन हुआ है उनकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नेपाल सरकार द्वारा की जाए।
3. न्याय व्यवस्था इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है परंतु उसे न्याय प्रक्रिया का पूरक होना चाहिए न कि उसका विकल्प होना चाहिए।

डॉ0 बाबूराम भट्टराई की माओवादी सरकार ने न केवल देश को कमजोर किया था, बल्कि उनकी सरकार ने राजनीति के नाम पर उग्रवाद के दौरान अपराध करने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने से इनकार किया था। उदाहरण के लिए अनेक मामलों में पत्रकार देवेन्द्र थापा की हत्या विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राष्ट्र–निर्माण के बाद के राष्ट्रीय चरण में व्यवस्थित, रणनीतिक और केन्द्रित विकास की आकांक्षाओं को प्राप्त करने और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी, प्रशासनिक रूप से कुशल और संस्थागत रूप से मजबूत बनाने और मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और कानून का शासन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण का मौजूदा मॉडल इसकी प्रकृति के मामले में दिग्भ्रमित करने वाला है। नृजातीय आंदोलनों की उत्पत्ति के साथ विशेष रूप से 1990 के पश्चात की अवधि में उभरते हुए जातीय दृष्टिकोण गंभीर रूप से नेपाली राज्य–राष्ट्र निर्माण को हिन्दूकरण के विचार से प्रेरित एक थोपी गई प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग राज्य–राष्ट्र निर्माण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखता है जिसे अभी पूरा किया जाना बाकी है। हालांकि राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के विचार और कार्यप्रणाली में बहुत अंतर है। बावजूद इसके उन्होने वैचारिक रूप से कम स्पष्ट विचारों जैसे पुनर्गठन से लेकर एक समावेशी राज्य की रूपरेखा तैयार करना, जातीय समूहों की स्वायत्तता हंसिल करना और एक नए राज्य–राष्ट्र निर्माण की शुरुआत करना, जिसके मूल में आत्मनिर्णय का अधिकार है उसका समर्थन किया है। आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोग राज्य–राष्ट्र निर्माण की वर्तमान प्रक्रिया से संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं। जिसने अतीत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित किया है और संविधान के क्रियान्वयन पर अतिरिक्त दबाव दाल रहा है।

6.8 नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और संभावनाएंः

नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण की संभावना नागरिकों की समानता सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, कानून के शासन और लोकतन्त्र की सफलता पर आधारित है। नेपाल में बार–बार सत्ता परिवर्तन सबसे गंभीर मुद्दा बन गया है, जो नेपाल मे राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। नेपाल में अस्थाई सत्ता अस्थिरता का मुख्य स्त्रोत रहा है, जो राज्य–राष्ट्र प्रक्रिया को निरंतर प्रभावित कर रही है। यदि नवीन संस्थागत व्यवस्था वर्तमान सत्ता संबंधों की समस्याओं के साथ जारी रहती है तो यह कहा जा सकता है कि नेपाल में राज्य–राष्ट्र की प्रक्रिया अनेक परिवर्तनों और उलटफेरों से गुजरेगी। यही कारण था कि 2015 के संविधान द्वारा संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतंत्रीय, धर्मनिरपेक्ष और समवेशी राज्य के रूप में नेपाल कि समस्याओं का समाधान मांगा गया गया था। इन सभी मांगों में संघीय और समेवेशी राज्य के विचारों की व्यापक रूप से मांग की गई है, परंतु यह मांगें राजनीतिक रूप से अत्यधिक कमजोर और विवादास्पद हैं। राज्य–राष्ट्र निर्माण के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैचारिक रूप से शक्ति संबंध को सैद्धान्तिक रूप से वैध बनाने कि आवश्यकता है और उसे प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने की भी जरूरत है।

नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सभी शक्तियों को राजनीतिक, वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप में अधिकारों और अधिकारों के वैध ढांचे के भीतर लाने का है। फिर भी यदि संस्थागत ढांचे का उल्लंघन करके शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वह ढांचा कमजोर होगा।

संवैधानिकता सहित कई विशेषताएँ जैसे सर्वोच्चता, संवैधानिक निष्ठा, तर्कसंगत राजनीतिक नेतृत्व, संप्रभुता, कानूनी राजनीतिक संबंध और दूसरों के मध्य नागरिक पहचान एक संप्रभु राज्य–राष्ट्र में पायी जाने वाली मौलिक विशेषताएँ हैं। ये सभी विशेषताएँ व्यक्तिगत और समूहिक पहचान के साथ–साथ सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक संबंधों का आधार हैं।

आधुनिक संप्रभु राज्य के तहत राज्य–राष्ट्र निर्माण के लिए चार मांगों को पूरा करना आवश्यक हैः–

1. समान नागरिकता

2. स्वायतता

3. सामाजिक सुरक्षा

4. कानून का शासन

असमान नागरिक राज्य–राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, चाहे वह सांस्कृतिक अधिकारों के लिए जातीय समुदायों का आंदोलन हो, लैंगिक समानता के लिए महिला आंदोलन, थारू की स्वायतता की मांग, समाज में सम्मानजनक स्थान के लिए दलित आंदोलन, अधिकारों और पहचान के लिए मधेस आंदोलन यह सभी समान नागरिकों के मुद्दे पर आधारित हैं। वास्तव में राज्य–राष्ट्र निर्माण के मूल में समान नागरिकों के लिए परिस्थितियाँ बनाने की एक प्रक्रिया है।

नेपाल के संदर्भ में स्वायतता और आत्मनिर्णय का प्रश्न सैद्धांतिक और व्यावहारिक धारणाओं को हमारे समक्ष रखता है, विशेषकर जब इसे जातीय राजनीतिक हितों के साथ जोड़ा जाता है। कांटियन और राल्सियन दोनों दृष्टिकोण से स्वतंत्र और समान व्यक्ति की अवधारणा स्वायतता के मूल में है। परंतु जब कोई राज्य राजनीतिक हितों के नाम पर व्यक्तिगत स्वायत्तता से समझौता करता है तो वह मौलिक स्वतन्त्रता और मानव अधिकारों से नागरिकों को वंचित करने में सत्तावाद के पदचिन्हों का अनुसरण करता है, जो नेपाली राज्य के द्वारा हमेशा से किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए नेपाल नागरिकता हस्तांतरण का एक महत्वपूर्ण मामला प्रस्तुत करता है। 2015 के संविधान ने भी अपने बच्चों को नागरिकता हस्तांतरण करने में माता–पिता के स्वायत्त अधिकार को खारिज करके व्यक्तिगत स्वायतता से इंकार किया है। 2015 के संविधान का अनुच्छेद–11 (2) यह मांग करता है कि वंश के आधार पर अपने बच्चों को नागरिकता हस्तांतरित करने के लिए माता–पिता दोनों को नेपाली नागरिक होना चाहिए[42]। दूसरे शब्दों में कहें तो माता–पिता स्वेच्छा से नागरिकता हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। एक मजबूत राज्य–राष्ट्र के लिए यह दोनों मुद्दे अहम होते हैं। नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण के मार्ग में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं जो निम्नलिखित हैंः–

[42] Article 11(2) of the Constitution of Nepal, 2015

6.8.1 भाषाः संघर्ष के मूल श्रोत के रूप में

देश की नाजुक जातीय और भाषाई संरचना को महसूस करते हुए नेपाली राज्य ने नेपाल की एकता, अखंडता और सुरक्षा के मुद्दे को हमेशा स्पर्श करते रहा है। यह स्वाभाविक है कि नेपाल जैसे देश में जो वास्तव में बहुभाषी है, वहाँ भाषाई राजनीति इन मुद्दों को कठिन मुद्दों में बदल देती है और यही कारण है कि नेपाल की भाषा को पिछली तीन शताब्दियों के लिए एक भाषा के रूप में विकसित किया गया था, जो लंबे समय से विभिन्न समुदायों के मध्य एक लिंक भाषा के रूप में कार्य कर रही थी। इसी का परिणाम था कि नेपाली भाषा को विभिन्न जातीय समुदायों के बीच अपनी भाषा के रूप में स्वीकार किया तथा यह व्यवस्था की गई कि सभी सरकारी कार्यालय, न्यायपालिका और शैक्षणिक संस्थान नेपाली को एक आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करेंगे, और यहाँ तक कि सार्वजनिक सेवा परीक्षा भी नेपाली में आयोजित की जाएगी। पंचायत प्रणाली ने नेपाली भाषा को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए देश की सिद्धान्त भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया। एक समय में संस्कृत को भी बढ़ावा दिया गया था लेकिन अनिवार्य भाषा के रूप मे नहीं। नेपाल में स्वदेशी राष्ट्रीयताओं के लोग मुख्य रूप से नवरस अपनी मूल भाषा के साथ अपनी स्वयं की नागरिक भाषा का उपयोग करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी भाषा मैथिली मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें सिरहा, सप्तरी और मोरंग जैसे जिले शामिल हैं। तीसरी सबसे बड़ी भाषा भोजपुरी बारा, परसा, चितवन, रौतहट और नवलपरासी क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि अवधी पश्चिम नेपाल के बाँके, बारदिया और कपिलवस्तु जिलों में बोली जाती है। विभिन्न समुदायों के लोग तमांग, थारु और मगर भाषा भी बोलते हैं। हालांकि इन सभी विभिन्न भाषाओं का साथ–साथ अस्तित्व बना रहा, परंतु नेपाली भाषा को राज्य द्वारा संरक्षण और समर्थन दिया जा रहा था ताकि नेपाल की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की अवधारणा को ध्यान में रखा जा सके। हालांकि नेपाली राज्य द्वारा नेपाली को विशेष संरक्षण दिये जाने के पीछे जो उद्देश्य रहा वह यह कि नेपाल को भाषा के आधार पर एकसूत्र में पिरोया जा सके, परंतु भाषा का यह संघर्ष और नेपाली को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित करने की नीति ने नेपाल को एक राज्य–राष्ट्र के रूप में स्थापित

होने में एक बाधा की तरह ही कार्य करती रही है, और वर्तमान में भी नेपाली राज्य द्वारा इस नीति का पालन किया जाना नेपाल को एक विकसित राज्य–राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ी बाधा है[43]।

नेपाल में पहाड़ी मूल के लोग नेपाली भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते है, परंतु इसके विपरीत मैदानी (तराई) क्षेत्र के लोग नेपाली के अलावा अपनी अन्य मातृभाषाओं को भी बोलते हैं। 1958 तक तराई क्षेत्र के निवासियों के साथ–साथ भारतीयों को नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए बीरगंज के सीमावर्ती शहर में रुकना पड़ता था।

1951 से पहले भाषाई आधार पर राष्ट्रीयता निर्धारित की गई थी। नेपाली लोग 'पहाड़ी लोग' थे, जो नेपाली या पहाड़ी भाषाएं जैसे कि नेवारी, मागर और गुरुंग बोलते थे। इस कारण से पूर्वी या पश्चिमी पहाड़ियों से यात्रा करने वाले लोगों को राजधानी (Gaige, 1975) जाते समय पासपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, 1950 की शुरुआत तक भाषा मधेशियों को पहाडी आबादी से अलग करने का प्रमुख कारक थी। यह मानसिकता पूरे समय तक जारी रही।

तराई के लोगों की मातृभाषा को विदेशी भाषा कहा जाता है। मानवाधिकारों की 1948 की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद–2 और नेपाल के 1990 के संविधान के अनुच्छेद–18 (1) के अनुसार, प्रत्येक समुदाय को अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने का अधिकार है[44]। इसलिए राजबिराज नगर पालिका और धनुषा डीडीसी ने नेपाली के साथ आधिकारिक रूप से मैथिली भाषा का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन 18 मार्च, 1998 को सुप्रीम कोर्ट ने मैथिली भाषा का उपयोग रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया। अपनी भाषा के उपयोग के अधिकार की रक्षा के लिए गठित एक संयुक्त संघर्ष समिति का समन्वय मैथिली भाषाविद् अमरेश नारायण झा ने किया था। 1 जून, 1991 को नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्णय लिया कि देवनागरी लिपि में नेपाली को छोड़कर अन्य भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। 2001 की राष्ट्रीय जनगणना से पता चला कि नेपाली के बाद नेपाल में बोली जाने वाली

[43] Pandey, N. N. (2010), New Nepal: The Fault Lines- New Delhi: Sage Publications India Limited.
[44] Article 18(1) of the Constitution of Nepal.

दूसरी सबसे बड़ी भाषा मैथिली थी। पिछले तीन दशकों में मैथिली की आबादी 1.60 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है जबकि नेपाली जनसंख्या 2.27 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। साथ ही मिथिला प्रदेश के साथ तराई की जनसंख्या वृद्धि 4.5 प्रतिशत है। अगर यह स्थिति बनी तो मैथिली भाषी तराई अगले 8 दशकों (गोवति, 2007) में गायब हो जाएगी।

हालांकि यह सच है कि भाषा को एक संभावित फ्लैशपॉइंट के बजाय एक संसाधन के रूप में देखने की आवश्यकता है। देश की अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए यह एक मेजबान है, भले ही यह देश की संघीय संरचना के लिए एक भाषाई आधार रेखाचित्र हो। घटक विधानसभा के कुछ सदस्य चाहते हैं कि 11 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले जो कि सरकारी आधिकारिक संचार में उपयोग की जाएगी। यहां तक कि अगर ऐसा होता है, तो 50 से अधिक भाषाओं को छोड़ दिया जाएगा और इससे अनावश्यक समस्याएं पैदा होंगी[45] (पांडे एन, एन, 2010)।

6.8.2 संघवादः आंतरिक संघर्ष के कारण के रूप में

नेपाल में प्रान्तों के पुनर्गठन की मांग को पहचान और क्षमता के आधार पर प्रथम संवैधानिक सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा पहचान के अंतर्गत पांच मापदंड निर्धारित किए– संजातीयता, भाषा, संस्कृति, भौगोलिकता और एतिहासिक पहचान। इस वर्गीकरण से समुदायों के मध्य गंभीर मतभेद उत्पन्न हुए और परिणाम स्वरूप संजातीयता, क्षमता जिसमें चार तत्व थे– आर्थिक अन्तर्सम्बंध तथा क्षमता, मूलभूत ढांचे और जीवन क्षमता का विकास, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और प्रशासनिक सुविधा इन मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन सकी, परिणामस्वरूप प्रथम संविधान सभा भंग हो गई। नेपाल के प्रारम्भिक संविधान 2015 के अनुच्छेद–60 में त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था– संघीय, प्रांतीय एवं स्थानीय का वर्णन था। पहचान और क्षमता के अतिरिक्त, जाति, समुदाय, संस्कृति, भूगोल, इतिहास और संलग्नता के आधार पर आठ प्रान्तों के गठन का प्रावधान था।

[45] Pandey N- N- 2010, New Nepal: The Fault Lines- New Delhi: Sage Publications India Limited

संविधान का अनुच्छेद–88 बताता है कि भूगोल, जनसंख्या और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर 135 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। यदि 135 निर्वाचन क्षेत्रों को आठ प्रान्तों में बांटा जाये तो प्रत्येक प्रान्त को 20.62 निर्वाचन क्षेत्र मिलेंगे। अनुच्छेद–88 के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, जनसंख्या के लिए 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत भौगोलिकता के आधार पर और 25 प्रतिशत क्षेत्रीय संतुलन के लिए भार मिलेगा। भौगोलिकता के लिए विशेषज्ञों द्वारा एक अनुपात में भूमि का समायोजन तय किया गया कि एक वर्ग किमी में कम से कम 20 लोग होने चाहिए। उदाहरण के लिए, डोल्पा जिला 36,700 वर्ग किमी है, ऐसे में डोल्पा जिला 1835 वर्ग किमी पर सिमट जाता है। विशेषज्ञों ने इसके लिए एक क्षेत्रीय संतुलन के प्रतिनिधि के रूप में स्थानीय वित्तीय आयोग द्वारा निर्मित दूरी आधारित सूची का प्रयोग किया।

इस पद्धति के अनुसार तराई में 61 निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए तथा शेष 104 पहाड़ी जिलों में रहेंगे। इस प्रकार, औसतन तराई के प्रत्येक जिले में 3.04 निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए तथा पहाड़ी जिलो में 1.89 निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। इस विश्लेषण के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में पाँच तथा तराई में तीन प्रान्त होंगे।

देश के पूर्व में विवादास्पद जिले झापा, मोरंग और सुनसरी की मिश्रित सूची में केवल 6.49 अंक के निर्वाचन क्षेत्र बनते है अतः इन जिलों को मिलाकर एक पृथक प्रान्त का निर्माण नहीं हो सकता। ये जिले या तो मेची और कोशी खंडो के बाकी जिलों के साथ जुड़ सकते है या फिर धनुष और महोत्तरी जिलों के साथ जुड़ सकते है। प्रांतो के सीमांकन की यह समस्या नेपाल को एक राज्य–राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में बाधा उत्पन्न कर रही है।

नेपाल के नवीन संविधान से लोगों को यह उम्मीद थी कि इसके जरिये उन्हें देश की संस्थाओं और राजनीतिक सत्ता से प्रथक रखा जाता था। अब उनका विकास होगा और भेदभाव समाप्त होगा। इन समूहों में विशेष रूप से तराई में रहने वाले मधेसी, थारू और इसी के जैसे अन्य समूह, पहाड़ों और मैदान पर रहने वाले दलित, पहाड़ी संजातीय जनजाति (राष्ट्र के मूलवासी) समूह और महिलायें आते हैं।

नेपाल में संघर्ष की शुरुआत 75 प्रशासनिक जिलों के स्थान पर नवीन संविधान 2015 में संघीय संरचना के प्रस्ताव के प्रारूप को अमल में लाने के बाद हुई। तराई समुदाय के लोग चाहते थे कि तराई मैदान का दक्षिणी क्षेत्र एक प्रान्त

में रहे तथा साथ ही साथ उत्तर–दक्षिण के प्रशासनिक खंड भी एक ही प्रान्त में रहे, इन्हें पहाड़ी और पर्वतीय प्रशासनिक खंडो में न मिलाया जाये। पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जनजाति समूह अपने आपको पारंपरिक तौर पर अक्षुण्ण रखना चाहते है, हाँलाकि उन्होंने इसे अपने प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनाया। अन्य मुद्दे भी विवादास्पद रहे जैसे नागरिकता का मुद्दा। जिस प्रकार से वंशानुगत तौर पर नागरिकता दी जा रही थी वह जनता के प्रतिनिधित्व को सही रूप में सामने नहीं ला रही थी।

मधेशी समुदाय, जो कि देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है और तराई में थारू समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है। उनका मानना है कि वर्तमान व्यवस्था उन्हें जनसांख्यिकीय रूप में राजनीतिक स्तर पर पिछड़ा बना रही है। उन्हें उम्मीद थी कि नई व्यवस्था से उन्हें लाभ होगा, परंतु मैदानी भाग के हिस्से को पहाड़ी क्षेत्र में मिलाने पर आपत्ति थी। परम्परागत रूप से पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले समुदाय और प्रारूप संविधान के निर्माताओं का यह तर्क था कि पहाड़ी क्षेत्रों से तराई की ओर लोगों की नियमित आवाजाही है और इससे मिश्रित समुदाय भी निर्मित होता है तथा इसके अलावा पहाड़ी लोगों के इन क्षेत्रों में व्यवसायिक सम्बन्ध भी है। मधेशी और थारू समुदाय के लोग यह मानते थे कि ये बड़े राजनीतिक दल इन समुदायों के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कुछ कदम उठायेंगे परंतु वे अपने वादों से पीछे हटते नजर आते हैं। प्रान्तों के सीमांकन को लेकर जब आन्दोलन और तीव्र हुआ तो संविधान निर्माताओं ने लेखन प्रक्रिया भी तेज कर दी और जन–इच्छाओं के मद्देनजर 6 प्रांतीय मॉडल पर सहमति बनाई। थारू नेता रुक्मणि चौधरी ने इस पर कहा कि 6 प्रान्तों के मॉडल को अपनाना मूल निवासियों के लिए आत्महत्या के सामान है, हमने तराई में दो प्रान्तों की मांग की है– मधेश और थारुहट बल्कि इस प्रस्ताव में एक अधूरा मधेश है और थारुहट है ही नहीं। हमने कहा था कि हम उत्तर–दक्षिण मॉडल पर आधारित संघीय प्रान्त नहीं चाहते। जहाँ पर्वत और तराई एक प्रान्त में हो, परंतु उन्होंने वही किया और मूल निवासियों के साथ धोखा किया है। 21 अगस्त को आन्दोलन में उग्रता को देखते हुए नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और माओवादी दल एक 7 प्रांतीय संघीय समझौते पर सहमत हुए लेकिन मधेश लोकतान्त्रिक फोरम इस योजना से असहमत थी। परंतु जब इस मसौदे को संवैधानिक सभा में प्रस्तुत किया गया तो सीमान्त लोगों के प्रतिनिधियों

ने इसका बहिष्कार किया। संविधान सभा जिसका नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, नेपाल साम्यवादी दल, संयुक्त मार्क्सवादी–लेनिनवादी, संयुक्त नेपाल साम्यवादी दल (माओवादी) कर रहे थे। नये संविधान के प्रावधानों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू कर अंततः इसे उद्घोषित किया गया।

मधेशियों और थारुओं के अनुसार प्रान्तों की संरचना– झापा, मोरंग और सुनसरी का विलय प्रान्त 1 से 2 में होना चाहिए। चितवन जो कि प्रान्त 3 में है और नवलपारसी जो कि प्रान्त 5 है, का विलय प्रान्त 2 में होना चाहिए। कैलाली और कंचनपुर जो कि प्रान्त 7 में है, उनका विलय प्रान्त 5 में होना चाहिए। नेपाल में संघवादी ढांचे को लेकर इस संघर्ष ने नेपाल को एक राज्य– राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में सबसे बड़ी बाधा है।

चित्र 6.4 सात प्रान्तों पर आधारित नेपाल के संघीय मॉडल का मानचित्र

6.8.3 तराई क्षेत्र का पहाड़ीकरण

बिष्णु पाठक और देवेंद्र उप्रेती ने अपने लेख तराई मधेशरू सर्चिंग फॉर आइडेंटिटी बेस्ड सिक्योरिटी 'में तराई के परिशोधन या नेपालकरण की घटना के बारे में बताया। वे इसे राजा महेंद्र के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में कहते हैं। वे इसे तराई में नेपाली भाषा और पहाड़ी संस्कृति को लागू करने के माध्यम से राष्ट्रीय

एकीकरण और उत्पीड़न के राज्य डिजाइन की योजना बताते हैं[46]। कृष्णा हचेथु ने लिखा है कि केवल 1950 के बाद की अवधि में राज्य ने सक्रिय और आक्रामक रूप से तराई को सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक रूप से एकीकृत करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए और एकीकरण की इस प्रक्रिया को तराई के नामकरण के रूप में नामित किया गया[47]। फ्रेडरिक गाएगे ने 1975 में अपनी पुस्तक क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय एकता में तराई के नेपालकरण का उल्लेख किया। तराई को एकीकृत करने की यह नीति मधेशियों के लिए एक खतरा बन गई है जो इसे आंदोलन के उदय का कारण बना रही है[48]।

तराई का उन्मूलन या सरकार की तराई नीति का नेपालकरण पहाड़ियों से तराई में प्रवासन को बढ़ावा देना और तराई में मधेशियों के समग्र अनुपात को कम करना था। सरकारी सहायता प्राप्त आंतरिक प्रवास को रामप्रकाश यादव ने अपने लेख मधेशीः ए डिसएडेड सोशल ग्रुप' (यादव, 2006) के रूप में कहा गया था। यह वास्तव में तराई की आबादी को कमजोर करने की सरकार की रणनीति थी। पहाड़ीकरण का मुख्य उद्देश्य तराई में भारतीय सेना के परिवारों को बसाकर भारत की सीमा के साथ तस्करी और डकैतों को नियंत्रित करना था[49]। प्रवासन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राजा महेंद्र ने आवास विकास कंपनी नाम से एक नई सरकारी संस्था शुरू की, जिसने पहाड़ी लोगों को मधेश क्षेत्र में बसने के लिए प्रोत्साहित किया[50]। पहले से ही दो दृष्टिकोणों को शामिल किया गया था, पहला तराई मधेश में आधुनिक पहाड को बसाने का और दूसरा मौजूदा पहाड़ी संपत्ति मालिकों को राजनीतिक शक्ति स्थापित करने का। चूंकि हिल ब्राह्मण और चेट्रीज अपेक्षाकृत अच्छी तरह से शिक्षित हैं और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में अधिक प्रगतिशील हैं, इसलिए वे आसानी से स्थानीय नेतृत्व को पकड़ पाने में सक्षम हैं। सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण उच्च जाति के पहाड़ी प्रवासियों को स्थानीय प्रशासन का बेहतर उपयोग और

[46] पाठक बिष्णु–उप्रेती देवेंद्र, (2009), मधेशः सर्चिंग फॉर आइडेंटिटी बेस्ड सिक्योरिटी

[47] Hachhethu K (2007), Madhesi Nationalism and restructuring the Nepali state- Constitutionalism and diversity in Nepal- Kathmandu: Tribhuvan University Kirtipur

[48] गाएगे, फ्रेडरिक (1975), क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय एकता

[49] यादव रामप्रकाश,(2006) : मधेशीः ए डिसएडेड सोशल

[50] Pyakurel U p (2012) December- The vision of the Jan Andolan 2 for the future of Nepal- In B- Upreti State and Democracy in Nepal p- 1- Delhi: Kalinga Publications

समर्थन प्राप्त होता है[51]। डॉ0 फ्रेडरिक गाएगे ने अपने अध्ययन में, '1970 के दशक में तीन जिलों में नेपाल में क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता' में पाया कि पहाड़ी ब्राह्मण और चेट्रीस ने भूमि का अधिग्रहण करने वाले प्रवासियों का सबसे बड़ा प्रतिशत प्रतिनिधित्व किया, जो सभी प्रवासियों का 50 प्रतिशत था। झापा में भूमि का अधिग्रहण, कपिलवस्तु में 75 प्रतिशत और कैलाली में 48 प्रतिशत। 'झापा और कैलाली में बड़े पैमाने पर प्रवासन को देखते हुए, इसने अंततः इन दो भारी जंगलों वाले जिलों को पहाड़ी ब्राह्मणों और चेट्रिस के हाथों में डाल दिया। सरकार भूमि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से जब्त की गई अधिकांश भूमि को पहाड़ियों से आकर बसने वालों के हाथों में डालकर इस चलन को मजबूत कर रही थी। डॉ0 गाएगे ने जंगल में पहाड़ियों से आकर बसे लोगों के माध्यम से तराई के तराई और पहाडीकरण में जंगल के संरक्षण के संबंध में सरकार की विरोधाभासी नीतियों को भी इंगित किया। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि 'पहाड़ी उपनिवेशवादियों को जंगल से बाहर निकालने के सामयिक प्रयास के बावजूद, सरकार को इस बंदोबस्त पैटर्न पर कड़ाई से आपत्ति होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह होगा कि यदि वन क्षेत्रों को सादे लोगों द्वारा बसाया जा रहा है, जिन पर सरकारी अधिकारियों को संदेह है भारत से प्रवासी होने के नाते, हालांकि पहाड़ियों से बड़ी संख्या में बसे लोग तराई वन क्षेत्र में स्थाई रूप से बस गए हैं और वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित और परिवर्तित करके, सादे लोगों ने इस जंगलों का उपयोग करने का अपना पारंपरिक अधिकार खो दिया है। क्षेत्र में सामुदायिक वानिकी की शुरुआत के साथ, पहाड़ी बसने वालों ने अपने सामुदायिक वन उपयोगकर्ता समूहों के माध्यम से वन क्षेत्रों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और उनके उपयोग और उपयोग के पारंपरिक अधिकारों के सादे लोगों से इनकार किया है। कई पीढ़ियों से जिन संसाधनों का उन्होंने उपयोग किया था उनमें से मधेशियों के विघटन की एक सतत प्रक्रिया रही है। इस प्रकार तराई में सामुदायिक वानिकी (जो पहाड़ियों के लिए उपयुक्त और लागू है) की शुरुआत के साथ, मधेशियों को व्यवस्थित रूप से वन संसाधनों का उपयोग करने के अपने पारंपरिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है। डॉ0 गार्गी ने भविष्यवाणी की थी कि

[51] पाठक बिष्णु – उप्रेती देवेंद्र (2009), मधेशः सर्चिंग फॉर आइडेंटिटी बेस्ड सिक्योरिटी

'सुदूरवर्ती तराई, परसा, बारा, सरलाही और रौतहट, और तीन मध्य–पश्चिमी तराई जिलों में से अधिकांश, सुदूरवर्ती और मोरांग जिले के आधे या उससे अधिक, और अधिकांश झापा के हैं, और तीन मध्य–पश्चिमी तराई पहाड़ी लोगों द्वारा जिलों को मुख्य रूप से बसाया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि तराई में पहाड़ी लोगों को बसाने के लिए मलेरिया का उन्मूलन कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रेरणा है[52]।

तराई की भूमि में पहाड़ियों का यह बड़ा प्रवास 1950 के दशक की शुरुआत में शुरू हो गया था। नेपाली शासकों ने तराई के निवासियों को जनसंख्या वितरण के नाम पर तराई में 1951 में भूमि को नियंत्रित करने के लिए विस्थापित करने की साजिश रची थी। 1964 में स्थापित नेपाल पुनर्वास कंपनी ने तराई में 77,000 हेक्टेयर भूमि उन लोगों को वितरित की जो पहाड़ियों के प्रति निष्ठावान थे। तत्कालीन पंचायत प्रणाली, आंशिक रूप से जंगल (मुख्य रूप से झापा, चितवन, नवलपरासी, बरदिया, कैलाली, कंचनपुर में) और आंशिक रूप से थारुस, सतरों और राजबगों सहित कई स्वदेशी लोगों को उखाड़ कर, पहाड़ियों से प्रवासी आबादी को भूमि वितरित की गई थी।[53]

पहाड़ियों से पलायन की बात करें तो, जब से सरकार ने पहाड़ी लोगों को मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, जंगलों को साफ करने और भूमि पुनर्वास योजनाओं की सुविधा देकर मैदानी इलाकों में पलायन के लिए प्रोत्साहित किया है, तराई में जनसंख्या का पहाड़ी अनुपात 1951 से पांच गुना बढ़ गया है (ICG, 2007)। कई जिलों (ICG, 2007) में भी पहाड़ी मूल के प्रवासी बहुसंख्यक हैं। मधेशी कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है कि पहाड़ी लोग मूल रूप से सांस्कृतिक संपर्कों के कारण स्थानीय प्रशासन में अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि और व्यापक संपर्कों के साथ विस्थापित होते हैं, (प्रभावहीन प्रभाव 2007)। दूसरी ओर, काठमांडू में कई लोगों ने बड़ी आशंका जताई है कि भारत मधेशियों का उपयोग अपना नियंत्रण बढ़ाने या नेपाल (ICG, 2007) पर कब्जा करने के लिए करेगा।

[52] यादव रामप्रकाश,(2006), मधेशीः ए डिसएडेड सोशल

[53] Nayak N- 2011 July- The Madhesi Movement in Nepal: Implications for India- Strategic analysis p-641

6.8.4 पंथनिरपेक्षता

पंथनिरपेक्षता के मामले पर बहस संविधान सभा में निरंतर बनी रही। काफी लम्बे समय से हिन्दू राष्ट्र बने रहने के कारण नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना काफी चुनौती पूर्ण कार्य रहा। देश के तीन बड़े राजनीतिक दलों ने प्रारूप संविधान में संयुक्त रूप से संशोधन प्रस्ताव रखा जिसमें धर्मनिपेक्षता को इस प्रकार परिभाषित किया गया, "प्राचीन काल से माने जा रहे धर्म और संस्कृति का संरक्षण तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता'। लेकिन संविधान में धर्मनिपेक्षता की इस प्रकार की परिभाषा रखने से वस्तुतः नेपाल को हिन्दू राष्ट्र बनाने की मंशा स्पष्ट झलकती है। प्राचीन काल के धर्म को संरक्षण देकर तीनो राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष रूप से देश को हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। विभिन्न धार्मिक समूह, वंचित समूह और दलित समूह चाहते थे कि धर्मनिरपेक्ष संविधान बने जिससे उन्हें कट्टरपंथी हिन्दू रिवाजों से उत्पन्न भेदभाव से मुक्ति मिले। नेपाल की जनसंख्या के 30 प्रतिशत संजातीय समूह भी धर्मनिरपेक्ष संविधान के पक्ष में थे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक जैसे दल और हिन्दू संगठन देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने के पक्ष में थे।

बहुत से मूलनिवासी और संजातीय समूह जो यह मानते है कि हिन्दू धर्म के कारण उनकी पहचान फीकी पड़ रही है। एक धर्म के प्रभाव में वृद्धि के फलस्वरूप किरात धर्म में यकायक बढ़ोतरी हुई। 2001 और 2011 के जनगणना के आंकड़ो की तुलना करे तो हम देखेंगे कि इस धर्म में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किरात एक मूलनिवासी समूह है जिसकी स्वयं की सभ्यता और इतिहास है, और यह एक धर्म के वर्चस्व से पीड़ित रहा है। वर्तमान धरमनिरपेक्षता के पहलू द्वारा सभी धर्मो और समुदायों के हितों की रक्षा समान रूप से की जानी चाहिए तथा उन्हें अपना धर्म मानने और अवलंबन करने के लिए समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। राज्य–राष्ट्र के रूप में नेपाल को विकसित न होने देने में धर्मनिरपेक्षता को लेकर आंतरिक विवादों और असहमति ने प्रभावी भूमिका निभाई है।

संक्षेप में राज्य–राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ–पहचान का प्रबंधन, समान नागरिक के लिए सुखद वातावरन बनाना, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना केवल संवैधानिक शासन की प्रणाली के तहत ही संभव हो सकता

हैद्य अर्थात एक उदार लोकतन्त्र जहां राजनीतिक विचारधाराओं सहित सभी प्रकार के शक्ति संबंध संविधान के दायरे में लाये जाते हैं। इसलिए उदार लोकतन्त्र की अवधारणा को राज्य–राष्ट्र निर्माण के मूल में दृढ़ता के साथ खड़ा होना चाहिए। वास्तव में उदार लोकतन्त्र राज्य–राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त आधार है।

सप्तम् अध्याय
उपसंहार

सप्तम् अध्याय

उपसंहार

नेपाल पिछले दशक में संरचनात्मक राजनीतिक बदलावों से गुजरा है। यहाँ लंबे समय से चले आ रहे हिंसक माओवादी शासन का अंत हुआ तथा मई 2008 में 239 वर्ष पुरानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पराभाव हुआ। नेपाल को एक सफल राज्य–राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए संविधान सभा का गठन संविधान निर्माण के लिए हुआ, जिसका निर्माण निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से हुआ। वर्ष 2015 में नेपाल के नए संविधान ने लोकतान्त्रिक संस्थाओं को सशक्त किया। इस नवीन निर्मित संविधान में राजतंत्र का कोई स्थान नही रहा तथा नेपाल ने एक संघीय (7 राज्य), गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया। परंतु इस नव–निर्मित संविधान में भी तराई–मधेसियों की भागीदारी और अधिकारों की समस्या मुख्य चुनौती के रूप में उभरकर सामने आई, जिसके परिणामस्वरूप नेपाल को अनेक संकटों और संघर्षों से गुजरना पड़ा, परंतु हम जानते हैं कि राज्य–राष्ट्र और संविधानवाद एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें जनता की इच्छानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इन नवीन परिवर्तनों से यह विश्वास किया जा सकता है कि आने वाला समय नेपाल में सही मायनों में एक राज्य–राष्ट्र एवं लोकतान्त्रिक संविधानवाद को स्थापित करेगा।

माओवादी प्रमुख प्रचंड और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला ने 21 नवंबर 2006 को एक शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिससे आमजन को एक स्थिरता कि आशा जगी। हिमालयन टाइम्स के लेख में कहा गया कि 'नेपाल शांति, लोकतंत्र और शासन के एक नवीन युग में प्रवेश कर चुका है'। दोनों के मध्य इस समझौते ने एक दशक से चले आ रहे माओवादी संघर्ष को समाप्त कर दिया। राजतंत्र के समाप्ति और माओवादियों के सत्ता में आने के पश्चात ही संवैधानिक सभा के चुनाव सम्पन्न हुए। ये चुनाव फर्स्ट–फास्ट–द–पोस्ट और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर सम्पन्न हुए। इस चुनाव में दलितों,जनजातियों, महिलाओं को यथास्थान प्रदान किया गया।

2006 के बाद की अवधि में, नेपाल ने राज्य–राष्ट्र निर्माण के एक नए चरण में प्रवेश किया है। दरअसल नेपाल में लोकतांत्रिक राज्य–राष्ट्र निर्माण का नया चरण औपचारिक रूप से 2015 के संविधान की घोषणा के साथ प्रारम्भ होता है। परंतु राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया सरल और आगे की चुनौतियों से अछूती नहीं है। अखंड सुदुर–पश्चिम और मधेस आंदोलन, लोकतंत्रीकरण, 2015 के संविधान के लिए तत्कालिक चुनौतियां थीं। इस प्रक्रिया में बहिष्करण और समावेशी अपनेपन के मध्य द्विभाजन का प्रबंधन अभी भी बहुत व्यापक चुनौती है। एक वैचारिक और सैद्धांतिक स्पष्टता तथा राजनीतिक दृष्टि के साथ इस द्वंद को प्रबंधित करने में विफलता राज्य–राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया के अभियान को कमजोर कर सकती है। इसी तरह, व्यक्तिगत स्वायत्तता के आधार पर नागरिकता के अधिकारों से वंचित करने के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनः से एक लैंगिक (जेंडर) भेदभाव में समाहित कर दिया गया है। यह भेदभाव नागरिक पहचान के आधार पर समान नागरिकों और अपनेपन की भावना को दबा देती है। इसके अलावा नेपाल एकात्मक व्यवस्था के ढांचे से एक संघीय व्यवस्था के ढांचे में परिवर्तित हो रहा है, जो नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक नई संस्थागत व्यवस्था है। यदि नवीन संस्थागत संरचना नेताओं के सत्ता उन्माद द्वारा उत्पन्न अस्थायित्व को रोकने में असमर्थ है, तो संघवाद राजनीतिक उलटफेरों से भरा हो सकता है। कुल मिलाकर, नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया की सफलता समान नागरिकों, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बाजार, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, एकीकरण, समावेशन और संवैधानिकता के आदर्शों को संस्थागत बनाने के लिए राज्य और संस्थानों की प्रभावी भूमिका पर निर्भर करती है जो कि कानून के शासन के रूप में सर्वोच्च है। नेपाल में एक उदार लोकतंत्र को संस्थापित करना राज्य–राष्ट्र निर्माण के लिए अहम है।

यह सम्पूर्ण शोध अध्ययन राज्य–राष्ट्र निर्माण की उस प्रक्रिया के स्वरूप की जांच करता है जो एक उदार लोकतंत्र के संस्थाकरण में परिणत होती है। चूंकि नेपाल में सत्तावादी या राजतंत्रीय शासन व्यवस्था समान नागरिकता की अवधारणा और कानून के शासन को सुनिश्चित करने में विफल रही हैं, इसलिए नेपाल में किसी भी सत्तावादी और राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के लिए राज्य–राष्ट्र निर्माण की

प्रक्रिया को पूरा करना संभव नहीं हो पाया है। शोध अध्ययन का द्वितीय अध्याय राष्ट्र और राज्य की अवधारणा को व्यापक रूप से स्पष्ट करता है। एक राष्ट्र की अवधारणा उतनी सरल नहीं है जितनी कि दैनिक राजनीतिक विवेचन में निहित है। समान्यतया राष्ट्र को मौलिक अपनेपन और जुड़ाव के रूप में गलत समझा जाता रहा है। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध प्रस्तुत यह शोध अध्ययन में राजनीतिक–सामाजिक संगठन राजतंत्रीय व्यवस्था से एक संप्रभु राज्य–राष्ट्र और वैश्विक समाज तक राष्ट्रों के विकासवादी चरणों की भी व्यापक जांच करते हुए नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

नेपाल में अन्यायपूर्ण सत्ता संबंध, राजनीतिक संघर्षों और राजनीतिक अस्थयित्व हमेशा से ही नेपाल में राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए चुनौतियों का मुख्य कारण रहे हैं। नेपाल के मामले से यह स्पष्ट होता है कि सत्ता का प्रयोग या तो अधिकारों से परे किया गया है या निहित राजनीतिक हितों अथवा व्यक्तिगत लाभ के लिए राजतंत्रीय व्यवस्था द्वारा किया गया है। अतः नेपाली राज्य में सत्ता सम्बन्धों की समस्या का समाधान व्यवस्था की सकारात्मकता से उत्साहपूर्वक किया जा सकता है। देखना होगा कि इस दिशा में 2015 का नवीन संविधान और संघीय संस्थान कितने मजबूत होते हैं।

राज्य–राष्ट्र निर्माण में सामाजिक समावेशन और राजनीतिक भागीदारी का अंतिम परिणाम समाज में समान नागरिकों के विचार को संस्थागत बनाना है। समान नागरिकों की अवधारणा का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को धन और संसाधनों के मामले में समान होना चाहिए, जो कि वास्तविकता में यूटोपियन और असंभव है। फिर भी, जो सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से संभव है, उसे गंभीरता से हासिल किया जाना चाहिए। नेपाल के संदर्भ में इसके लिए कम से कम तीन विशिष्ट कार्यों या कार्यक्रमों की आवश्यकता है। सबसे पहले जाति व्यवस्था का न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि लोगों की मानसिकता से भी उन्मूलन करना आवश्यक है। सैद्धांतिक रूप से 2015 के संविधान, अंतरिम संविधान और नेपाल के अन्य कानूनों ने जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। हालांकि यह अभी भी लोगों की मानसिकता में है और सामाजिक दायरे में व्यापक रूप से प्रचलित है।

दूसरा, एक सक्षम और सुखद वातावरण लोगों की पसंद का विस्तार करना पूर्ण और सापेक्ष गरीबी दोनों को कम कर सकता है और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से गुणात्मक मानव संसाधन का निर्माण कर सकता है। सक्षम वातावरण में एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधनों का संशोधन और कानून का शासन शामिल है। तीसरा, सत्ता के अन्यायपूर्ण संबंधों को समाप्त करने के लिए सत्ता और अधिकारों के ढांचे के भीतर सत्ता को वैध बनाया जाना चाहिए। कई अन्य गंभीर समस्याओं के बीच, लैंगिक भेदभाव पर आधारित नागरिकता नीति यह स्पष्ट करती है, कि अन्यायपूर्ण शक्ति संबंध लोगों में सामाजिक संरचना में अपनेपन और जुड़ाव की पूर्ण भावना के साथ एकीकृत करने के अवसरों को कैसे व्यापक रूप से नष्ट कर रही है। यह वह जगह है जहां स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राजनीतिक नेतृत्व की गंभीर भूमिका सबसे स्पष्ट है।

शक्ति संबंधों का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को या तो कानून व्यवस्था के शासन की ओर या कानून व्यवस्था के शासन की दिशा में चलाने की पूरी क्षमता है। कानून व्यवस्था द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कानून केवल ऐसे उपकरण हैं जो राजनीतिक हितों की सेवा करते हैं, जिसे नेपाल ने अपने पूरे इतिहास में अनुभव किया है। कानून का शासन एक ऐसी प्रणाली है जहां सकारात्मक कानूनी ढांचे से परे कोई शक्ति मौजूद नहीं है, जो केवल अधिकार और अधिकारों के रूप में शक्ति को वैध बनाती है। 2015 के संविधान और संघीय ढांचे की सफलता इस बात से गहराई से प्रभावित होगी कि हम सैद्धांतिक रूप से किस प्रणाली को चुनते हैं और हम इसे व्यवहार में कैसे लागू करते हैं। यह चुनाव भी तय करेगा नेपाल में अपनेपन की भावना को मजबूत करने में सहभागी लोकतंत्र की प्रकृति और दायरा जैसा कि जॉन रॉल्स ने सुझाव दिया था, सामाजिक और आर्थिक वर्गों की समस्याओं को हल करने के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहली स्वतंत्रता की प्राथमिकता है, यानी, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जिसे जाति, जातीयता और असमान नागरिकता की स्थिति सहित किसी भी पूर्व शर्त के अधीन नहीं किया जा सकता है। दूसरा दृष्टिकोण असमानता के प्रबंधन पर आधारित है,

अर्थात यदि कोई व्यक्ति क्षमता, संसाधनों और कौशल के मामले में असमान होने के कारण दूसरों के लिए समान रूप से स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकता है, तो रॉल्ससियन शब्दों में सिर्फ संस्थान आवश्यक हैं। असमानता का प्रबंधन करके अक्षम, गरीब और अकुशल व्यक्तियों को क्षमता निर्माण, संसाधनों तक पहुंच हासिल करने और कौशल बढ़ाने के द्वारा नियोजित गतिविधियों के साथ ऊपर उठाया जा सकता है। रॉल्स के लिए, इन जिम्मेदारियों को निभाने वाली संस्थाएं ही न्यायसंगत हैं। दूसरे शब्दों में, केवल संस्थाएँ ही एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना कर सकती हैं, जो सच्ची भावना से राज्य–राष्ट्र निर्माण की परियोजना को पूरा करती है।

रॉल्स आगे इस बात पर जोर देते हैं कि, यदि लोग और संस्थाएं एक सुव्यवस्थित समाज के इन बुनियादी विचारों पर कार्य करने में विफल हो जाते हैं तो परिणाम गंभीर होंगे। जब व्यक्ति और समूह केवल व्यक्तिगत हितों का पीछा करते हैं, तो उनके लिए न्याय की भावना होना असंभव है। इस मुद्दे को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना है कि, चाहे स्वयं या समूह के उद्देश्यों से नागरिकों को ऐसे तरीकों से कार्य करने के लिए राजी किया जाए जो भलाई के योग को अधिकतम करते हैं। शायद, क्षमता निर्माण, संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने और कौशल बढ़ाने के लिए मजबूत कार्यक्रमों और गतिविधियों को डिजाइन करके नेपाली राज्य को प्रभावी ढंग से पुनर्गठित किया जा सकता है और अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बन सकता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में राज्य, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्र–राज्य, राज्य–राष्ट्र की अवधारणाओं को व्यवस्थित रूप से व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। जहां राज्य एक राजनीतिक धारणा है वहीं राष्ट्र एक सांस्कृतिक धारणा है। जबकि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, वहीं राष्ट्र–राज्य एक प्रकार का राज्य है जो किसी राज्य की राजनीतिक इकाई को उसकी सांस्कृतिक इकाई के साथ मिलाता है। जबकि राज्य–राष्ट्र एक आधुनिक विमर्श है जो यह मानता है कि एक राज्य के अंतर्गत प्रथक प्रथक राष्ट्र अस्तित्व में हो सकते हैं।

वैश्वीकरण की अवधारणा आने के बाद विश्व के सभी राष्ट्र–राज्य आपस में घनिष्ठ रूप से इतने मिल–जुल गए हैं कि राष्ट्र–राज्य की अवधारणा का पतन हुआ है। दूसरी तरफ राज्य–राष्ट्र एक आधुनिक विमर्श के रूप में उभरा है जिसे वर्तमान तृतीय विश्व के देशों के संदर्भ में समझा जा सकता है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपनाया जाना एक सकारात्मक पहलू है। पंरतु दूसरी तरफ नृजातीय संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष निर्वाचित सरकारों का सैनिक शासन द्वारा तख्तापलट, राज्य और अंतर राज्य संघर्ष सुरक्षा का अंतर्द्वंद अलगाववाद क्षेत्रवाद आदि उसके नकारात्मक पहलू को उजागर करते हैं। और यह सभी अब दक्षिण एशिया के देशों में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद को जन्म दे रहे हैं। जिससे इस क्षेत्र में राज्य–राष्ट्र की प्रक्रिया के समक्ष गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं अगर हम दक्षिण एशिया के देशों को राज्य–राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है तो इन नकारात्मक तत्वों को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक स्थायित्व, सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना धार्मिक संघर्षों और पृथकतावादी आंदोलनों को समाप्त करने का गंभीर प्रयास करना होगा।

नेपाल राज्य के लोकतान्त्रिक विकास की रूपरेखा अध्याय के अंतर्गत नेपाल में राजशाही से लेकर लोकतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना तक का विस्तृत वर्णन किया गया है। नेपाल में 1950 के जन–आंदोलन के द्वारा राणाशाही की समाप्ति तथा राजा त्रिभुवन की सत्ता के अधीन संवैधानिक राजतंत्र लागू करने की घोषणा की गई। राणा मोहन शमशेर, राजा त्रिभुवन और नेपाली कांग्रेस के मध्य अन्तरिम सरकार के गठन को लेकर 1951 में हुए समझौते से नेपाल में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का आरम्भ हुआ।

1950–51 का जन–आंदोलन आंतरिक और बाह्य शक्तियों के प्रभावी सहयोग का परिणाम था। राणा, राजा और राजनीतिक दलों जैसे हित समूहों को संतुष्ट कर एक नई व्यवस्था का विकास किया गया। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि 1950–51 के जन–आंदोलन से नेपाल का लोकतान्त्रिक व्यवस्था से सिर्फ स्पर्श ही हो पाया था और तीनों हित समूहों राणा, राजा और राजनीतिक दल के मध्य नेपाल

एक प्रकार से सत्ता संघर्ष का मंच बन गया था। राजनेताओं की अनुभवहीनता एवं अक्षमता के कारण राजा त्रिभुवन नेपाल में क्रांति के जनक के रूप में लोकप्रिय नेता बन गए। राजा ने अपनी इस लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए अन्तरिम संविधान में कई संशोधन कर निरपेक्ष राजा के रूप में राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त कर लिया और संविधान सभा के चुनावों को आसानी से नाकाम कर दिया।

1955 में राजा बने महेंद्र ने भारत पर निर्भरता से नेपाल को मुक्त करने का प्रयास किया और पारंपरिक मूल्यों पर जो दिया। हिन्दू संस्कृति, नेपाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। निरंतर अस्थिर सरकार के चलते राजा ने एक नई दलविहीन व्यवस्था पंचायत प्रणाली को लागू किया। सही मायानों में कहे तो पंचायत व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को अवरुद्ध करते हुए राजा की स्थिति को मजबूत करने का माध्यम थी। राजा महेंद्र ने 1980 में पंचायत प्रणाली पर पुनः जनमत संग्रह कराया, जिसके परिणाम इस प्रणाली को जारी रखने के पक्ष में रहे। 1985 में राजनीतिक दलों से किए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता के कारण 1990 में एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया जो पंचायत प्रणाली की समाप्ति और संवैधानिक लोकतन्त्र की स्थापना का आंदोलन था। इस आंदोलन में सभी राजनीतिक दलों, छात्रों और सामाजिक संगठनो ने हिस्सेदारी की। शाही सरकार द्वारा दमन की कार्यवाही चलती रही लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी आंदोलन चलते रहे। इन परिस्थितियों के कारण मजबूर होकर राजा ने राजनीतिक दलों से प्रतिबंध हटा लिए और संवैधानिक राजतंत्र लागू करने की बात स्वीकार कर ली। 1990 के पश्चात गठित लोकतान्त्रिक सरकारों के कामकाज राजशाही के निरंतर हस्तक्षेप के चलते अस्थिर वातावरण बना रहा। इसी अवधि में माओवादिओं द्वारा 1996 से राजशाही के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया जो लगभग एक दशक तक चला। 1990 से लेकर 2006 तक के घटनाक्रम एवं संघर्ष का विस्तृत उल्लेख इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। 2006 में राजशाही की समाप्ति के पश्चात लोकतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना संविधान सभा के चुनाव एवं संविधान निर्माण के प्रयासों का विस्तृत वर्णन इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। नेपाल में 20 सितंबर 2015 में नेपाल में नया संविधान स्वीकार कर लिया गया।

मधेशी आंदोलन ने नेपाल के सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनों में बहुत अहम योगदान दिया है। मधेशी आंदोलन के पश्चात मधेशियों के प्रति नकारात्मक रुख और धारणा काफी हद तक कम हो गई है। इससे पूर्व मधेशी शब्द का प्रयोग पहाड़ी और काठमाण्डू के लोगों के मध्य अपमानजनक शब्द के रूप में किया जाता था। सभी उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि मधेशियों के प्रति मुख्यधारा के लोगों का पुराना रुख अब परिवर्तित हो गया है। क्षेत्र में एथनोंग्राफिक अध्ययन से पता चला कि मधेशी आंदोलन ने मधेशियों को कैसे सशक्त बनाया।

सबसे पहले मधेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर मधेशी पहचान को स्वीकार करने में अहम भूमिका का निर्वाह किया। इस आंदोलन ने नेपाली पहचान की पारंपरिक अवधारणा को खारिज कर दिया, क्योंकि यह सिर्फ पहाड़ी संस्कृति को मान्यता प्रदान करती थी। इससे पहले मधेशियों के साथ काठमाण्डू और पहाड़ी क्षेत्र में गैर–नेपाली के रूप में व्यवहार किया जाता था। मधेशी आंदोलन के फलस्वरूप मधेशी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई तथा संविधान में मधेशी शब्द को भी शामिल किया गया। आंदोलन के पश्चात नेपाली राज्य के नीति, विकास, समावेशन और बजट के संदर्भ में सकारात्मक पहल ने मधेशियों को प्राथमिकता दी। इस आंदोलन ने समवेशी लोकतन्त्र को स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इसके अलावा संविधान सभा में मधेशियों की संख्या में इजाफा हुआ। उदाहरण के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में मधेशियों की भागीदारी 36.42 प्रतिशत (जबकि मधेशी आबादी 33 प्रतिशत) पहाड़ी मूल के जनजातीय लोगों की 34.33 प्रतिशत और दलितों की 11.94 प्रतिशत बढ़ी। इससे पूर्व संसद में मधेशियों का केवल 20 प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व था। इस आंदोलन के पश्चात जनसंख्या के आधार पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की वृद्धि के चलते मधेशी अब अपनी कुल जनसंख्या के 51 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है जबकि 2008 से पूर्व सिर्फ 90 निर्वाचन क्षेत्र थे परंतु चुनावी निवचन क्षेत्रों में वृद्धि के पश्चात इनकी संख्या 119 हो गई । मधेशी आंदोलन अपनी प्रकृति में ऐतिहासिक था जिसने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जोर दिया। इसके अलावा मधेशी आंदोलन के पश्चात नेपाली गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मधेशी समुदाय से चुना गया था।

कुल मिलाकर इस आंदोलन से राज्य की नीति में ढांचागत बदलाव आया। मधेशी आंदोलन के पश्चात मधेशी जन अधिकार फोरम और तराई–मधेश पार्टी जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और उन्होने केंद्रीय गठबंधन सरकार में भाग लिया।

संक्षेप में राज्य–राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ–पहचान का प्रबंधन, समान नागरिक के लिए सुखद वातावरण बनाना, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना केवल संवैधानिक शासन की प्रणाली के तहत ही संभव हो सकता है। अर्थात एक उदार लोकतन्त्र जहां राजनीतिक विचारधाराओं सहित सभी प्रकार के शक्ति संबंध संविधान के दायरे में लाये जाते हैं। इसलिए उदार लोकतन्त्र की अवधारणा को राज्य–राष्ट्र निर्माण के मूल में दृढ़ता के साथ खड़ा होना चाहिए। वास्तव में उदार लोकतन्त्र राज्य–राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त आधार है।

दक्षिण एशिया के 7 देशों में से तीन में यथा (भारत, भूटान और नेपाल) में धर्मयुक्त पंथ निरपेक्ष उदारवादी प्राजातांत्रिक व्यवस्था है वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, मालदीव इस्लामिक राज्य है दूसरी ओर बांग्लादेश इस्लामिक ढांचे से बाहर आया हैं परंतु वहाँ इस पंथ निरपेक्ष ढांचे के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं। नेपाल की स्थिति दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में अलग है जिसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। जहां चीन में सर्वाधिकारवादी एकदलीय साम्यवादी शासन व्यवस्था है जो न केवल दक्षिण एशिया में प्रजातांत्रिक राज्यों के समक्ष चुनौतियां पैदा कर रहा है बल्कि समूचे वैश्विक राजीतिक संकट को उत्पन्न कर रहा है। एकदलीय बंद व्यवस्था से उत्पन्न आर्थिक समृद्धि से युक्त चीन अपने साम्राज्यवाद का विस्तार कर अपने समस्त पड़ोसी राज्यों के साथ विस्तारवादी मंसूबे के साथ कार्य कर रहा है।इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे हालात में यदि नेपाल में धर्मयुक्त पंथ निरपेक्ष उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था नही सुरक्षित रहती है तो उससे दक्षिण एशिया में असंतुलन उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। दक्षिण एशिया पर दो रंग यथा लाल रंग से लैस साम्यवादी विचारधारा और पाकिस्तान के पड़ोस में उत्पन्न हरे रंग में रंगे गैर प्रजातांत्रिक, गैर–पंथ निरपेक्ष इस्लामिक शासन से युक्त अफगानिस्तान और ईरान स्पष्ट रूप से दक्षिण एशिया में प्रजातन्त्र के विरुद्ध चुनौती उत्पन्न कर रहे

है। साम्यवादी और इस्लामिक विचारधारा राज्य–राष्ट्र विरोधी हैं जहां चीन साम्यवाद के माध्यम से एक वैश्विक राज्यविहीन समाज के सपने संजोय हुए है वही पर इस्लामिक व्यवस्था एक वैश्विक इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए मदान्ध है। ये दोनो विचारधाराएं राज्यों और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो नेपाल विश्व की उच्चतम पर्वत श्रंखला को अपने गर्भ में समेटे अपनी सामरिक अवस्थिति के चलते विश्व में सामरिक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी एक लंबी सीमा चीन के साथ लगी है तो दूसरी तिब्बत से लगी है, यह स्थिति स्पष्ट करती है कि नेपाल यदि हरे और लाल रंग की वैचारिक आँधी की चपेट में आता है तो इसका कुप्रभाव दक्षिण एशिया के साथ साथ वैश्विक राजनीति पर भी पड़ेगा। लंबे समय तक ब्रिटिश शासन ने भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान को चीन और रूस के खिलाफ एक बफर राज्य के रूप में निर्मित किया था, जिससे न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि पूरे विश्व में शक्ति का संतुलन बना रहा। यदि नेपाल चीन के साथ अपने सामरिक संबंधो में आगे बढ़ता है और अपने राज्य–राष्ट्र की विविधिता को संरक्षित करने में असफल हो जाता है तो सीधे तौर पर चीन के माध्यम से भारत के लिए खतरा उत्पन्न करता है तो भारत के समक्ष रूस और यूक्रेन की कहानी के दोहरने का पूर्वाभास होता है। जो नेपाल के राज्य–राष्ट्र के अस्तित्व के लिए असपष्ट रूप से एक नाकारात्मक बात होगी।

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी के द्वारा तीन परिकल्पनाएं रखी गईं थी जो निम्नलिखित हैं–

प्रथम परिकल्पना दक्षिण ,शिया और नेपाल राज्य दोनों में अंतर्द्वंद (Dilemma) की स्थिति समान है। यह मेरे शोध अध्ययन से सिद्ध होती है क्योंकि दक्षिण एशिया और नेपाल में राजनीतिक अस्थायित्व (भारत को छोड़कर), मजहबी अंतर्द्वंद, नृजातीय अंतर्द्वंद, भाषाई अंतर्द्वंद की स्थिति समान हैं तथा सभी दक्षिण एशियाई देश इस स्थिति का सामना कर रहें हैं जो नेपाल को एक राज्य–राष्ट्र के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित होने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं।

द्वितीय परिकल्पनाः राज्य–राष्ट्र और लोकतंत्र के मध्य तालमेल नेपाल राज्य की सबसे बड़ी समस्या है यह भी मेरे शोध अध्ययन की कसौटी पर खरी उतरती है क्योंकि अधिकांश समय नेपाल में लोकतान्त्रिक व्यवस्था के आस्थायित्व और अनिश्चितता ने नेपाल को एक राज्य–राष्ट्र के रूप में कमजोर करने का कार्य किया है तथा नेपाल में लोकतन्त्र के उन्नत होने में राजतंत्र प्रमुख बाधा है, यह भी मेरे अध्ययन से सिद्ध होता है।

तृतीय परिकल्पनाः नेपाल राज्य की राजनीति पर्वतीय राज्य होने के कारण दक्षिण एशिया में भिन्न है, यह भी मेरे शोध अध्ययन से सिद्ध होता है, क्योंकि दक्षिण एशिया के अन्य देशों के सापेक्ष नेपाल पूर्ण रूप से एक भू–बध्य राज्य–राष्ट्र है, जो दो महाशक्तियों भारत और चीन के राजनीतिक और आर्थिक हितों के संघर्ष से निरंतर प्रभावित रहता है।

शोध अध्ययन में निर्धारित तीनों परिकल्पनाएं मेरे शोध अध्ययन से सिद्ध होती हैं। शोध अध्ययन में शोधार्थी के द्वारा कुछ अनुशंसाएं एवं सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं जो निम्नलिखित हैं–

1. नेपाल के लिए भारत और चीन के बीच एक संतुलित संबंध बनाना महत्वपूर्ण है राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि।
2. समान नागरिक के लिए सुखद वातावरन बनाना।
3. स्थिर राजनीतिक व्यवस्था।
4. नेपाली राज्य–राष्ट्र को मधेशियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान करने चाहिए
5. नेपाल में राज्य–राष्ट्र ढांचे को अपनाया जाना आवश्यक है यदि नेपाल में चीन के साम्राज्यवादी और विसतारवादी मंसूबों और हस्तक्षेप को रोकना है।
6. नेपाली समाज बहुसांस्क्रतिक, बहुभाषाई समाज रहा है, नेपाल को प्रजानतांत्रिक रखना विश्व की शांति और व्यवस्था के लिए आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

संदर्भ ग्रंथ सूची

A. BOOKS

Alfred steepen Juan J- Linz and Yogendra Yadav (2011): Crafting State &Nations: India and Other Multinational Democracies- Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Alfred Stepan Juan J- Linz Yogendra Yadav (2010); The Rise of State & Nations Journal of Democracy Volume 21 Number 3 pp- 50&68 Published by The Johns Hopkins University Press July.

Anderson, Benedict (1983): Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism- London Verso

Anthony C- Pick (2011); The Nation State: An Essay March

Asian Centre for Human Rights ACHR (2009) Madhes: The Challenges and Opportunities for a Stable Nepal Briefing Papers on Nepal] Issue 3 New Delhi: ACHR

Azar Gat, Nations: The Long History and Deep Roots Of Political Ethnicity And Nationalism (Cambridge University Press, 2013)

Bajracharya, B.R, Sharma, S.R, Bakshi, S.R (1993) Political Development in Nepal, New Delhi, Anmol Publication pvt. Ltd.

Census R (2011) National Population and Housing Census- Nepal: Central Bureau of Statistics of Nepal

Central Bureau of Statistics C (2012) National population and Housing Census 2011- Kathmandu: Natioanal Planning Commission] Government of Nepal

Central Bureau of Statistics CBS (2009) Statistic Year Book of Nepal 2009 [CD RAM½] Kathmandu: GON

Chakma. S (2009) September 1- Madhes: The Challenges and Opportunities for a Stable Nepal- Retrieved from Asian Centre for Human Rights: http://www-achrweb-org

Chatterjee Partha (1993) The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories] Princeton University press.

Chatterjee Partha (1993)The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories Princeton University press.

Chaudhury Deepak (2011) Tarai/Madhes of Nepal: An Anthropological Study Kathmandu: Ratna Pusthak Bhandar-

Chauhan, R. S (1977) Struggle and Change in South Asian Monarchies, New Delhi, Chetna Publications.

Chauhan, R. S (1985) Constitutional Development in Nepal, 1950-71 in P.C Mathur (ed.), Government and Politics in South Asia: The Domestic Scene, vol. 1, Jaipur: Printwell Publishers.

D. N. Gellner, J. Pfaff-Caarnecka, & J. Wheplpton eds., Kathmandu, Vajra Publications, 2008)

Dahal D. R (2008) The Madhesi People: Issues and Challenges of democracy in the Nepal's Terai- In D- N- Gellner & K- Hachhethu Local Democracy in South Asia: Microprocesses of democratisation in Nepal and its neighbours p- 143- New Delhi: Sage Publications India Pvt- Ltd-

DFID & The World Bank (2006) Unequal Citizens: Gender, Caste and Ethnic Exclusion in Nepal.

E-J Hobsbawm (199)2 Nation and nationalism since 1780&1990 Cambridge University press

Gaige Frederich H (2009) Regionalism and National Integration Kathmandu: Himal Books

Gaige. F (1975) Regionalism and National Unity in Nepal- California: University of California Press

Gellner D. N (2007) Nepal; Towards a Democratic Republic] Caste] Ethnicity and Inequality in Nepal- Economic and Political weekly 1827

Gellner Ernest (1983) Nation and nationalism wiley Blackwell ISBN 9781405134422-

Ghimire Y (2015) October 5- who are the Madhesis Why are they angry\ The Indian EXpress

Gurung Harka (1996) Ethnic Demography of Nepal- Democracy Nepal: Gateway to Nepali Politics and Civil Society retrieved from http://www-nepaldemocracy-org/ethnicity/ethnic_demograp hy-html- on10 March 2018

H. G. WELLS, *supra* note, at 451.

Hachhethu Krishna (2007) Madhesi Nationalism and Restructuring the Nepali State paper presented at International Seminar Constitutionalism and Diversity in Nepal Kathmandu

Hachhethu Krishna (2007) Madhesi Nationalism and Restructuring the Nepali State] paper presented at International Seminar ÞConstitutionalism and Diversityß in Nepal Kathmandu

Hachhethu. K (2007) Madhesi Nationalism and restructuring the Nepali state-Constitutionalism and diversity in Nepal- Kathmandu: Tribhuvan University Kirtipur-

Hangen S (2000) The Rise of Ethnic Politics in Nepal: Democracy in the Margins- London: Routledge

Harka Gurung, *State and Society in Nepal*, in NATIONALISM AND ETHNICITY IN NEPAL 20-33

Hofer, Andras (2004) The Caste Hierarchy and the State in Nepal: A Study of the Muluki Ain of 1854, Kathmandu, Himal Books

http://www-madhesi-wordpress-com

ICG- (2007) Nepal's Troubled Terai Region- Brussels: International Crisis Group] Working to Prevent conflict worldwide

International Crisis Group ICG- (2007) Nepals Troubled Tarai Region Asia Report No- 136-

पूनम (2001) राजतंत्रीय नेपाल में प्रजातांत्रिक आंदोलन एवं राजनीतिक विकास, नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन।

J. Lipner, hindus: their religions beliefs and practices (Routledge, 2010).

J. Winternitz (1946) marxism and nationality 7 London, Lawrence & Wshart Ltd.

Jaiswal P (2015) September 28- Contextualising Madhesi frustration in the wake of Nepal's New Constitution- Retrieved from Institute for Defense Studies and Analyses: http://www-idsa-in

Jaiswal P- 2015 September 28- ConteXtualising Madhesi frustration in the wake of Nepal's New Constitution- Retrieved from Institute for Defense Studies and Analyses: http://www-idsa-in

Jaiswal, Pramod (2016) Constitution of Nepal: Evolution, Development and Debates, G.B. Books, New Delhi.

Jawaharlal Nehru, Glimpses of World History (New York, The Hohn Day Company, (1942);

H. G. Wells, a short history of the world (New York, The MacMillan Company, (1922)

Jha H (2015) September 24- Nepal's New Constitution: An analysis from the Madhesi perspective- Retrieved from IDSA: Institute for Defence Studies and Analysis: http://www-idsa-in

Jha H.B (2015) Nvember 2- Nepal's Madhes movement Fall 2015- Alliance for Peace Building

Jha, Haribansh (1993) The Terai and National Integration in Nepal, Kathmandu: Centre for Economic and Technical Studies and Friedrich ebert stiftung.

Julies Lipner, Hindus: Their Religious Beliefs And Practices, Kindle Location 214, Routledge, 2nd ed., 2010

Karl Marx & Frederick Engels (1908) Manifesto of The Communist Party, Kindle Location 58 (New York Labor News Co.

Koirala N & Macdonald G (2015) November 7- India in the Madhesi movement- Economic and political weekly 9- Retrieved from http://www-connection-ebscohost-com

Koirala N & Macdonald G (2015) November 7- India in the Madhesi movement- Economic and political weekly 9- Retrieved from http://www-connection-ebscohost-com

Kumar, D.P. (1980) Nepal: Yaer of Decision, Delhi, Vikas Publishing House.

Kumar, Satish (1967) rana Polity in Nepal: Origine and Growth, Bombay, Asia Publishing House.

Kumar. V (2007) March 14- Madhes or Terai and Tharus or MadhesisNew frontier of etymopolitics in Nepal- Retrieved from Madhesi: United we stand:

Lawoti M & Hangen S (2013) Nationalism and ethnic Conflict in Nepal: Identites and Mobilisation after 1990- London: Routledge

Lawoti M (2005) Towards a Democratic Nepal: Inclusive Political institutions for a multicultural society- New Delhi: Sage Publications- 138

Lawoti, Mahendra (2005), Towards a Democratic Nepal: Inclusive Political Institutions for a Multicultural Society, new Delhi, Sage Publication.

Lawoti] M (2012) Ethnic Politics and the building of an inclusive state- In S- D- Eiensiedel] D- M- Malone & S- Pradhan Nepal in Transition: From Peoples war to fragile peace- New york: Cambridge University Press.

Levi, Werner (1953), Government and Politics in Nepal, Far Eastern Survey, 23 (7), pp.102-156

Ludwig F. and Stiller, S.J (1974), The Role of Fear in the Unification of Nepal, Contributions to Nepalis Studies, Tribhuvan University, CNAS, 1(2): pp, 45-50

Mahat, Ram Sharan (2005), In Defence of Democracy: Dynamics and Fault Lines of Nepal's Political Economy, New Delhi, Adroit Publishers.

Mahendra Lawoti (2005) Towards A Democratic Nepal: Inclusive Political Structure For A Multicultural Society 317 New Delhi, Sage Publication.

Mahendra Lawoti, Towards a Democratic Nepal, *supra* note.

Mahendra Lawoti, Towards a Democratic Nepal: Inclusive Political Institutions For Multicultural Society (New Delhi, Sage Publications, 2005).

Mathema Kalyan Bhakta (2011) Madhesi Uprising: The Resurgence of Ethnicity Kathmandu: Mandala Books

Mathur, P.C (1977), Intellectual Foundation of Monarchy' in S.D Muni (ed.), Nepal: An Assertive Monarchy, New Delhi, Chetna Publications.

Maycock Matthew (2011) The Influence of the Tharuhat Autonomous State Council TASC in Kailali District in the Far Western Tarai- Nepal Journal of Social Science and Public Policy Vol-11:78&89

उप्रेती बी, सी, जुलाई एंड सितंबर (2006) 'नेशनलिज्म इन साउथ, एशिया ट्रेंड्स एंड इंटरप्रिटेशन' इंडियन जर्नल आफ पॉलीटिकल साइंस, Vol- XVII] No-3 July & September 2006- PP&535&544

Mikilian Jason (2009) Nepals Terai: Constructing an Ethnic Conflict] South Asia Briefing Paper 1 International Peace Research Institute Oslo-

Miklian. J (2009) Nepal's Terai: Constructing an ethnic conflict- Oslo: International peace research institute PRIO-

Mishra, Naveen (2006), Nepal: Democracy in Transition, New Delhi, Authors press.

Mojumdar, Kanchanmoy (1975) Nepal and the Indian Nationalist Movement, Calcutta, Firma K.L. Mukhopadhyaay.

Muni, S.D (1977) Political Change: A Framework of Analysis', in Muni, S. D. (ed.) An Assertive Monarchy, New Delhi, Cheta Publications.

Muni, S.D (1992) India and Nepal: A Changing Relationship, New Delhi, Konark.

N. C. Chaudhuri (1979) Hinduism: A Religion To Live By (London, Chatto & Windus,.

Naidu, Sushil K (2017) Constitutional Building in Nepal, Gaurav Book Centre, New Delhi.

Nayak N (2011) July- The Madhesi Movement in Nepal: Implications for India- Strategic analysis p- 641-

Nayak N (2011) The madeshi movement in Nepal: Implications for India- Strategic Analyssis 40 & 660

Nayak N (2011) The Madhesi movement in Nepal: Implications for India - Strategic Analysis 640&660

Pandey N. N (2010) New Nepal: The Fault Lines- New Delhi: Sage Publications India Limited

Pant, Shastra Dutta (2001) Comparative Constitutions in Nepal, Bombay, Vora and Co. Publishers private Ltd.

Parmanand (2008) G.p Koirala's Struggle for Democracy in Nepal: A Biography, Ontario Bright scholar's Publications.

Pathak B & Chitra N (2007) February 1- Madhes Violence: Identity clash in Nepal- Retrieved from Madhesi voice: http://www-madhesi-wordpress-com

Pathak B & Uprety D (2009) october 14- Terai Madhes: Searching for Identity based Security- Conflict Study Centre pp- 9&10

Pathak B & Uprety D (2009) october 14- Terai Madhes: Searching for Identity based Security- Conflict Study Centre pp- 9&10

Peter Furtado & Hussein Bassir, Histories 0f Nations: How Their Identities Were Forged (Thames and Hudson Ltd, 2014)

Piearson Christopher (1996) The Modern State Routledge London/New York

Pierre Manent, A World Beyond Politics: A Defense Of The Nation State (Translated by Marc LePain, Princeton University Press, 2006

Poudyal, Ananta Raj (2001) Ethnicity in Nepal: Its Regional Imlications', in Kouser J. Azam (ed.) Ethnicity, Identity and the State in South Asia, New Delhi, South Asian Publishers.

Pradhan, Bishwa (1963) Panchayat Democracy in Nepal', New Delhi, Hari Charan Srestha.

Pyakurel U (2012) December- The vision of the Jan Andolan 2 for the future of Nepal- In B- Upreti State and Democracy in Nepal p- 1- Delhi: Kalinga Publications

Rimal Gauri Nath (2009) Infused Ethnicities: Nepals Interlaced and Indivisible Social Moasaic- Kathmandu: Institute for Social and Environmental Transition &Nepal

Robert C. Young (2015). Empire, colony, post-colony, Wiley Blackwell.

Sathya murthy T.V (1994) State and Nation in the Context of Social Change Oxford University Press New Delh.

Shrestha B. G (2003) March 30- Ethnic Nationalism in Nepal- International Institute for Asian Studies: Newsletter p- 22

Susan Hangen & Mahendra Lawoti (2013) *Nationalism and Ethnic Conflict in Nepal*, in Nationalism and Ethnic Conflict In Nepal 17 Mahendra Lawoti & Susan Hangen eds., Routledge.

The World Bank and the Department for International Development UK- 2006- Unequal Citizens: Gender Caste and Ethnic Exclusion in Nepal Kathmandu: The World Bank and the Department for International Development UK

UNDP (2009) Nepal Human Development Report 2009: State Transformation and Human Development] Kathmandu: UNDP office

अदित्य अधिकारी (2014), द बुलेट एंड बैलेट बॉक्सः द स्टोरी आफ नेपाल माओस्टि रेवोल्यूसन

अगरवाल, निर्मला (2003) भारत–नेपाल संबंधः 1950 की शांति एवं मैत्री संधि के संदर्भ में एक अध्ययन, जयपुर, ।ठक पब्लिशर्ष

Yadav R. P (2006) June- Madhesi : A Disadvantaged Social Group- The IIDS Newsletter: Sambad p- 1

Yadav R. P (2015) June- Madhesi: A disadvantaged social group- Sambad IIDS Newsletter

Yadav Ramawatar (2011) One Being Madhesi in The Tarai: History Society Environment] ed- Arjun Guneratne 150&60 Kathmandu: Association for Nepal and Himalayan Studies

Yvome k (2007) March 2- Madhesi Issue in Nepal- Madhesi& United we stand pp-22&43

B. ARTICLES

एस. डी. मुनि ने "द न्यू डेमोक्रेटिक वेब एंड रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, 2009"

"Pakistan Welcomes the Promulgation of New Constitution in Nepal," Press Release/Speeches, September 21, 2015, Ministry of Foreign Affairs, Government of Pakistan, http://www.mofa.gov.pk/pr-details.php?mm=MzA5MA

"Parties agree to go for 7-province model", *Nepal Mountain News*, August 21, 2015, http://www.nepalmountainnews.com/cms/2015/08/21/parties-agree-to-go-for-7-province-model/

"Secularism retained in new constitution", *The Himalayan Times*, September 14, 2015, http://thehimalayantimes.com/kathmandu/ca-resumes-voting-on-statute-articles-amendment-proposals/

"The 16-Point Agreement", *South Asia Terrorism Portal*, http://www.satp.org/satporgtp/ countries/nepal/document/papers/16-point_Agreement.htm

''भारत का 'यस मैन' नहीं बनेगा नेपाल: प्रचंड'' ए *खास खबर* September 22, 2015, http://www.khaskhabar.com/picture-news/news-seeks-friendship-but-nepal-will-not-be-yes-man-of-india-prachand-1-13036.html

Aditi Phadnis, "High drama in the Himalayan nation", *Business Standard*, September 26, 2015, http://www.business-standard.com/article/current-affairs/high-drama-in-the-himalayan-nation-115092600790_1.html

Article 1 of the Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 1933.

Baral, Lok Raj (1977) The Changing Constitutional and Political System of Nepal, Foreign Affairs Reports, Vol. 26. 26, No. 1, January, p. 18

Baral, Lok Raj (1981) The First Pancchayat General Elections in Nepal', Nepalese Journal of Political Science, Tribhuvan University, 3 (2): pp. 1-5

Baral, Lok Raj (1999) Constitutional Exercises and Prospects of Democracy in Nepal', Essays on constitutional Law, 29, p. 7.

Burghart, Richard (1984) The Formation of the Concept Nation-State in Nepal', The Journal of Asian Studies, 44 91): pp. 101-125.

Chandrasekhran, S. (2006) Recent Developments in Nepal in the Impact of Indian Internal Security, Dilogue, vol. 8, No. 2, October-December, pp. 70-89.

David Kainee, "Risky rider", *Republica*, Nepal Republic Media, September 13, 2015, http://myrepublica.com/opinion/story/28061/risky-rider.html

David Kainee, "Risky rider", *Republica*, Nepal Republic Media, September 13, 2015, http://myrepublica.com/opinion/story/28061/risky-rider.html

Dev, "Nepal constitution 2072 2015 Features", *One Click Nepal*, September 20, 2015, http://oneclicknepal.com/nepal-constitution-2072-2015-features/

Foreign Ministry Spokesperson Hong Lei's Regular Press Conference on September 21, 2015, *Embassy of the People's Republic of China in the Federal Democratic Republic of Nepal*, Official Website, September 21, 2015, http://np.chineseembassy.org/eng/fyrth/t1298582.htm

Ganguly, Sumit and Shoup, Brian (2005) Nepal: Between Dictatorship and Anarchy', Journal of Democracy, 16(4): pp.129-143

Hari Phuyal, "Nepal's New Constitution: 65 Years in the Making", THE DIPLOMAT, 18 September, 2015, http://thediplomat.com/2015/09/nepals-new-constitution-65-years-in-the-making/

http://www.peoplessamachar.co.in/index.php/ind/53-editorial/98630-2015-09-27-17-42-54

KL Devkota, "Drawing the line", *The Kathmandu Post*, July 22, 2015, http://kathmandupost.ekantipur.com/printedition/news/2015-07-21/drawing-the-line.html

Kramer, Karl-Heinz (2006): Time for a Complete Renewal, Nepal Monitor, July 15,http://www.nepalmonitor.com/2006/07/time_for_a_complete_ renewal.html

Make seven changes to your Constitution: India tells Nepal, Indian Express, September 24, 2015 http://indianexpress.com/article/world/ neighbours/

make-seven-changes-to-your-constitution-address-madhesi-concerns-india-to-nepal/#sthash.EktVITR5.dpuf,

Minister for Asia, Hugo Swire, Awaits Nepal's New Constitution and Urges Calm from All Sides, https://www.gov.uk/government/news/uk-hopes-for-inclusive-resolution-for-nepal

Mishra Rabindra (2004) India's Role in Nepal's Maoist Insurgency', Asian Survey, Vol. 44, no. 5, September- October, pp. 627-646.

Nepal enshrines the Right to Food in new constitution,http://www.fao.org/news/story/en /ite/ 334895/icode/

Nepal Press Digest (1967) Vol. 11, No. 4, Kathmandu, January 26-28, 1967, p. 22

Nepal Press Digest (1975) Vol. 19, No. 50, Kathmandu, December 15, 1975, p. 514.

Nepal Press Digest (1980) Vol. 24, No. 20, Kathmandu, May 19, 1980, p. 206

Nepal to be split into eight federal provinces in deal ending years of stalemate over new constitution, *South China Morning Post,* June 9 2015, http://www.scmp.com/news/ asia/south-asia/article/1819174/feuding-parties-agree-split-nepal-eight-provinces-ending-years

Nepal: Conflict Alert, *International Crisis Group*, September 2, 2015, http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/alerts/2015/nepal-conflict-alert.aspx

Nepal: Conflict Alert, *International Crisis Group*, September 2, 2015, http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/alerts/2015/nepal-conflict-alert.aspx

Nepal: Conflict Alert, *International Crisis Group*, September 2, 2015, http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/alerts/2015/nepal-conflict-alert.aspx

Pandey, Nischal Nath (2002) Nepal's Maoist Movement and Implications for India, USI Journal, 132 (550), pp.558-565

Phuyal, Hari 'Nepal's New Constitution: 65 Years in the Making', The Diplomat, 18 September, 2015, http://thediplomat.com/2015 /09/nepals-new- constitution-65-years-in-the-making/

Pratik Karki, *Through the Lenses of the Constitution: the Nepal Crisis Explained*, www.firstpost.com, January 9, 2016.

Rajeev Dhawan, "It's time to leave Nepal alone", *Daily Mail Online*, October 4, 2015, http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-3259672/It-s-time-leave-Nepal-alone.html

S D Muni, "Nepal's New Constitution: Towards Progress or Chaos?", *Economic and Political Weekly*, October 3, 2015, p. 19

Sanjay Kumar, "Nepal Tests India's Much Touted Neighborhood Diplomacy", *The Diplomat*, September 26, 2015.

Statement by the Spokesperson on the promulgation of a new Constitution in Nepal, 18 September 2015. http://www.eeas.europa.eu/delegations/ nepal/documents/press _corner/2015.09.18_en.pdf

Statement on the Promulgation of Nepal's Constitution, September 22, 2015, http://nepal.usembassy.gov/pr-09-22- 2015.html

अवधेश कुमार, "नेपाल का नया संविधान भेदभाव पूर्ण", पीपुल्स समाचार, September 27, 2015,

We have to address the concerns of the marginalized, *The Kathmandu Post*, September 14, 2015, http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2015-09-14/we-have-to-address-the-concerns-of-the-marginalised.html

C. NEWS PAPER

Ghimire, Somnath (2004) Nepal's Baby Democracy, The Nepal Digest1,http://www.thenepaldigest.org/jan041/news_item.asp?Newsid=234

International Crisis Group (2015) Nepal: Conflict Alert', 2nd September, http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/alerts/2015/nepal-conflict-alert.aspx

Mehta, Ashok, K (2002), Nepal: Over to Palace', The Pioneer, New Delhi, October 9

Muni, S. D (2001) Gyanendra must Reform or Monarchy is Doomed', The Pioneer, 4th June

Pradhan Keshav (2002) State of Emergency Declared in Nepal', The Hindustan Times, 20th November.

Pradhan Suman (2001) Citizenship Row Festers in Nepal', Asia Time Online, 19th October 19, url, http://atimes.com/ind-pak/cj19df01.html

Pradhan Suman (2002) Deuba terms his ouster unconstituional', The Times of India (New Delhi) 5th October.

परिशिष्ट

परिशिष्टि–1

राजनीति विज्ञान विभाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ

दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद : नेपाल राज्य का अध्ययन पर सर्वे योजना

(मधेशी उत्तरदाताओं के लिए)

भाग A : व्यक्तिगत सूचना

1. **नामः**
2. **लिंगः पुरुष [ ] , महिला [ ] ,**
3. **उम्रः**
4. **व्यवसायः**
5. **शिक्षाः**
6. **धर्मः** हिन्दू [ ] , मुस्लिम [ ] , सिक्ख [ ] , ईसाई [ ] , अन्य [ ],
7. **समुदायः**
8. **पताः**

भाग B : मधेशी आंदोलन के उद्देश्य

1. क्या आप मधेशी आंदोलन से परिचित हैं? हाँ ख , नही ख , यदि हाँ तो कब से जानते हैं?
2. आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है?
3. आपको क्या लगता है मधेश में आंदोलन का क्या प्रभाव रहा है?
4. सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं?

5. आंदोलन सरकार से क्या मांग करता है?

भाग C: मधेशी आंदोलन की उत्पत्ति के कारण

1. आपको क्या लगता है कि मधेशी आंदोलन की उत्पत्ति के पीछे क्या मौलिक कारण हैं?
2. क्या आपके पास नागरिकता प्रमा.ा पत्र है? क्या सरकार ने आपको इसे प्रदान किया है? हाँ यदि नही तो क्यों?
3. क्या आपके पास स्वयं की भूमि है?
4. क्या आप नेपाली भाषा में लिखने या पढ़ने में सहज हैं?
5. मधेश शब्द से आपका क्या अर्थ है? क्या यह उन सभी लोगों को दर्शाता है जो तराई क्षेत्र में निवास करते हैं? या इसका कुछ और अर्थ है?
6. क्या आपको मधेशी होने के कारण किसी प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है?

भाग D: मधेशी आंदोलन में संघर्ष और राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद

1. क्या आपको लगता है की मधेशी आंदोलन के भीतर संघर्ष आंदोलन की एक सीमा निर्धारित करता है?
2. क्या आपको लगता है कि भारत को मधेशी आंदोलन का समर्थन करना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? यदि नही तो क्यों?
3. आपकी राय में मधेशी आंदोलन में किस तरह का संघर्ष है?
4. आपकी राय में मधेशी आंदोलन में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका रही है?
5. राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आप मधेशी आंदोलन की कोई भूमिका स्वीकार करते हैं?

भाग E: राज्य की प्रतिक्रिया

1. क्या आपको लगता है कि नेपाल सरकार मधेशियों की मांगों को प्रदान करने में सफल रही है?
2. मधेशी मुद्दों को हल करने के लिए राज्य को आपके अनुसार कौन से कारगर कदम उठाने चाहिए? क्या वर्तमान में सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाए गए है?
3. क्या आप सरकार द्वरा मधेशियों के लिए बनाई गई कुछ नीतियों और सुविधाओं का नाम बता सकते है?
4. आपकी राय में 2015 के संविधान को लेकर मधेशियों में असंतोष क्यों था?
5. क्या आप सरकार से किसी प्राकार की सुविधा ले रहें हैं? यदि हाँ तो वह क्या है? (जैसे– बेरोजगारी भत्ता, वृद्धवस्था पेंशन, कृषि ऋ.ा या अन्य सुविधाएं)

परिशिष्टि–2

राजनीति विज्ञान विभाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ

दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद : नेपाल राज्य का अध्ययन पर सर्वे योजना

(गैर–मधेशी उत्तरदाताओं के लिए)

भाग A : व्यक्तिगत सूचना

1. **नामः**
2. **लिंगः पुरुष [ ] , महिला [ ] ,**
3. **उम्रः**
4. **व्यवसायः**

5. **शिक्षाः**

6. **धर्मः** हिन्दू [ ] , मुस्लिम [ ] , सिक्ख [ ] , ईसाई [ ] , अन्य [ ],

7. **समुदायः**

8. **पता**

भाग B:

1. क्या आप मधेशी आंदोलन से परिचित हैं? हाँ [ ] , नही [ ] , यदि हाँ तो कब से जानते हैं?
2. आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है?
3. आपको क्या लगता है मधेश में आंदोलन का क्या प्रभाव रहा है?
4. आपको क्या लगता है? आंदोलन की शुरुआत के पीछे क्या कारण थे?
5. आंदोलन के दौरान बंदी और हड़तालों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह आम–जन के लिये समस्या उत्पन्न करता है?
6. क्या आपके पास अपनी भूमि, घर या स्वयं की कोई संपत्ति है?
7. राज्य–राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अप मधेशी आंदोलन की कोई भूमिका स्वीकार करते हैं?
8. क्या आप नेपाली के अलावा किसी अन्य भाषा में बात वार्तालाप करने में सहज हैं?
9. क्या आपको लगता है नेपाली को आधिकारिक भाषा बनाया जाना चाहिए?
10. मधेश शब्द से आपका क्या अर्थ है? क्या यह उन सभी लोगों को दर्शाता है जो तराई क्षेत्र में निवास करते हैं? या इसका कुछ और अर्थ है?

11. क्या आपको लगता है कि भारत को मधेशी आंदोलन का समर्थन करना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? यदि नही तो क्यों?

12. क्या आप चुर भवार एकता समाज से परिचित हैं? यदि हाँ तो क्या आपको लगता है कि यह समाज गैर–मधेशियों के हितो की रक्षा के लिए है?

13. क्या आप मधेशी जन–अधिकार फोरम के बारे में जानते हैं? हाँ [ ] , नही [ ] ,

14. क्या आपके पास नागरिकता प्रमा.ा पत्र है? यदि हाँ तो कब से है?

15. क्या आपको लगता है कि मधेशी आंदोलन को भविष्य में भी जारी रखना चाहिए? सरकार को इसके साधन के लिए क्या करना चाहिए?

Curiginal

Document Information

Analyzed document	Vikas Shukla_Ph.D._Political Science.pdf (D130978761)
Submitted	2022-03-21T06:06:00.0000000
Submitted by	O. P. Saini
Submitter email	gbl.bbau@gmail.com
Similarity	1%
Analysis address	gbl.bbau.bbau@analysis.urkund.com

Sources included in the report

W	URL: https://pubhtml5.com/kcvf/ycjb/basic/51-100 Fetched: 2021-08-23T09:55:11.4300000	14
W	URL: https://documents.doptcirculars.nic.in/D2/D02ser/174290.pdf Fetched: 2021-03-05T12:37:26.9730000	1
W	URL: https://www.undp.org/content/dam/india/docs/human-development/HDR/HDR2013-Report-Hindi-PR.pdf Fetched: 2020-10-28T01:53:53.4200000	3
W	URL: https://www.slideshare.net/HRLNIndia/rise-of-fascism-in-hindi Fetched: 2019-09-28T11:09:22.5570000	1
W	URL: http://www.mpsos.nic.in/Dec.%202019%20Open%20School%20Q.P..pdf Fetched: 2020-11-16T07:38:19.0800000	1